SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

# भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
# का
# 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन

## मध्य प्रदेश शासन
## 2025 का प्रतिवेदन संख्या 2
## (अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन

**मध्य प्रदेश शासन**

**2025 का प्रतिवेदन संख्या 2**

**(अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)**

**विषय सूची**


| कंडिका क्रमांक | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| | प्राक्कथन | v |
| | कार्यकारी सारांश | vii-xiv |
| **अध्याय I: सामान्य** | | |
| **1.1** | **इस प्रतिवेदन के विषय में** | 1 |
| **1.2** | **लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभागों की रूपरेखा** | 1 |
| **1.3** | **कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)** | 2 |
| **1.4** | **लेखापरीक्षा प्राधिकार** | 3 |
| **1.5** | **लेखापरीक्षा की योजना और संचालन** | 3 |
| **1.6** | **लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया** | 5 |
| **1.7** | **अभिस्वीकृति** | 6 |
| **अध्याय II: वाणिज्यिक कर विभाग (जीएसटी)** | | |
| **वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान एवं विवरणियाँ दाखिल किए जाने पर विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा** | | |
| **2.1** | **परिचय** | 8 |
| **2.2** | **लेखापरीक्षा उद्देश्य** | 9 |
| **2.3** | **लेखापरीक्षा पद्धति और कार्यक्षेत्र** | 9 |
| **2.4** | **लेखापरीक्षा नमूना** | 10 |
| **2.5** | **लेखापरीक्षा मानदंड** | 11 |
| **2.6** | **लेखापरीक्षा निष्कर्षों की व्यापक श्रेणियाँ** | 12 |
| **अध्याय III: वाणिज्यिक कर विभाग (राज्य आबकारी)** | | |
| **"आबकारी विभाग द्वारा आबकारी शुल्क का निर्धारण, आरोपण तथा संग्रहण" पर अनुपालन लेखापरीक्षा** | | |
| **3.1** | **कर प्रशासन** | 47 |
| **3.2** | **प्राप्तियों की प्रवृत्ति** | 48 |
| **3.3** | **आंतरिक लेखापरीक्षा** | 48 |

| कंडिका क्रमांक | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 3.4 | लेखापरीक्षा परिणाम | 49 |
| 3.5 | राज्य आबकारी विभाग द्वारा आबकारी शुल्क के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण पर अनुपालन लेखापरीक्षा | 50 |
| अध्याय IV: खनिज साधन विभाग | | |
| 4.1 | प्रस्तावना | 67 |
| 4.2 | कर प्रशासन | 67 |
| 4.3 | प्राप्तियों की प्रवृत्ति | 67 |
| 4.4 | लेखापरीक्षा परिणाम | 68 |
| 4.5 | अतिरिक्त मात्रा में निकाले गए खनिजों की लागत की वसूली न होना | 69 |
| 4.6 | राजस्व की कम प्राप्ति | 71 |
| अध्याय V: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग | | |
| 5.1 | प्रस्तावना | 73 |
| 5.2 | संगठनात्मक संरचना | 74 |
| 5.3 | अनुदानों की प्रवृत्ति: माँग, जारी एवं उपयोग की गई धनराशि | 75 |
| 5.4 | लेखापरीक्षा के परिणाम | 75 |
| 5.5 | अस्वीकृत घटकों पर एमएसएमई को अनियमित पूंजीगत सब्सिडी जारी किया जाना | 76 |
| 5.6 | अपात्र और बंद उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी का अनियमित प्रदाय | 79 |
| 5.7 | जीएसटी मानदंडों के उल्लंघन के कारण सब्सिडी का अधिक भुगतान | 82 |
| 5.8 | विविध मुद्दे | 83 |
| अध्याय VI: वन विभाग | | |
| | "मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियों का प्रबंधन" पर अनुपालन लेखापरीक्षा | |
| 6.1 | प्रस्तावना | 85 |
| 6.2 | लेखापरीक्षा उद्देश्य और मानदंड | 85 |
| 6.3 | लेखापरीक्षा पद्धति | 86 |
| 6.4 | संगठनात्मक स्वरूप | 87 |
| 6.5 | वनोपज एवं वन राजस्व की प्रवृत्ति | 87 |
| 6.6 | कार्य-योजना का क्रियान्वयन | 88 |

| कंडिका क्रमांक | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 6.7 | वन प्राप्तियों का निर्धारण एवं संग्रहण | 96 |
| 6.8 | निगरानी एवं पर्यवेक्षण | 101 |
| 6.9 | निष्कर्ष | 103 |
| 6.10 | अनुशंसाएँ | 104 |
| अध्याय VII: लोक निर्माण विभाग | | |
| लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई के द्वारा शैक्षणिक भवनों (लोक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) का निर्माण पर अनुपालन लेखापरीक्षा | | |
| 7.1 | प्रस्तावना | 105 |
| 7.2 | आवंटन एवं व्यय | 106 |
| 7.3 | लेखापरीक्षा दृष्टिकोण | 106 |
| 7.4 | लेखापरीक्षा पद्धति | 107 |
| 7.5 | वित्तीय प्रबंधन में कमियाँ | 107 |
| 7.6 | प्राक्कलन में कमियाँ | 112 |
| 7.7 | निविदा प्रक्रिया में अनियमितता | 115 |
| 7.8 | अनुबंध-प्रबंधन में कमियाँ | 117 |
| 7.9 | कार्यों के निष्पादन में कमियाँ | 120 |
| 7.10 | गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी में कमियाँ | 126 |
| 7.11 | भवनों की साधारण आवश्यकताओं में कमियाँ | 129 |
| 7.12 | सुपरविजन एण्ड क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट (एसक्यूसी) को अधिक भुगतान | 131 |
| 7.13 | निष्कर्ष | 132 |
| 7.14 | अनुशंसाएँ | 132 |
| परिशिष्ट | | 135 |
| संक्षिप्त शब्दो की शब्दावली | | 253 |

# प्राक्कथन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य की विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के पाँच विभागों यथा; वाणिज्यिक कर विभाग, खनिज साधन विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं, जो 2021-22 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए, साथ ही वे भी जो पहले के वर्षों में जानकारी में आए थे, लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके; जहाँ आवश्यक था, 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।

# कार्यकारी सारांश

## कार्यकारी सारांश

### I सामान्य

इस प्रतिवेदन में चार अनुपालन लेखापरीक्षा अर्थात 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी', 'आबकारी विभाग द्वारा उत्पाद शुल्क का मूल्यांकन, लेवी और संग्रह', 'मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियों का प्रबंधन' और 'शैक्षिक भवनों का निर्माण (लोक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग)' शामिल हैं। इसमें दो विभागों के पांच लेखापरीक्षा कंडिका (खनिज साधन विभाग से संबंधित दो कंडिका तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के तीन कंडिका भी शामिल हैं)।

- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

कार्यालयों के प्रमुखों और उनके रिपोर्टिंग अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन में निहित टिप्पणियों का जवाब देना और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। 31 मार्च 2022 तक, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 6,705 विभागीय निरीक्षण प्रतिवेदन और 38,010 कंडिकाएँ निपटान हेतु लंबित थे।

**(कंडिका 1.6.1)**

- लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से छः महीने के भीतर लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई नोट (एटीएन) प्रस्तुत करना आवश्यक है। 31 मार्च 2022 तक, मध्य प्रदेश शासन से संबंधित नौ विभागों के संबंध में 249 एटीएन अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे।

**(कंडिका 1.6.4)**

### II वाणिज्यिक कर विभाग (जीएसटी)

**'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी'**

- रिटर्न न भरने वालों पर कार्रवाई की कमी

एमपीजीएसटी नियमों के अनुसार, यदि करदाता नियत तारीख के भीतर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं तो 15 दिनों के भीतर एक नोटिस (जीएसटीआर-3ए) जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि करदाता नोटिस के बाद भी रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी उक्त व्यक्ति की कर देयता का आकलन कर सकता है और फॉर्म एएसएमटी-13 में एक मूल्यांकन आदेश जारी कर सकता है।

10 सर्किलों में जहां एएसएमटी-13 जारी करने से संबंधित प्रासंगिक डेटा और वसूली विवरण उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा में जीएसटी रिटर्न न भरने वालों पर कार्रवाई की कमी देखी गई। केवल दो सर्किल कार्यालयों ने सभी चार वर्षों में रिटर्न न भरने के डिफ़ॉल्ट मामलों की पहचान की। आठ सर्किल कार्यालयों ने तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20 तक) के लिए रिटर्न न भरने के मामलों की पहचान नहीं की और केवल वर्ष 2020-21 में मामलों की पहचान की। हालांकि, रिटर्न न भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई केवल वर्ष 2020-21 में सभी सर्किल कार्यालयों में की गई थी। इसके अलावा, सभी मामलों में जीएसटीआर-3ए के बाद एएसएमटी 13 जारी करने की उचित प्रक्रिया नहीं देखी गई थी। रिटर्न न भरने के 12,396 मामलों में से जीएसटीआर-3ए केवल 8,668 मामलों (69.92 प्रतिशत) में जारी किया गया था।

**(कंडिका 2.6.1.1)**

- रिटर्न की जांच की धीमी गति /रिटर्न की जांच शुरू न करना

10 सर्किल कार्यालयों में से, तीन सर्किल कार्यालयों ने 2017-18 और 2020-21 के बीच किसी भी वर्ष के दौरान करदाताओं के रिटर्न की कोई जांच नहीं की थी। इसके अलावा, पांच सर्किल कार्यालयों में, रिटर्न की जांच केवल वर्ष 2020-21 में की गई थी, जहां 177 करदाताओं के 1,976 रिटर्न की जांच की गई थी। दो सर्किल कार्यालयों में, 2017-18 से 2020-21 के दौरान 242 करदाताओं के 2,898 रिटर्न की जांच की गई। साथ ही, 419 करदाताओं में से 355 करदाताओं (84.72 प्रतिशत) के संबंध में फॉर्म एएसएमटी-10 में रिटर्न में विसंगतियों की सूचना देते हुए नोटिस जारी किए गए थे।

**(कंडिका 2.6.1.2)**

- जीएसटी रिटर्न में विसंगतियां - केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न डेटा की परीक्षण-जांच में, केंद्रीयकृत लेखापरीक्षा के तहत 15 मानकों पर पहचाने गए 368 करदाताओं से संबंधित 395 उच्च जोखिम विचलन ने जीएसटी रिटर्न में निम्नलिखित विसंगतियों को उजागर किया:

- ➢ लेखापरीक्षा ने ₹ 2,700.36 करोड़ के असमानताएँ/विचलन (टर्नओवर असमानताएँ सहित) से जुड़े 119 मामलों में अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा, जो डेटा में 390 विसंगतियों/असमानताएँ का 30.51 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रिया प्रदान की। जोखिम मापदंडों जैसे कर योग्य कारोबार में असमानताएँ, आईटीसी का लाभ उठाने में असमानताएँ और भुगतान किए गए कर में असमानताएँ आदि में विचलन की अपेक्षाकृत अधिक दरें देखी गईं।

**(कंडिका 2.6.2.2)**

- जीएसटी रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा

वर्ष 2017-18 की अवधि से संबंधित विस्तृत लेखापरीक्षा के तहत 75 करदाताओं के रिकॉर्ड की परीक्षण-जांच में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के निम्नलिखित मुद्दे सामने आए:

- ➢ **स्कोप सीमाएं:** राज्य वाणिज्यिक कर विभाग के पांच क्षेत्राधिकार क्षेत्रों ने 75 मामलों के चयनित नमूने से संबंधित सूक्ष्म रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किए, जिसमें ₹ 254.10 करोड़ के विचलन/असमानताओं का उल्लेख है।

**(कंडिका 2.6.3.1)**

- ➢ **इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित असमताएँ:** ऐसे असमानताएँ जिनमें करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-9/3बी में आईटीसी उपयोग में जीएसटीआर-2ए में आईटीसी उपयोग की तुलना, आरसीएम के तहत आईटीसी उपयोग, ईसीएल और वार्षिक रिटर्न में आईटीसी के बीच असमानता, कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए सामान्य इनपुट के संबंध में आईटीसी रिवर्सल की असमानता आदि ,108 मामलों में पाया गया, जिसमें 224.65 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

**(कंडिका 2.6.3.3)**

- **कर दायित्व के निर्वहन से संबंधित असमताएँ:** जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी/9 रिटर्न के बीच कर देयता में विसंगति, कर भुगतान के संदर्भ में अप्राप्त कर देयता और जीएसटीआर-9सी में घोषित कर भुगतान में विसंगतियां 68 मामलों में पाई गईं, जिनकी राशि 29.31 करोड़ रुपये थी।

**(कंडिका 2.6.3.4)**

## III वाणिज्यिक कर विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क)

### 'उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा उत्पाद शुल्क का मूल्यांकन, लेवी और संग्रह '

- लाइसेंस के आवंटन के दौरान आवेदक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने का कोई प्रावधान न होना

विभाग के पास बोली चरण में बोलीदाताओं की वित्तीय स्थिति/अवस्था का आकलन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। सुरक्षा जमा राशि जमा करने में विफलता के कारण कलेक्टर धार द्वारा बदनावर समूह और गंधवानी समूह के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। हालांकि, समूह से कोई वसूली नहीं की जा सकती है क्योंकि जिले में लाइसेंसधारी के नाम पर कोई चल/अचल संपत्ति नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 9.58 करोड़ का नुकसान हुआ।

**(कंडिका 3.5.5.1)**

- प्राधिकृत लाइसेंसधारियों के नाम पर बैंक गारंटी स्वीकार न करना और बैंक गारंटी का सत्यापन न करना

19 लाइसेंसधारियों से संबंधित ₹18.39 करोड़ की बैंक गारंटी का सत्यापन नर्मदापुरम के संबंधित डीईओ द्वारा नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने बैंक से प्राप्त दो बैंक गारंटियों की वास्तविकता की नमूना जांच की और पाया कि ये बैंक गारंटियां वास्तव में खुदरा शराब की दुकानों के चयनित निविदाकर्ता के नाम से भिन्न नाम पर जारी की गई थीं।

यह अनुशंसा/ सिफारिश की जाती है कि विभाग लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत सभी बैंक गारंटी पत्रों की सत्यता की पुष्टि करे तथा गलत बैंक गारंटी पत्र प्रस्तुत करने वाले दोषी लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। सरकार संबंधित बैंकों को गलत बैंक गारंटी पत्रों के लिए नवीनीकरण/विस्तार प्रमाण पत्र जारी करने वाले बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के लिए भी लिख सकती है।

**(कंडिका 3.5.5.2)**

- शराब की खुदरा दुकानों के निष्पादन के लिए नई उत्पाद शुल्क नीति से उत्पन्न मुद्दे

म.प्र. शासन ने एक नई उत्पाद शुल्क नीति पेश की, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रभावी होनी थी, जिसमें 16 जिलों के संबंध में मौजूदा खुदरा लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे और 20 कंसोर्टियम आधारित समूह लाइसेंस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन ने बोली प्रक्रिया के लिए या बोलीदाताओं के पूर्ववृत्त को सत्यापित करने के लिए स्पष्ट मानदंड तय नहीं किए हैं। समूह-आधारित लाइसेंस शुरू करने की मांग करने वाली नई उत्पाद शुल्क नीति बिना किसी व्यवहार्यता विश्लेषण के और बिना किसी तर्क के पेश की गई थी, जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि 17 लाइसेंसधारी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के बाद, म.प्र. शासन ने जून 2020 में विभागीय रूप से शराब की दुकानों को संचालित करने का फैसला किया और जनवरी 2022 में व्यक्तिगत खुदरा लाइसेंसों के पुराने व्यवस्था में वापस आ गया। 20 लाइसेंसधारियों में से, 11 लाइसेंसधारियों ने आबकारी नीति को रद्द करने और उनके द्वारा भुगतान की गई सुरक्षा जमा राशि की वापसी के लिए माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क किया, उन्होंने महामारी से प्रेरित प्रतिबंधों के कारण लाइसेंस संचालित करने और लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में असमर्थता का हवाला दिया। लाइसेंस रद्द करने

के बाद, इन लाइसेंसधारियों के संबंध में विभाग द्वारा गणना की गई ₹ 241.50 करोड़ वसूली की राशि 31 मार्च 2023 तक अदत्त रही।

**(कंडिका 3.5.6.4)**

- शराब स्टॉक के हेराफेरी के कारण राजस्व की हानि

तीन जिलों (बैतूल, सिंगरौली और रीवा) में, जिला आबकारी अधिकारियों ने छह खुदरा दुकानों के संबंध में विदेशी और देशी शराब जब्त की। पंचनामा के अनुसार, दुकानों में शराब की बोतलों का कुल स्टॉक 1,05,268 था। हालांकि, विभागीय अधिकारियों ने अपने स्टॉक रजिस्टरों में केवल 14,042 बोतलों का स्टॉक दर्ज किया और ₹ 1.69 करोड़ के धन मूल्य वाली शराब की शेष 91,226 बोतलों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप शासन को राजस्व का नुकसान हुआ।

मध्य प्रदेश शासन जांच कर सकती है और संबंधित ईएसआई/एडीईओ पर इस चूक के लिए जिम्मेदारी तय कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का कम लेखांकन हुआ है। इसके अलावा, शासन सभी 31 जिलों (जहां कंसोर्टियम-आधारित या व्यक्तिगत लाइसेंस बाद में विभागीय रूप से संचालित किए गए थे) में शराब के स्टॉक के लेखांकन की भी जांच कर सकती है।

**(कंडिका 3.5.6.5)**

## IV खनिज साधन विभाग

- खनन योजनाओं/ईसीएस से अधिक निष्कर्षण

11 जिला खनन कार्यालयों में 45 खनन पट्टाधारकों ने 7,16,642 घन मीटर गिट्टी, 1,23,348 घन मीटर मुरुम, 13,625 घन मीटर संगमरमर, 2,90,289 घन मीटर रेत और 1,34,775 मेट्रिक टन डोलोमाइट का उत्खनन किया, जो उनके खनन योजनाओं या पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित सीमा से अधिक था। हालांकि, संबंधित जिला खनन अधिकारी अवैध रूप से निकाले गए खनिजों की कीमत के बाजार मूल्य का 10 गुना या रॉयल्टी का 20 गुना, जो भी अधिक हो, वसूलने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 630.06 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ।

**(कंडिका 4.5.1)**

- स्वीकृत खनन योजनाओं के बिना खनिजों का निष्कर्षण

तीन जिला खनन कार्यालयों में दस खनन पट्टाधारकों के पास स्वीकृत खनन योजनाएँ नहीं थीं, लेकिन वे अधिनियमों/नियमों और सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए खनन कर रहे थे। अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, पट्टाधारकों ने अवैध रूप से 1,77,811 घन मीटर गिट्टी और 1,520 घन मीटर फ्लैगस्टोन निकाला, जिसका बाजार मूल्य ₹ 7.85 करोड़ है। हालाँकि, संबंधित जिला खनन अधिकारी न केवल अवैध निकासी को रोकने में विफल रहे, बल्कि खनिजों की कीमत का 10 गुना बाजार मूल्य ₹ 81.02 करोड़ वसूलने में भी विफल रहे।

**(कंडिका 4.5.2)**

- जिला खनिज फाउंडेशन के अंशदान की संक्षिप्त वसूली

जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि में तीन जिला खनन कार्यालयों को लघु खनिजों के परिवहन के लिए ₹ 220.24 करोड़ की रॉयल्टी प्राप्त हुई, जिस पर जिला खनिज फाउंडेशन का अंशदान ₹ 22.02 करोड़ देय था। इसके

विरुद्ध जिला खनन कार्यालयों को मात्र ₹ 20.33 करोड़ की वसूली हुई, जिसके परिणामस्वरूप जिला खनिज फाउंडेशन का अंशदान ₹1.69 करोड़ कम प्राप्त हुआ।

**(कंडिका 4.6)**

## V सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

- अस्वीकृत घटकों पर एमएसएमई को पूंजी सब्सिडी का अनियमित रूप से जारी होना

वर्ष 2010, 2014, 2017, 2019 और 2021 से संबंधित एमएसएमई प्रोत्साहन योजनाओं में प्लांट और मशीनरी (पी एंड एम), भवन आदि जैसे पूंजीगत बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए उद्योगों को पूंजी सब्सिडी देने के लिए विशिष्ट शर्तें निर्दिष्ट की गई हैं। 20 जिला व्यापार और उद्योग केंद्रों (डीटीआईसी) से संबंधित 148 मामलों में, विभिन्न योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 14.37 करोड़ की पूंजी सब्सिडी अनियमित रूप से स्वीकृत की गई, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक अनधिकृत व्यय हुआ।

**(कंडिका 5.5)**

- अयोग्य और बंद उद्योगों को पूंजी सब्सिडी का अनियमित रूप से जारी होना

दो मामलों में, डीटीआईसी ने बिना सत्यापन के अयोग्य उद्योगों को ₹ 1.56 करोड़ की अनियमित सब्सिडी जारी की, और अन्य चार मामलों में उद्योगों से ₹ 0.97 करोड़ की सब्सिडी की वसूली नहीं की, जो एमएसएमई योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। डीटीआईसी ने तीन बंद उद्योगों से ₹ 0.67 करोड़ की पूंजी सब्सिडी (दंड ब्याज सहित) भी नहीं वसूली।

**(कंडिका 5.6)**

- जीएसटी मानदंडों के उल्लंघन के कारण सब्सिडी का अधिक भुगतान

सात डीटीआईसी से संबंधित 16 मामलों में, औद्योगिक इकाइयों ने पी एंड एम की खरीद के लिए सब्सिडी का दावा करते समय, पी एंड एम लागत में जीएसटी घटक को गलत तरीके से शामिल किया। डीटीआईसी सब्सिडी के दावों की सत्यता की जांच करने में विफल रहे और पी एंड एम खरीद लागत में जीएसटी को शामिल करने की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ की पूंजी सब्सिडी की अधिक रिलीज/भुगतान हुआ।

**(कंडिका 5.7)**

## VI वन विभाग

### 'मध्य प्रदेश में वन प्राप्ति का प्रबंधन'

- कटाई की अनुमति देने और कार्य-योजना की तैयारी में देरी के कारण राजस्व प्राप्ति में देरी

राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2014 के अनुसार, कार्य योजना (डब्ल्यूपी) को हर 10 वर्ष में संशोधित किया जाना चाहिए, और वन मंडल के लिए डब्ल्यूपी तैयार करने में सामान्यतः दो साल लगने चाहिए, जो काम की मात्रा और उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। लेखापरीक्षा ने चार मंडलों के संबंध में नई डब्ल्यूपी तैयार करने और प्रस्तुत करने या भारत सरकार से पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति मांगने में असामान्य देरी देखी, जिसके परिणामस्वरूप पेड़ों की कटाई में देरी हुई और फलस्वरूप ₹ 15.77 करोड़ की राजस्व राशि अवरुद्ध हुई।

**(कंडिका 6.6.1)**

- अतिक्रमण के कारण राजस्व की हानि

छह मंडलों में 60,822.829 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिसमें से मंडलों द्वारा 26,380.425 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कम बताया गया था, जिसका विभाग द्वारा समाधान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

**(कंडिका 6.6.3)**

- चिह्नित कूपों में पेड़ों की कटाई नहीं होने से राजस्व हानि

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने (नवंबर 2004) सभी संबंधित मंडलों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि डब्ल्यूपी के अनुसार कूपों में पेड़ों का सीमांकन, पहचान, चिह्नांकन और कटाई का कार्यान्वयन किया जाना है। आठ मंडलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि 66,295 पेड़ों की कम कटाई के परिणामस्वरूप 11,426 घन मीटर लकड़ी और 3,762 घन मीटर ईंधन की लकड़ी की कम पैदावार हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.30 करोड़ का राजस्व अवरुद्ध हुआ।

**(कंडिका 6.6.5)**

- अनुमान की तुलना में वास्तविक उत्पादन में भिन्नता के कारण राजस्व की हानि

विभाग द्वारा कटाई की मात्रा की निगरानी करने तथा मिलान करने में विफलता के कारण ₹ 5.18 करोड़ के राजस्व की हानि हुई तथा लकड़ी को ईंधन की लकड़ी में अनियमित रूप से परिवर्तित करने के कारण ₹ 0.45 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

**(कंडिका 6.6.6)**

- बांस के कम उत्पादन से राजस्व की हानि

लेखापरीक्षा ने छह मंडलों में पाया कि, 60 विभिन्न कूपों में बांस की वास्तविक उपज में अनुमानित उपज के विरुद्ध 13 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच की कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.31 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

**(कंडिका 6.6.7)**

- लीज रेंट एवं डिविडेंड की वसूली न/कम होने के कारण शासन को हानि

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए लीज रेंट की गणना और भुगतान एमपीएसएफडीसी द्वारा नवंबर 2020 से 13 महीने से 17 महीने की देरी के बाद किया गया था। वर्ष 2020-21 के लिए, ₹ 55.13 करोड़ में से ₹ 50.13 करोड़ का लीज रेंट अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

**(कंडिका 6.7.1)**

- निगरानी एवं पर्यवेक्षण

16 मंडलों में लकड़ी का लेखा समय पर तैयार नहीं किया जा रहा था, जिसमें दो दिन से लेकर 38 वर्ष तक की देरी हो रही थी। इसके अलावा, एमपीटीसी के नियम 294 के अनुसार, राजकोष को अगले महीने की 5 तारीख तक वन प्रेषण और महीने के दौरान उनकी जमा राशि की समेकित रसीद भेजनी होगी। पांच मंडलों में, मासिक आधार पर मिलान नहीं किया जा रहा था। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹ 173.70 करोड़ की राशि का मिलान 15 महीने से 54 महीने तक लंबित था।

**(कंडिका 6.8.1 एवं 6.8.3)**

## VII लोक निर्माण विभाग

## 'मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, परियोजना कार्यान्वयन इकाई के द्वारा शैक्षणिक भवनों (लोक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) का निर्माण'

- अनियमित व्यय

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 8, 9, 10 और 11 के अनुसार सभी व्यय सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी के साथ और स्वीकृत सीमाओं के भीतर, वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करते हुए किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि सक्षम प्राधिकारियों से लिखित मंजूरी के बिना अनुबंध राशि से अधिक व्यय किया गया। इसके कारण मुख्य अभियंता (भवन) द्वारा ₹ 30.66 करोड़ का अतिरिक्त अनियमित व्यय किया गया। इसके अलावा, कार्यों को अंतिम रूप दिया गया और संशोधित तकनीकी मंजूरी के बिना ठेकेदारों को ₹ 3.68 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनधिकृत भुगतान हुआ।

**(कंडिका 7.5.1)**

- मूल विभाग को बचत राशि वापस/ सूचित न करना

एमपीएफसी के सामान्य नियम 149 के अनुसार, किसी अनुमान को मंजूरी द्वारा दिए गए अधिकार को सभी अवसरों पर उन सटीक उद्देश्यों द्वारा सख्ती से सीमित माना जाना चाहिए जिनके लिए अनुमान प्रदान करने का इरादा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ पीआईयू द्वारा प्रबंधित 57 परियोजनाओं में, स्कूल, छात्रावास और कॉलेज भवनों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए ₹ 271.34 करोड़ आवंटित किए गए थे। हालाँकि, परियोजनाओं को ₹ 257.68 करोड़ की राशि के व्यय के साथ पूरा किया गया, जिससे ₹ 13.66 करोड़ का अधिशेष रह गया, जिसे मूल विभाग को सौंपा/सूचित नहीं किया गया।

**(कंडिका 7.5.4)**

- पर्यवेक्षण शुल्क की कम वसूली

उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 13 पी.आई.यू. के 110 कार्यों में विभाग ने ₹ 32.96 करोड़ की प्रभार्य राशि के स्थान पर ₹ 12.86 करोड़ की राशि पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में वसूल की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.10 करोड़ की राशि का पर्यवेक्षण शुल्क कम वसूला गया।

**(कंडिका 7.5.5)**

- समरूप भवनों के सदृश मदों की निष्पादित मात्रा में व्यापक भिन्नताएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरसीसी, ब्रिकवर्क, प्लास्टरिंग और फ़्लोरिंग जैसी मदों के लिए निष्पादित और भुगतान की गई मात्रा में महत्वपूर्ण अंतर है, जबकि प्लिंथ स्तर से ऊपर के कार्य समान थे। बिना विस्तृत औचित्य के संशोधित तकनीकी मंजूरी दी गई। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि पीआईयू ने एक समान डिज़ाइन विनिर्देशों का पालन नहीं किया। विभिन्न संस्थानों में मदों का निष्पादन अलग-अलग तरीके से किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.65 करोड़ की अतिरिक्त लागत और भुगतान हुआ।

**(कंडिका 7.6.1)**

- कार्य का अनियमित आवंटन

निविदा दस्तावेजों के खंड 24 के अनुसार, सरकार/विभाग बोली को अस्वीकार कर सकता है या बोली लगाने वाले को अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए, बोलियों में भाग लेने से रोक सकता है, यदि किसी भी समय यह निर्धारित किया जाता है कि बोली लगाने वाला किसी भी कार्य या चूक में लगा हुआ है, जिसमें गलत बयानी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार/विभाग को गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य अभियंता (भवन), ग्वालियर के तहत तीन मामलों में, बोलीदाताओं ने बोली प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपनी बोली क्षमताओं के संबंध में झूठी घोषणाएं प्रस्तुत कीं। वास्तविक बोली क्षमताओं से संबंधित जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय के पास उपलब्ध थी, लेकिन सीई (भवन), ग्वालियर चूक/गलत बयानी के जानबूझकर किए गए कृत्यों के लिए ठेकेदारों/बोलीदाताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे और बोलीदाताओं को योग्य माना गया और उन्हें अनियमित रूप से कार्य का आवंटन किया गया।

**(कंडिका 7.7.2)**

- संशोधित दरें न अपनाने के कारण अधिक भुगतान

पीआईयू द्वारा निष्पादित सभी कार्यों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की धारा 1 के अनुसार, एनआईटी की तिथि तक जारी एसओआर में सभी संशोधन कार्य पर लागू थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य की मदों के लिए भुगतान एनआईटी की तिथि तक संशोधित और कम दरों पर किए जाने के बजाय पूर्व-संशोधित उच्च दरों पर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 2.01 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

**(कंडिका 7.8.1)**

- समयवृद्धि की अविवेकपूर्ण स्वीकृति एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यों में देरी हुई, लेकिन ठेकेदारों को देरी की छोटी अवधि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, और देरी की शेष अवधि को नियोक्ता की गलती या अप्रत्याशित परिस्थितियों, जैसे लेआउट में देरी, कोविड-19 और बिजली आपूर्ति की अनुपलब्धता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इनमें से अधिकांश कारण ठेकेदारों की जिम्मेदारियां थीं और अनुबंध के तहत अप्रत्याशित परिस्थितियों के रूप में योग्य नहीं थे। इसके कारण ₹13.40 करोड़ की राशि के लिक्विडेट डैमेज की वसूली नहीं हुई/कम हुई।

**(कंडिका 7.8.4)**

- ठेकेदारों को अधिक भुगतान

एमपीडब्ल्यूडी मैनुअल के खंड 4.017 के अनुसार, माप पुस्तिका, सभी किए गए कार्य की मात्रा के खातों का आधार है। लेखापरीक्षा ने पाया कि वास्तविक कार्य के बिना बढ़े हुए/गलत माप, दोहरे माप, विस्तृत माप और स्पष्टीकरण के बिना मात्रा को जोड़ने और एसओआर के पूर्ण मद में पहले से शामिल मद के लिए अलग से भुगतान आदि के कारण ठेकेदारों को ₹ 2.55 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

**(कंडिका 7.9.2)**

# अध्याय I

# सामान्य

# अध्याय I
# सामान्य

## 1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के उन विभागों के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेनदेन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रकरण शामिल हैं, जो कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को राज्य विधानसभा के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियाँ तैयार करने के साथ-साथ ऐसे निर्देश जारी करने में सक्षम होने की संभावना है, जो संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाएंगे और बेहतर शासन में योगदान देंगे।

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के संव्यवहारों के परीक्षण से है, ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू होने वाले कानूनों, नियमों एवं विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना एवं आवृत्त क्षेत्र, संव्यवहार की लेखापरीक्षा के दौरान किए गए निष्कर्षों/टिप्पणियों पर विभागों और शासन की प्रतिक्रिया और पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की व्याख्या करता है।

## 1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभागों की रूपरेखा

### 1.2.1 विभागों का व्यय

इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश शासन के विभागों द्वारा 2017-18 से 2021-22 तक की पाँच वर्ष की अवधि के लिए किए गए व्यय का सारांश नीचे **तालिका 1.1** में दिया गया है:

**तालिका 1.1: 2017-18 से 2021-22 के दौरान व्यय का सारांश**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विभाग का नाम | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वन | 2,277.47 | 2,437.90 | 1,993.88 | 2,503.52 | 2,506.70 |
| 2 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 211.53 | 175.73 | 70.97 | 150.83 | 211.03 |
| 3 | पर्यावरण | 0.00 | 54.74 | 27.15 | 41.02 | 25.02 |
| 4 | नगरीय विकास एवं आवास | 5,177.94 | 5,739.50 | 4,608.33 | 5,661.58 | 14,276.39 |
| 5 | पर्यटन | 270.21 | 170.53 | 155.40 | 100.95 | 211.28 |
| 6 | परिवहन | 87.35 | 82.31 | 85.50 | 90.24 | 58.07 |
| 7 | संस्कृति | 278.97 | 230.07 | 147.73 | 146.64 | 168.10 |
| 8 | विमानन | 36.66 | 27.79 | 26.84 | 25.10 | 57.16 |
| 9 | प्रवासी भारतीय | 0 | 0.39 | 0.05 | 0.38 | 0.00 |
| 10 | धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व | 220.91 | 189.06 | 55.08 | 39.20 | 46.19 |
| 11 | वित्त | 9,654.14 | 12,280.90 | 12,288.40 | 15,010.41 | 18,142.57 |
| 12 | वाणिज्यिक कर | 2,051.75 | 2,026.36 | 2,134.71 | 2291.69 | 1,685.45 |
| 13 | योजना आर्थिक और सांख्यिकी | 253.13 | 228.95 | 211.27 | 79.40 | 117.54 |

| क्र.सं. | विभाग का नाम | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | खनिज साधन | 32.66 | 684.01 | 740.64 | 760.55 | 775.81 |
| 15 | औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन | 1,014.16 | 767.22 | 850.43 | 895.30 | 1,951.79 |
| 16 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम | 987.10 | 780.85 | 817.98 | 483.50 | 781.89 |
| 17 | कुटीर एवं ग्रामोद्योग | 211.44 | 191.84 | 121.60 | 92.09 | 89.06 |
| 18 | लोक निर्माण | 8,172.00 | 8,647.47 | 7,886.39 | 6,882.08 | 8,852.39 |
| 19 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 2,323.66 | 2,530.04 | 2,990.54 | 4,499.13 | 9,703.64 |
| | **योग** | **33,261.08** | **37,245.66** | **35,212.89** | **39,753.61** | **59,660.08** |

***स्रोत**: प्रासंगिक वर्षों के लिए मध्य प्रदेश शासन के विनियोग लेखे*

### 1.2.2 विभागों की प्राप्तियाँ

2017-18 से 2021-22 तक की पाँच वर्ष की अवधि के लिए इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश शासन के राजस्व देने वाले विभागों की प्राप्तियों का सारांश नीचे **तालिका 1. 2** में दिया गया है:

**तालिका 1.2: 2017-18 से 2021-22 के दौरान प्राप्तियों का सारांश**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | विभाग का नाम | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वन | 1,112.25 | 1,042.94 | 8,34.26 | 1,240.38 | 1,406.03 |
| 2 | परिवहन | 2,691.62 | 3,008.26 | 3,251.23 | 2,749.15 | 3,028.68 |
| 3 | वाणिज्यिक कर | 36,713.68 | 43,231.83 | 48,103.44 | 46,896.71 | 56,646.19 |
| 4 | खनिज साधन | 3,640.72 | 3,933.56 | 4,320.22 | 4,557.28 | 6,180.67 |
| | **योग** | **44,158.26** | **51,216.59** | **55,674.87** | **55,443.52** | **67,261.57** |

***स्रोत**: प्रासंगिक वर्षों के लिए मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे*

## 1.3 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)

मध्य प्रदेश शासन के अधीन 54[1] विभाग कार्यरत हैं। इन विभागों का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव करते हैं, जिनकी सहायता विभागाध्यक्षों और उनके अधीन अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), भोपाल, 54 विभागों में से 19 की लेखापरीक्षा आयोजित करता है। इसके अलावा, यह 58 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पाँच स्वायत्त निकायों और दो सांविधिक निगमों की भी लेखापरीक्षा करता है।

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), भोपाल, को निम्नलिखित विभागों की लेखापरीक्षा सौंपी गई है

[1] इन 54 विभागों में, वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, आबकारी विभाग और वस्तु एवं सेवा कर विभाग को एकल विभाग के रूप में माना जाता है, क्योंकि वे सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के तत्वावधान में कार्य कर रहे हैं।

| प्रमुख विभाग | लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (एएमजी) |
|---|---|
| वन, पर्यावरण एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी | एएमजी-I |
| नगरीय विकास और आवास, परिवहन, संस्कृति, पर्यटन, विमानन, प्रवासी भारतीय और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व | एएमजी-II |
| राज्य वित्त, वाणिज्यिक कर, खनिज साधन, औद्योगिक नीति और औद्योगिक संवर्धन, आर्थिक योजना और सांख्यिकी, कुटीर और ग्रामीण उद्योग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम | एएमजी-III |
| लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | एएमजी-IV |

## 1.4 लेखापरीक्षा प्राधिकार

लेखापरीक्षा के लिए सी.ए.जी. का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा सी.ए.जी. (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी अधिनियम) से लिया गया है। सी.ए.जी. शासन के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार करता है:

- विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत की जाती है;
- विभागों की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है;

विभिन्न लेखापरीक्षाओं हेतु सिद्धांत और कार्यप्रणालियाँ लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमों, साथ ही साथ दिशा-निर्देशों, नियम-पुस्तिकाओं और सी.ए.जी. द्वारा या उनकी ओर से जारी निर्देशों से निर्धारित किए जाते हैं।

## 1.5 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

वर्ष 2021-22 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), भोपाल ने मध्य प्रदेश शासन के 19 विभागों के कुल 2,153 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 329 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित की। इस प्रतिवेदन में चार अनुपालन लेखापरीक्षा (अध्याय II, III, VI और VII) और दो विभागों (खनिज साधन विभाग से संबन्धित दो कंडिकाएँ और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग से संबन्धित तीन कंडिकाएँ) के पाँच लेखापरीक्षा कंडिकाओं (अध्याय IV और V) पर निष्कर्ष शामिल हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा इस बात का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि कोई दी गई विषय वस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन, किसी इकाई या संस्थाओं के समूह) सभी भौतिक मामलों में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं, आदि का और सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन एवं लोक अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतो का अनुपालन करता है।

निम्नलिखित अनुक्रमण सारणी योजना, लेखापरीक्षा संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया को दर्शाता है:

**चित्र -1.1: योजना , लेखापरीक्षा का संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना**

**जोखिम का मूल्यांकन** संस्थाओं/योजनाओं/इकाइयों आदि की लेखापरीक्षा के लिए योजना कुछ मानदंडों से जुड़े जोखिम आकलन पर आधारित होती है, जैसे,
- किया गया व्यय
- अंतिम लेखापरीक्षा कब की गई
- गतिविधियों की गंभीरता/जटिलता
- गतिविधि के लिए शासन द्वारा दी गई प्राथमिकता
- आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन
- प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर
- हितधारकों की चिंताएँ, आदि

**लेखापरीक्षा की योजना** में निम्नलिखित का निर्धारण शामिल है:
- लेखापरीक्षा की सीमा और प्रकार- वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली
- विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षित इकाइयों और संव्यहार के नमूने

**निरीक्षण प्रतिवेदन** निम्नलिखित के आधार पर जारी की जाती है:
- अभिलेखों की संवीक्षा/आकड़ों विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्य की जांच
- लेखापरीक्षा प्रश्नों के प्रस्तुत उत्तर/जानकारी
- इकाई प्रमुख/स्थानीय प्रबंधन के साथ चर्चा

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन** इनसे तैयार की जाती है,
- निरीक्षण प्रतिवेदन या प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन /अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग/शासन की प्रतिक्रिया, और
- इसे राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक इकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद, एक निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.), जिसमें लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित होते हैं, इकाई के प्रमुख को इस निवेदन के साथ जारी किया जाता है कि वे उक्त नि.प्र. प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, तो लेखापरीक्षा प्रेक्षण या तो हटा दिये जाते हैं या अनुपालन हेतु उन पर आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन नि.प्र. में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को, जिन पर शासन में उच्चतम स्तर पर ध्यान देना अपेक्षित होता है, उन्हें शासन को उनके उत्तर के लिए प्रारूप कंडिका के रूप में जारी किया जाता है, ताकि उत्तरों पर समुचित विचार करने के बाद उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संभावित समावेशन से पहले, विशिष्ट थीम, विषयों या योजनाओं पर प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा भी शासन को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए जारी की जाती है। ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि उन्हें राज्य विधायिका के समक्ष रखा जा सके।

## 1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

### 1.6.1 पिछली निरीक्षण प्रतिवेदन पर प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) में सम्मिलित प्रेक्षणों पर कार्यालय प्रमुखों और अगले उच्च अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया जाना और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करना अपेक्षित होता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में संप्रेषित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकों में समय-समय पर चर्चा भी की जाती है।

31 मार्च 2022 तक, पिछले वर्षों से संबंधित 38,010 कंडिकाओं वाले कुल 6,705 निरीक्षण प्रतिवेदन निपटान हेतु लंबित थे जैसा कि नीचे **तालिका 1.3** में बताया गया है:

**तालिका 1.3: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों /कंडिकाओं का विवरण**

| वर्ष | 31 मार्च 2022 की स्थिति में निपटान हेतु लम्बित नि.प्र./कंडिकाओं की संख्या | |
|---|---|---|
| | नि.प्र. | कंडिका |
| **2017-18 एवं पूर्व वर्ष** | 5,404 | 25,592 |
| **2018-19** | 490 | 3,533 |
| **2019-20** | 426 | 4,033 |
| **2020-21** | 143 | 1,474 |
| **2021-22** | 242 | 3,378 |
| **योग** | **6,705** | **38,010** |

**स्रोत**: कार्यालय महालेखाकार म.प्र. द्वारा अनुरक्षित अभिलेख

नि.प्र.और लेखापरीक्षा कंडिका पर कार्रवाई के अभाव से इन प्रतिवेदन में बताई गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के जारी रहने का जोखिम होता है। इसके परिणामस्वरूप शासन प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रणों का कमजोर होना, लोक वस्तुओं/सेवाओं का अकुशल और अप्रभावी वितरण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और राजकोष को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए राज्य शासन को इन नि.प्र. और लेखापरीक्षा कंडिकाओं में चिह्नित प्रकरणों की समीक्षा और उनके निदान की त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

### 1.6.2 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर शासन/विभाग की प्रतिक्रिया

सभी विभागों को सी.ए.जी. के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर भेजनी आवश्यक है। वर्ष 2021-22 के दौरान, चार[2] प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाए और पाँच प्रारूप[3] लेखापरीक्षा कंडिकाए संबंधित पाँच विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को भेजे गए, जिसमें उनका ध्यान लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की ओर आकर्षित किया गया और उनसे छ: सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया गया। यह बात उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाई गई कि इन कंडिकाओं को भारत के सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जाने की संभावना है, जिसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा, तथा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को इसमें

[2] वाणिज्यिक कर विभाग (जीएसटी), वाणिज्यिक कर विभाग (राज्य आबकारी), वन विभाग और लोक निर्माण विभाग से संबंधित।

[3] खनिज साधन विभाग से संबंधित दो कंडिकाए तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से संबंधित तीन कंडिकाए।

शामिल करना वांछनीय होगा। शासन की प्रतिक्रियाएँ, जहाँ भी प्राप्त हुई; प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल की गई हैं।

### 1.6.3 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं और समीक्षाओं पर व्याख्यात्मक नोट, जिसमें की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का विधिवत उल्लेख हो, प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, विभागों को लोक लेखा समिति से किसी नोटिस या कॉल की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 65 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं के संबंध में पाँच विभागों से व्याख्यात्मक नोट अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनका विवरण नीचे **तालिका 1.4** में दिया गया है:

**तालिका 1.4: सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं पर लंबित विभागीय उत्तर**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | विभाग | 31.03.2022 की स्थिति मे लंबित विभागीय उत्तर | राज्य विधानसभा में प्रस्तुति की तिथि | विभागीय उत्तरों की प्राप्ति की नियत तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | वाणिज्यिक कर (राज्य आबकारी) | 3 | 22.07.2015 | 22.10.2015 |
| 2015-16 | वाणिज्यिक कर (राज्य आबकारी) | 7 | 24.03.2017 | 24.06.2017 |
| 2016-17 | वाणिज्यिक कर (स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क) | 4 | 10.01.2019 | 10.04.2019 |
| 2018-19 | लोक निर्माण | 3 | 21.12.2021 | 20.03.2022 |
| | वन | 19 | 15.09.2022 | 14.12.2022 |
| | वाणिज्यिक कर (स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क) | 5 | 21.12.2021 | 21.03.2022 |
| 2019-20 | लोक निर्माण | 2 | 15.09.2022 | 14.12.2022 |
| | नगरीय विकास और आवास | 9 | 15.09.2022 | 15.12.2022 |
| | वाणिज्यिक कर (स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क) | 1 | | |
| | वाणिज्यिक कर | 5 | | |
| | खनिज साधन | 3 | | |
| 2020-21 | वाणिज्यिक कर | 3 | 13.03.2023 | 13.06.2023 |
| | खनिज साधन | 1 | | |
| योग | | 65 | | |

### 1.6.4 लोक लेखा समिति की सिफारिशों/ अनुशंसा पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लोक लेखा समिति (पीएसी) की अनुशंसा पर ऐसी सिफारिशें प्राप्त होने की तारीख से छ: महीने के भीतर कार्रवाई नोट (एटीएन) प्रस्तुत करना आवश्यक है। 31 मार्च 2022 तक, मध्य प्रदेश शासन से संबंधित नौ विभागों के संबंध में 249 एटीएन प्राप्त होना बाकी था। विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

### 1.7 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) मध्य प्रदेश राज्य शासन के संबंधित विभागों द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

# अध्याय II

# वाणिज्यिक कर विभाग (जीएसटी)

# अध्याय II
# वाणिज्यिक कर विभाग (जीएसटी)

## वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान एवं विवरणियाँ दाखिल किए जाने पर विभाग की निगरानी


***सारांश***

**वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान एवं विवरणियाँ दाखिल किए जाने पर विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा:**

अवधि 2017-18 से 2020-21 से संबंधित अभिलेखों की वृत्त लेखापरीक्षा के अंतर्गत 10 वृत्त कार्यालयों की नमूना जाँच में अधिनियम/नियमों के प्रावधानो के गैर-अनुपालन के निम्नलिखित मुद्दे देखे गये -

❖ **वृत्त कार्यालयों की निगरानी कार्य**

- विवरणियाँ न दाखिल करने वालों पर कार्यवाही की कमी,
- विवरणियों की संविक्षा की धीमी गति/विवरणियों की संविक्षा प्रारंभ न किया जाना,
- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा में विलंब/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रारंभ न किया जाना,
- महानिदेशक, विश्लेषिकी एवं जोखिम प्रबंधन (डीजीएआरएम) प्रतिवेदनों पर कार्यवाही की कमी,
- पंजीकरण के निरस्तीकरण किए जाने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाना,
- जीएसटीआर 10 दाखिल न किए जाने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाई।

अवधि 2017-18 के विवरणियों के नमूना जाँच के दौरान केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा के अंतर्गत 368 करदाताओं के 395 उच्च जोखिम विचलनों की 15 मापदंडों के एक सेट पर पहचान की गयी। अधिनियम/नियमों के प्रावधानो के गैर-अनुपालन के 390 विचलनों में निम्नलिखित मुद्दे देखे गये –

❖ **जीएसटी विवरणियों में विसंगतियाँ**

- लेखापरीक्षा ने 119 मामलों में अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा, जिसमें 2700.36 करोड़ रुपये का बेमेल/विचलन (टर्नओवर बेमेल सहित) शामिल था, जो आंकड़ों में 390 विसंगतियों/बेमेलों का 30.51 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रियाएं प्रदान कीं। जोखिम मापदंडों जैसे कर योग्य टर्नओवर में बेमेल, आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल और भुगतान किए गए कर में बेमेल आदि में विचलन की अपेक्षाकृत अधिक दरें देखी गयी।
  वर्ष 2017-18 की अवधि से संबंधित विस्तृत लेखापरीक्षा के अंतर्गत 75 करदाताओं के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के निम्नलिखित मुद्दे पाए गए।

❖ **कार्यक्षेत्र सीमाएँ**

- राज्य वाणिज्यिक कर विभाग के पाँच क्षेत्राधिकार क्षेत्रों ने विचलन/बेमेल से संबंधित चयनित 75 नमूना प्रकरणों में मूल अभिलेख प्रस्तुत नही किए गए थे।

❖ **विवरणियों का दाखिल किया जाना**

- जीएसटीआर-3बी विवरणियों के विलंब से दाखिल किए जाने में विलंब शुल्क का कम भुगतान करने संबंधी दृष्टांत देखे गये।

❖ **इनपुट टैक्स क्रेडिट(आईटीसी) से संबंधित विसंगति**

- करदाताओं द्वारा जीएसटीआर 9/3बी में लिए गए आईटीसी के लाभ एवं जीएसटीआर-2ए में लिए गए आईटीसी के लाभ का बेमेल होना, आरसीएम अंतर्गत आईटीसी का लाभ, वार्षिक विवरणी में घोषित की तुलना में ईसीएल में आईटीसी का बेमेल होना, 108 प्रकरणों में कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति आदि के लिए सामान्य इनपुट के संबंध में आईटीसी प्रत्यावर्तन का बेमेल देखा गया।

❖ **कर दायित्व के निर्वहन से संबंधित विसंगति**

- जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी/9 विवरणियों की कर देयता का बेमेल, कर भुगतान के संदर्भ में कर दायित्व का अनिर्वहन, जीएसटीआर-9सी में घोषित असमेकित कर भुगतान के 68 प्रकरण देखे गए।

## 2.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रारंभ ने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले और एकत्र किए जाने वाले कई करों को प्रतिस्थापित किया है। जीएसटी, जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ, प्रत्येक मूल्य संवर्धन पर लगाए गए वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है। केंद्र और राज्य द्वारा एक साथ समान कर आधार पर जीएसटी लगाया जाता है। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी) अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाता है, और अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाया जाता है।

एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 59 में जीएसटी को स्व-निर्धारण-आधारित कर के रूप में निर्धारित किया गया है,जिससे कर देयता की गणना,गणना की गयी कर देयता का निर्वहन करने और विवरणियाँ दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। जीएसटी विवरणियों को सार्वजनिक जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर जुर्माना देय होगा। यहां तक कि अगर किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय की कोई कर देयता नहीं है, तो उसे अनिवार्य रूप से शून्य विवरणी दाखिल करना होगी। साथ ही, एमपीजीएसटी नियमों के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 में यह निर्धारित किया गया है कि उचित अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियों और संबंधित विवरणों की जाँच कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियाँ सूचित कर सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है।

इस नए कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र और वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग), मध्य प्रदेश के निगरानी तंत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस अनुपालन लेखापरीक्षा को किया गया था।

## 2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा, जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत, कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनायी गयी प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की दिशा में उन्मुख थी। "जीएसटी भुगतान और विवरणियाँ दाखिल किए जाने पर विभाग की निगरानी" की लेखापरीक्षा,निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि गयी थी कि:-

- क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर एक प्रभावी जाँच को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और करदाताओं द्वारा विधिवत पालन किया जा रहा था; तथा
- क्या वृत्तों की जाँच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

## 2.3 लेखापरीक्षा पद्धति और कार्यक्षेत्र

यह अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डाटा विश्लेषण के आधार पर संचालित की गयी थी, जिसमें अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों और रेड फ्लेग्स पर प्रकाश डाला गया था। डाटा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर दायित्व का निर्वहन, पंजीकरण एवं विवरणियाँ दाखिल करना जैसे पूरे कार्यक्षत्र में 15 विचलनों के एक सेट की पहचान की गयी थी। इस तरह के विचलनों को एक केंद्रीकृत लेखापरीक्षा[1] के माध्यम से देखा गया था, जिसके अंतर्गत इन विचलनों को राज्य विभागीय क्षेत्र संरचनाओं के प्रासंगिक क्षेत्राधिकार संरचनाओं को सूचित किया गया था और पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार संरचनाओं द्वारा की गयी कार्रवाई का पता, क्षेत्र के दौरे को शामिल किए बिना सुनिश्चित किया गया था। केंद्रीकृत लेखापरीक्षा को एक विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूरक किया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकार क्षेत्रसंरचनाओं के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्र दौरे सम्मिलित थे। विवरणियाँ और संबंधित संलग्नक और जानकारी को राज्य कर विभाग में प्रयुक्त बैक-एंड प्रणाली के माध्यम से एक्सेस किया गया था, जो करदाताओं से संबंधित डाटा/दस्तावेजों (यथा पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणियाँ एवं अन्य विभागीय कार्य) की जाँच करने के लिए संभव था। विस्तृत लेखापरीक्षा में संबंधित क्षेत्र संरचनाओं के माध्यम से करदाताओं के प्रासंगिक ग्रेन्यूलर अभिलेखों जैसे चालानों तक पहुंचना भी सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, विभागीय संरचनाओं के अनुपालन कार्यों जैसे विवरणियों की जाँच, की भी चयनित वृत्तों में समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा विवरणियों की जाँच की समीक्षा और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन ने अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि को आच्छादित किया, जबकि चयनित वृत्तों के कार्यों की लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2017 से मार्च 2021 की अवधि को आच्छादित किया। अनुपालन लेखापरीक्षा में केवल राज्य प्रशासित करदाता शामिल थे। क्षेत्रों की लेखापरीक्षा दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक की गई थी।

---

[1] केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाता के ग्रेन्युलर अभिलेखों जैसे वित्तीय विवरण से संबंधित खाता-बही, चालान, अनुबंध आदि की मांग शामिल नहीं थी।

इस अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रवेश सम्मेलन 06 जून 2022 को आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) के साथ आयोजित किया गया था और जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गयी थी। दिनांक 27 जुलाई 2023 को आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग मध्य प्रदेश के साथ निर्गम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। निर्गम सम्मेलन के दौरान आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और प्रारूप प्रतिवेदन के लिखित उत्तरों को उपयुक्त रूप से संबंधित कंडिका में सम्मिलित किया गया है।

## 2.4 लेखापरीक्षा नमूना

मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने के साथ-साथ योजना बनाने के लिए एक डाटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस अनुपालन लेखापरीक्षा के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए डाटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनो का एक सेट शामिल था, जिसमें क्षेत्र का दौरा सम्मिलित नहीं था, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें क्षेत्र का दौरा और विभागीय परिसर में करदाताओं के अभिलेखों की जांच शामिल थी; और वृत्तों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए वृत्तों का एक नमूना शामिल था।

इस अनुपालन लेखापरीक्षा के तीन अलग-अलग हिस्से निम्नानुसार थेः-

**भाग I - वृत्तों की लेखापरीक्षा**

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए प्रकरणों के एक से अधिक चयनित नमूने पर अधिकार क्षेत्र वाले दस वृत्त कार्यालयों को उनके निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए वृत्तों के नमूने के रूप में माना गया था।

**भाग II - केंद्रीकृत लेखापरीक्षा**

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूनों का चयन विभाग की जाँच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डाटा विश्लेषण के माध्यम से विवरणियों के बीच नियमों और विसंगतियों से उच्च मूल्य या उच्च जोखिम वाले विचलन की पहचान करके किया गया था। तदनुसार, इस अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 368 करदाताओं से सम्बंधित 395 विसंगतियों का चयन किया गया था।

**भाग III - विस्तृत लेखापरीक्षा**

यह करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के लिए वृत्तों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों का आंकलन करने तक पहुंचने के लिए संचालित किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने का चयन जोखिम मापदंडों जैसे कि अतिरिक्त आईटीसी, कर देयता बेमेल, कुल टर्नओवर में अनुपातहीन छूट वाले टर्नओवर और अनियमित आईटीसी रिवर्सल के आधार पर किया गया था।

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 75 करदाताओं में बड़े[2], मध्यम[3] और छोटे[4] स्तर के करदाताओं के साथ-साथ यादृच्छिक रूप से चुने गए करदाता शामिल थे।

इस अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए चयनित केंद्रीकृत लेखापरीक्षा, विस्तृत लेखापरीक्षा और वृत्तों की लेखापरीक्षा के लिए नमूने का विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

## 2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में एमपीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे **तालिका 2.1** में दिए गए हैं:

**तालिका 2.1: मानदंड का स्रोत**

| स. क्र. | विषय | अधिनियम एवं नियम |
|---|---|---|
| 1 | लेवी और संग्रह | एमपीजीएसटी अधिनियम अध्याय III के अंतर्गत धारा 9 |
| 2 | रिवर्स चार्ज तंत्र | एमपीजीएसटी अधिनियम अध्याय III के अंतर्गत धारा 9(3) और आईजीएसटी अधिनियम अध्याय III के अंतर्गत धारा 5(3) |
| 3 | आईटीसी प्राप्त करना और उसका उपयोग करना | एमपीजीएसटी अधिनियम अध्याय V के अंतर्गत धारा 16 से 21; एमपीजीएसटी नियम अध्याय V के अंतर्गत नियम 36 से 45 |
| 4 | पंजीकरण | एमपीजीएसटी अधिनियम अध्याय VI के अंतर्गत धारा 22 से 25; एमपीजीएसटी नियम अध्याय III के अंतर्गत नियम 8 से 26 |
| 5 | आपूर्ति | एमपीजीएसटी अधिनियम अध्याय III अंतर्गत धारा 7 और 8, एवं एमपीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची I, II और III |
| 6 | आपूर्ति का स्थान | आईजीएसटी अधिनियम अध्याय V के अंतर्गत धारा 10 से 13 |
| 7 | आपूर्ति का समय | एमपीजीएसटी अधिनियम अध्याय IV के अंतर्गत धारा 12 से 14 |
| 8 | आपूर्ति का मूल्यांकन | एमपीजीएसटी अधिनियम अध्याय IV के अंतर्गत धारा 15; एमपीजीएसटी नियम अध्याय IV के अंतर्गत नियम 27 से 34 |
| 9 | कर का भुगतान | एमपीजीएसटी अधिनियम अध्याय X के अंतर्गत धारा 49 से 53; एमपीजीएसटी नियम अध्याय IX के अंतर्गत नियम 85 से 88ए |
| 10 | जीएसटी विवरणियों की फाइलिंग | एमपीजीएसटी अधिनियम अध्याय IX के अंतर्गत धारा 37 से 47; एमपीजीएसटी नियम अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 और 80 से 81, एमपीजीएसटी नियमों का भाग बी विवरणी के प्रारूप को निर्धारित करता है |
| 11 | शून्य रेटेड आपूर्ति- | आईजीएसटी अधिनियम अध्याय VII के अंतर्गत धारा 16 |
| 12 | मूल्यांकन और लेखापरीक्षा कार्य | एमपीजीएसटी अधिनियम अध्याय XII और XIII के अंतर्गत धारा 61, 62, 65 और 66; एमपीजीएसटी नियम अध्याय XI के अंतर्गत नियम 99 से 102 |

इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी/राज्य कर विभाग द्वारा विवरणियाँ दाखिल करने, विभिन्न विवरणियाँ दाखिल करने की प्रभावी तिथियों को सूचित करने, विवरणियाँ दाखिल करने के लिए देय तिथियों का विस्तार, वस्तु और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने और उपयोग करने, विवरणियों की जाँच और कर अनुपालन और मानक संचालन प्रक्रियाओं

---

[2] पहली श्रेणी के स्तर में बड़े करदाता शामिल हैं - टर्नओवर के आधार पर करदाताओं का शीर्ष 2.0 प्रतिशत।

[3] मध्यम करदाताओं से युक्त दूसरी श्रेणी का स्तर - टर्नओवर के आधार पर करदाताओं का अगला 8.0 प्रतिशत।

[4] तीसरे श्रेणी के स्तर में छोटे करदाता शामिल हैं - शेष 90 प्रतिशत करदाता।

(एसओपी) की निगरानी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश देने वाले सीबीआईसी/राज्य कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र, विवरणियाँ दाखिल करने, विवरणियो की जाँच, पंजीकरण रद्द करने और डीजीएआरएम रिपोर्ट के सत्यापन आदि से संबंधित हैं,को भी लेखापरीक्षा मानदंड का हिस्सा बनाया गया।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## 2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों की व्यापक श्रेणियाँ

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- वृत्त कार्यालयों के निगरानी कार्य
- केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा
- विस्तृत लेखापरीक्षा

### 2.6.1 वृत्त कार्यालयों के निगरानी कार्य

दस वृत्तों में जहाँ एएसएमटी-13 जारी करने और वसूली विवरण से संबंधित प्रासंगिक डाटा उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा ने देखा कि विवरणी दाखिल न करने वाले के चूककर्ताओं के सभी प्रकरणों पर कार्रवाई नहीं की गयी थी। इसके अलावा, जीएसटीआर-3ए जारी करने की प्रक्रिया (उन चूककर्ताओं के लिए नोटिस जिन्होंने जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं की है) और एएसएमटी-13 के साथ इसका पालन करना (उन प्रकरणों में सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन आदेश जहाँ करदाताओं ने जीएसटीआर- 3ए नोटिस का अनुपालन नहीं किया है) की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने विवरणियों की संवीक्षा की धीमी गति/विवरणियों की संवीक्षा की शुरुआत न होना, कर प्राधिकरणों द्वारा लेखापरीक्षा में विलंब/आंतरिक लेखापरीक्षा ना होना, डीजीएआरएम रिपोर्ट पर कार्रवाई की कमी, पंजीकरण रद्द करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करना और जीएसटीआर-10 विवरणी न भरने पर पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई न करना भी पाया। विवरण निम्नलिखित कंडिका में दिया गया है।

#### 2.6.1.1 विवरणियाँ दाखिल न करने वालो पर कार्यवाही की कमी

विवरणी दाखिल करना कर के भुगतान से संबंधित है और विवरणी दाखिल न करने का अर्थ है कर का भुगतान न करने का जोखिम।

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46 के साथ पठित एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 में फॉर्म जीएसटीआर-3ए में एक नोटिस जारी करने का प्रावधान है, जिसके अनुसार यदि करदाता नियत तिथि के भीतर विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है तो उसे पंद्रह दिनों के भीतर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 62, के साथ पठित एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 100,जिसमें कहा गया है कि यदि करदाता इस तरह के नोटिस के बाद भी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी, सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए जो उपलब्ध या एकत्र की गयी है, उक्त व्यक्ति की कर देयता का आकलन अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर सकते हैं, और फॉर्म एएसएमटी-13 में निर्धारण आदेश जारी कर सकते हैं।

दस वृत्त कार्यालयों में से मात्र दो वृत्त कार्यालयों[5] द्वारा सभी चार वर्षो में प्रकरणों की पहचान की गयी। आठ वृत्त कार्यालयों[6] द्वारा तीन वर्षो (2017-18 से 2019-20) में विवरणियाँ दाखिल न करने वालों की पहचान नहीं की गई एवं मात्र वर्ष 2020-21 में प्रकरणों की पहचान की गयी। यद्यपि, सभी वृत्त कार्यालयों द्वारा दाखिल न करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही मात्र वर्ष 2020-21 में की गयी।

आगे, सभी प्रकरणों में जीएसटीआर-3ए के पश्चात् एएसएमटी 13 जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। पहचान किए गये, दाखिल न करने वाले 12,396 प्रकरणों में से, जीएसटीआर 3ए मात्र 8,668 प्रकरणों (69.92 प्रतिशत) में जारी किया गया था। इन 8,668 प्रकरणों में 7,406 प्रकरणों (85.44 प्रतिशत) में विवरणियाँ दाखिल की गयी। शेष 1,262 दाखिल न करने वालो में से, विभाग द्वारा 1,186 (94 प्रतिशत) प्रकरणों में सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी, राशि ₹ 28.25 करोड़ का निर्धारण किया गया एवं ₹ 24.49 करोड़ की वसूली की गयी। इसमें से, ₹ 21.64 करोड़ (88.36 प्रतिशत) की मुख्य वसुली वृत्त-5, भोपाल की थी। वृत्तों द्वारा 76 प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

आपत्ति इंगित किए जाने (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023) पर शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि कार्यवाही जैसे कि करदाताओं को एएसएमटी 10 जारी किया जाना, प्रगति में है, जीएसटी पोर्टल में जीएसटीआर-3ए सूचना पत्र जारी किए जाने की प्रणाली नही थी, अतः सूचना पत्र ऑफ लाईन जारी किए गए एवं करदाताओं द्वारा विवरणियाँ दाखिल की गयी, वसुली की कार्यवाही धारा 78 एवं 79 में प्रारंभ की गयी, आदि।

शासन, वृत्तों में पहचान किए गए दाखिल न करने वाले सभी प्रकरणों में कार्यवाही प्रारंभ कर एवं उन पर की गयी कार्यावाही से लेखापरीक्षा को अवगत कराये।

### 2.6.1.2 विवरणियों के संवीक्षा की धीमी गति/विवरणियों की संवीक्षा शुरू न करना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए करदाताओं द्वारा दायर विभिन्न विवरणियों की जाँच उचित अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, और विवरणियों में परिलक्षित किसी भी विसंगति या विसंगतियों पर उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए नामित उचित अधिकारी, वृत्त अधिकारी है। इसके अतिरिक्त, एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 99 में कहा गया है कि विसंगतियों, यदि कोई हो, तो करदाता को उसके स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए सूचित किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए 10 वृत्त कार्यालयों द्वारा प्रदान की गयी जानकारी के नमूना जाँच (दिसंबर 2022 - फरवरी 2023) के दौरान, यह देखा गया था कि 10 वृत्त कार्यालयों में से तीन वृत्त कार्यालयों[7] ने 2017-18 और 2020-21 के बीच करदाताओं की विवरणियों की कोई जाँच नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, पाँच वृत्त कार्यालयों[8] में, विवरणियों की जाँच केवल

---

[5] इंदौर-11 और इंदौर-15।

[6] भोपाल-1, भोपाल-4, भोपाल-5, भोपाल-6, इंदौर-3, इंदौर-12, जबलपुर-4 और मंडीदीप।

[7] भोपाल-4, इंदौर-11 और इंदौर-15।

[8] भोपाल-1, भोपाल-5, भोपाल-6, जबलपुर-4 और मंडीदीप।

वर्ष 2020-21 में की गयी थी, जहाँ **परिशिष्ट 2.3** में दर्शाए गए अनुसार 177 करदाताओं की 1,976 विवरणियों की जाँच की गयी थी। दो वृत्त कार्यालयों[9] में, 2017-18 से 2020-21 के दौरान 242 करदाताओं के 2,898 विवरणियों की जाँच की गयी।

अवधि 2017-18 से 2020-21 के दौरान, 10 वृत्त कार्यालयों में 419 करदाताओं में से, 355 करदाताओं (84.72 प्रतिशत) के संबंध में फॉर्म एएसएमटी-10 में विवरणियों में विसंगतियों की सूचना देने वाले नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 47 करदाताओं ने विसंगतियां स्वीकार की थी, जिनके विरूद्ध ₹ 26.98 करोड़ की राशि वसूल की गयी थी। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान, 210 करदाताओं (59.15 प्रतिशत) को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे, जिनमें से 133 प्रकरण पूर्ण हुए, जिसमें ₹ 242.99 करोड़ की वसूली योग्य राशि के विरूद्ध ₹ 6.27 करोड़ की राशि वसूल की गयी।

इस मामले की सूचना विभाग (दिसंबर 2022 से जनवरी 2023) और शासन (मई 2023) को दी गयी थी।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि विवरणियों की संवीक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया गया एवं विभिन्न स्तरों पर विभाग द्वारा क्षेत्रवार संवीक्षा कार्य किया गया। मुख्यालय द्वारा परिपत्र जारी किए गए एवं प्रगति की समय से समीक्षा की गयी। पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए, रिटर्न की जाँच के लिए एसओपी जारी किया गया है।

विभाग, अवधि 2017-18 एवं 2018-19 के विवरणियों की संवीक्षा समयबद्ध तरीके से प्रकरणों के कालातीत होने से पूर्व सुनिश्चित कर सकता है।

### 2.6.1.3 कर अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा में देरी/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रारंभ न किया जाना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, सामान्य या विशिष्ट आदेश के माध्यम से, ऐसी अवधि के लिए, ऐसी आवृति पर एवं ऐसे तरीके से जिसे निर्धारित किया गया हो, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति की लेखापरीक्षा कर सकता है। एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) "लेखापरीक्षा" को इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए गए या प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की जाँच के रूप में परिभाषित करती है अथवा किसी अन्य कानून के अंतर्गत समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत घोषित टर्नओवर की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए, भुगतान किए गए करों, धनवापसी का दावे और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, और इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन का आकलन करने के लिए किया गया हो।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) मध्य प्रदेश ने सूचित किया (अक्टूबर 2022) कि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) मध्य प्रदेश द्वारा एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अंतर्गत लेखापरीक्षा/विशेष लेखापरीक्षा के लिए सीबीआईसी द्वारा जारी मैनुअल का अनुपालन करने के निर्देश जारी (जुलाई 2022) किए गए थे।

---

9 इंदौर-3 और इंदौर-12।

शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि जीएसटीएन द्वारा लेखापरीक्षा मापदंड विकसित न किए जाने के कारण, ऑनलाइन लेखापरीक्षा प्रारंभ करने में विलंब हुआ। कानून की धारा 65 के तहत लेखापरीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का अभाव था। साथ ही वर्तमान में कोई भी अखिल भारतीय जीएसटी लेखापरीक्षा मैन्यूअल नहीं है, जिसके कारण लेखापरीक्षा प्रारंभ करने में विलंब हुआ। कोविड महामारी के कारण भी लेखापरीक्षा में विलंब हुआ।

आगे कहा गया कि आयुक्त, सीटीडी ने दिनांक 24 फ़रवरी 2023 का परिपत्र जारी किया और करदाताओं को वितरित करके लेखापरीक्षा कार्य शुरू करने और लेखापरीक्षा के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने के लिए पूर्व जीएसटी लेखापरीक्षा परिपत्र दिनांक 01 मई 2023 में संशोधन किया।

हालांकि तथ्य यह है कि वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.), करदाताओं की लेखापरीक्षा के लिए समय पर निर्देश जारी करने के लिए जुलाई 2019 में सीबीआईसी द्वारा तैयार किए गए जीएसटी लेखापरीक्षा मैनुअल का उपयोग कर सकते थे।

### 2.6.1.4 डीजीएआरएम प्रतिवेदनों पर कार्रवाई की कमी

#### (क) राज्य स्तर पर समग्र स्थिति

सीबीआईसी (बोर्ड) ने ओएम दिनांक 11 जुलाई 2017 के माध्यम से जीएसटी डेटा का अध्ययन, व्याख्या और विश्लेषण करने और बोर्ड और राज्यों के संबंधित कर विभागों के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के साथ परिणामों को साझा करने के उद्देश्य से एनालिटिक्स और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) का गठन किया। डीजीएआरएम ने विभिन्न जोखिम मापदंडों पर करदाताओं पर रिपोर्ट तैयार करके जून 2018 में काम करना शुरू कर दिया। जोखिम भरे करदाताओं और अन्य के लिए एसओपी दिनांक 30 अप्रैल 2019 के अनुसार राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करदाताओं के संबंध में, मुख्य आयुक्तों को सलाह दी जाती है कि वे राज्य के साथ जोखिम भरे करदाताओं की सूची साझा करने के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्र का उपयोग करें। विभाग डीजीएआरएम से प्राप्त रिपोर्ट को सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए वृत्तों को भेजता है।

विभाग ने सूचित किया (जून 2023) कि 601 प्रकरणों से संबंधित विसंगतियों के आधार पर 16 प्रकार की डीजीएआरएम रिपोर्ट प्राप्त हुई जो विभिन्न वृत्त कार्यालयों को भेजी गयी थी। हालांकि, विभाग ने इन स्थानांतरित प्रकरणों की वर्ष-वार और वृत्त-वार जानकारी प्रदान नहीं की। इसके अलावा, इन प्रकरणों की जाँच की वृत्तवार स्थिति भी लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गयी थी।

#### (ख) चयनित वृत्त कार्यालयों में स्थिति

वृत्तों की कार्य प्रणाली की लेखापरीक्षा के दौरान, 10 चयनित वृत्तों में, लेखापरीक्षा ने मांग की कि क्या विभाग में कोई समान प्रणाली मौजूद है, और सत्यापन के लिए 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित दस्तावेज प्रदान करने का भी अनुरोध किया, हालांकि, डीजीएआरएम से प्राप्त रिपोर्टों के संबंध में शून्य जानकारी को छोड़कर लेखापरीक्षा के लिए समान प्रणाली के अस्तित्व के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था। वृत्त वार विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिखाया गया है।

शासन ने कहा (जुलाई 2023) कि विभिन्न जोखिम मापदंडों पर मुख्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा और जाँच के लिए करदाता का चयन किया गया है और वृत्त कार्यालयों को आवंटित किया गया है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण/संवेदनशील प्रकरणों की जाँच के लिए कर अनुसंधान और विश्लेषण विंग की स्थापना की गयी है।

### 2.6.1.5 पंजीकरण रद्द करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 (1) में कहा गया है कि उचित अधिकारी, या तो स्वयं के प्रस्ताव पर, या पंजीकृत व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दायर आवेदन पर, उन परिस्थितियों के संबंध में पंजीकरण रद्द कर सकता है, जहाँ व्यवसाय बंद कर दिया गया हो, व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन हो गया हो अथवा कर योग्य व्यक्ति अब पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी न हो।

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 (2) करदाता द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन के आधार पर कर अधिकारी द्वारा करदाता के पंजीकरण को स्वतः रद्द करने की अनुमति देती है, संरचना करदाता द्वारा लगातार तीन कर अवधियों के लिए विवरणी दाखिल नहीं करने पर, सामान्य करदाता द्वारा छह महीने की निरंतर अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं करने पर, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकरण की तारीख से छह महीने के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं करने पर और धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों के दमन के माध्यम से पंजीकरण प्राप्त करने पर।

एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 22 (1) में निर्धारित किया गया है कि जहाँ उचित अधिकारी के पास यह मानने के कारण हैं कि किसी व्यक्ति का पंजीकरण धारा 29 के अंतर्गत रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, वह ऐसे व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी आरईजी-17 में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे नोटिस जारी करने की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कारण बताने की आवश्यकता होगी की उसका पंजीकरण रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

10 चयनित वृत्तों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, रद्द करने के लिए 18,390 प्रकरण थे (7,399 करदाताओं ने रद्द करने के लिए आवेदन किया और वृत्त कार्यालयों द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर 10,991 रद्दीकरण प्रकरण शुरू किए)। यह देखा गया कि 10 वृत्तों में से एक वृत्त, इंदौर-11 में, 643 प्रकरणों को स्वत: रद्द कर दिया गया था, लेकिन किसी भी प्रकरण में कारण बताओ नोटिस (आरईजी-17) जारी नहीं किया गया था। ऐसे प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

इंगित किए जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि विवरणी विसंगतियों को सूचित करने और स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए, करदाता को जारी एएसएमटी 10 की कार्रवाई प्रगति पर है।

उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन के लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि करदाताओं को नोटिस दिए बिना पंजीकरण रद्द किया गया था।

### 2.6.1.6 जीएसटीआर-10 दाखिल न करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 81 के साथ पठित एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 45 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, उसे रद्द करने की प्रभावी तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख के तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो फॉर्म जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणी दाखिल करना चाहिए।

एमजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 के साथ पठित एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 46 में एक पंजीकृत व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-3ए में एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता है जो धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है। यदि करदाता नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अंतिम विवरणी दाखिल करने में अभी भी विफल रहता है, तो एमपीजीएसटी नियमों के नियम 100 के साथ पठित एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत एएसएमटी-13 के रूप में एक मूल्यांकन आदेश धारा 29 की उप-धारा (5) के अंतर्गत करदाता की देयता निर्धारित करने के लिए जारी किया जाना चाहिए (अर्थात, इनपुट के बराबर आईटीसी, और स्टॉक या पूंजीगत वस्तुओं में रखे गए अर्ध-तैयार और तैयार वस्तु में

निहित इनपुट या ऐसे सामानों पर देय आउटपुट कर, जो भी अधिक हो)। यदि करदाता आदेश एएसएमटी -13 जारी होने के 30 दिनों के भीतर अंतिम विवरणी दाखिल करता है, तो उक्त आदेश को वापस ले लिया गया माना जाएगा। हालांकि, ब्याज और विलंब शुल्क के भुगतान की जवाबदारी बनी रहेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 चयनित वृत्त कार्यालयों में, 12,761 प्रकरणों में आरइजी -19 (रद्द करने का आदेश) जारी किए गए थे, जिनमें से 3,646 प्रकरणों (28.57 प्रतिशत) को विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 9,115 रद्द किए गए प्रकरणों में से, 3,781 करदाताओं (41.48 प्रतिशत) ने जीएसटीआर-10 दायर किया है। शेष 5,334 प्रकरणों में से, 226 प्रकरणों में जीएसटीआर-10 नहीं भरने पर मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई शुरू की गयी थी और 390 प्रकरणों में सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण शुरू किया गया था। हालांकि, 4,718 प्रकरणों (51.76 प्रतिशत) में वृत्त अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। (**परिशिष्ट 2.6**)

दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच यह इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि जीएसटीआर-10 के विवरणियाँ दाखिल नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (जुलाई 2023)।

विभाग अप्राप्त कर देयताओं की जांच करने के लिए अधिनियम प्रावधानों के अनुरूप पंजीकरण रद्द करने की स्थिति और उस पर की गयी कार्रवाई की निगरानी कर सकता है।

## 2.6.2 जीएसटी विवरणियों में विसंगतियां - केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 से संबंधित जीएसटी विवरणियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दायर जीएसटी विवरणियों के बीच नियम-आधारित विचलन, और तार्किक विसंगतियों की पहचान 15 मापदंडों के एक सेट पर की गयी थी (**तालिका 2.2**)।

13 निर्धारित जीएसटी विवरणियों[10] में से, सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूल विवरणियों को जीएसटी विवरणियों/आंकड़ों के बीच विचलन, विसंगतियों और बेमेल की पहचान करने के उद्देश्य से लिया गया:

**जीएसटीआर-1:** वस्तु और सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण शामिल है।

**जीएसटीआर-3बी:** अधिनियम की धारा 39(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा दायर किए जाने वाले करदाताओं द्वारा कर के भुगतान के साथ-साथ जावक आपूर्ति और आवक कर जमा की मासिक सारांश विवरणी। यह वह विवरणी है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट और डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट को प्रदर्शित करता है।

**जीएसटीआर-6:** इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक विवरणियों, जिसमें उनके वितरित आवक कर जमा और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।

---

[10] जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 (कंपोजिशन स्कीम के तहत करदाता), जीएसटीआर-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति), जीएसटीआर-5ए (अनिवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता), जीएसटीआर-6 (इनपुट सेवा वितरक), जीएसटीआर-7 (टीडीएस काटने वाले करदाता), जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर), जीएसटीआर-9 (वार्षिक विवरणी), जीएसटीआर-10 (अंतिम विवरणी), जीएसटीआर-11 (यूआईएन रखने वाला और रिफंड का दावा करने वाला व्यक्ति), सीएमपी-08, और आईटीसी-04 (एक प्रमुख/जॉब-कार्यकर्ता द्वारा जॉब-कार्यकर्ता को भेजे गए/प्राप्त माल के विवरण के बारे में विवरण दर्ज किया जाने वाला विवरण)।

**जीएसटीआर-8:** ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल की जाने वाली मासिक विवरणी दाखिल किया जाना है, जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस (स्रोत पर एकत्र कर) में कटौती करना आवश्यक है, अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया।

**जीएसटीआर-9:** इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी), स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले वर्षिक विवरण है। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी) के अंतर्गत की गयी और प्राप्त सभी आपूर्तियों का विवरण और साथ ही इसके लिए टर्नओवर और लेखापरीक्षा विवरण शामिल हैं।

**जीएसटीआर-9सी:** किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ पाँच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रपत्र। यह मूल रूप से जीएसटीआर-9 में दायर वार्षिक विवरणियों और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच एक समाधान विवरण है।

**जीएसटीआर-2ए:** एक प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक सिस्टम-जनित विवरण। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के सभी बी2बी लेनदेन का विवरण शामिल है जो उनके फॉर्म जीएसटीआर-1/5 में घोषित किए गए हैं, जीएसटीआर-6 से आईएसडी विवरण, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-8 से विवरण और बिल ऑफ एंट्री पर विदेश से वस्तु का आयात का विवरण, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आइसगेट (ICEGATE) पोर्टल से प्राप्त होता है, शामिल है।

15 पहचाने गए मापदंडों और विचलन/विसंगतियों की सीमा (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना) पर राज्य के अधिकार क्षेत्र से संबंधित अखिल राज्य डेटा विश्लेषण को नीचे **तालिका 2.2** में सारांशित किया गया है:

**तालिका 2.2: अखिल राज्यीय डाटा विश्लेषण का सारांश**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | मापदंड | प्रयुक्त एल्गोरिथ्म | विचलन की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | जीएसटीआर-2ए के अनुसार इसके सभी संशोधनों के साथ उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-3बी {तालिका 4ए (5)} (घरेलू आपूर्ति पर उपार्जित) में प्राप्त आईटीसी के साथ की गयी थी, जिसमें तालिका 4(बी) (2) में प्रत्यावर्तन पर विचार किया गया, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में उपयोग की गयी आईटीसी को जीएसटीआर-9 की तालिका 8 (सी) में शामिल है। | 50 | 139.29 |
| 2 | आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका (6सी+ 6डी+6एफ) में प्राप्त आईटीसी के साथ की गयी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (डी) में आरसीएम देयता की तुलना जीएसटीआर-3बी तालिका {4(ए) (2) + 4(ए) (3)} से की गयी। | 49 | 19.05 |
| 3 | भुगतान के बिना आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | जीएसटीआर-9 तालिका 4जी में घोषित आरसीएम देयता की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका (6सी+6डी+6एफ) में उपयोग की गयी आईटीसी के साथ की गयी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी {4(ए) (2) और 4ए (3)} के साथ की गयी। | 15 | 3.46 |
| 4 | आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ | जीएसटीआर-9 तालिका 6जी में प्राप्त आईएसडी की तुलना वितरक के जीएसटीआर-6 (तालिका 5ए + तालिका 8ए + जीएसटीआर-6 | 25 | 10.95 |

| स. क्र. | मापदंड | प्रयुक्त एल्गोरिथ्म | विचलन की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | की तालिका 9ए का योग) में स्थानांतरित आईटीसी के साथ की गयी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं है, तो जीएसटीआर-3बी तालिका 4(ए) (4) की तुलना जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए + तालिका 8ए + तालिका 9ए के योग से की गई। | | |
| 5 | गलत आईएसडी क्रेडिट प्रत्यावर्तन | प्राप्तकर्ताओं के जीएसटीआर-9 तालिका 7बी/7एच की तुलना उनके जीएसटीआर-6 एस की तालिका 8ए (नकारात्मक आंकड़े केवल) और तालिका 9ए (नकारात्मक आंकड़े केवल) के योग से की गयी। | 02 | 0.004 |
| 6 | वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण (फॉर्म 9 सी की तालिका 12 एफ) के बीच उपयोग की गयी आईटीसी में बेमेल | जीएसटीआर-9सी के 12एफ में धनात्मक प्रविष्टियाँ | 25 | 188.82 |
| 7 | वित्तीय विवरण में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी के बीच पुनर्मिलन (9 सी की तालिका 14टी) | जीएसटीआर-9सी के 14 टी में धनात्मक प्रविष्टियाँ | 25 | 922.18 |
| 8 | वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | जीएसटीआर-9सी तालिका 5आर में ऋणात्मक डेटा | 47 | 2,435.18 |
| 9 | वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण के बीच कर योग्य टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 7जी) | जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में ऋणात्मक डेटा | 17 | 2,024.47 |
| 10 | खातों की पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | जीएसटीआर-9सी तालिका 9आर में ऋणात्मक डेटा | 50 | 99.92 |
| 11 | अनुन्मोचित कर देयता | जीएसटीआर-1 (तालिका 4 से 11) और जीएसटीआर-9 (तालिका 4एन, 10 और 11) के बीच कर देयता के अधिक की तुलना जीएसटीआर-3बी तालिका {3.1 (ए) + 3.1 (बी) } में कर भुगतान विवरण के साथ की गयी थी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी में भुगतान किए गए कर की तुलना जीएसटीआर-1 देयता के साथ की गयी थी। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया। | 25 | 159.46 |
| 12 | ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाने वाले कंपोजिशन करदाता | ई-कॉमर्स जीएसटीआर-8 01.01.2018 से प्रभावी हो गया जब टीसीएस प्रावधान प्रभावी हुए। जीएसटीआर-8 में घोषित जीएसटीएन जो कंपोजिशन योजना के अंतर्गत जीएसटीआर-4 भी दाखिल कर रहे हैं। | 12 | 0 |

| स. क्र. | मापदंड | प्रयुक्त एल्गोरिथ्म | विचलन की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ऐसे प्रकरण जहाँ जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया गया है लेकिन जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है। | करदाता जिन्होंने जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया था, लेकिन जीएसटीआर-1 दायर किया था या जहाँ जीएसटीआर-2ए उपलब्ध था, यह संकेत देता है कि करदाताओं द्वारा कर का निर्वहन किए बिना व्यवसाय किया गया। | 25 | 2.38 |
| 14 | विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान | जीएसटीआर-3बी तालिका 6.1 में घोषित ब्याज की तुलना में जीएसटीआर-3बी की विलंबित फाइलिंग पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से की गयी ब्याज गणना। | 25 | 15.49 |
| 15 | विवरणी दाखिल नहीं करने वाले | ऐसे प्रकरण जहाँ लगातार छह महीने तक विवरणी दाखिल नहीं किया गया है, पंजीकरण रद्द करने से संबंधित कार्रवाई की जाँच की गयी। | 03 | 0 |
| **योग** | | | **395** | **6,020.65** |

### 2.6.2.1 विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के लिए 15 मापदंडों में से प्रत्येक में शीर्ष विचलन/विसंगतियों में से 368 करदाताओं से संबंधित 395 प्रकरणों के नमूनों का चयन किया। करदाता के रिकॉर्ड की आगे की जाँच के बिना फरवरी 2022 और मार्च 2023 के बीच संबंधित वृत्तों को लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किए गए थे। इन प्रकरणों में लेखापरीक्षा जाँच पहचाने गए विचलनों/बेमेल पर विभाग द्वारा की कार्रवाई की पुष्टि करने तक सीमित थी।

395 विसंगतियों में से, पाँच विसंगतियों की प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई थीं (जुलाई 2023), जिसमें ₹ 16.98 करोड़ की बेमेल राशि शामिल थी जैसा कि नीचे **तालिका 2.3** में वर्णित है।

**तालिका 2.3: उत्तर प्राप्त नहीं हुआ**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | लेखापरीक्षा मापदंड | नमूना | | विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं | | प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | बेमेल की राशि | संख्या | बेमेल की राशि | संख्या | बेमेल की राशि |
| 1 | भुगतान के बिना आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | 14 | 1.77 | 01 | 0.13 | 07.14 | 07.34 |
| 2 | आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ | 25 | 10.95 | 01 | 0.29 | 04 | 02.64 |
| 3 | वित्तीय विवरण में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी के बीच पुनर्मिलन (9 सी की तालिका 14टी) | 25 | 922.18 | 01 | 13.15 | 04 | 01.42 |
| 4 | विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान | 25 | 15.49 | 02 | 3.41 | 08 | 06.95 |

विभाग को शेष प्रकरणों के सत्यापन में तेजी लाने की आवश्यकता है। इन प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 2.7** में सूचीबद्ध है।

### 2.6.2.2 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा प्रश्नों पर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर अनुवादित 15 मापदंडों में से प्रत्येक से परवर्तित अनुपालन विचलन को नीचे **तालिका 2.4** में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

**तालिका 2.4: कमियों का सारांश**

**(₹ करोड़ में)**

| लेखापरीक्षा मापदंड | ऐसे प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुआ | | लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया विभाग का उत्तर | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | डाटा प्रविष्टि त्रुटियां | | प्रश्न से पहले की गयी कार्रवाई | | अन्य वैध स्पष्टीकरण | |
| | स. | राशि | स. | राशि | स. | राशि | स. | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | 50 | 139.29 | - | - | - | - | 1 | 2.74 |
| आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | 49 | 19.05 | 2 | 0.73 | - | - | 2 | 0.63 |
| भुगतान के बिना आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | 14 | 3.33 | 3 | 0.36 | - | - | - | - |
| आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ | 24 | 10.66 | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| गलत आईएसडी क्रेडिट का प्रत्यावर्तन | 2 | 0.01 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण (फॉर्म 9 सी की तालिका 12 एफ) के बीच प्राप्त आईटीसी में बेमेल | 25 | 188.82 | - | - | - | - | - | - |
| वित्तीय विवरण में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी के बीच पुनर्मिलन (9 सी की तालिका 14टी) | 24 | 909.03 | - | - | - | - | 1 | 47.33 |
| वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 47 | 2,435.18 | - | - | - | - | 1 | 14.11 |
| वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण के बीच कर योग्य टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 7जी) | 17 | 2,024.47 | - | - | - | - | - | - |
| खातों की पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | 50 | 99.92 | - | - | 1 | 0.55 | - | - |
| अनुन्मोचित कर देयता | 25 | 159.46 | 1 | 17.91 | - | - | 2 | 14.31 |
| ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाने वाले कंपोजिशन करदाता भी | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| ऐसे प्रकरण जहाँ जीएसटीआर-3बी दायर/नहीं की गयी है, लेकिन जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है | 25 | 2.38 | - | - | - | - | 2 | 0.01 |
| विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान | 23 | 12.08 | - | - | 1 | 0.93 | 2 | 0.50 |
| विवरण जमा नहीं करने वाले करदाता | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| **योग** | **390** | **6,003.68** | **7** | **19.25** | **2** | **1.48** | **16** | **79.63** |

| लेखापरीक्षा मापदंड | अनुपालन विचलन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विभाग द्वारा स्वीकृत ऐसे प्रकरणों सहित जहाँ कार्रवाई शुरू की जानी बाकी है | | | | | | | | | |
| | वसूल की गयी | | एएसएमटी -10 | | डीआरसी का नोटिस जारी किया गया (01/01ए/07) | | करदाता के साथ पत्राचार जारी | | कुल | |
| | स. | राशि | स. | राशि | स. | राशि | स. | राशि | स. | राशि |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | - | - | 10 | 22.69 | 3 | 6.34 | 1 | 3.23 | 14 | 32.26 |
| आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | 1 | 0.04 | 10 | 2.27 | 1 | 0.20 | 2 | 0.46 | 14 | 2.97 |

| लेखापरीक्षा मापदंड | अनुपालन विचलन | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विभाग द्वारा स्वीकृत ऐसे प्रकरणों सहित जहाँ कार्रवाई शुरू की जानी बाकी है | | | | | | | | | |
| | वसूल की गयी | | एएसएमटी -10 | | डीआरसी का नोटिस जारी किया गया (01/01ए/07) | | करदाता के साथ पत्राचार जारी | | कुल | |
| | स. | राशि | स. | राशि | स. | राशि | स. | राशि | स. | राशि |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| भुगतान के बिना आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | - | - | 1 | 0.11 | 1 | 0.13 | 1 | 0.14 | 3 | 0.38 |
| आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ | - | - | 9 | 3.74 | 1 | 1.00 | - | - | 10 | 4.74 |
| गलत आईएसडी क्रेडिट का प्रत्यावर्तन | - | - | 1 | 0.01 | - | - | - | - | 1 | 0.01 |
| वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण (फॉर्म 9 सी की तालिका 12 एफ) के बीच प्राप्त आईटीसी में बेमेल | - | - | 4 | 36.98 | 1 | 1.84 | - | - | 5 | 38.82 |
| वित्तीय विवरण में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी के बीच पुनर्मिलन (9 सी की तालिका 14टी) | - | - | 6 | 377.87 | - | - | - | - | 6 | 377.87 |
| वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | - | - | 12 | 597.36 | 1 | 12.03 | - | - | 13 | 609.39 |
| वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण के बीच कर योग्य टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 7जी) | - | - | 9 | 1,533.03 | 1 | 9.16 | - | - | 10 | 1,542.19 |
| खातों की पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | - | - | 12 | 41.76 | 4 | 4.36 | 3 | 2.17 | 19 | 48.29 |
| अनुन्मोचित कर देयता | - | - | 7 | 37.74 | - | - | - | - | 7 | 37.74 |
| ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाने वाले कंपोजिशन करदाता भी | 1 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.001 |
| ऐसे प्रकरण जहाँ जीएसटीआर-3बी दायर नहीं की गयी है, लेकिन जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है | - | - | 5 | 1.38 | 5 | 0.27 | 1 | 0.01 | 11 | 1.66 |
| विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान | - | - | 2 | 2.50 | 2 | 0.71 | 1 | 0.83 | 5 | 4.04 |
| विवरण जमा नहीं करने वाले करदाता | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **योग** | **2** | **0.04** | **88** | **2,657.44** | **20** | **36.04** | **9** | **6.84** | **119** | **2,700.36** |

| लेखापरीक्षा मापदंड | विभाग ने उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उत्तर प्रस्तुत नहीं किया | | विभाग ने कहा कि वे एक्यू की जाँच कर रहे हैं | |
|---|---|---|---|---|
| | स. | राशि | स. | राशि |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | 13 | 28.52 | 22 | 75.41 |
| आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | 18 | 6.21 | 13 | 8.38 |

| लेखापरीक्षा मापदंड | विभाग ने उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उत्तर प्रस्तुत नहीं किया | | विभाग ने कहा कि वे एक्यू की जाँच कर रहे हैं | |
|---|---|---|---|---|
| | स. | राशि | स. | राशि |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| भुगतान के बिना आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | 2 | 0.28 | 6 | 2.31 |
| आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ | 1 | 0.66 | 12 | 5.01 |
| गलत आईएसडी क्रेडिट का प्रत्यावर्तन | - | - | - | - |
| वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण (फॉर्म 9 सी की तालिका 12 एफ) के बीच प्राप्त आईटीसी में बेमेल | 2 | 63.81 | 18 | 86.19 |
| वित्तीय विवरण में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी के बीच पुनर्मिलन (9 सी की तालिका 14टी) | 4 | 155.40 | 13 | 328.44 |
| वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 17 | 1,185.90 | 16 | 625.77 |
| वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण के बीच कर योग्य टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 7जी) | 1 | 9.56 | 6 | 472.72 |
| खातों की पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | 8 | 19.27 | 22 | 30.62 |
| अनुन्मोचित कर देयता | 7 | 39.70 | 8 | 49.80 |
| ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाने वाले कंपोजिशन करदाता भी | 3 | - | 6 | - |
| ऐसे प्रकरण जहाँ जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया गया है, लेकिन जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है | 2 | 0.01 | 10 | 0.70 |
| विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान | 1 | 0.95 | 14 | 5.68 |
| विवरण जमा नहीं करने वाले करदाता | 1 | - | - | - |
| योग | 80 | 1,510.27 | 166 | 1,691.03 |

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के मापदंड के लिए (वसूली से संबंधित अनुपालन विचलन के लिए, एएसएमटी-10 जारी किया गया,

**केंद्रीकृत लेखापरीक्षा का सारांश**

लेखापरीक्षा ने 119 प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानों से विचलन पाया (का. नं. 10, 12, 14 और 16) जिसमें आईटीसी/कर देयता/टर्नओवर ₹ 2,700.36 करोड़ के बेमेल शामिल है (का. नं. 11, 13, 15 और 17) जो 390 विसंगतियों/बेमेल का 30.51 प्रतिशत है, जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रिया दी। जोखिम मापदंडों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दरें देखी गयी थीं जैसे कर योग्य टर्नओवर में बेमेल, भुगतान किए गए कर में बेमेल, आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल आदि।

25 प्रकरणों (का. नं. 4, 6 और 8) में, जो 6.41 प्रतिशत है, जहाँ विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा के लिए स्वीकार्य था, करदाताओं द्वारा आंकड़ों की प्रविष्टि त्रुटियों में सात प्रकरण (का. नं. 4) शामिल थे।

166 प्रकरणों में (का. नं. 22) जो 42.56 प्रतिशत है, विभाग ने कहा कि वह ₹ 1,691.03 करोड़ के अंतर्निहित विचलन (टर्नओवर में बेमेल सहित) की जाँच कर रहा था। शेष 80 प्रकरणों में (का. नं. 20), जो 20.51 प्रतिशत है, विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विचलन को स्वीकार नहीं किया।

नोटिस जारी किया गया और करदाता के साथ पत्राचार के अंतर्गत) नीचे **तालिका 2.5** में विस्तृत उदाहरण का मामला निम्नानुसार है –

**तालिका 2.5: केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के मापदंड के लिए उदाहरणात्मक प्रकरण**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | क्षेत्राधिकार वृत्त | बेमेल | की गयी कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | 23AACCM 9520G1ZP | में. मोहनलाल हरगोविंगदास | जबलपुर-3 | 6.02 | विभाग ने उत्तर दिया कि एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। |
| 2 | रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | 23AAACP 6224A4Z2 | प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड | इंदौर-3 | 0.33 | विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित डीलर को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। |
| 3 | भुगतान के बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | 23AKEPP 5115B1ZR | में. उमिया टिम्बर इंडस्ट्रीज | हरदा | 0.14 | विभाग ने उत्तर दिया कि डीलर को डीआरसी-01 जारी किया गया। |
| 4 | आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ | 23AAGCC 1585R1Z7 | सिप्ला हेल्थ लिमिटेड | इंदौर-11 | 1.19 | विभाग ने उत्तर दिया कि एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। |
| 5 | गलत आईएसडी क्रेडिट रिवर्सल | 23AACU 5552C1ZR | यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | भोपाल-1 | 0.004 | विभाग ने उत्तर दिया कि एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। |
| 6 | वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण (फॉर्म 9सी की तालिका 12 एफ) के बीच प्राप्त आईटीसी में बेमेल | 23AAPCS 9159L1ZK | शार्क प्रोजेक्ट लिमिटेड | बैढ़न | 18.75 | विभाग ने उत्तर दिया कि एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। |
| 7 | वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी के बीच पुनर्मिलन वित्तीय विवरण में व्यय (9सी की तालिका 14टी) | 23AAKCS 0723M1ZB | में. सासन पावर लिमिटेड | बैढ़न | 223.35 | विभाग ने उत्तर दिया कि एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। |
| 8 | जीएसटीआर-9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में बेमेल | 23AADCJ 5526G1ZT | जालपा देवी टोलवे लि. | भोपाल-6 | 287.29 | विभाग ने उत्तर दिया कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी किया गया है। |
| 9 | जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में बेमेल | 23AAACJ 6297K4Z6 | जे पी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की एक इकाई | बैढ़न | 1,428.92 | विभाग ने उत्तर दिया कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी किया गया है। |
| 10 | खाते की पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल। | 23AAACL 0140P6ZM | लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड | भोपाल-6 | 16.83 | विभाग ने उत्तर दिया कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी किया गया था। |

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | क्षेत्राधिकार वृत्त | बेमेल | की गयी कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | विवरणी (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | | | | | |
| 11 | अनुन्मोचित कर देयता | 23AAACI 5139B1Z6 | आईवीआरसीएल लिमिटेड | भोपाल-6 | 11.53 | विभाग ने उत्तर दिया कि एएसएमटी 10 जारी कर दी गयी है। |
| 12 | जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है | 23AAGCM 3176Q1Z0 | एमसीएल ग्लोबल स्टील प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-14 | 1.26 | विभाग ने उत्तर दिया कि एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। |
| 13 | ब्याज का कम भुगतान | 23AAAGP 0877K1Z5 | प्रोडक्शन डिवीजन बैतूल फॉरेस्ट | बैतूल | 2.28 | विभाग ने उत्तर दिया कि एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। कार्रवाई प्रगति पर है। |

उदाहरण के प्रकरणों पर नीचे चर्चा की गयी है-

**(i) मापदंड - आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल**

जीएसटीआर-2 ए एक खरीद से संबंधित डायनामिक टैक्स रिटर्न है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जीएसटीआर-3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें आईटीसी घोषित और कर के भुगतान के साथ जावक आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्व-घोषित होता है।

आईटीसी उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए से प्रासंगिक डाटा निकाला गया था, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए आईटीसी को करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था। अपनाई गई पद्धति जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की उसके सभी संशोधनों के साथ तुलना करना और तालिका 4ए (5)[11] में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी की तुलना तालिका 4बी (2)[12] में रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए करना था, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी से प्राप्त आईटीसी को भी इसमें शामिल करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता मेसर्स मोहनलाल हरगोविन्द के प्रकरण में, जिनके पास वृत्त-3, जबलपुर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 23AACCM9520G1ZP था, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 20.09 करोड़ थी और जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (5) में उपयोग की गयी आईटीसी ₹ 26.11 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.02 करोड़ की आईटीसी राशि का मिलान नहीं हुआ, जिसे विभाग को सूचित किया गया (फरवरी 2022)।

उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि एएसएमटी-10 जारी किया गया था और करदाता के उत्तर की समीक्षा की जा रही है।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2024)।

11 अन्य सभी पात्र आईटीसी।

12 अन्य आईटीसी रिवर्सड।

### (ii) मापदंड - आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) में एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (3) या धारा 9 (4) के अंतर्गत और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अंतर्गत कर का भुगतान करने की देयता कुछ श्रेणियों के सामानों या सेवाओं के संबंध में आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय वस्तु या सेवाओं, या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर तय की जाती है,

जीएसटीआर-9 एक वार्षिक विवरणी है जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पंजीकृत करदाताओं द्वारा दायर किया जाता है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों और एसईजेड डेवलपर्स सहित नियमित करदाता थे। करदाताओं को खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट या दावा किए गए रिफंड या बनाई गयी मांग आदि का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वर्ष 2017-18 के लिए आरसीएम के अंतर्गत भुगतान किए गए कर पर उपयोग की गयी आईटीसी की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, मासिक विवरणी जीएसटीआर-3बी और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 से संबंधित डाटा सेट की तुलना यह जाँचने के लिए की गयी थी कि क्या आरसीएम पर प्राप्त आईटीसी भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित था। अपनाई गयी कार्यप्रणाली जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (डी)[13] में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका 6सी[14], 6डी[15] और 6एफ[16] में प्राप्त आईटीसी के साथ करना था। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जाँच जीएसटीआर-3बी तक सीमित था, जहाँ तालिका 3.1 (डी) में कर से छूट वाले भाग की तुलना तालिका 4ए (2)[17] और 4ए (3)[18] के भाग के साथ की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के वृत्त-3, इंदौर के अंतर्गत जीएसटीआईएन 23AACP6224A4Z2 के प्रकरण में, जीएसटीआर-3 बी की तालिका 3.1 (डी) में उपलब्ध आईटीसी ₹ 0.53 करोड़ थी और जीएसटीआर-9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी ₹ 0.86 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप आईटीसी का बेमेल ₹ 0.33 करोड़ पाया गया जो विभाग को सूचित किया गया था (फरवरी 2022)।

उत्तर में, विभाग ने कहा (दिसंबर 2022) कि संबंधित डीलर को एएसएमटी-10 जारी किया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2024)।

### (iii) मापदंड - भुगतान के बिना आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल

समतुल्य कर देयता का निर्वहन किए बिना वर्ष 2017-18 के लिए आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने की सीमा या, दूसरे शब्दों में, आरसीएम के अंतर्गत कर के कम भुगतान का विश्लेषण जीएसटीआर-3बी और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 से संबंधित डाटा सेट की तुलना करके किया गया था। यह जाँचने के लिए कि क्या आरसीएम के अंतर्गत

---

13 आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

14 रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी अपंजीकृत व्यक्तियों से आवक आपूर्ति प्राप्त होती है।

15 रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति।

16 सेवाओं का आयात।

17 सेवाओं का आयात।

18 आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

गतिविधियों/लेनदेन पर कर पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर-9 दायर किया गया था, तालिका 4जी[19] में आरसीएम भुगतान की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी के साथ की गयी थी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1(डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी 4ए (2)[20] और 4ए (3)[21] के साथ की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मेसर्स उमिया टिम्बर इंडस्ट्रीज, वृत्त हरदा के अंतर्गत जीएसटीआईएन 23AKEPP5115B1ZR के प्रकरण में, जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी में आरसीएम भुगतान ₹ 0 था और जीएसटीआर-9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ की तुलना में ₹ 0.14 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.14 करोड़ की कर राशि के भुगतान के बिना आरसीएम पर आईटीसी का अधिक लाभ हुआ, जिसे विभाग को सूचित किया गया (फरवरी 2022)। उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि डीलर को डीआरसी-01 जारी किया गया था।

आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (फरवरी 2024)।

### (iv) मापदंड - आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा उपयोग की गयी आईटीसी इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा हस्तांतरित की गयी आईटीसी से अधिक है, करदाता की विवरणी में घोषित आईटीसी की तुलना आईएसडी द्वारा उनके जीएसटीआर-6 में हस्तांतरित आईटीसी से की गयी। अपनाई गयी कार्यप्रणाली इस राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्तकर्ता करदाताओं के जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी[22] या जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए) (4)[23] की तुलना संबंधित आईएसडी की तालिका 5ए[24], तालिका 8ए[25] और जीएसटीआर-6 की तालिका 9ए[26] के योग से करना था।

वृत्त-11, इंदौर के अंतर्गत करदाता मेसर्स सिप्ला हेल्थ लिमिटेड, जीएसटीआईएन 23AAGCC1585R1Z7 , के प्रकरण में लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी में प्राप्त आईटीसी ₹ 1.28 करोड़ थी और आईएसडी द्वारा जीएसटीआर-6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में स्थानांतरित आईटीसी ₹ 0.09 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी का ₹ 1.19 करोड़ का अतिरिक्त लाभ हुआ, जिसे विभाग (अप्रैल 2022) को सूचित किया गया था। उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि एएसएमटी-10 जारी किया गया है और कार्रवाई चल रही है।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2024)।

### (v) मापदंड - वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण (जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ) के बीच उपयोग की गयी आईटीसी में बेमेल

---

19 आवक आपूर्ति जिस पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाना है।

20 सेवाओं का आयात।

21 आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

22 आईएसडी से प्राप्त आईटीसी ।

23 आईएसडी से आवक आपूर्ति।

24 कर अवधि के लिए पात्र आईटीसी की राशि का वितरण।

25 आईटीसी के बेमेल को पुनः प्राप्त और वितरित किया गया।

26 गलत प्राप्तकर्ता को वितरित आईटीसी का पुनर्वितरण।

जीएसटीआर-9सी की तालिका 12 लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या खातों की पुस्तकों के अनुसार उपयोग की गयी आईटीसी का वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में घोषित आईटीसी का पुनर्मिलन करती है। इस तालिका का कॉलम 12एफ असमेकित आईटीसी से संबंधित है।

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9सी में एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक, करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित पुनर्मिलन विवरण का विश्लेषण आईटीसी में पहचान किये गए घोषित बेमेल की सीमा वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक विवरणी की समीक्षा डाटा स्तर पर किया गया था।

जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में घोषित ₹ 18.75 करोड़ का असमेकित आईटीसी, वित्तीय विवरणों के आधार पर पात्र आईटीसी से अधिक जीएसटी विवरणी में उपयोग की गयी आईटीसी होने के कारण, वृत्त बैढ़न के प्रकरण मेसर्स शार्क प्रोजेक्ट लिमिटेड के जीएसटीआईएन 23AAPCS9159L1ZK में देखा गया और विभाग को सूचित किया गया (फरवरी 2022)। उत्तर में, विभाग ने कहा (मार्च 2023) कि एएसएमटी-10 जारी किया गया है।

### (vi) मापदंड - वित्तीय विवरण में खर्चों से वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी के बीच पुनर्मिलन (जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी)

जीएसटीआर-9सी की तालिका 14 लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या खातों की पुस्तकों के अनुसार खर्चों पर उपयोग की गयी आईटीसी के साथ वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में घोषित आईटीसी का पुनर्मिलन करती है। इस तालिका का कॉलम 14 टी असमेकित आईटीसी से संबंधित है।

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9सी में एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक, करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित पुनर्मिलन विवरण का विश्लेषण आईटीसी में पहचान किये गए घोषित बेमेल की सीमा को वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किये गए खर्चो के साथ वार्षिक विवरणी की समीक्षा, डाटा स्तर पर किया गया था।

वृत्त बैढ़न के प्रकरण मेसर्स सासन पावर लिमिटेड जीएसटीआईएन 23AAKCS0723M1ZB के प्रकरण में, देखा गया की जीएसटीआर-9सी की तालिका 14 टी में घोषित ₹ 223.35 करोड़ का असमेकित आईटीसी, वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए खर्चों के आधार पर पात्र आईटीसी से अधिक जीएसटी विवरणी में आईटीसी का लाभ उठाया जा रहा है, और विभाग को सूचित किया गया (फरवरी 2022)। जिसके उत्तर में विभाग ने कहा (मार्च 2023) कि उक्त प्रकरण में एएसएमटी-10 जारी किया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2024)।

### (vii) मापदंड- वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण के बीच टर्नओवर में बेमेल (जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर)

जीएसटीआर-9सी की तालिका 5 वार्षिक टर्नओवर (जीएसटीआर-9) में घोषित टर्नओवर के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर का पुनर्मिलन है। इस तालिका के कॉलम 5आर में वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 के बीच असमेकित टर्नओवर को लिया गया है, और जिसे अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किया गया है।

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9सी में एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित पुनर्मिलन विवरण का विश्लेषण वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक विवरणी में रिपोर्ट किए गए टर्नओवर में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए डाटा स्तर पर किया गया था। उन प्रकरणों में असमेकित राशि जहाँ जीएसटीआर-9 में घोषित टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है, गैर-रिपोर्टिंग, अंडर-रिपोर्टिंग, शॉर्ट-रिपोर्टिंग, चूक, आपूर्ति की रिपोर्टिंग में त्रुटि के कारण चोरी या कर का कम भुगतान इंगित करता है। यह कर योग्य और छूट वाली आपूर्ति दोनों की गैर-रिपोर्टिंग का प्रकरण भी हो सकता है।

जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में असमेकित टर्नओवर पर लेखापरीक्षा प्रश्न, करदाता, मेसर्स जालपा देवी टोलवे लिमिटेड जीएसटीआईएन 23AADCJ5526G1ZT वृत्त-6, भोपाल के संबंध में ₹ 287.29 करोड़ की राशि जारी की गयी थी, जिसे विभाग को सूचित किया गया (फरवरी 2022)। जिसके उत्तर में विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अंतर्गत करदाता को एएसएमटी-10 जारी किया गया है।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2024)।

### (viii) मापदंड - वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण के बीच कर योग्य टर्नओवर में बेमेल (जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी)

जीएसटीआर-9सी की तालिका 7 कर योग्य टर्नओवर का पुनर्मिलन है। इस तालिका का कॉलम 7जी वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 एवं अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित असमेकित कर योग्य टर्नओवर को दर्शाता है।

एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक करदाता द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9सी में प्रस्तुत प्रमाणित पुनर्मिलन विवरण का विश्लेषण वार्षिक विवरणी में रिपोर्ट किये गए एवं वित्तीय विवरणों में दर्शित कर योग्य टर्नओवर में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा डाटा स्तर पर की गयी। उन प्रकरणों में असमेकित राशि जहाँ जीएसटीआर-9 में कर योग्य टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है, गैर-रिपोर्टिंग, अंडर-रिपोर्टिंग, शॉर्ट-रिपोर्टिंग, चूक, कर योग्य आपूर्ति की रिपोर्टिंग में त्रुटि को इंगित करता है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों की गैर-रिपोर्टिंग के कारण भी हो सकता है।

जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में अनडिस्चार्जड कर योग्य टर्नओवर पर राशि ₹ 1,428.92 करोड़ करदाता, मेसर्स जेपी नाइजरी सुपर थर्मल पावर प्लांट, जीएसटीआईएन 23AAAACJ6297K4Z6 जो वृत्त बैढ़न के अंतर्गत जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की एक इकाई है, के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति जारी की गयी थी, जिसे विभाग को सूचित किया गया था (फरवरी 2022)। जिसके उत्तर में, विभाग ने कहा (मार्च 2023) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी किया गया है।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2024)।

### (ix) मापदंड - खातों की पुस्तकों और वार्षिक विवरणियों के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर)

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9सी में एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80 (3) के तहत आवश्यक रूप से करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित पुनर्मिलन विवरण का वार्षिक विवरणी और खाते की पुस्तकों के बीच भुगतान किए गए कर में

पहचान की गई बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था। फॉर्म 9सी की तालिका 9 टर्नओवर को दर-वार अलग करके भुगतान किए गए कर को समेकित और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 के अनुसार चुकाए गए कर के साथ इसकी तुलना करती है। असमेकित राशि संभावित रूप से गलत दरों पर लगाए गए कर, छूट के रूप में कर योग्य टर्नओवर के गलत चित्रण या सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी के गलत आरोपण को इंगित कर सकती है। ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जिनमें अप्रैल से सितंबर 2018 तक बाद के वर्ष में किए गए 2017-18 के लेनदेन के संबंध में संशोधनों (डेबिट नोटों/क्रेडिट नोटों के शुद्ध आँकड़े) के माध्यम से घोषित आपूर्ति/कर को कम किया जाता है। परिणामी ब्याज भुगतान, कम भुगतान और गलत शीर्षों के तहत भुगतान, दोनों की भी इस संबंध में जांच किए जाने की आवश्यकता है।

वृत्त-6, भोपाल के अंतर्गत, करदाता मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड जीएसटीआईएन 23AAACL0140P6ZM के प्रकरण में, जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में घोषित राशि ₹ 16.83 करोड़ के असमेकित कर का भुगतान, विभाग को सूचित किया गया था (फरवरी 2022)। उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अंतर्गत करदाता को एएसएमटी-10 जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2023) में आगे की प्रगति का इंतजार था।

### (x) मापदंड - अनुन्मोचित कर देयता

जीएसटीआर-1 वस्तुओं या सेवाओं की जावक आपूर्ति के मासिक विवरण को दर्शाता है। इन विवरणों का भी करदाता द्वारा मूल्यांकन किया गया था और संबंधित कॉलम में वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 में उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, कर योग्य मूल्य और उसका भुगतान किया गया कर भी जीएसटीआर-3बी में दिखाया गया है।

अनुन्मोचित कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 से प्रासंगिक आंकड़ों को निकाला गया था और इन विवरणी में देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 में घोषित कर के साथ की गयी थी। जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच देय कर की तुलना का सहारा लिया गया था। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर-1 और 9 में घोषित संशोधन और अग्रिम समायोजन पर भी विचार किया गया था।

एल्गोरिथ्म के लिए, जीएसटीआर-1 के तालिकाओं 4 से 11 और जीएसटीआर 9 के तालिकाओं 4एन, 10 और 11 पर विचार किया गया था। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के बीच कर देयता की अधिकता की तुलना कर के कम भुगतान की पहचान करने के लिए जीएसटीआर-9 के तालिकाओं 9 और 14 में घोषित कर के साथ की गयी थी। जीएसटीआर-3बी के प्रकरण में, तालिकाओं 3.1 (ए)[27] और 3.1 (बी)[28] को ध्यान में रखा गया था।

वृत्त-6, भोपाल, करदाता मेसर्स आईवीआरसीएल लिमिटेड, जीएसटीआईएन 23AAACI5139B1Z6 के प्रकरण में, देखा गया कि, जीएसटीआर-1 में देय कर ₹ 30.71 करोड़ था और जीएसटीआर-9 में घोषित कर ₹ 28.53 करोड़ था, और दोनों में से अधिक, जीएसटीआर-1 में देय कर को ध्यान में रखा गया था। देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 में घोषित कर के साथ की

[27] जावक कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड, निरंक रेटेड और छूट के अलावा)।

[28] जावक कर योग्य आपूर्ति (शून्य दर)।

गयी थी, अर्थात ₹ 19.18 करोड़। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.53 करोड़ की कर देयता का बेमेल पाया गया, जिसे विभाग को सूचित किया गया (फरवरी 2022)। उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि एएसएमटी-10 जारी किया गया है।

### (xi) मापदंड - ऐसे प्रकरण जहाँ जीएसटीआर-3बी दायर नहीं की गयी है, लेकिन जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है

लेखापरीक्षा ने डाटा स्तर पर उन करदाताओं की पहचान करने का प्रयास किया जिन्होंने जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया है, लेकिन जीएसटीआर-1 दायर किया है या जिनके जीएसटीआर-2ए उपलब्ध थे। जीएसटीआर-3बी विवरणी एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से देयता चुकायी जाती है, और आईटीसी का लाभ उठाया जाता है। एक प्रकार से, जीएसटीआर-1 और 2ए की उपलब्धता और जीएसटीआर-3बी की गैर-फाइलिंग इंगित करती है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन उन्होंने अपनी कर देयता का निर्वहन नहीं किया है।

करदाता मेसर्स एमसीएल ग्लोबल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटीआईएन 23AAGCM3176Q1Z0 वृत्त-14, इंदौर के प्रकरण में लेखापरीक्षा ने देखा कि 2017-2018 से संबंधित विवरणी (जीएसटीआर-3बी) में ₹ 1.26 करोड़ की कर देयता शामिल थी, करदाता द्वारा दायर नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ की देयता का निर्वहन नहीं हुआ, जिसे विभाग को सूचित किया गया (फरवरी 2022)।

जिसके उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि करदाताओं को एएसएमटी-10 जारी किया गया है।

इस संबंध में और प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2024)।

### (xii) मापदंड - विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान

अधिनियम की धारा 50 यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर शासन को कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, जिस अवधि के लिए कर या उसका कोई हिस्सा जो नहीं चुकाया गया है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

2017-18 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान विवरण और जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की तारीख का उपयोग करके की गयी थी। देय ब्याज की गणना करने के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, वृत्त-बैतूल अंतर्गत करदाता, प्रोडक्शन डिवीजन बैतूल वन, जीएसटीआईएन 23AAAGP0877K1Z5 के प्रकरण, अगस्त 2017 से मार्च 2018 के महीनों से संबंधित विवरणी (जीएसटीआर-3बी) जिसमें ₹ 16.05 करोड़ की कर देयता शामिल थी, देरी के साथ दायर की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.28 करोड़ की राशि का ब्याज का कम भुगतान हुआ, जिसे विभाग को सूचित किया गया (फरवरी 2022)। विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है और उत्तर प्रतीक्षित है।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2023)।

### 2.6.2.3 कारण कारकों का विश्लेषण

395 डाटा विचलन/विसंगतियों के नमूने में से 390 प्रकरणों के लिए विभाग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, डाटा विचलन/विसंगतियों का कारण बनने वाले कारक इस प्रकार हैं:

**1. जीएसटी कानून और नियमों से विचलन:- स्वीकार किए गए या विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू किए गए प्रकरण**

पिछली **तालिका 2.4** में संक्षेपित 15 विचलनों से संबंधित 390 प्रकरणों में से, विभाग ने ₹2,700.36 करोड़ के आईटीसी/कर दायित्व/टर्नओवर में बेमेल वाले 119 प्रकरणों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है या विभागीय जांच शुरू कर दी है। इन प्रकरणों में से, विभाग ने दो प्रकरणों में ₹ 0.04 करोड़ की वसूली की है, 88 प्रकरणों में करदाता को फॉर्म एएसएमटी -10 में ₹ 2,657.44 करोड़ के विसंगतियों की सूचना देते हुए नोटिस जारी किया, 20 प्रकरणों में ₹ 36.04 करोड़ के कर प्रभाव वाले नोटिस जारी किए और नौ प्रकरणों में ₹ 6.84 करोड़ के कर प्रभाव वाले संबंधित करदाताओं के साथ पत्राचार जारी था। विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिया गया है।

दो उदाहरणात्मक प्रकरण जहाँ विभाग ने स्वीकार किया या कार्रवाई शुरू की है, नीचे दिए गए हैं:

(i) वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9सी में एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित पुनर्मिलन विवरण का विश्लेषण डाटा स्तर पर किया गया था ताकि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए खर्चों के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके। तालिका 14 करदाता द्वारा किए गए खर्चों से संबंधित है, जो इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं या सेवाओं के रूप में हो सकता है। इन वस्तुओं/सेवाओं की खरीद पंजीकृत (फॉरवर्ड चार्ज) या अपंजीकृत व्यक्तियों (रिवर्स चार्ज) से खरीदी जा सकती है जो कर योग्य या छूट प्राप्त हो सकती है। तालिका 14 प्राप्त आईटीसी के साथ किए गए खर्चों का पुनर्मिलन करती है, और अपात्रता, अवरुद्ध क्रेडिट, संरचना योजना के कारण किसी भी अतिरिक्त लाभ को तालिका 14 टी में उजागर किया गया है।

जीएसटीआर-9सी की तालिका 14 टी में घोषित ₹ 66.87 करोड़ का असमेकित आईटीसी, मेसर्स एसीसी लिमिटेड जीएसटीआईएन 23AAACT1507C1Z5, वृत्त-6 भोपाल के प्रकरण में, जो वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए खर्चों के आधार पर पात्र आईटीसी से अधिक जीएसटी विवरणी में उपयोग की गयी आईटीसी होने के कारण देखा गया और विभाग को सूचित किया गया (फरवरी 2022)। उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया गया है।

लेखापरीक्षा में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2023)।

(ii) वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9सी में एमपीजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक, करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित पुनर्मिलन विवरण का विश्लेषण वार्षिक विवरणी एवं वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए टर्नओवर में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा डाटा स्तर पर किया गया था। फॉर्म 9सी की तालिका 5आर वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर के बीच असंगत टर्नओवर को दर्शाती है। असंगत राशि जहाँ जीएसटीआर-9 में घोषित टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है, वह गैर-

रिपोर्टिंग, अंडर-रिपोर्टिंग, शॉर्ट-रिपोर्टिंग, चूक, आपूर्ति की रिपोर्टिंग में त्रुटि के कारण कर चोरी या कम भुगतान का संकेत हो सकता है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों की गैर-रिपोर्टिंग का प्रकरण भी हो सकता है।

वृत्त-2, इंदौर के अंतर्गत करदाता मेसर्स इंडो-थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटीआईएन 23AACCI1182J1ZS के प्रकरण में ₹ 48.32 करोड़ वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) के बीच बेमेल पर लेखापरीक्षा आपत्ति, विभाग को सूचित की गयी। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (फरवरी 2022), विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि एएसएमटी-11 में प्राप्त करदाता के उत्तर की जाँच की जा रही है।

लेखापरीक्षा में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2023)।

## 2. ऐसे प्रकरण जहाँ विभाग का उत्तर उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गए

उत्तर दिए गए 390 प्रकरणों में से विभाग ने 80 प्रकरणों (बेमेल सहित) को ₹ 1,510.27 करोड़ स्वीकार नहीं किया है। इन प्रकरणों में, विभाग ने केवल करदाताओं के स्पष्टीकरण को लेखापरीक्षा आपत्तियों पर स्पष्ट रूप से टिप्पणी किए बिना या उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्य के बिना प्रस्तुत किया। इन प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है-

वृत्त-पिथमपुर के अंतर्गत जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में घोषित ₹ 261.46 करोड़ का असमेकित टर्नओवर टीसीआई एचआई-वेस प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटीआईएन 23AABCT3904C1ZZ के प्रकरण में देखा गया, जिसे विभाग को सूचित (फरवरी 2022) किया गया था। विभाग ने बताया (फरवरी 2022) कि फॉर्म जीएसटीआर-9सी के अनुसार ₹ 261.46 करोड़ की गैर-समाधान राशि अन्य राज्यों के टर्नओवर से संबंधित है। विभाग ने उत्तर में बताए गए तथ्यों को सत्यापित करने के लिए समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया।

## 3. करदाताओं द्वारा डाटा प्रविष्टि त्रुटियाँ

डाटा प्रविष्टि त्रुटियाँ कुल प्राप्त प्रतिक्रियाओं (390 प्रकरण) का 1.79 प्रतिशत (सात प्रकरण) और 28 प्रतिशत प्रकरण थे जहाँ विभाग की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा (25 प्रकरण)द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इन डाटा प्रविष्टि त्रुटियों से ₹ 19.25 करोड़ का राजस्व निहितार्थ है। डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी में बेमेल, आईएसडी क्रेडिट का लाभ उठाने और अनुन्मोचित कर दायित्व से संबंधित हैं, जैसा कि **परिशिष्ट 2.10** में बताया गया है।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत-2 भोपाल के अंतर्गत करदाता मेसर्स तिरुपति आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटीएन 23AABCT6665J1Z4 में अनुन्मोचित कर देयता के रूप में ₹ 17.91 करोड़ की राशि के विचलन की पहचान की गयी और विभाग को सूचित किया गया। इंगित किए जाने पर (फरवरी 2022) शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि अंतर गलती से ₹ 1,98,44,557 के स्थान पर जीएसटीआर 9 के कॉलम 4 बी (एसजीएसटी) में ₹ 19,88,44,557 दर्ज करने के कारण था। इसके कारण ₹ 17,90,00,000 का अंतर परिलक्षित होता है। लेखापरीक्षा ने ₹ 17,91,40,792 के अंतर को इंगित किया है, जिसमें से ₹ 17,90,00,000 लिपिक त्रुटि के कारण है और ₹ 1,40,768 की शेष राशि आरसीएम से संबंधित है, जिसका भुगतान सितंबर 2018 के जीएसटीआर 3बी के माध्यम से किया गया है।

**4. लेखापरीक्षा आपत्ति जारी करने से पहले की गयी कार्रवाई**

जैसा कि नीचे **तालिका 2.6** में संक्षेप में कहा गया है, विभाग ने पहले ही दो प्रकरणों में कार्रवाई की है, जो प्राप्त 390 प्रतिक्रियाओं का 0.51 प्रतिशत है।

**तालिका 2.6: लेखापरीक्षा आपत्ति से पहले की गयी कार्रवाई**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | मापदंड | वृत्त कार्यालय | बेमेल राशि | प्राप्त प्रतिक्रियाएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23AAGCP 0445H1ZQ | में. अरोमा प्रोडक्शंस प्राईवेट लिमिटेड | विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान। | छिंदवाड़ा-2 | 0.93 | विभाग ने कहा कि दिनांक 16 सितंबर 2021 को चालान के माध्यम से ब्याज के रूप में कुल ₹ 0.93 करोड़ जमा किए गए हैं। |
| 2 | 23BBHPS2342J1 ZN | में. लक्की कंस्ट्रक्शन कंपनी | खाते की पुस्तकों और वार्षिक विवरण के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | छतरपुर | 0.55 | विभाग ने उत्तर दिया कि करदाता ने जनवरी, अगस्त और अक्टूबर 2021 में डीआरसी 03 के माध्यम से कर ₹ 0.55 करोड़ और ब्याज ₹ 0.14 करोड़ राशि जमा की है। |

विभाग डाटा प्रविष्टि त्रुटियों पर अंकुश लगाने, करदाताओं के अनुपालन को बढ़ाने और बेहतर जांच की सुविधा के लिए जीएसटी पोर्टल में पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण डालने के लिए जीएसटी परिषद के साथ मामला उठा सकता है।

## 2.6.3 जीएसटी विवरणी की विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी करदाता पर है। निरीक्षण हेतु एक कुशल कर प्रशासन तंत्र स्थापित करना और बनाए रखना विभाग की जिम्मेदारी है। सीमित संसाधनों के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन हेतु, कानून के अनुपालन और राजस्व के संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए, एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। आईटी संचालित अनुपालन मॉडल पैमाने शासन के गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाहरी लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने डाटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, पैन-सेट डाटा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी विवरणी में विसंगतियों/विचलन की पहचान करने के अलावा, इस समीक्षा के एक भाग के रूप में जीएसटी विवरणी की एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गयी थी। इस भाग की समीक्षा के लिए 75 करदाताओं के जोखिम-आधारित नमूने का चयन किया गया था। अपनाई गयी कार्यप्रणाली शुरू में जीएसटीआर-9सी के हिस्से के रूप में करदाताओं द्वारा दायर जीएसटी विवरणी और वित्तीय विवरणों और संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलन और रेड फ्लेग्स की पहचान करने के लिए बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा करना था।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक फील्ड लेखापरीक्षा कार्यालय में डेस्क की समीक्षा की गयी। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर, पहचाने गए जोखिमों के कारण कारकों की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए करदाताओं के संबंधित मूल अभिलेख जैसे वित्तीय बहीखाता, चालान आदि की मांग करके राज्य वाणिज्यिक कर विभाग के क्षेत्रीय संरचनाओं में विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित किया गया था।

जैसा कि पिछले कंडिका में बताया गया है, विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों और रेड फ्लेग्स की पहचान करने के लिए जीएसटी विवरणी और अन्य बुनियादी रिकॉर्ड की एक डेस्क समीक्षा शामिल थी, जिसका करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन की सीमा की पहचान करने और राज्य वाणिज्यिक कर विभाग क्षेत्र संरचनाओं द्वारा की गयी कार्रवाई को फील्ड लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में रखा गया था। विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन अंततः दाखिल किए गए विवरणी, आईटीसी के उपयोग और कर भुगतान के निर्वहन की सत्यता को प्रभावित करता है। इसलिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को (अ) विवरणी (ब) आईटीसी का उपयोग और (स) कर देयता का निर्वहन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

### 2.6.3.1 कार्य की सीमा (अभिलेखों का प्रस्तुत न करना)

विभाग ने अपने परिसर में लेखापरीक्षा करने के लिए जीएसटी पोर्टल एप्लिकेशन-राज्य कर विभाग (बीओडब्ल्यूईबी) की बैक-एंड प्रणाली के माध्यम से पहुंच प्रदान की।

लेखापरीक्षा दल ने विवरणी के सत्यापन के लिए करदाताओं के चयनित नमूनों के विभिन्न विवरणी डाउनलोड किए। हालांकि, विभाग द्वारा करदाताओं से संबंधित कोई मूल अभिलेख प्रदान नहीं किया गया था।

अभिलेखों को प्रस्तुत न करने का विवरण निम्नलिखित कंडिका में संक्षेप में दिया गया है:

**अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना:** बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के रिकॉर्ड की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जाँच के लिए अतिरिक्त आईटीसी और कर देयता बेमेल से संबंधित जोखिमों की पहचान की। आईटीसी मापदंड पर, जीएसटीआर-3बी की जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-9, और जीएसटीआर-9सी की तालिका 12 और 14 में की गयी घोषणाओं के साथ तुलना करके बेमेल की पहचान की गयी थी। कर देयता मापदंड पर, जीएसटीआर-3बी की जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी की तालिका 5, तालिका 7 और तालिका 9 में की गयी घोषणाओं के साथ तुलना करके बेमेल की पहचान की गयी। हालांकि, 75 नमूना प्रकरण में, विभाग ने पूरक वित्तीय लेजर, चालान, समझौते की प्रतियां आदि जैसे संबंधित मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जो आईटीसी और कर देयता के बेमेल के लिए कारकों के कारण की जाँच के लिए आवश्यक थे। लेखापरीक्षा ने संबंधित वृत्तों के माध्यम से करदाताओं के इन मूल अभिलेखों की मांग की। क्षेत्राधिकार-वार प्रस्तुत न किए गये अभिलेखों को **तालिका 2.7** में सारांशित किया गया है। प्रस्तुत न किए गये अभिलेखों की प्रकरण-वार सूची **परिशिष्ट 2.11** में दी गयी है।

**तालिका 2.7: अभिलेखो का प्रस्तुत न करना**

| राज्य वाणिज्यिक कर विभागों के क्षेत्राधिकार क्षेत्र | नमूना | ऐसे प्रकरण की संख्या जहाँ अभिलेख प्रदान नहीं किए गए थे |
|---|---|---|
| | करदाताओं की संख्या | करदाताओं की संख्या |
| भोपाल | 26 | 26 |
| इंदौर-1 | 26 | 26 |
| इंदौर-2 | 06 | 06 |

| राज्य वाणिज्यिक कर विभागों के क्षेत्राधिकार क्षेत्र | नमूना | ऐसे प्रकरण की संख्या जहाँ अभिलेख प्रदान नहीं किए गए थे |
|---|---|---|
| | करदाताओं की संख्या | करदाताओं की संख्या |
| ग्वालियर | 03 | 03 |
| जबलपुर | 14 | 14 |
| योग | 75 | 75 |

100 प्रतिशत प्रकरण में मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 254.10 करोड़ की राशि के विचलन/बेमेल की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तार से जाँच नहीं की जा सकी।

**2.6.3.2 विवरणियों का दाखिल किया जाना**

**1. जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल करने में विलंब शुल्क का कम भुगतान**

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 47 (1) में कहा गया है कि कोई भी पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति जो नियत तिथि तक धारा 39 या 45 के अंतर्गत आवश्यक विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तब वह ऐसी विफलता जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए ₹ 100 के विलंब शुल्क के लिए उत्तरदायी होगा, जो ₹ 5,000 तक अधिकतम होगा। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 64/2017-सीटी दिनांक 15 नवंबर 2017 के माध्यम से, शून्य देय कर वाले करदाताओं के लिए विलंब शुल्क घटाकर ₹ 20 प्रति दिन और अन्य करदाताओं के लिए ₹ 50 प्रति दिन कर दिया गया था।

40 वृत्त कार्यालयों के 75 करदाताओं द्वारा 2017-18 की अवधि के लिए दायर जीएसटीआर-3बी विवरणी की जाँच से पता चला कि 18 वृत्त कार्यालयों के 23 करदाताओं ने **परिशिष्ट 2.12** में उल्लिखित देरी के साथ विवरणी जमा की। करदाता विवरणी जमा करने में देरी के लिए एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 47 के अंतर्गत अतिआवश्यक ₹ 6.06 लाख के विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। करदाता द्वारा भुगतान की गयी विलंब शुल्क की राशि ₹ 3.05 लाख थी। इस प्रकार, ₹ 3.01 लाख के विलंब शुल्क का कम भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि 12 प्रकरण में एएसएमटी-10 जारी किया गया था, पाँच[29] प्रकरण में कार्रवाई चल रही थी, दो[30] प्रकरण में नोटिस जारी किया गया था। तीन[31] प्रकरण में यह कहा गया था कि कर राशि की वसूली की गयी थी। एक[32] प्रकरण में यह कहा गया था कि करदाता का जवाब संतोषजनक था और कोई मांग नहीं उठाई गयी थी, हालांकि, लेखापरीक्षा के लिए कोई सहायक दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए थे।

---

29 बालाघाट (1 प्रकरण), देवास (1 प्रकरण), ग्वालियर-1 (2 प्रकरण) और उज्जैन (1 प्रकरण)।

30 भोपाल-6 (2- प्रकरण)।

31 बीना(1 प्रकरण), इंदौर-15 (1 प्रकरण) और टीकमगढ़ (1 प्रकरण)।

32 नीमच।

### 2.6.3.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित बेमेल

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया वस्तु और सेवा कर जो व्यवसाय के क्रम में या आगे बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। करों के कैस्केडिंग प्रभाव से बचने के लिए, इनपुट आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग जावक आपूर्ति पर करों के भुगतान के लिए सेट-ऑफ करने के लिए किया जा सकता है।

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 और 17 आईटीसी का लाभ उठाने के लिए पात्रता और शर्तों को निर्धारित करती है। सीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 36 से 45 में आईटीसी प्राप्त करने और उसे वापस करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई।

लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा दायर जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी के डाटासेट के साथ चयनित करदाताओं के संबंध में जीएसटीआर-2ए के डाटासेट का विश्लेषण किया और विवरणी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेमेल को देखा। लेखापरीक्षा विस्तार से बेमेल की जाँच नहीं कर सकी क्योंकि विभाग द्वारा प्रासंगिक मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा ने जाँच किए गए 75 नमूना प्रकरण में से ₹ 224.65 करोड़ की राशि के बेमेल के 108 उदाहरणों को देखा। ये कमियाँ अनियमित रूप से आईटीसी का लाभ उठाने, अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाने, आईटीसी के गैर-या कम रिवर्सल और इनपुट सेवा वितरण पर आईटीसी के अधिक लाभ उठाने के कारण थीं। इसलिए, ये प्रकरण बेमेल बने हुए हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में बेमेल का विवरण **तालिका 2.8** में दिया गया है।

**तालिका 2.8: करदाताओं द्वारा दावा किए गए आगत कर जमा में बेमेल**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | मापदंड | प्रकरणों की संख्या | वृत्त कार्यालयों की संख्या | बेमेल की राशि | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **जीएसटीआर-9/3 बी में प्राप्त आईटीसी और जीएसटीआर-2 ए में प्राप्त आईटीसी लाभ के बीच बेमेल:** विश्लेषण करने के लिए आंकड़े जीएसटीआर-9 /जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए से निकाले गए थे, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए आईटीसी का मिलान करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी क्रेडिट के साथ किया गया था और जीएसटीआर-2 ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी | 42 | 28 | 76.25 | लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि 22 प्रकरणों में एएसएमटी-10 जारी किया गया है, 13 प्रकरणों में कार्रवाई चल रही है, तीन प्रकरणों[33] में नोटिस जारी किए गये हैं।<br><br>दो प्रकरणों[34] में विभाग ने कहा कि गलत तरीके से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को करदाताओं द्वारा क्रमशः सितंबर 2018 और सितंबर 2019 के |

[33] भोपाल-6 एवं छिन्दवाड़ा (2 प्रकरण)।

[34] पीथमपुर एवं टीकमगढ़।

| स. क्र. | मापदंड | प्रकरणों की संख्या | वृत्त कार्यालयों की संख्या | बेमेल की राशि | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| | की तुलना इसके सभी संशोधनों के साथ की गयी और तालिका 4बी(2) में प्रत्यावर्तन पर विचार करते हुए तालिका 4ए(5) में जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी की तुलना की गई, लेकिन इसमें जीएसटीआर-9 की तालिका 8 सी से बाद के वर्ष 2018-19 में प्राप्त आईटीसी भी शामिल है **(परिशिष्ट 2.13)**। | | | | महीने में प्रत्यावर्तन कर दिया गया था। लेखापरीक्षा एक प्रकरण में विवरणी से इसे सत्यापित नहीं कर सकी और एक अन्य प्रकरण में प्रत्यावर्तन कम किया गया।<br><br>शेष दो प्रकरणों[35] में विभाग ने उत्तर दिया कि एक करदाता ने एएसएमटी-11 में एक संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत किया और लेखापरीक्षित खातों से सत्यापित किया, और दूसरे प्रकरण में, करदाता ने 2018-19 में राशि का भुगतान किया है। सहायक दस्तावेजों के अभाव में इन दोनों प्रकरणों में विभाग की कार्रवाई सही होने को लेखापरीक्षा सत्यापित नहीं कर सकी। |
| **2** | **आरसीएम के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी में बेमेल (कर के भुगतान के साथ):** जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1 (डी) के आंकड़ो, जिसमें रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति का विवरण शामिल है, की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका में ली गयी आरसीएम आईटीसी के साथ की गयी थी। 6सी+6डी+6एफ। **(परिशिष्ट 2.14)** | **4** | **3** | **0.28** | लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) सभी चार प्रकरणों[36] में एएसएमटी-10 जारी किया गया था। |
| **3** | **जीएसटीआर-2ए (जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए) में उपलब्ध पात्र आईटीसी की तुलना में जीएसटीआर-9 (तालिका 8डी) में आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल:** यह जाँचने के लिए कि क्या करदाता ने सभी समायोजन के बाद पात्र आईटीसी से अधिक का लाभ उठाया है। जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी के बीच के अंतर को पकड़ती है और बाद की अवधि के समायोजन पर विचार करने के बाद जीएसटीआर-9 के अनुसार लाभ उठाया जाता है। **(परिशिष्ट 2.15)** | **24** | **16** | **46.83** | लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023), विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि 19 प्रकरणों में एएसएमटी-10 जारी किया गया है, दो प्रकरणों[37] में कार्रवाई चल रही है।<br><br>एक प्रकरण[38] में विभाग ने कहा कि जाँच की गयी है और संतुष्टि के बाद कोई मांग जारी नहीं की गयी है। उत्तर में बताए गए तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है।<br><br>एक अन्य प्रकरण[39] में यह कहा गया था कि करदाता ने अतिरिक्त आपूर्ति और आपूर्तिकर्ता स्पष्टीकरण के चालान प्रस्तुत किए और सीबीआईसी के परिपत्र संख्या. 183/15/2022 |

35 उज्जैन-3 एवं विदिशा।

36 इंदौर-2, इंदौर-3 एवं इंदौर-11 (2 प्रकरण)।

37 देवास (1 प्रकरण) एवं झाबुआ (1 प्रकरण)।

38 नीमच।

39 कटनी-2।

| स. क्र. | मापदंड | प्रकरणों की संख्या | वृत्त कार्यालयों की संख्या | बेमेल की राशि | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | दिनांक 27-12-2022, को देखते हुए करदाता का उत्तर स्वीकार्य था। उत्तर में बताए गए तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है।<br><br>शेष एक प्रकरण[40] में विभाग ने कहा कि करदाता के रिकॉर्ड केवल एमपीजीएसटी अधिनियम की निर्दिष्ट धारा के अंतर्गत कार्यवाही के दौरान मांगे जा सकते हैं। |
| **4** | **ईसीएल में आईटीसी एवं वार्षिक विवरणी में घोषित की तुलना में बेमेल:** दावा किया गया आईटीसी जीएसटीआर-3बी के माध्यम से करदाता के ईसीएल में जमा हो जाता है। जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए, जो तालिका 3बी में प्राप्त आईटीसी का कुल योग है, ऑटो पॉपुलेट है। तालिका 6बी से 6एच के माध्यम से, करदाता इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के रूप में प्राप्त आईटीसी का विभाजन प्रदान करता है। जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे वास्तव में 3बीएस के माध्यम से लिए गए आईटीसी एवं तालिका 6बी से 6एच में दर्ज आईटीसी के अंतर को बताती है। 6जे में एक नकारात्मक आंकड़ा आईटीसी के अतिरिक्त लाभ का संकेत है। **(परिशिष्ट 2.16)** | **13** | **10** | **5.56** | लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023), विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि पाँच प्रकरणों[41] में एएसएमटी-10 जारी किया गया है, चार प्रकरणों[42] में कार्रवाई चल रही है।<br><br>एक प्रकरण[43] में विभाग ने सूचित किया कि उत्तर पहले ही भेजा जा चुका है।<br><br>लेखापरीक्षा में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।<br><br>दो प्रकरणों[44] में यह उत्तर दिया गया कि इन प्रकरणों में कार्यवाही जीएसटी खुफिया, जबलपुर द्वारा की जा रही है। उत्तर में बताए गए तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है।<br><br>शेष एक प्रकरण[45] में यह कहा गया था कि सभी रिटर्न ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आईटीसी का अधिक लाभ उठाने पर कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था। |
| 5 | **वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच आईटीसी का बेमेल (तालिका 12एफ, 14टी और जीएसटीआर-9सी के 14एस):** वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच ली गयी आईटीसी में बेमेल की पहचान करना। फॉर्म 9सी की | 15 | 11 | 61.70 | लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023), विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि 9 प्रकरणों में एएसएमटी-10 जारी किया गया है, तीन प्रकरणों[46] में कार्रवाई |

40 भोपाल-6।
41 भोपाल-4, ग्वालियर-1, इंदौर-10 (2 प्रकरण) एवं कटनी-1।
42 भोपाल-1, छिन्दवाड़ा-2, कटनी-1 एवं टीकमगढ़।
43 पीथमपुर।
44 दमोह।
45 विदिशा।
46 भोपाल-3, ग्वालियर-1 एवं इंदौर-8।

| स. क्र. | मापदंड | प्रकरणों की संख्या | वृत्त कार्यालयों की संख्या | बेमेल की राशि | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| | तालिका 12एफ वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 के बीच और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में घोषित मिलान नहीं किये गए आईटीसी को कैप्चर करती है। जीएसटीआर-9सी की तालिका 14 टी इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं या सेवाओं पर किए गए खर्चों की तुलना करती है और तालिका 14 टी में अपात्रता, अवरुद्ध क्रेडिट के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाले किसी भी आधिक्य पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा, जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किए गए आईटीसी और जीएसटीआर-9सी) में घोषित के बीच के अंतर अगर कोई हो की जाँच करने के लिए (14एस) **(परिशिष्ट 2.17)**। | | | | चल रही है, दो प्रकरणों[47] में नोटिस जारी किए गए हैं। शेष एक प्रकरण[48] में विभाग ने कहा कि इस कार्यालय में अपेक्षित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं और उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है |
| 6 | **कर योग्य और छूट/शून्य आपूर्ति के लिए सामान्य इनपुट के बदले जीएसटीआर-9 में आईटीसी प्रत्यावर्तन का बेमेल:** यदि कोई छूट ली गयी है और जीएसटीआर-9 के 7सी या 7एच में कोई संबंधित प्रत्यावर्तन/रिवर्सल कम प्रत्यावर्तन /रिवर्सल नहीं है तो यह विस्तृत जाँच के लिए के लिए रेड फ्लैग्स होगा। **(परिशिष्ट 2.18)** | 6 | 5 | 30.95 | लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि चार प्रकरणों[49] में एएसएमटी-10 जारी किया गया है, और दो प्रकरणों[50] में कार्रवाई चल रही है। |
| 7 | **कर योग्य और छूट/शून्य आपूर्ति के लिए सामान्य इनपुट के बदले पूंजीगत वस्तुओं के लिए जीएसटीआर-9 में आईटीसी रिवर्सल का बेमेल:** यदि कोई छूट ली गयी है और 7डी में कोई संबंधित रिवर्सल नहीं है तो यह विस्तृत जाँच के लिए के लिए रेड फ्लैग होगा। **(परिशिष्ट 2.19)** | 4 | 4 | 3.08 | लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि दो प्रकरणों[51] में एएसएमटी-10 जारी किया गया है, और दो प्रकरणों[52] में कार्रवाई चल रही है। |
| **योग** | | **108** | | **224.65** | |

### 2.6.3.4 कर देयता के निर्वहन से संबंधित बेमेल

जीएसटी के प्रकरण में कर योग्य घटना वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है। एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 चार्जिंग धारा है जो मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर और प्रत्येक अधिनियम, यानी सीजीएसटी अधिनियम और एमपीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 20 प्रतिशत

47 भोपाल-6 एवं छिन्दवाड़ा-1।

48 भोपाल-1।

49 इंदौर-8, कटनी-1 एवं मंडीदीप।

50 भोपाल-1 एवं जबलपुर-4।

51 जबलपुर-1 एवं मंडीदीप।

52 छिन्दवाड़ा-2 एवं इंदौर-8।

से अधिक नहीं होने वाली ऐसी दरों पर वस्तु या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह को अधिकृत करता है। आईजीएसटी की धारा 5 में केंद्र शासन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर 40 प्रतिशत की अधिकतम दर के साथ एकीकृत जीएसटी की लेवी और संग्रह निहित है।

वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के अंतर्गत, ऐसे सामानों या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्य और राज्य के अंदर आपूर्ति पर एक उपकर लगाया जाता है, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे तंबाकू उत्पाद, वातित पेय, सिगरेट, वाहन आदि। एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) और 9(4) और एकीकृत जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) और 5(4) में कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर कर के रिवर्स चार्ज लगाने का प्रावधान है, जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

कर देनदारियों के निर्वहन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों और बेमेल पर नीचे चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के लिए करदाताओं द्वारा दायर जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-9 विवरणियों की जाँच की और विवरणियों में प्रस्तुत कर देयता की तुलना करके कर देयता के निर्वहन में बेमेल देखा। लेखापरीक्षा इन बेमेल की विस्तार से जाँच नहीं कर सकी क्योंकि विभाग द्वारा प्रासंगिक मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे। बेमेल का विवरण **तालिका 2.9** में दिया गया है।

**तालिका 2.9: कर देयता के निर्वहन से संबंधित बेमेल**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | मापदंड | प्रकरणों की संख्या | वृत्त कार्यालयों की संख्या | बेमेल की राशि | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी या जीएसटीआर-9 के बीच देय कर का बेमेल:** जीएसटीआर-1 की कर देयता जीएसटीआर-3बी या जीएसटीआर-9 **(परिशिष्ट 2.20)** में घोषित कर देयता से मेल नहीं खा रही हो। | 23 | 17 | 4.22 | लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि 12 प्रकरणों में एएसएमटी-10 जारी किया गया है, 6 प्रकरणों में कार्रवाई चल रही है, चार प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए हैं। शेष एक प्रकरण[53] में यह कहा गया था कि करदाता ने डीआरसी-03 द्वारा कर देयता के अंतर को जमा कर दिया है। लेखापरीक्षा इसे सत्यापित नहीं कर सकी क्योंकि उत्तर में बताए गए तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किए गये है। |
| 2 | **जीएसटीआर-9 या जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान के संदर्भ में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-9 में से अधिक कर देयता की तुलना करने पर अदेय कर देयता:** वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-1 और | 37 | 26 | 20.69 | लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि 16 प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किया गया है, आठ प्रकरणों में कार्रवाई चल रही है, एक प्रकरण[54] में डीआरसी-07 जारी किया गया। |

[53] भोपाल-6।

[54] छिन्दवाड़ा-1।

| स. क्र. | मापदंड | प्रकरणों की संख्या | वृत्त कार्यालयों की संख्या | बेमेल की राशि | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| | जीएसटीआर-9 में कर भुगतान के संदर्भ में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-9 की कर देयता में से अधिक की तुलना करने पर अनर्जित कर देयता और इन विवरणियों में देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 या जीएसटीआर-3 बी में भुगतान किए गए और घोषित कर से की गई। जहाँ जीएसटीआर-9 दायर नहीं किया गया है, जीएसटीआर-1 में देय कर, जीएसटीआर-3बी से अधिक नहीं होना चाहिए। तालिका 3.1 (ए+बी)। **(परिशिष्ट 2.21)** | | | | दो प्रकरणों[55] में विभाग ने सूचित किया कि करदाताओं ने डीआरसी-03/चालान के माध्यम से कर देयता की कम/अंतर राशि जमा कर दी है। उत्तर में बताए गए तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है।<br><br>तीन प्रकरणों[56] में यह कहा गया था कि सूचना बीओ वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। विभाग ने उठाए गए आपत्तियों पर कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।<br><br>तीन प्रकरणों[57] में विभाग ने कहा कि डीआरसी 01 और डीआरसी 01 ए जारी किया गया। उत्तर में बताए गए तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है।<br><br>एक प्रकरण[58] में विभाग ने सूचित किया कि डीजी, जीएसटी इंटेलिजेंस, जबलपुर में कार्रवाई चल रही है। दोहरी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने केवल करदाता के उत्तर को बिना जाँच के अग्रेषित किया।<br><br>एक अन्य प्रकरण[59] में यह सूचित किया गया था कि करदाता द्वारा दायर विभिन्न विवरणी/रिटर्न जीएसटी पोर्टल पर परिलक्षित होते हैं और कार्यालय में पोर्टल पर अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। बैक ऑफिस एप्लिकेशन में उपलब्ध जानकारी को देखने के लिए लेखापरीक्षा तक पहुंच प्रदान की गयी थी। आयुक्त सीटीडी परिपत्र संख्या 245 दिनांक 15 दिसंबर 2022 को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जा सकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित आपत्ति पर कार्रवाई करनी होती है और उसे लेखापरीक्षा को सूचित करना होता है। |

55 भोपाल-4 एवं भोपाल-6।

56 भोपाल-1, भोपाल-5 एवं उज्जैन-3।

57 नर्मदापुरम, जबलपुर-4 एवं कटनी-2।

58 दमोह।

59 विदिशा।

| स. क्र. | मापदंड | प्रकरणों की संख्या | वृत्त कार्यालयों की संख्या | बेमेल की राशि | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | एक प्रकरण[60] में यह कहा गया था कि प्रारंभिक जाँच में बीओ पोर्टल से निकाले गए विवरणी डाटा में कोई मेल नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि जीएसटीएन से प्राप्त डाटा में डेबिट नोट प्रविष्टियां दिखाई गयी थीं, जिन पर कोई कर भुगतान नहीं किया गया था। शेष एक प्रकरण[61] में विभाग ने सूचित किया कि मामले/प्रकरण की जाँच की गयी है और संतोषजनक उत्तर के बाद कोई मांग नहीं की गयी है। उत्तर में बताए गए तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है। |
| 3 | **जीएसटीआर-9सी में घोषित असमेकित कर भुगतान:** जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में घोषित कर भुगतान के बीच पुनर्मिलन को दर्शाती है **(परिशिष्ट 2.22)**। | 8 | 8 | 4.40 | लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2022 से फरवरी 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि चार प्रकरणों[62] में एएसएमटी-10 जारी किया गया है, एक प्रकरण[63] में कार्रवाई चल रही है, एक प्रकरण[64] में डीआरसी 03 के माध्यम से भुगतान किया गया है। एक प्रकरण[65] में विभाग ने उत्तर दिया कि करदाता ने वर्ष 2017-18 में आईटीसी के नकद और समायोजन के माध्यम से कर का भुगतान किया है। विभाग ने असमेकित आईटीसी पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। एक अन्य प्रकरण[66] में यह कहा गया था कि करदाता ने अगले वर्ष 2018-19 में आपत्ति राशि का भुगतान किया है। उत्तर में बताए गए तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है। |
| **योग** | | **68** | | **29.31** | |

### 2.6.3.4.1 जीएसटीआर-9सी और वित्तीय विवरण में अंतर के परिणामस्वरूप ₹ 10.63 लाख के कम कर की वसूली हुई

60 भोपाल-6।

61 नीमच।

62 भोपाल-5, इंदौर-३, इंदौर-10 एवं जबलपुर-4।

63 उज्जैन-1।

64 भोपाल-4।

65 कटनी-2।

66 विदिशा।

एक करदाता मेसर्स एमडीपी इंफ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जिसका जीएसटीएन 23AAHCM7589G1Z3 है, वृत्त-1, ग्वालियर से संबंधित है, यह देखा गया कि, जीएसटीआर-9सी के अनुसार सकल प्राप्तियाँ (जावक आपूर्ति का मूल्य) ₹ 35.99 करोड़ थी और करदाता ने भी तदनुसार कर की गणना और भुगतान किया।

लेकिन जीएसटीआर-9सी के साथ संलग्न लेखापरीक्षित ट्रेडिंग, लाभ और हानि खाते में उल्लिखित जावक आपूर्ति का मूल्य ₹ 36.58 करोड़ था। इस प्रकार, जावक आपूर्ति में ₹ 59.08 लाख की राशि का अंतर था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.63 लाख (₹ 59.08 लाख @ 18 प्रतिशत) की राशि के कम कर का भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर (फरवरी 2023) डीसी राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-1, ग्वालियर ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि विवरणी की जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

विभाग इस प्रतिवेदन में लाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए कालातीत होने से पहले उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

### 2.6.4 निष्कर्ष

जीएसटी भुगतान और विवरणी फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर अनुपालन लेखापरीक्षा विवरणी फाइलिंग की अलग-अलग प्रवृत्ति और निरंतर डाटा विसंगतियों के संदर्भ में किया गया था, जिसका उद्देश्य विवरणी फाइलिंग और कर भुगतान, अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय निरीक्षण की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

यह अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डाटा विश्लेषण पर आधारित था, जिसमें जोखिम क्षेत्रों, रेड फ्लैग और कुछ प्रकरणों में, 2017-18 के लिए दायर जीएसटी विवरणियों में नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया। अनुपालन लेखापरीक्षा ने दो स्तरों पर राज्य क्षेत्राधिकार संरचना के निरीक्षण कार्यों का आकलन करना शामिल था- वैश्विक डाटा प्रश्नों के माध्यम से डाटा स्तर पर और कार्यात्मक स्तर पर वृत्तों और जीएसटी विवरणियों दोनों की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ, जिसमें करदाता के रिकॉर्ड को जाँचना शामिल था।

10 वृत्तों के कार्यों की समीक्षा से पता चला कि वृत्तों के निरीक्षण कार्यों में कमियाँ थीं जैसे कि विवरणियों के दाखिल होने की निगरानी, करदाता अनुपालन, डीजीआरएएम रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई और पंजीकरण निरस्त करना।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा पहचानी गयी 395 उच्च मूल्य डाटा विसंगतियों में से विभाग ने 390 प्रकरणों का जवाब दिया। इनमें से 30.51 प्रतिशत के 119 प्रकरण आईटीसी/कर देयता/ ₹ 2,700.36 करोड़ के टर्नओवर के बेमेल के साथ अनुपालन कमियों के रूप में सामने आए। आईटीसी लाभ, टर्नओवर घोषणा, कर भुगतान आदि में बेमेल कमियों की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गयी। विभाग ने विसंगतियों के पाँच प्रकरणों का जवाब नहीं दिया है, जिसमें ₹ 16.98 करोड़ के बेमेल की पहचान की गयी है।

जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा ने भी महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन का होना पाया गया। सबसे पहले, आवश्यक रिकॉर्ड जैसे वित्तीय विवरण, और अनुपूरक वित्तीय लेजर, चालान, अनुबंध प्रतियां आदि जैसे मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये, जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमा को दर्शाता था। ये प्रकरण आईटीसी लाभ और कर भुगतान में पहचान किए गए बेमेल के प्रति संभावित जोखिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। 75 प्रकरणों में से जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से लेखापरीक्षण किए गए थे, लेखापरीक्षा ने 201 अनुपालन कमियों को देखा जिसमें ₹ 254.10 करोड़ की राशि बेमेल थी।

एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से, विभाग को विवरणियों के दाखिल करने के लिए, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, पंजीकरण रद्द करने और चूककर्ताओं से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए वृत्तों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

### 2.6.5 अनुशंसाएँ

विभाग-

- प्रकरणों के कालातीत होने से पहले वर्ष 2017-18 और 2018-19 के विवरणी की समयबद्ध तरीके से जाँच सुनिश्चित करें।
- अदेय कर देनदारियों की जाँच के लिए पंजीकरण निरस्तीकरण की निगरानी की स्थिति की और उस पर की गयी कार्रवाई अधिनियम प्रावधानों के अनुरूप करें।
- डाटा प्रविष्टि त्रुटियों को रोकने के लिए जीएसटी पोर्टल में पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण डालने, करदाताओं के अनुपालन को बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा के लिए जीएसटी परिषद के साथ मामले को उठाएं।
- इस प्रतिवेदन में लाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करें, इससे पहले कि वे कालातीत हों।

# अध्याय III

# वाणिज्यिक कर विभाग

# (राज्य आबकारी)

# अध्याय III
# वाणिज्यिक कर विभाग (राज्य आबकारी)

## "आबकारी विभाग द्वारा आबकारी शुल्क का निर्धारण, आरोपण तथा संग्रहण" पर अनुपालन लेखापरीक्षा


***सारांश***

राज्य आबकारी मध्य प्रदेश शासन की कर प्राप्तियों के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। फरवरी 2022 से अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान कुल 26 जिला आबकारी कार्यालयों एवं एक शीर्ष इकाई अर्थात् आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर को लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया।

लेखापरीक्षा में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के निम्नलिखित प्रकरण पाए गए:

- *लाइसेंस के आवंटन के समय आवेदक की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए प्रावधान न होना;*
- *उन बैंक गारंटियों को स्वीकार करना जो अधिकृत लाइसेंसियों के नाम पर नहीं थीं एवं बैंक गारंटियों का सत्यापन न किया जाना;*
- *प्रतिभूति जमा की अनियमित वापसी;*
- *मदिरा के स्टॉक के दुर्विनियोजन के कारण राजस्व की हानि;*
- *देशी मदिरा के भांडागारों और बॉटलिंग इकाइयों में न्यूनतम स्टॉक न रखने पर शास्ति आरोपित न किया जाना;*
- *2020-21 में सरेंडर किये गये लाइसेंसों की बकाया वसूली; और*
- *प्रतिभूति जमा के विरुद्ध मुद्रांक शुल्क कम जमा किया जाना।*

***गैर-अनुपालन के इन उदाहरणों और अन्य प्रेक्षणों के 2,569 प्रकरणों में कुल ₹ 756.14 करोड़ का समग्र प्रभाव सम्मिलित था।***


## 3.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, शासन स्तर पर राज्य आबकारी विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। विभाग का नेतृत्व आबकारी आयुक्त (आब.आयु.) द्वारा किया जाता है, जिन्हें मुख्यालय ग्वालियर पर तीन अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी (अति.आयु.आब.), तीन उपायुक्त, आबकारी (उप.आयु.आब.), संभागों में आठ उपायुक्त, आबकारी, संभागीय उड़न दस्ते और जिलों में 18 सहायक आयुक्त, आबकारी (सहा.आयु.आब.) और 61 जिला आबकारी अधिकारियों (जिला आब.अधि.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिला कलेक्टर जिले में आबकारी प्रशासन का प्रमुख होता है और मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों की फुटकर बिक्री के लिए दुकानों का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत है और आबकारी राजस्व के संग्रहण के लिए भी उत्तरदायी होता है।

## 3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

राज्य आबकारी मध्य प्रदेश शासन की कर प्राप्तियों के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। पिछले पाँच वर्षों की राज्य आबकारी से प्राप्तियों की प्रवृत्ति को निम्न **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है:

**चार्ट 3.1: वर्ष 2017-2022 के दौरान विभाग की प्राप्तियाँ**

**(₹ करोड़ में)**

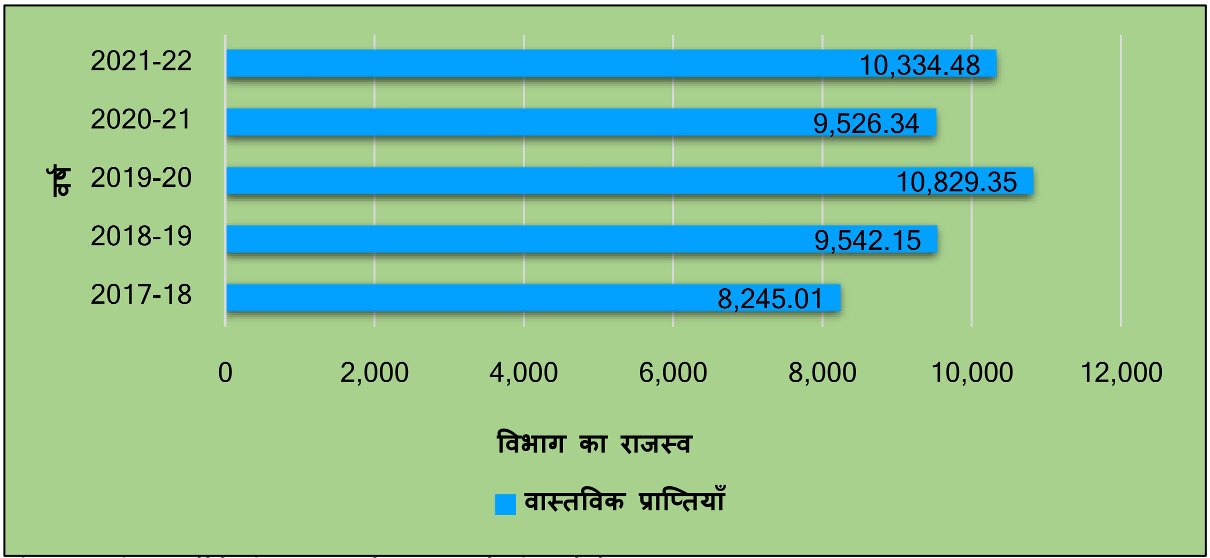


**स्रोत**: प्रासंगिक वर्षों के लिए मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे

उपरोक्त चार्ट इंगित करता है कि विभाग की राजस्व प्राप्तियों में 2018-19 में 15.73 प्रतिशत और फिर 2019-20 में 13.49 प्रतिशत की निरन्तर वृद्धि हुई। हालांकि, विभाग की राजस्व प्राप्तियों में 2020-21 में मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी की वजह से मदिरा की बिक्री में कमी के कारण 12.03 प्रतिशत की गिरावट आई। इसमें पुनः 2021-22 में 8.48 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से "देशी मदिरा" और "अन्य प्राप्तियों" में वृद्धि के कारण हुई। कुल मिलाकर, 2017-22 के दौरान राज्य आबकारी से प्राप्तियों में 25.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

## 3.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

आबकारी आयुक्त के कार्यालय में एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आं.ले.शा.) कार्यरत है। संयुक्त संचालक, आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के प्रमुख हैं एवं मध्य प्रदेश कोषागार और लेखा अधिकारी की सहायता से विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछले तीन वर्षों (2019-22) के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा कोई महत्वपूर्ण आपत्ति नहीं ली गई। आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का विवरण निम्न **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है

**तालिका 3.1: विभाग द्वारा किये गए आंतरिक लेखापरीक्षण**

| स. क्र. | वर्ष | रोस्टर के अनुसार किये जाने वाले लेखापरीक्षणों की निर्धारित संख्या | किये गए वास्तविक लेखापरीक्षण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | 50 | 48 |
| 2 | 2020-21 | 50 | 39 |
| 3 | 2021-22 | 51 | 51 |

तीन वर्ष की अवधि के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 138 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किये गए, हालाँकि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के पास इसके पश्चात् प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदनों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े नहीं थे। इसके अतिरिक्त, इन प्रतिवेदनों में जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों और उन टिप्पणियों की संख्या जिनके संबंध में अनुपालन प्राप्त किया गया, से संबन्धित आंकड़े भी आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में उपलब्ध नहीं थे। इससे यह संकेत मिलता है कि आं.ले.शा. द्वारा किए गए लेखापरीक्षा महज औपचारिकता थे और उनसे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आं.ले.शा. द्वारा उठाए गए अवलोकनों के अनुपालन के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयास दिखाई नहीं दे रहे थे और आं.ले.शा. लेखापरीक्षा के बाद की प्रगति की निगरानी करने में भी विफल रहा।

लेखापरीक्षा ने आं.ले.शा. द्वारा जारी टिप्पणियों की संख्या और लेखापरीक्षा की गयी शाखाओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदनों का विवरण मांगा था। आं.ले.शा. द्वारा जारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों और इसके अनुपालन पर विस्तृत जानकारी प्रतीक्षित थी (मार्च 2024)।

## 3.4 लेखापरीक्षा परिणाम

फरवरी 2022 से अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान विभाग के 52 में से कुल 26 जिला आबकारी कार्यालयों तथा एक शीर्ष इकाई अर्थात् आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर को लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा में 2,569 प्रकरणों में ₹ 756.14 करोड़ के राजस्व हानि और अन्य प्रेक्षणों को इंगित किया गया, जैसा कि निम्न **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है:

**तालिका 3.2: लेखापरीक्षा परिणाम**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्रकृति | आपत्तियों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | लाइसेंस आवंटन के दौरान आवेदक की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने का कोई प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप शासन को राजस्व की हानि | 2 | 9.58 |
| 2 | उन बैंक गारंटियों को स्वीकार करना जो प्राधिकृत लाइसेंसियों के नाम पर नहीं थी और बैंक गारंटियों का सत्यापन न होना | 2 | 0.15 |
| 3 | प्रतिभूति जमा की अनियमित वापसी | 1 | 3.63 |
| 4 | मदिरा के स्टॉक के दुर्विनियोजन के कारण राजस्व की हानि | 6 | 1.69 |
| 5 | मदिरा का न्यूनतम स्टॉक न रखे जाने पर शास्ति आरोपित न किया जाना/ पट्टा विलेख का निष्पादन न किया जाना/ अधिरोपित शास्ति की वसूली न किया जाना | 2,457 | 0.00[1] |
| 6 | मदिरा की फुटकर दुकानों के निष्पादन हेतु नई आबकारी नीति से उत्पन्न मुद्दे | 17 | 471.38 |
| 7 | 2020-21 में सरेंडर किए गए लाइसेंसों की लंबित वसूली | 26 | 269.69[2] |
| 8 | प्रतिभूति जमा राशि के विरुद्ध मुद्रांक शुल्क की राशि कम जमा होना | 58 | 0.02 |
| **योग** | | **2,569** | **756.14** |

[1] कंडिका 3.5.6.3, 3.5.6.4, 3.5.6.5 और 3.5.6.8 विवेकाधीन प्रकृति की होने के कारण इनमें उल्लिखित शास्ति राशियों को राशि की गणना के लिए नहीं लिया गया है।

[2] ₹ 9.58 करोड़ मूल्य का एक प्रकरण पहले से ही क्रम संख्या 1 में सम्मिलित है।

## 3.5 राज्य आबकारी विभाग द्वारा आबकारी शुल्क के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण पर अनुपालन लेखापरीक्षा

### 3.5.1 परिचय

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र. आबकारी अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत राज्य आबकारी शुल्क में मदिरा एवं भांग के उत्पादन, उपार्जन एवं विक्रय से प्राप्त राजस्व सम्मिलित है। म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत, "मदिरा" का अर्थ है एक मादक पदार्थ, जिसमें स्पिरिट, मदिरा, ताड़ी[3], बीयर, अल्कोहल युक्त सभी पदार्थ, या राज्य शासन द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदार्थ सम्मिलित है।

मध्य प्रदेश में, आबकारी विभाग मध्य प्रदेश राज्य आबकारी अधिनियम, 1915 के तहत बनाए गए डिस्टिलरी नियम/देशी शराब नियम/विदेशी शराब नियम/ब्रूवरी नियम के अनुसार पात्र आवेदकों को राज्य में शराब के निर्माण/बोतलबंदी और आपूर्ति के लिए लाइसेंस जारी करता है। शराब की खुदरा बिक्री के लिए, विभाग नवीनीकरण/लॉटरी/ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंस जारी करता है। आईएमएफ़एल /बीयर/वाइन का निर्माण डिस्टिलरी/बॉटलिंग प्लान/ब्रूवरी/वाइनरी में किया जाता है, जिसे बाद में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति के लिए सरकारी बॉन्डेड वेयरहाउस में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो या तो 'ऑन' (होटल/बार/रेस्तरां) या 'ऑफ़' (खुदरा आईएमएफ़एल/बियर/वाइन दुकानें) हो सकते हैं।

### 3.5.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि राज्य आबकारी विभाग द्वारा आबकारी शुल्क का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया था या नहीं।

### 3.5.3 लेखापरीक्षा मानदंड

राज्य आबकारी राजस्व निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और अधिसूचनाओं के तहत संग्रहीत किया जाता है। राज्य आबकारी विभाग की लेखापरीक्षा इन्ही मानदंडों के आधार पर की गयी थी:

- मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915;
- मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995;
- मध्य प्रदेश देशी मदिरा नियम, 1995;
- मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996;
- मध्य प्रदेश यवासवनी तथा मद्य नियम, 2002;
- मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता 1984;
- मध्य प्रदेश कोषागार संहिता 2020; एवं
- मध्य प्रदेश शासन/ आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश, परिपत्र और अधिसूचनाएं।

[3] ताड़ के पेड़ों के रस से बनी देशी मदिरा।

## 3.5.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के दौरान विभाग की 52 जिला इकाईयों में से कुल 26 जिला इकाइयों एवं एक शीर्ष इकाई अर्थात आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर की लेखापरीक्षा फरवरी 2022 से अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान की गयी। इकाइयों का चयन राजस्व प्राप्तियों के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान 2019-2020 से 2021-2022 की अवधि के लिए आबकारी शुल्क के निर्धारण, आरोपण और संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई। मई 2023 में विभाग के साथ एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था।

## लेखापरीक्षा प्रेक्षण

लेखापरीक्षा में राशि ₹ 756.14 करोड़ की प्रणालीगत कमियां और अधिनियमों/ नियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना पाया गया, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

## 3.5.5 प्रणालीगत कमियां

### 3.5.5.1 लाइसेंस के आवंटन के दौरान आवेदक की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने का कोई प्रावधान न होना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता (एमपीएफसी) के नियम 21(7) के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली निविदा का चयन करते समय अन्य सभी प्रासंगिक कारकों के अतिरिक्त व्यक्तियों और फर्मों की वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

खुदरा शराब दुकानों की ई-टेंडरिंग प्रक्रिया की जांच से पता चला कि विभाग के पास बोली के चरण में बोलीदाताओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार में पाया गया कि एक व्यक्ति को बदनावर[4] एवं गंधवानी[5] में मदिरा की फुटकर बिक्री का लाइसेंस आवंटित (अप्रैल 2020) किया गया था। बदनावर समूह की ई-टेंडर बोली ₹ 22.04 करोड़ और गंधवानी समूह की बोली ₹ 27.82 करोड़ थी, कुल मिलाकर बोली ₹ 49.86 करोड़ थी, और इसे जिला समिति[6] द्वारा स्वीकार कर लिया गया (अप्रैल 2020)।

आगे यह देखा गया कि बदनावर समूह एवं गंधवानी समूह के लाइसेंसी द्वारा 45 दिनों की निर्धारित अवधि के अन्दर प्रतिभूति राशि जमा करने में विफल रहने के कारण, कलेक्टर, धार द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिए गए (जून 2020) और लाइसेंसी के विरुद्ध ₹ 9.58 करोड़ (बदनावर ₹ 1.27 करोड़ + गंधवानी ₹ 8.31 करोड़) की वसूली राशि की गणना की गई क्योंकि निविदाओं में जोखिम और लागत का उपनियम सम्मिलित था और तदनुसार लाइसेंसी के विरुद्ध ₹ 9.58 करोड़ की राशि का राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आर.आर.सी.) जारी किया गया (जनवरी 2021) तथा लाइसेंसी का पता झाँसी का होने के कारण प्रकरण वसूली हेतु जिला कलेक्टर, झाँसी को अग्रेषित किया गया। हालाँकि, जिला कलेक्टर, झाँसी ने आरआरसी इस टीप के साथ धार को वापस कर दिया कि चूँकि जिले में लाइसेंसी के नाम पर कोई चल/ अचल संपत्ति नहीं थी; इसलिए वसूली नहीं हो सकी।

---

[4] लाइसेंस बदनावर समूह लाइसेंस (डीएचआर/एफ-5) के तहत आवंटित किया गया था।

[5] लाइसेंस गंधवानी समूह लाइसेंस (डीएचआर/एफ-10) के तहत आवंटित किया गया था।

[6] शराब दुकान लाइसेंसों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार जिला समिति में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला पंचायत) और जिला आबकारी अधिकारी शामिल होते हैं।

उपरोक्त सभी तथ्य दर्शाते हैं कि एमपीएफसी के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंसी ₹ 49.86 करोड़ का आबकारी लाइसेंस लेने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नहीं था। इस प्रकार, तकनीकी बोलियों को मंजूरी देते समय लाइसेंसधारियों की वित्तीय क्षमता को सत्यापित करने के लिए एमपीएफसी के प्रावधानों के तहत उचित जांच न किए जाने के कारण सरकार को ₹9.58 करोड़ का नुकसान हुआ। उल्लेखनीय है कि इसी अवधि के दौरान लाइसेंसधारी ने कुल ₹3.76 करोड़[7] का कारोबार किया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2022) विभाग ने कहा (मई 2023) कि वित्तीय सुदृढ़ता की जाँच के लिए कोई भी मानदंड तय करने से नए प्रतिभागियों की संख्या में कमी आएगी और प्रतिस्पर्धा में बाधा आएगी। इससे शासन के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जाँच स्थापित करनी चाहिए थी ताकि शासन के हितों की रक्षा हो सके और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य को लाइसेंसियों की पृष्ठभूमि जाँच से बचने के बहाने के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके। लाइसेंस देने से पहले बुनियादी जाँच करने के प्रति विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के कारण इस सीमा तक राजस्व की हानि हुई।

### 3.5.5.2 बैंक गारंटियों की स्वीकृति जो अधिकृत लाइसेंसियों के नाम पर नहीं थी और बैंक गारंटियों का सत्यापन न होना

राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 77 दिनांक 25 फरवरी 2020 का खण्ड 10.1.5 उल्लेख करता है कि प्रस्तुत बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद तभी स्वीकार की जाएगी जब यह नवीनीकरण/ लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से चयनित आवेदक/सफल निविदाकर्ता (व्यक्ति/साझेदारी फर्म/ कंपनी/संघ) के नाम पर जारी की गयी हो। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर (संबंधित जिला आबकारी कार्यालयों के माध्यम से) बैंक गारंटी का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

जिला आब. अधि., नर्मदापुरम के कार्यालय द्वारा संधारित प्रतिभूति जमा से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ₹ 18.39 करोड़ राशि की 19 लाइसेंसियों से संबंधित बैंक गारंटी संबंधित कार्यालय द्वारा सत्यापित नहीं की गई थीं। बैंक सत्यापन विवरण में बैंक गारंटी धारकों के नाम जैसे विवरण का उल्लेख नहीं किया गया था जिसके कारण बैंक गारंटी की वैधता और वास्तविकता लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा ने दो बैंक गारंटी की जाँच की और पाया कि:

- एक बैंक गारंटी (संख्या 2990ILG000818) राशि ₹ 11,12,400 की श्री रविन्द्र सिंह अर्थात लाइसेंसी के नाम पर प्रस्तुत की गई थी। संबंधित बैंक के साथ बैंक गारंटी के सत्यापन से पता चला कि बैंक गारंटी वास्तव में श्री बद्री प्रसाद जायसवाल के नाम पर जारी की गई थी।
- एक बैंक गारंटी (संख्या 2990ILG000517) राशि ₹ 4,00,360 की श्री राहुल जायसवाल, अर्थात लाइसेंसी के नाम पर प्रस्तुत की गई थी। संबंधित बैंक के साथ बैंक गारंटी के सत्यापन से पता चला कि बैंक गारंटी वास्तव में सुश्री प्रियंका जायसवाल के नाम पर जारी की गई थी।

इस प्रकार, दोनों मामलों में लाइसेंसधारियों ने गलत बीजी प्रस्तुत की। इसे स्वीकार करने से यह संकेत मिलता है कि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी बीजी का अनिवार्य सत्यापन करने में विफल रहे।

---

[7] बदनावर ₹ 2.06 करोड़ + गंधवानी ₹ 1.70 करोड़

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2022) विभाग ने कहा (मई 2023) कि दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2024)।

**यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग लाइसेंसियों द्वारा प्रस्तुत सभी बैंक गारंटी की सत्यता की जाँच करे तथा गलत बैंक गारंटी प्रस्तुत करने वाले गलत लाइसेंसियों के विरुद्ध कार्यवाही करे। शासन संबंधित बैंकों को गलत बैंक गारंटी के लिए नवीनीकरण/ अवधि विस्तार प्रमाण-पत्र जारी करने वाले बैंक अधिकारियों की भूमिका की जाँच करने के लिए भी लिख सकता है।**

## 3.5.6 अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना

### 3.5.6.1 प्रतिभूति जमा की अनियमित वापसी

एमपीएफसी के नियम 7 के अनुसार, यह देखना संबंधित राजस्व या प्रशासनिक विभाग का कर्तव्य है कि शासन की बकाया राशि का सही और त्वरित मूल्यांकन, संग्रहण और नियमित रूप से राजकोष में भुगतान किया जाए। राजस्व संग्रहण का उचित लेखा-जोखा रखना चाहिए, कुल मांग के विरुद्ध संग्रहण की प्रगति पर नजर रखनी चाहिए और सभी बकाया राशियों के संग्रहण के लिए तत्परता से कार्यवाही करें।

वाणिज्यिक कर विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी 25 फरवरी 2020 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 77 के अनुसार, एक विशेष अवधि के दौरान मदिरा की दुकानों के लाइसेंस के लिए एक कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति राशि को किसी अन्य कंसोर्टियम (मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में) द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए जब्त किया जा सकता है, यदि दूसरे कंसोर्टियम में कोई आवेदक पहले कंसोर्टियम का सदस्य हो।

जिला आब. अधि., रीवा की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2020-21 के लिए रीवा जिले के अंतर्गत सभी 77 मदिरा दुकानों (51 देशी मदिरा दुकानों और 26 विदेशी मदिरा दुकानों) का एकल समूह लाइसेंस मैसर्स गोपाल एसोसिएट्स, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (10 भागीदारों का एक कंसोर्टियम) को आवंटित किया गया था। प्रतिभूति जमा राशि और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण कंसोर्टियम का समूह लाइसेंस रद्द कर दिया गया था (जून 2020) और तदनुसार, जिला आब. अधि., रीवा ने कंसोर्टियम से वसूल की जाने वाली ₹ 51.38 करोड़ की राशि की गणना की (जनवरी 2021)। तत्पश्चात् जिला आब. अधि., रीवा ने कंसोर्टियम के विरुद्ध आरआरसी जारी करते हुए राज्य आबकारी विभाग के समस्त जिला आबकारी कार्यालयों को चूककर्ता फर्म/ कंसोर्टियम एवं उसके 10 भागीदारों के विरूद्ध ₹ 51.38 करोड़ की वसूली हेतु पत्र लिखा (मई 2021)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मैसर्स गोपाल एसोसिएट्स का एक भागीदार[8], एक अन्य कंसोर्टियम (मैसर्स वाइन ट्रेडर्स, ग्वालियर) में भी भागीदार था, जिसे वर्ष 2020-21 के लिए मुरैना जिले में मदिरा दुकानों को संचालित करने का लाइसेंस मिला था। लाइसेंस के संचालन के लिए मेसर्स वाइन ट्रेडर्स ने ₹ 3.63 करोड[9] की दो बैंक गारंटी जिला आब. अधि., मुरैना को प्रस्तुत की थीं।

[8] श्री निकुंज शिवहरे।

[9] ₹ 3.35 करोड़ वैधता: 30 अप्रैल 2022, ₹ 27.76 लाख वैधता: 30 जून 2021।

जिला आब. अधि., रीवा द्वारा मैसर्स गोपाल एसोसिएट्स से बकाया राशि की वसूली के संबंध में जिला आब. अधि., मुरैना को सूचित[10] किया गया था और वह इस तथ्य[11] से भी अवगत थे कि चूककर्ता (डिफॉल्टिंग) कंसोर्टियम में एक भागीदार (मैसर्स गोपाल एसोसिएट्स) मेसर्स वाइन ट्रेडर्स का भी भागीदार था, जो उनके जिले में संचालन कर रहा था। इसके बावजूद जिला आब. अधि., मुरैना ने ₹ 3.63 करोड़ की बैंक गारंटी राशि को जब्त करने के बजाय उसे कंसोर्टियम द्वारा देय आबकारी शुल्क के विरुद्ध समायोजित (मार्च 2022) किया।

इस प्रकार, जिला आबकारी अधिकारी, मुरैना की अनियमित कार्यवाही के परिणामस्वरूप 3.63 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली नहीं हो सकी, जो राजस्व की हानि थी, क्योंकि चूककर्ता कंसोर्टियम (मेसर्स गोपाल एसोसिएट्स) ने राज्य में सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी थीं, इसलिए कंसोर्टियम से बकाया राशि की वसूली की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2022) विभाग ने कहा (मई 2023) कि लाइसेंसी को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण बैंक गारंटी को समायोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, जिला आब. अधि., रीवा के बकाया के पक्ष में बैंक गारंटी को जब्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि जिला आब. अधि. मुरैना के पास लाइसेंसी की बैंक गारंटी का प्रथम अधिकार था और मुरैना जिले की न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क में कमी की वसूली लाइसेंसी की बैंक गारंटी से की जानी थी जो जिला आब. अधि., मुरैना द्वारा प्राथमिकता के आधार पर की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिला आब. अधि., मुरैना द्वारा दी गई जानकारी से यह स्पष्ट है कि बैंक गारंटी राशि को लाइसेंस अवधि (मार्च 2022) के अंतिम माह के प्रथम पक्ष के लिए देय आबकारी शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया गया था और जिला आब. अधि., रीवा ने जिला आब. अधि., मुरैना को वसूली के संबंध में लाइसेंस अवधि के प्रारंभ (जून 2021) में ही सूचित कर दिया था। इसका तात्पर्य यह है कि लाइसेंसी की ओर से कोई न्यूनतम प्रत्याभूत शुल्क बकाया नहीं था। इसके अतिरिक्त जिला आब. अधि., रीवा ने जनवरी 2021 में लाइसेंसधारी के खिलाफ वसूली की गणना की और लाइसेंसधारी को वसूली की गणना के बाद से चार महीने की देरी के बाद मई 2021 में न्यायालय से स्थगन आदेश मिला।

आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 3.5.6.2 देशी मदिरा के भांडागारों और बॉटलिंग इकाइयों में न्यूनतम स्टॉक न रखने पर शास्ति आरोपित न किया जाना

देशी मदिरा नियम, 1995 के नियम 4(4) के अनुसार, प्रत्येक बॉटलिंग संयंत्र लाइसेंसी को पिछले माह में औसत खपत/ आपूर्ति के आधार पर पाँच दिनों (बोतलबंद मदिरा के लिए) और सात दिनों (स्प्रिट के लिए) का देशी मदिरा का बोतलबंद और स्प्रिट दोनों के रूप में न्यूनतम स्कन्ध बनाए रखना होगा। भांडागारों के प्रकरण में, लाइसेंसी पिछले माह के औसत खपत/ आपूर्ति के आधार पर पाँच दिनों के बराबर बोतलबंद देशी मदिरा का न्यूनतम स्कन्ध बनाए रखेगा। पूर्वोक्त नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, अधिकतम ₹ दो लाख की शास्ति आरोपित की जा सकती हैं।

---

[10] पत्र दिनांक 09 मई 2021 के माध्यम से और पुनः स्मरण पत्र दिनांक 28 जून 2021 के माध्यम से।

[11] जैसा कि जिला आब. आधि., मुरैना द्वारा जिला आब. आधि., रीवा को लिखे गए उत्तर से स्पष्ट है कि उन्हें पता था कि श्री निकुंज शिवहरे मुरैना में संचालन कर रहे कंसोर्टियम में सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 जिलों[12] में 40 देशी मदिरा भांडागारों और सात बॉटलिंग संयंत्रों ने देशी मदिरा नियम, 1995 के तहत निर्धारित न्यूनतम स्टॉक नहीं रखा। न्यूनतम स्टॉक नहीं रखने पर निर्धारित शास्ति आरोपणीय थी। लेकिन आबकारी अधिकारियों द्वारा स्टॉक की निगरानी न करने और निर्धारित उचित कार्यवाही करने में विफलता के कारण शास्ति आरोपित नहीं की गई।

यह इंगित किये जाने पर (मार्च 2022 से अक्टूबर 2022) विभाग ने कहा (मई 2023) कि शास्ति आरोपित करना और उसकी वसूली एक सतत प्रक्रिया है। यह स्वीकार किया गया कि शास्ति के वास्तविक आरोपण और उद्ग्रहण, यदि कोई है तो लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 3.5.6.3 मदिरा भांडागार भवन के पट्टा विलेख का निष्पादन न होने पर शास्ति का आरोपण न किया जाना

मध्य प्रदेश देशी मदिरा नियम, 1995 के नियम 4(2)(क) के अनुसार यदि भण्डागार भवन राज्य शासन के स्वामित्व में है तो लाइसेंसी अपने द्वारा उपयोग किये जाने वाले भवन या भवनों का आवश्यक किराया देने के लिये बाध्य होगा जैसा कि राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा उचित नियम एवं शर्तों पर निर्धारित किया गया है, और लाइसेंस प्रदान करने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में पट्टा विलेख भी निष्पादित करेगा। पूर्वोक्त नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, ₹ दो लाख की अधिकतम शास्ति आरोपित की जा सकती है और निरंतर उल्लंघन की स्थिति में, प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम ₹ 1,000 की अतिरिक्त शास्ति आरोपित की जा सकती है जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पाँच जिलों के अंतर्गत 11 मदिरा भांडागारों के संबंध में, लाइसेंसी शासकीय भवनों में भांडागार संचालित होने के बावजूद शासन के साथ पट्टा विलेख निष्पादित करने में विफल रहे। पट्टा विलेखों का निष्पादन न करने के लिए अधिकतम ₹ 1.64 करोड़ की शास्ति आरोपणीय थी परंतु आरोपित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त पट्टा विलेखों का निष्पादन न करने के कारण, ऐसे विलेखों पर लागू मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं हुई।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2022 से अक्टूबर 2022), विभाग ने उत्तर दिया (मई 2023) कि इस संबंध में लोक निर्माण विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि जिला आब. अधि. को पट्टा विलेख के पंजीकरण प्रावधानों का अनुपालन करने के निर्देश दिये जायेंगे और वसूली का विवरण लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 3.5.6.4 मदिरा की फुटकर दुकानों के निष्पादन हेतु नई आबकारी नीति से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

मध्य प्रदेश शासन ने 25 फरवरी 2020 को नई आबकारी नीति लागू की, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रभावी होनी थी। नीति में मदिरा की फुटकर दुकानों के लाइसेंस के लिए नए प्रावधान प्रस्तुत किए गए।
नई आबकारी नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 16 जिलों के संबंध में सभी मौजूदा फुटकर लाइसेंस रद्द किए जाने थे और उनकी जगह कंसोर्टियम आधारित समूह लाइसेंस जारी किए जाने थे।

[12] छतरपुर और ग्वालियर सहित 20 जिलों में से चार जिलों से संबंधित सात बॉटलिंग प्लांट।

- चार जिलों (भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर) के संबंध में दो समूह होंगे जो सभी फुटकर लाइसेंसों का प्रबंधन करेंगे, जबकि अन्य 12 जिलों (बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, देवास, कटनी, खंडवा, मुरैना, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिंगरौली और उज्जैन) के संबंध में एक ही कंसोर्टियम सभी फुटकर लाइसेंसों का प्रबंधन करेगा। इसलिए प्रभावी रूप से, 20 कंसोर्टियम-आधारित लाइसेंस जारी किए जाने थे।
- कंसोर्टियम का चयन शासन द्वारा प्रत्येक जिले के लिए निर्धारित न्यूनतम आधार मूल्य के अलावा ई-नीलामी के आधार पर किया जाना था।

20 लाइसेंसों के लिए ई-नीलामी मार्च 2020 में की गई थी। विवरण निम्न **तालिका 3.3** में दिया गया है:

**तालिका 3.3: ई-नीलामी के आधार पर लाइसेंसियों का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | लाइसेंस का नाम | ई-नीलामी की तिथि | बोली लगाने वालों की संख्या/नाम | सफल कंसोर्टियम का नाम | कुल धनराशि | जमा धनराशि | आवंटित दुकानों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पुराना भोपाल | मार्च 2020 | 02 (संगम इंटरप्राइजेज और एल्कोएक्टिव रिटेल ट्रेडर्स) | संगम इंटरप्राइजेज, भोपाल | 491.82 | 24.59 | 61 |
| 2 | नया भोपाल | मार्च 2020 | 02 (संगम इंटरप्राइजेज और एल्कोएक्टिव रिटेल ट्रेडर्स) | अल्कोएक्टिव रिटेल ट्रेडर्स भोपाल | 397.46 | 19.87 | 31 |
| 3 | जबलपुर उत्तर | मार्च 2020 | 01 (माँ वैष्णो इंटरप्राइजेज) | माँ वैष्णो इंटरप्राइजेज, जबलपुर | 593.34 | 42.49 | 73 |
| 4 | जबलपुर दक्षिण | मार्च 2020 | 01 (माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज) | माँ वैष्णो इंटरप्राइजेज, जबलपुर | | 0 | 71 |
| 5 | इंदौर ए | मार्च 2020 | 02 (इंदौर लिकर्स गैलरी एलएलपी और एल्कोएक्टिव रिटेल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड) | इंदौर लिकर्स गैलरी एलएलपी, इंदौर | 1,165.66 | 32.16 | 80 |
| 6 | इंदौर बी | मार्च 2020 | 02 (इंदौर लिकर्स गैलरी एलएलपी और एल्कोएक्टिव रिटेल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड) | इंदौर लिकर्स गैलरी एलएलपी इंदौर | | 26.11 | 95 |
| 7 | ग्वालियर पूर्व | मार्च 2020 | 01 (ग्वालियर वाइन्स) | ग्वालियर वाइन्स, ग्वालियर | 195.45 | 13.52 | 54 |
| 8 | ग्वालियर पश्चिम | मार्च 2020 | 01 (ग्वालियर वाइन्स) | ग्वालियर वाइन्स, ग्वालियर | 197.60 | 12.87 | 59 |
| 9 | रतलाम | मार्च 2020 | 03 (माँ चामुंडा इंटरप्राइजेज, पी एन ग्रुप और पटेल बीयर प्राइवेट लिमिटेड) | माँ चामुंडा इंटरप्राइजेज, इंदौर | 218.00 | 202.88 | 99 |
| 10 | रीवा | मार्च 2020 | 05 (आशी ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड, गोपाल एसोसिएट्स, श्री कृष ट्रेडर्स, मंडोरी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, एस एस एसोसिएट्स) | गोपाल एसोसिएट्स, बिलासपुर | 251.62 | 16.96 | 77 |

| स. क्र. | लाइसेंस का नाम | ई-नीलामी की तिथि | बोली लगाने वालों की संख्या/नाम | सफल कंसोर्टियम का नाम | कुल धनराशि | जमा धनराशि | आवंटित दुकानों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | खंडवा | मार्च 2020 | 02 (लखन जायसवाल और वी वी पी सेल्स) | लखन जायसवाल, खरगोन | 172.29 | 11.46 | 74 |
| 12 | मुरैना | मार्च 2020 | 01 (वाइन ट्रेडर्स) | वाइन ट्रेडर्स, ग्वालियर | 159.66 | 162.32 | 59 |
| 13 | छिन्दवाड़ा | मार्च 2020 | 02 (मेसर्स सुंदरम ट्रेडर्स पार्टनर श्री उज्जवल सिंह चौहान पुत्र श्री दशरथ सिंह चौहान और श्री प्रवीण चौहान पुत्र श्री दशरथ सिंह चौहान) | सुंदरम ट्रेडर्स, छिंदवाड़ा | 294.07 | 17.18 | 117 |
| 14 | कटनी | मार्च 2020 | 02 (भगवती इंटरप्राइजेज और पटेल बीयर प्राइवेट लिमिटेड संचालक श्री निकुंज शिवहरे) | भगवती इंटरप्राइजेज, जबलपुर | 230.76 | 232.87 | 63 |
| 15 | उज्जैन | मार्च 2020 | 01 मेसर्स महाकाली ट्रेडर्स पार्टनर श्री सत्यनारायण जायसवाल | महाकाली ट्रेडर्स, उज्जैन | 438.53 | 23.99 | 141 |
| 16 | बुरहानपुर | मार्च 2020 | 05 (श्री राजेश सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह ठाकुर, माँ चामुंडा इंटरप्राइजेज, मूनराइज रिटेल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, अंकित सेल्स पार्टनर और श्री ऋषि पुत्र श्री रमेश चंद राय) | राजेश सिंह ठाकुर, बुरहानपुर | 104.35 | 6.86 | 44 |
| 17 | देवास | मार्च 2020 | 01 (मेसर्स वाइन वर्ल्ड पार्टनर श्री आशीष पांडे) | मेसर्स वाइन वर्ल्ड, लखनऊ | 239.51 | 55.12 | 95 |
| 18 | सिंगरौली | मार्च 2020 | 02 (शिवा वाइन्स और मालवा वाइन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) | मालवा वाइन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर | 114.97 | 7.53 | 47 |
| 19 | सागर | मार्च 2020 | 02 (शिवांश डेवलपर्स और टीकाराम कोरी एंड कंपनी) | टीकाराम कोरी एंड कंपनी, सागर | 409.12 | 51.26 | 104 |
| 20 | सतना | मार्च 2020 | 02 (मेसर्स पांडे एसोसिएट्स और रायसेन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड) | मेसर्स पांडे एसोसिएट्स, बिलासपुर | 290.62 | 20.59 | 71 |
| योग | | | | | **5,964.83** | | |

लेखापरीक्षा ने आबकारी नीति की समीक्षा की और इससे उत्पन्न मुद्दों को नीचे वर्णित किया गया है:

- ई-नीलामी की प्रक्रिया में सात प्रकरणों में एकल बोलीदाता, 10 प्रकरणों में दो बोलीदाताओं, एक प्रकरण में तीन बोलीदाताओं और दो प्रकरणों में पाँच बोलीदाताओं शामिल हुए। आगे यह पाया गया कि दो समान बोलीदाताओं ने भोपाल में दोनों समूहों के लाइसेंस के लिए नीलामी में भाग लिया (**ऊपर तालिका 3.3 की स. क्र. 1 और 2**) और दोनों को एक-एक समूह का लाइसेंस मिला। ऐसी स्थिति में बोली प्रक्रिया में गुटबाजी और हेरफेर की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

- शासन ने बोली प्रक्रिया के लिए कोई मानदंड तय नहीं किया न ही बोलीदाताओं के पूर्ववृत्त को सत्यापित किया। यह पाया गया कि कई बोलीदाताओं ने अन्य व्यक्तियों के नाम पर बैंक गारंटी प्रस्तुत की (संदर्भ कंडिका 3.5.5.2)। कम से कम तीन प्रकरणों[13] बोली लगाने वाले दूसरे राज्यों से थे, जिनका राज्य में कोई निश्चित पता या अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं थीं। मध्य प्रदेश सरकार ने इन लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में बाहरी लाइसेंसधारियों से सरकारी राजस्व वसूलने के लिए कोई तौर-तरीके निर्धारित नहीं किए।

- समूह-आधारित लाइसेंस शुरू करने की मांग करने वाली आबकारी नीति बिना किसी व्यवहार्यता विश्लेषण के पेश की गई प्रतीत होती है, जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि 17 मामलों[14] में लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने नीति शुरू होने के चार महीने के भीतर (06 जून 2020) शराब की दुकानों को विभागीय रूप से संचालित करने का फैसला किया और अंततः 21 जनवरी 2022 को, यानी नीति शुरू होने के 11 महीने बाद, व्यक्तिगत खुदरा लाइसेंस की पुरानी व्यवस्था पर वापस लौट आई।

- 17 लाइसेंसियों में से, 11 लाइसेंसियों[15] ने लाइसेंस संचालित करने और सर्वव्यापी प्रेरित प्रतिबंधों के कारण लाइसेंस का भुगतान करने में असमर्थता का हवाला देते हुए आबकारी नीति को रद्द करने और उनके द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति जमा राशि की वापसी की मांग के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया (जुलाई 2020)। शेष छ: लाइसेंसियों के प्रकरण में विभाग वसूली की कार्यवाही कर रहा है। लाइसेंस रद्द करने के बाद विभाग द्वारा इन लाइसेंसियों के संबंध में गणना की गई ₹ 241.50 करोड़ की खिसारा (वसूली) राशि बिना भुगतान के ही रह गयी (मार्च 2023)।

नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन और उसके चार माह के भीतर निरस्तीकरण के कारण ₹ 471.38 करोड़ का राजस्व अभी भी प्राप्त नहीं हो सका है।

यह इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2022) विभाग ने कहा (मई 2023) कि कोविड प्रतिबंधों के कारण फुटकर मदिरा की दुकानें बहुत अधिक रुकावटों के साथ संचालित हुईं और परिणामस्वरूप कई लाइसेंस सरेंडर कर दिए गए और दुकानें विभागीय रूप से संचालित की गईं। यह भी कहा गया कि नई आबकारी नीति को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था और दुकानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 18 जिलों में कोविड संबंधी प्रतिबंधों के बावजूद पुरानी व्यवस्था से लाइसेंस संचालित करने वाले लाइसेंसियों ने सम्पूर्ण शासकीय धनराशि जमा कर अपनी लाइसेंस अवधि पूरी की थी। इसके अतिरिक्त, राहत के तौर पर शासन ने पहले ही कोविड से संबंधित प्रतिबंधों के कारण लाइसेंसियों की फुटकर मदिरा की दुकानों के बंद रहने की

[13] देवास, रीवा और सतना।

[14] बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर पश्चिम, इंदौर ए, इंदौर बी, जबलपुर उत्तर, जबलपुर दक्षिण, खंडवा, न्यू भोपाल, पुराना भोपाल, रीवा, सागर, सतना, सिंगरौली और उज्जैन।

[15] बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर पश्चिम, जबलपुर उत्तर, जबलपुर दक्षिण, नया भोपाल, पुराना भोपाल, रीवा और सिंगरौली।

अवधि के लिए ड्यूटी और लाइसेंस फीस में आनुपातिक छूट दी थी। इससे पता चलता है कि समूह लाइसेंसधारियों के पास खुदरा शराब की दुकानें चलाने के लिए न तो वित्तीय क्षमता थी और न ही साधन।

आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 3.5.6.5 मदिरा के स्टॉक के कम लेखा जोखा रखने से राजस्व की हानि

एमपीएफसी के नियम 25 के अनुसार, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी अपनी लापरवाही या धोखाधड़ी के कारण शासन को होने वाली किसी भी हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 25 फरवरी 2020 को नई आबकारी नीति पेश की, जिसके तहत 52 जिलों में से 16 में पूर्व निर्धारित राशि (ई-बोली के माध्यम से प्राप्त) के भुगतान पर कंसोर्टियम आधारित समूह लाइसेंस जारी किए गए। शेष 36 जिलों में पुरानी आबकारी नीति जारी रही, जिसमें व्यक्तिगत खुदरा लाइसेंस संचालित होते रहे।

नई आबकारी नीति वाले 13 (16 जिलों में से) जिलों और पुरानी आबकारी नीति वाले 18 (36 जिलों में से) जिलों में, लाइसेंसधारी, चाहे कंसोर्टियम आधारित हों या व्यक्तिगत, नई आबकारी नीति में परिकल्पित सुरक्षा जमा का भुगतान करने और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहे। नतीजतन, आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश ने चार महीने के अंतराल के बाद, इन सभी 31 जिलों में कंसोर्टियम आधारित समूह लाइसेंस/व्यक्तिगत लाइसेंस रद्द कर दिए तदनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारियों को 08 जून 2020 तक सभी शराब की दुकानों में शराब के स्टॉक को अपने कब्जे में लेने के निर्देश दिए गए।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि तीन जिलों (बैतूल, सिंगरौली एवं रीवा) में आबकारी उप-निरीक्षकों (ईएसआई) ने छ: फुटकर दुकानों के संबंध में जब्त विदेशी एवं देशी मदिरा का पंचनामा (09 जून 2020) तैयार किया (विवरण **तालिका 3.4** में) और संबन्धित जिला आब. अधि. को उचित कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया। पंचनामा के अनुसार दुकानों में उपलब्ध मदिरा की बोतलों का कुल स्टॉक 1,05,268 था। हालांकि सहायक जिला आबकारी अधिकारियों (सहा. जिला आब. अधि.) ने अपने स्टॉक रजिस्टर (फुटकर दुकानों में रखें) में मात्र 14,042 बोतलों का वास्तविक स्टॉक दर्ज किया। सहा. जिला आब. अधि. ने न तो जिला आब. अधि. के संज्ञान में इस विसंगति को लाया और जिला आब. अधि. भी ईएसआई या सहा. जिला आब. अधि. से स्टॉक विवरण मांगने में विफल रहे।

इस प्रकार, ईएसआई/ सहा. जिला आब. अधि. ने शराब की 91,226 बोतलें छिपा लीं, तथा संबंधित जिला आब. अधि. द्वारा शराब के स्टॉक का सत्यापन/हिसाब रखने के लिए कोई कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप 1.69 करोड़ रुपये के राजस्व का कम लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया।

विवरण निम्न **तालिका 3.4** में उल्लिखित है:

**तालिका 3.4: मदिरा स्टॉक का कम लेखांकन**

| जिला कार्यालय का नाम | दुकान का नाम | पंचनामा के अनुसार जब्त मदिरा की बोतलों की संख्या | दुकान के अभिलेखों के अनुसार बोतलों की संख्या | बोतलों की संख्या जिनका जो कम लेखांकन किया गया | कम लेखांकित बोतलों की राशि मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला आब. अधि., बैतूल | प्रताप वार्ड बैतूल | 36,900 | 0 | 36,900 | 90,05,780 |
| | बैतूल गंज बैतूल | 23,767 | 911 | 22,856 | 46,54,190 |
| जिला आब. अधि., सिंगरौली | विंध्य नगर | 26,391 | 7,410 | 18,981 | 23,57,440 |
| | सरस्वाह | 5,378 | 0 | 5,378 | 3,20,640 |

| जिला कार्यालय का नाम | दुकान का नाम | पंचनामा के अनुसार जब्त मदिरा की बोतलों की संख्या | दुकान के अभिलेखों के अनुसार बोतलों की संख्या | बोतलों की संख्या जिनका जो कम लेखांकन किया गया | कम लेखांकित बोतलों की राशि मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| | (देशी मदिरा) | | | | |
| | सिम्प्लेक्स (देशी मदिरा) | 6,717 | 0 | 6,717 | 3,71,060 |
| जिला आब. अधि., रीवा | समान नाका | 6,115 | 5,721 | 394 | 1,69,010 |
| योग | | **1,05,268** | **14,042** | **91,226** | **1,68,78,120** |

यह इंगित किये जाने पर (मई 2022 से सितंबर 2022 तक), विभाग ने कहा (मई 2023) कि वह मामले की विस्तृत जाँच कर रहा है।

आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

**अनुशंसा: मध्य प्रदेश सरकार जांच कर सकती है और संबंधित ईएसआई/ सहा.जिला आब. अधि. पर इस चूक के लिए जिम्मेदारी तय कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का कम लेखा-जोखा है। इसके अलावा, सरकार सभी 31 जिलों (जहां कंसोर्टियम-आधारित या व्यक्तिगत लाइसेंस बाद में विभागीय रूप से संचालित किए गए थे) में शराब के स्टॉक के लेखा-जोखा की भी जांच कर सकती है।**

### 3.5.6.6 2020-21 में सरेंडर किए गए लाइसेंसों के लिए लंबित वसूली

एमपीएफसी के नियम 7 के अनुसार, यह देखना संबंधित राजस्व विभाग का कर्तव्य है कि शासन को देय राशि का सही और तुरंत मूल्यांकन, संग्रह और नियमित रूप से कोषागार में भुगतान किया जाए।

आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा विभाग के पास लंबित वसूली से संबंधित उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करने पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ₹ 10,729.52 करोड़ के 329 फुटकर लाइसेंस आवंटित किए गए थे। इन 329 लाइसेंसों में से 38 लाइसेंसियों ने मदिरा दुकानों को चलाने में असमर्थता जताई और अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। परिणामस्वरूप, राज्य आबकारी विभाग ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए और ₹ 1,605.59 करोड़ के प्रारम्भिक मूल्य के विरुद्ध ₹ 1,064.50 करोड़ के अन्य लाइसेंसियों को लाइसेंस जारी/ पुर्नआवंटित कर दिए।

शासन ने ₹ 293.25 करोड़ की राशि की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की (जून 2020), जिसमें से ₹ 13.98 करोड़ की राशि वसूली गई और ₹ 279.27 करोड़ अप्राप्त रह गए (मार्च 2024)।

इसके अतिरिक्त, ₹ 279.27 करोड़ में से:

- दो प्रकरणों में लाइसेंसियों की चल और अचल संपत्ति न होने के कारण ₹ 9.58 करोड़ (संदर्भ कंडिका 3.5.5.1) की वसूली नहीं की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की हानि हुई।
- 17 लाइसेंसियों से संबंधित ₹ 37.49 करोड़ की वसूली न्यायाधीन प्रकरणों के रूप में लम्बित है (मार्च 2024)।

- 11 प्रकरणों से संबंधित शेष ₹ 232.20 करोड़ के संबंध में, विभाग द्वारा कोई प्रगति दर्ज नहीं की गयी है और वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ होने के 43 महीने से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद वसूली के लिए की गई कोई भी कार्यवाही अभिलेखों में दर्ज नहीं पाई गई थी (मार्च 2024)।

यह इंगित किये जाने पर (सितंबर 2022), विभाग ने कहा (मई 2022) कि सभी संबंधित जिलों में वसूली प्रक्रिया चल रही है और चूंकि कई प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के अधीन हैं, अतः उन्हें न्यायालय के निर्णय के अनुसार निराकृत किया जाएगा। यह भी कहा गया कि वसूली का विवरण लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 3.5.6.7 आरोपित शास्ति राशि की वसूली न हो पाना

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 48 (क) के अनुसार सामान्य लाइसेंस के नियम व शर्तों या लाइसेंसियों द्वारा किसी भी नियम के उल्लंघन के प्रकरण पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकतम ₹ 0.10 लाख की शास्ति आरोपित की जा सकती है। यदि लाइसेंसी द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं की जाती है तो यह उसकी प्रतिभूति जमा राशि से वसूल की जानी चाहिए।

शास्ति के प्रकरणों की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि पाँच जिला आबकारी कार्यालयों ने वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक संबंधित 2,494 प्रकरणों में ₹ 0.26 करोड़ की शास्ति आरोपित की, जिसमें से केवल जिला आब. अधि., मुरैना ने 114 प्रकरणों में ₹ 1.37 लाख की वसूली की। शेष 2,380 प्रकरणों (95 प्रतिशत) में शास्ति की वसूली नहीं की जा सकी। विवरण नीचे **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.5: आरोपित शास्ति की वसूली न होना**

**(राशि ₹ में)**

| स. क्र. | जिले का नाम | वर्ष | प्रकरणों की संख्या | अधिरोपित शास्ति | लंबित प्रकरण | लंबित शास्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुरैना | 2020-21 | 394 | 4,73,480 | 280 | 3,36,630 |
| 2 | मुरैना | 2021-22 | 577 | 6,93,800 | 577 | 6,93,800 |
| 3 | ग्वालियर | 2021-22 | 31 | 40,200 | 31 | 40,200 |
| 4 | नीमच | 2021-22 | 182 | 2,19,600 | 182 | 2,19,600 |
| 5 | खरगोन | 2021-22 | 1,302 | 12,03,450 | 1,302 | 12,03,450 |
| 6 | अलीराजपुर | 2021-22 | 08 | 16,000 | 08 | 16,000 |
| **योग** | | | **2,494** | **26,46,530** | **2,380** | **25,09,680** |

लाइसेंसधारियों द्वारा जुर्माना जमा न करने के बावजूद, राज्य आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों की सुरक्षा जमा से जुर्माना समायोजित नहीं किया।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2022 से जून 2022), विभाग ने बताया (मई 2023) कि छः में से पाँच जिलों में राशि वसूल कर ली गई है। हालाँकि, केवल शेष अलीराजपुर जिले में, वसूली लंबित है क्योंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। यह बताया गया कि अलीराजपुर जिले के साथ-साथ इन पाँच जिलों में की गयी वसूली का विवरण लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

वसूली गई राशि (छः में से पाँच जिलों में, जैसा कि बताया गया है) की जानकारी नहीं दी गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 3.5.6.8 प्रतिभूति जमा के विरुद्ध मुद्रांक शुल्क कम जमा होना

राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2020 के खंड 10 के अनुसार, लाइसेंस की प्रतिभूति जमा की राशि के लिए बैंक गारंटी, जमा राशि के 0.25 प्रतिशत मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर तैयार कर प्रस्तुत की जानी थी जो कि अधिकतम ₹ 0.25 लाख तक हो सकती थी।

यह पाया गया कि 08 जिलों के अंतर्गत 58 प्रकरणों (16 नई बैंक गारंटी और 44 नवीनीकृत बैंक गारंटी[16]) में ₹ 32.30 करोड़ (7.43 करोड़ नई और 24.87 करोड़ नवीनीकृत के लिए) की प्रतिभूति राशि जमा की गई थी, जिस पर ₹ 2,12,442 का मुद्रांक शुल्क (₹ 1,68,442 नई और ₹ 44,000 नवीनीकृत के लिए) देय था। इसके विरुद्ध लाइसेंसियों ने मात्र ₹ 31,418 (₹ 30,218 नई और ₹ 1,200 नवीनीकृत के लिए) के मुद्रांक पत्र प्रस्तुत किये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,81,024 (₹ 1,38,224 नई और ₹ 42,800 नवीनीकृत के लिए) का मुद्रांक शुल्क कम जमा हुआ।

विवरण नीचे **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है:

**तालिका 3.6: मुद्रांक शुल्क का अनारोपन/कम आरोपण**

(राशि ₹ में)

| स. क्र. | जिले का नाम | प्रकरणों की संख्या | बैंक गारंटी की राशि | देय मुद्रांक शुल्क | मुद्रांक शुल्क भुगतान | कम भुगतान किया गया शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खरगोन | 3 | 2,67,93,701 | 21,672 | 5,718 | 15,954 |
| 2 | छिंदवाड़ा | 2 | 50,00,000 | 2,000 | 200 | 1,800 |
| 3 | उज्जैन | 1 | 1,00,00,000 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 4 | शिवपुरी | 4 | 5,11,99,170 | 4,000 | 0 | 4000 |
| 5 | अलीराजपुर | 7 | 2,32,32,000 | 49,445 | 25,000 | 24,445 |
| 6 | कटनी | 3 | 8,00,00,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 7 | नर्मदापुरम | 27 | 6,91,45,475 | 61,840 | 500 | 61,340 |
| 8 | रीवा | 11 | 5,76,57,010 | 45,485 | 0 | 45,485 |
| योग | | 58 | 32,30,27,356 | 2,12,442 | 31,418 | 1,81,024 |

यह इंगित किये जाने पर (मार्च 2022 से सितम्बर 2022), विभाग ने कहा (मई 2023) कि भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2022 को 15 सितंबर 2022 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि समान पक्षों के बीच और बैंक गारंटी की समान राशि के लिए ₹ 1,000 के स्टाम्प पेपर पर बैंक गारंटी का नवीनीकरण किया जा सकता है।

तथापि, तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए उपर्युक्त प्रकरण वे हैं जहाँ स्टाम्प ड्यूटी का या तो बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया था या मानदंडों के अनुसार कम भुगतान किया गया था या जहाँ लेखापरीक्षा को स्टाम्प पेपर[17] में संबंधित बैंक गारंटी संख्या का उल्लेख नहीं मिला था जिसे विभाग द्वारा ऐसे बैंक गारंटी के नवीकरण के समर्थन में प्रस्तुत किया गया था।

आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

16 खरगोन की 2 बैंक गारंटी बढ़ी हुई राशि के साथ नवीनीकृत हुई हैं अतः नयी और नवीनीकृत दोनों में ली गयी हैं।

17 ₹ 15.72 करोड़ की राशि की 10 बैंक गारंटी जिनमें ₹ 51,758 मूल्य के स्टाम्प शामिल हैं।

## 3.5.7 अन्य आपत्तियाँ

### 3.5.7.1 फुटकर लाइसेंस दुकानों द्वारा निरीक्षण पुस्तिका वापस नहीं करना

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 62 के तहत सामान्य लाइसेंस शर्तों के नियम 22 सहपठित नियम 23 में कहा गया है कि फुटकर लाइसेंस प्राप्त दुकानों में निरीक्षण पुस्तिका का संधारण किया जाना चाहिए और लाइसेंस अवधि समाप्त होने के पश्चात इसे संबंधित जिला आब. अधि. को वापस किया जाना चाहिए।

नमूना जाँच किये गये 26 जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लाइसेंसियों द्वारा फुटकर लाइसेंस प्राप्त दुकानों में संधारित निरीक्षण पुस्तिका उनकी लाइसेंस समाप्ति की अवधि पर संबंधित जिला आब. अधि. को वापस नहीं की गयी थीं। चूंकि निरीक्षण पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिसमें जिला आब. अधि. द्वारा दर्ज सभी टिप्पणियों के विवरण के साथ ही लाइसेंसियों द्वारा उनके लाइसेंस की अवधि के दौरान किए गए सभी अपराधों की सूची सम्मिलित रहती है, लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन महत्वपूर्ण अभिलेखों की अनुपस्थिति में आबकारी प्राधिकारियों ने लाइसेंसियों के निष्पादन की समीक्षा कैसे की।

यह इंगित किये जाने पर (मार्च 2022 से अक्टूबर 2022) विभाग ने कहा (मई 2023) कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 3.5.7.2 (अ) आसवकों/निर्माताओं को एक्स-डिस्टिलरी मूल्य की वापसी

मध्य प्रदेश कोषागार संहिता (एमपीटीसी) 2020 परिशिष्ट 3 सहपठित नियम 12(7), 73(1), सहायक नियम 111 एवं 253 के अनुसार बिल तैयार करने के लिए बिल के साथ समस्त अभिलेख/ विवरण संलग्न किया जायेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) बिल अग्रेषित करने से पहले संलग्न अभिलेखों की सत्यता की जाँच करेगा।

मध्य प्रदेश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, आसवक/ निर्माता शासन से एक्स-डिस्टिलरी मूल्य (ईडीपी)[18] का दावा तभी कर सकते हैं, जब फुटकर लाइसेंसी शासन को भुगतान करते हैं, जिसमें शासकीय शुल्क और ईडीपी सम्मिलित होता है। इस प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों को नीचे **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है:

18 एक्स-डिस्टिलरी मूल्य शासकीय शुल्कों को हटाकर निर्माताओं की लागत है।

**चार्ट 3.2: ईडीपी रिफंड प्राप्त करने में सम्मिलित चरण**

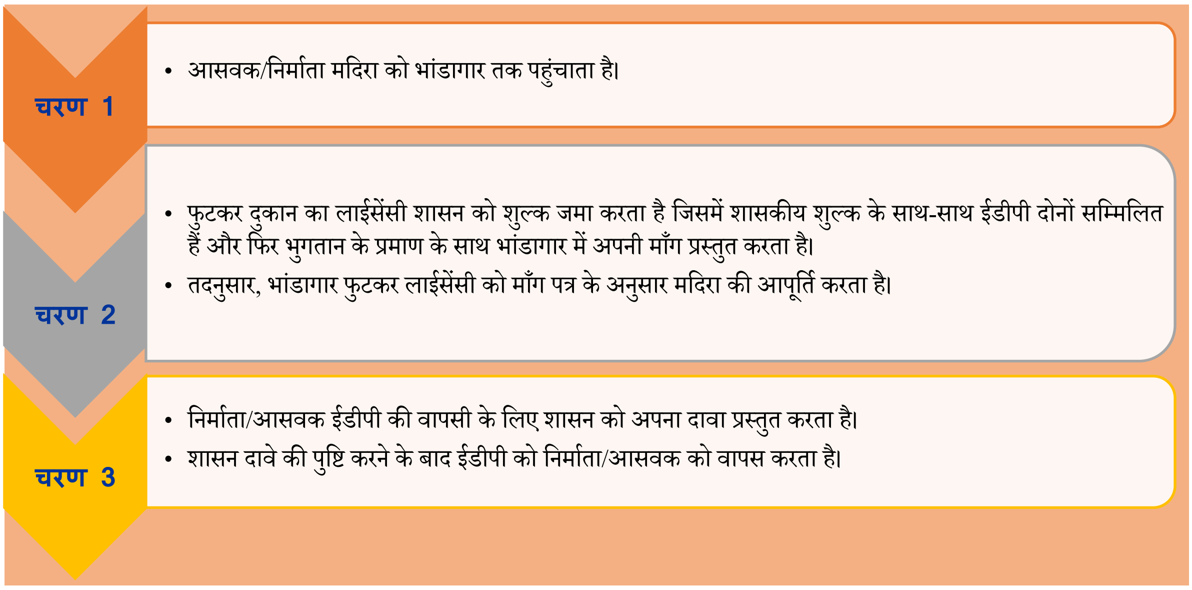


आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्माताओं/ आसवकों को मई 2019 और दिसंबर 2020 के माह[19] में कुल ₹ 358.01 करोड़ की राशि ईडीपी शुल्क के रूप में वापस की गई थी। वापसी वाऊचरों की जाँच में पाया गया किः

- ईडीपी के रिफ़ंड की माँग करने वाले निर्माताओं/ आसवकों द्वारा अग्रेषित किए गए दावे आबकारी आयुक्त के पास उपलब्ध नहीं थे।
- आबकारी आयुक्त द्वारा तैयार किए गए रिफ़ंड वाऊचरों में किसी भी विवरण या वापसी दावों को तैयार करने के आधार का उल्लेख नहीं किया गया था। रिफ़ंड वाऊचर में केवल प्रत्येक निर्माता/ आसवक को वापस की गई राशि का उल्लेख किया गया था।
- लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में इस तथ्य के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे कि ईडीपी जो रिफ़ंड की जा रही है, वास्तव में फुटकर लाइसेंसियों द्वारा मध्य प्रदेश शासन को भुगतान की गयी थी।
- जून 2019, सितंबर 2019, जुलाई 2020, नवंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021 और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की पूरी अवधि के बिल/ वाऊचर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

बिलों का विवरण (मई 2019 और दिसंबर 2020 के माह के लिए) नीचे **तालिका 3.7** में उल्लिखित हैः

**तालिका 3.7: साक्ष्य द्वारा असमर्थित रिफ़ंड का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | बिल क्र. | भुगतान की दिनांक | वापस की गयी ईडीपी राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 01 मई 2019 | 20.48 |
| 2 | 33 | 01 मई 2019 | 18.51 |
| 3 | 35 | 01 मई 2019 | 23.90 |
| 4 | 36 | 01 मई 2019 | 24.95 |
| 5 | 70 | 22 मई 2019 | 13.10 |

19 लेखापरीक्षा ने केवल दो चयनित माह के संबंध में भुगतान विवरण की जाँच की थी।

| स. क्र. | बिल क्र. | भुगतान की दिनांक | वापस की गयी ईडीपी राशि |
|---|---|---|---|
| 6 | 71 | 22 मई 2019 | 22.98 |
| 7 | 72 | 22 मई 2019 | 22.14 |
| 8 | 73 | 22 मई 2019 | 23.34 |
| 9 | 74 | 22 मई 2019 | 22.77 |
| 10 | 75 | 22 मई 2019 | 20.23 |
| 11 | 352 | 04 दिसंबर 2020 | 21.92 |
| 12 | 353 | 04 दिसंबर 2020 | 17.16 |
| 13 | 368 | 11 दिसंबर 2020 | 20.53 |
| 14 | 376 | 21 दिसंबर 2020 | 22.14 |
| 15 | 378 | 23 दिसंबर 2020 | 15.98 |
| 16 | 381 | 29 दिसंबर 2020 | 24.68 |
| 17 | 391 | 30 दिसंबर 2020 | 23.20 |
| **योग** | | | **358.01** |

आबकारी आयुक्त के पास किसी भी विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि वापसी के दावे वास्तविक थे और आबकारी आयुक्त कार्यालय ने निर्माताओं/ आसवकों को ईडीपी जारी करने से पहले इसे ठीक से सत्यापित किया था। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2019 और जून 2019 से मार्च 2022 (दिसंबर 2019 को छोड़कर) की अवधि के दौरान संसाधित किए गए रिफंड के अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने से ऐसे रिफंड की वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए लेखापरीक्षा में बाधा उत्पन्न हुई।

यह इंगित किये जाने पर (मार्च 2022 से अक्टूबर 2022) विभाग ने आश्वासन दिया (मई 2023) कि संबंधित वाऊचरों की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी जाएगी।

आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

**यह अनुशंसा की जाती है कि मध्य प्रदेश शासन यह सुनिश्चित करने के लिए सभी भुगतानों का सत्यापन करे कि संसाधित रिफंड वास्तविक थे। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान के समर्थन में सभी रिफ़ंड वाऊचर उचित अभिलेखों के साथ हों।**

### 3.5.7.2 (ब) बिलों के साथ मिलान पत्रक का संलग्न न होना

एमपीटीसी, 2010 के सहायक नियम 73 (1) के अनुसार, कोषागार में प्रस्तुत बिलों की एक प्रति कार्यालय प्रति के रूप में रखी जाएगी और नियमित अंतराल पर, जो कि एक महीने से अधिक नहीं होगा; कोषागार द्वारा पारित इलेक्ट्रानिक बिलों के मिलान की जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी।

लेखापरीक्षा ने पूर्व में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग, भिंड के भुगतान वाऊचरों का पीएचई विभाग द्वारा कोषागार से मिलान न करने के कारण अधिक भुगतान पर टिप्पणी[20] की थी।

यह पाया गया कि आबकारी विभाग ने निर्माताओं/ आसवकों को ईडीपी वापसी की मद में किए गए भुगतानों का कोषालय से मिलान नहीं किया।

[20] 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश शासन के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 4.1.3।

यह इंगित किये जाने पर (मार्च 2022 से अक्टूबर 2022) विभाग ने कहा (मई 2023) कि मिलान पत्रक संबंधित अनुभाग में तैयार किया जाता है और नोट शीट में मिलान पत्रक के अनुमोदन के बाद स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है। इसलिए देयक के साथ केवल स्वीकृति आदेश संलग्न किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मिलान पत्रक का न होना जोखिम उत्पन्न करता है और ऐसी स्थिति में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए अतिरिक्त रिफंड संसाधित हो सकते हैं।

आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

**यह अनुशंसा की जाती है कि आबकारी विभाग अपने विभागीय अभिलेखों के साथ कोषागार रसीद/भुगतान विवरणों के सख्त मिलान की प्रणाली लागू करे।**

## 3.5.8 निष्कर्ष

राज्य आबकारी विभाग की लेखापरीक्षा 26 चयनित कार्यालयों में निर्धारण अभिलेखों की नमूना-जाँच के माध्यम से की गई थी। संवीक्षा में भूल-चूक के कई दृष्टांत सामने आए जैसा कि पूर्वगामी कंडिकाओं में बताया गया है।

लाइसेंस आवंटन के समय लाइसेंसियों की वित्तीय स्थिति के आंकलन का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसी की बैंक गारंटी और अन्य जमाओं को स्वीकार करने और वापस करने के समय सत्यापन और मिलान की कोई स्थापित प्रणाली नहीं है। ऐसे विभिन्न उदाहरण देखे गए जहाँ संबंधित अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप शासन को राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई/ कम हुई और यहाँ तक कि राजस्व की हानि भी हुई। इन सभी कमियों का समग्र राजस्व प्रभाव ₹ 756.14 करोड़ था। (विवरण **तालिका 3.2** में )।

## 3.5.9 अनुशंसाएँ

विभाग/ शासन:

- लाइसेंस देने से पहले आवेदक की वित्तीय स्थिति की जांच सुनिश्चित करें।
- लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत सभी बैंक गारंटी की वास्तविकता की पुष्टि करें और गलत बैंक गारंटी प्रस्तुत करने वाले दोषी लाइसेंसधारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
- लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी की वास्तविकता की जांच करने के लिए एक प्रणाली लागू करें और लाइसेंसधारी सुरक्षा जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि कोई बकाया नहीं है।
- चूक के लिए संबंधित ईएसआई/एडीईओ पर जांच करें और जिम्मेदारी तय करें, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का दुरुपयोग हुआ। इसके अलावा, सरकार सभी 31 जिलों (जहां बाद में कंसोर्टियम-आधारित लाइसेंस विभागीय रूप से संचालित किए गए थे) में शराब के स्टॉक के लेखांकन की जांच भी कर सकती है।
- सुनिश्चित करें कि संबंधित अधिनियम/नियमों आदि के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उचित जुर्माना लगाया जाए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए सभी भुगतानों की जांच करें कि संसाधित किए गए रिफंड वास्तविक थे। विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि सभी रिफंड वाउचरों के साथ भुगतान के समर्थन में उचित रिकॉर्ड संलग्न हों तथा वह अपने विभागीय रिकॉर्ड के साथ ट्रेजरी रसीद/भुगतान विवरणों के मिलान की प्रणाली लागू कर सकता है।

# अध्याय IV
# खनिज साधन विभाग

# अध्याय IV
# खनिज साधन विभाग


***सारांश***

अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की अवधि के दौरान, खनिज साधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन की 55 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से कुल 26 इकाइयों (25 जिला खनन कार्यालय और कार्यालय संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म) को लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया था।

लेखापरीक्षा में 58 प्रकरणों में अनिवार्य भाटक/ रॉयल्टी की कम वसूली होने/ वसूली न होने, खनन योजना में निर्धारित सीमा से अधिक उत्खनन के कारण या खनन योजना के बिना उत्खनन के कारण खनिजों की लागत की वसूली न होने, जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि में कम अंशदान एवं अन्य अनियमितताओं इत्यादि के प्रकरण पाए गए।

***गैर-अनुपालन के इन उदाहरणों में कुल मिलाकर ₹ 712.77 करोड़ का राजस्व प्रभाव सम्मिलित है, जो आगामी कंडिकाओं में विस्तृत है।***


## 4.1 प्रस्तावना

राज्य में खनिजों पर रॉयल्टी का उद्ग्रहण और संग्रहण खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज रियायत नियम, 1960, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996, मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन और भंडारण निवारण) नियम, 2006 आदि द्वारा शासित होता है।

## 4.2 कर प्रशासन

खनिज साधन विभाग, प्रमुख सचिव, खनिज साधन, मध्य प्रदेश शासन के पूर्णतः अधीन कार्य करता है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग का प्रमुख होता है जिसकी सहायता मुख्यालय और ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं रीवा में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के उप संचालकों द्वारा की जाती है। कलेक्टर जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है और विभागीय अधिकारी, जैसे जिला खनिज अधिकारी, सहायक खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक राजस्व संग्रहण के संबंध में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनकी सहायता करते हैं। जिला खनिज अधिकारी, सहायक खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक, रॉयल्टी और अन्य खनन प्राप्तियों के निर्धारण, अधिरोपण और संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं एवं खानों का निरीक्षण करने और खनिजों के उत्पादन और प्रेषण की समीक्षा करने के लिए अधिकृत हैं। सभी 52 जिलों में, खनिज शाखाएँ, जिला कलेक्टरों के निर्देशन में कार्य करती हैं।

## 4.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

खनिज साधन मध्य प्रदेश शासन की कर प्राप्तियों के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। पिछले पाँच वर्षों में खनिज साधन से प्राप्तियों की प्रवृत्ति नीचे **चार्ट 4.1** में प्रदर्शित की गई है:

**चार्ट 4.1: 2017-18 से 2021-22 के दौरान विभाग की प्राप्तियाँ**

**(₹ करोड़ में)**

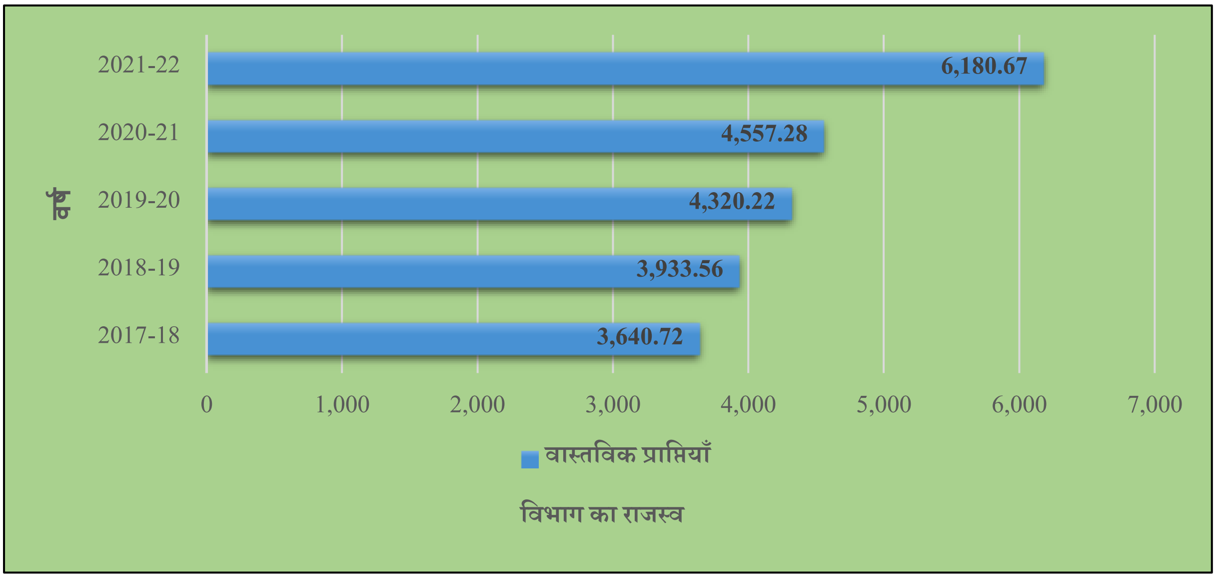


**स्रोत:** संबंधित वर्षों के लिए मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे से एकत्र किया गया डेटा।

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में विभाग की राजस्व प्राप्तियाँ 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 8.04, 9.83 और 5.49 प्रतिशत की स्थिर दरों से बढ़ी हैं। हालांकि, 2021-22 में विभाग की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 35.62 प्रतिशत की अचानक वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण खनिज रियायत शुल्क, किराया और रॉयल्टी में वृद्धि थी।

## 4.4 लेखापरीक्षा परिणाम

अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 की अवधि के दौरान, खनिज साधन विभाग की 55 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से कुल 26 इकाइयों (25 जिला खनिज कार्यालय और कार्यालय संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म) को लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया था। लेखापरीक्षा में 2,829 प्रकरणों में ₹ 1,045.31 करोड़ के राजस्व की वसूली न होने/ कम वसूली होने और अन्य अनियमितताओं के प्रकरण पाए गए, जो नीचे **तालिका 4.1** में उल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

**तालिका 4.1: लेखापरीक्षा परिणाम**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | श्रेणियाँ | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | अनिवार्य भाटक और रॉयल्टी की कम वसूली होना/वसूली न होना | 625 | 41.17 |
| 2 | जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि (डीएमएफ) में कम अंशदान | 422 | 3.65 |
| 3 | गौण खनिज अनुबंध के निष्पादन में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति होना | 81 | 2.42 |
| 4 | विलंबित भुगतान पर ब्याज न लगाया जाना | 247 | 29.92 |
| 5 | खनन योजना में निर्धारित सीमा से अतिरिक्त उत्खनन के संबंध में खनिजों की लागत की वसूली न होना | 152 | 635.04 |
| 6 | खनन योजना के बिना उत्खनन के संबंध में खनिजों की लागत की वसूली न होना | 10 | 81.02 |
| 7 | अन्य अनियमितताएं | 1,292 | 252.09 |
| **योग** | | **2,829** | **1,045.31** |

इन प्रेक्षणों के बारे में शासन तथा विभाग को अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 की अवधि के दौरान सूचित किया गया था। इन प्रकरणों में से, विभाग ने ₹ 25.07 करोड़ के 381 प्रकरणों को स्वीकार किया और ₹ 225.61 करोड़ के 1,949 प्रकरणों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया।

राशि ₹ 0.51 करोड़ की वसूली की गई है (मार्च 2024)। मुख्य लेखापरीक्षा प्रकरणों को आगामी कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

## लेखापरीक्षा प्रेक्षण

## 4.5 अतिरिक्त मात्रा में निकाले गए खनिजों की लागत की वसूली न होना

**खनन योजनाओं/पर्यावरणीय अनुमति में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों के उत्खनन अथवा अनुमोदित खनन योजनाओं के बिना उत्खनन के संबंध में जिला खनिज अधिकारी 55 पट्टाधारकों से ₹ 711.08 करोड़ की राशि वसूलने में असफल रहे।**

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 42(जी) के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टाधारक अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमों के नियम 53(5) में यह उल्लिखित है कि खनिज की बाजार मूल्य का 10 गुणा अथवा ऐसे निकाले गए खनिज पर देय रॉयल्टी का 20 गुणा, जो भी अधिक हो, उस व्यक्ति से वसूल किया जाना है जिसने गौण खनिजों को अवैध रूप से उत्खनन और प्रेषण किया है।

मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन विभाग (विभाग) ने परिपत्र (सितम्बर 2011) द्वारा सभी जिला खनिज अधिकारियों को निर्देश दिया था कि ऐसे पट्टाधारक, जिन्होंने खनन योजना/ पर्यावरणीय अनुमति (ईसी)[1] (जो भी कम हो) में उल्लिखित अनुमोदित मात्रा से अधिक मात्रा में उत्खनन किया है, उन्हें खनिजों के प्रेषण के लिए परिवहन पास (टीपी) जारी नहीं किया जाना चाहिए।

### 4.5.1 खनन योजनाओं/ईसी से अधिक मात्रा में उत्खनन

लेखापरीक्षा में 11 जिला खनिज अधिकारियों[2] के संबंध में पाया गया कि (अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022) 45 खनन पट्टा धारकों ने खनन योजनाओं या ईसी में निर्धारित सीमा से अधिक 7,16,642 घन मीटर गिट्टी, 1,23,348 घन मीटर मुरम, 13,625 घन मीटर मार्बल, 2,90,289 घन मीटर रेत और 1,34,775 एम टी डोलोमाइट का उत्खनन किया। हालांकि, संबंधित जिला खनिज अधिकारी पट्टाधारकों से अधिक उत्खनित खनिजों की लागत का वसूली करने में असफल रहे।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि जिला खनिज अधिकारियों ने न तो पट्टेदारों को स्वीकृत सीमाओं के भीतर अपने खनन को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया, न ही पट्टेदारों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उल्लंघन की सूचना दी। वास्तव में, जिला खनिज अधिकारियों ने अवैध रूप से उत्खनित खनिजों (खनन योजनाओं या ईसी द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए) के प्रेषण को मान्य करने के लिए पट्टेदारों को टीपी जारी करना जारी रखा, जिससे

[1] मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) से प्राप्त।

[2] बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, खरगोन, सागर, सीहोर, शिवपुरी, सीधी और सिंगरौली।

पट्टाधारकों को शासन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अनुमोदन के बिना खनिजों का उत्खनन जारी रखने में सक्षम बनाया गया। अवैध रूप से उत्खनन किए गए खनिजो की रॉयल्टी/बाजार मूल्य ₹ 61.48 करोड़[3] है।

इस प्रकार, पट्टाधारकों को पूर्व अनुमोदन के बिना अतिरिक्त उत्खनन करने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 630.06 करोड़[4] के राजस्व की हानि हुई। इसका विवरण **परिशिष्ट 4.1**[5] में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने (मई 2023) पर विभाग ने कहा (अगस्त 2023) कि

- 11 जिलों में से पाँच जिलों (भोपाल, सिंगरौली, सीधी, ग्वालियर, छिंदवाड़ा) तथा सागर[6] जिले के दो प्रकरणों में वसूली प्रक्रियाधीन थी।
- सागर[7], खरगोन[8] के एक प्रकरण में और जबलपुर के दो[9] प्रकरणों में उत्पादन खनन योजना और पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित सीमा के अंदर था।
- शिवपुरी में पिछले वर्षों के उत्पादन आंकड़ों को शामिल करने के कारण उत्पादन की मात्रा योजना से अधिक हो गई।
- जबलपुर में दस प्रकरणों [10] में से सात प्रकरणों में, उत्पादन मात्रा में ऊपर की मिट्टी (ओवर बर्डन)[11] शामिल होने के कारण उत्पादन की मात्रा योजना से अधिक हो गई।
- सीहोर[12] के एक प्रकरण में पट्टाधारक द्वारा ई-खनिज पोर्टल पर मात्रा त्रुटिवश दर्ज कर दी गई थी।
- बैतूल के तीन[13] प्रकरणों के संबंध में, तीन वर्षों अर्थात 2019-20 से 2021-22 के लिए कुल उत्पादन का कुल योग खनन योजना में निर्धारित कुल सीमा के अन्दर था।
- शेष एक[14] प्रकरण में पट्टाधारक से उत्तर प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पट्टेदार दावे के अनुसार खनिज उत्पादन के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे। इसके अलावा, ई-खनिज प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है, जो सभी खनन गतिविधियों के लिए डेटा का एक स्रोत है और गलत प्रविष्टियों को डीएमओ स्तर पर सत्यापित किया जाना चाहिए जो कि

---

3 बाजार दर की गणना संबंधित डीएमओ द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई थी।

4 अन्य लागतों को जोड़े बिना निकाले गए उत्खनित खनिजों के बाजार मूल्य के आधार पर गणना की गई है।

5 45 प्रकरणों में से तीन प्रकरणों की गणना रॉयल्टी (रॉयल्टी मूल्य ₹ 26.69 करोड़) पर की गई और 42 प्रकरणों की गणना बाजार मूल्य (बाजार मूल्य ₹ 603.37 करोड़) पर की गई।

6 परिशिष्ट 4.1 के पट्टा धारक स. क्र. 23 एवं 24।

7 परिशिष्ट 4.1 का पट्टा धारक स. क्र. 22।

8 परिशिष्ट 4.1 का पट्टा धारक स. क्र. 31।

9 पट्टा धारक स. क्र. 34 एवं 40।

10 परिशिष्ट 4.1 के पट्टा धारक स. क्र. 32, 33, 35, 36, 37, 38 एवं 39।

11 खनन में, ओवरबर्डन (जिसे अपशिष्ट या खराब भी कहा जाता है) वह सामग्री है जो उस क्षेत्र के ऊपर स्थित होती है जो आर्थिक रूप से शोषण के लिए उपयुक्त होती है, जैसे चट्टान, मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र जो कोयला परत या अयस्क निकाय के ऊपर स्थित होती है।
(स्रोत: https://coal.gov.in/en/major-statistics/obr)

12 परिशिष्ट 4.1 का पट्टा धारक स. क्र. 9।

13 परिशिष्ट 4.1 के पट्टा धारक स. क्र. 42, 43 एवं 44।

14 परिशिष्ट 4.1 का पट्टा धारक स. क्र. 45।

नहीं किया गया था। सागर, खरगोन और जबलपुर के अंतर्गत प्रकरणों के संबंध में मानदंडों के पालन के उत्पादन का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उत्पादन से संबंधित डेटा ई-खनिज प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध है। फलस्वरूप, पट्टा धारकों को अधिक मात्रा में उत्खनन की अनुमति देकर, ऐसा प्रतीत होता है कि डीएमओ सरकारी आदेशों और लागू नियमों के उल्लंघन में खनिकों के साथ मिले हुए थे। अन्य प्रकरणों के संबंध में कोई विशेष उत्तर नहीं दिया गया।

आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 4.5.2 अनुमोदित खनन योजनाओं के बिना खनिजों का उत्खनन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन जिला खनिज कार्यालयों[15] में 10 खनन पट्टाधारकों के पास अनुमोदित खनन योजनाएं नहीं थीं, लेकिन उन्होंने अधिनियमों/ नियमों और शासन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए खनन किया। अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, पट्टाधारकों ने अवैध रूप से 1,77,811 घन मीटर गिट्टी और 1,520 घन मीटर फ्लैगस्टोन उत्खनन किया, जिसका बाजार मूल्य ₹ 7.85 करोड़ था।

इस तथ्य के बावजूद कि खनन योजनाओं के बिना खनिजों के उत्खनन होने से संबंधित जानकारी विभाग के पास उपलब्ध थी (ई-खनिज पोर्टल पर उपलब्ध), संबंधित जिला खनिज अधिकारी न केवल अवैध उत्खनन को रोकने में असफल रहे, बल्कि खनिज की लागत के 10 गुना बाजार मूल्य/20 गुना रॉयल्टी को वसूलने में भी असफल रहे, जैसा कि **परिशिष्ट 4.2**[16] में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (मई 2023) विभाग ने कहा (सितम्बर 2023) कि छिंदवाड़ा और सागर के जिला खनिज कार्यालयों के पट्टाधारकों के संबंध में वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिला खनिज कार्यालय सीहोर के संबंध में बताया गया कि पट्टेदार[17] द्वारा ई-खनिज पोर्टल में गलती से मात्रा दर्ज कर दी गई थी।

विभाग को उन जिला खनिज अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर विचार करना चाहिए, जिन्होंने खनन योजनाओं/पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों के निष्कर्षण की अनुमति दी या अनुमोदित खनन योजनाओं के बिना निष्कर्षण की अनुमति दी।

## 4.6 राजस्व की कम प्राप्ति

**जिला खनिज प्रतिष्ठानों के ₹ 1.69 करोड़ के अंशदान की कम वसूली हुई।**

मध्य प्रदेश शासन ने सभी जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठानों (डीएमएफ)[18] की स्थापना की है एवं डीएमएफ की संरचना, कार्यों एवं खनन पट्टाधारकों द्वारा डीएमएफ निधि में दिये जाने वाले अंशदान के तरीके को विनियमित करने के लिए डीएमएफ नियम, 2016 तैयार किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनवरी 2021 में जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, नियम 29(7) के तहत प्रदत्त म.प्र. गौण खनिज नियमों की अनुसूची I, II और V में विनिर्दिष्ट गौण खनिज के उत्खनन पट्टों के

15 छिंदवाड़ा, सागर और सीहोर।

16 10 प्रकरणों में से 2 प्रकरणों की गणना रॉयल्टी (रॉयल्टी मूल्य ₹ 11.26 करोड़) पर की गई और 8 प्रकरणों की गणना बाजार मूल्य (बाजार मूल्य ₹ 69.76 करोड़) पर की गई।

17 परिशिष्ट 4.2 का पट्टाधारक स. क्र. 4।

18 डीएमएफ की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए की गई थी ताकि खनन प्रभावित जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर खनन के दौरान और बाद में पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।

पट्टाधारक, उस जिले में जिसमें उत्खनन संक्रियाएँ की जा रही हैं, की डीएमएफ निधि में रॉयल्टी के भुगतान करने के अतिरिक्त देय रॉयल्टी की 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि का भुगतान करेगा।

कार्यालय, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (सितम्बर 2022) कि तीन जिला खनिज कार्यालयों[19] को जनवरी 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान गौण खनिजों के परिवहन के लिए ₹ 220.24 करोड़ की रॉयल्टी प्राप्त हुई, जिस पर ₹ 22.02 करोड़ का डीएमएफ अंशदान देय था। जिसके विरुद्ध, जिला खनिज अधिकारियों ने मात्र ₹ 20.33 करोड़ की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप डीएमएफ अंशदान की ₹ 1.69 करोड़ की राशि कम प्राप्त हुई।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अगस्त 2023) कि छिंदवाड़ा और छतरपुर में वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लेखापरीक्षा के आपत्ति पर, रतलाम के संबंध में बताया गया कि ₹ 50.92 लाख की वसूली योग्य राशि के विरुद्ध ₹ 50.88 लाख की वसूली की गई है।

छिंदवाड़ा और छतरपुर के संबंध में आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

[19] छतरपुर, छिंदवाड़ा और रतलाम।

# अध्याय V

# सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

# अध्याय V
# सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग


**सारांश**

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान एमएसएमई विभाग ने राज्य में कुल 54 में से लेखापरीक्षा हेतु चयनित 22 जिला इकाइयों (जिला व्यापार और उद्योग केंद्र अर्थात डीटीआईसी) में 2,118 प्रकरणों में विभिन्न एमएसएमई प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी स्वीकृत की।

लेखापरीक्षा ने मई 2022 से सितंबर 2022 की अवधि के दौरान इन 22 चयनित इकाइयों के साथ-साथ आयुक्त, एमएसएमई उद्योग के कार्यालय में पूंजीगत सब्सिडी निधि के स्वीकृत किए जाने, जारी किए जाने और निगरानी की प्रक्रिया की समीक्षा की।

एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों का अनुपालन न करने के मुद्दों को आगामी कंडिकाओं में लाया गया है।

**गैर-अनुपालन के इन प्रकरणों का कुल मिलाकर ₹ 19.11 करोड़ का समग्र प्रभाव पड़ा है।**


## 5.1 प्रस्तावना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) किसी भी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई क्षेत्र राज्य के विनिर्माण उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है और रोजगार पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मध्य प्रदेश में, एमएसएमई क्षेत्र की निगरानी/ विनियमन एमएसएमई विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जाता है। वर्ष 2010 और 2021 के बीच, विभाग ने एमएसएमई को सब्सिडी की मात्रा को विनियमित करने के साथ-साथ पाँच एमएसएमई प्रोत्साहन योजनाएँ तैयार की थीं। संबंधित वर्षों में जारी योजना दिशा-निर्देशों के आधार पर सब्सिडी राशि की सीमा अलग-अलग है, जैसा कि नीचे **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है:

**तालिका 5.1: योजना-वार पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा**

| स. क्र. | योजना वर्ष | प्रभावी तिथि | योजना की धारा | पूंजीगत अनुदान की मात्रा | "पूंजीगत निवेश" में शामिल नहीं की गई वस्तुएँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 01 नवम्बर 2010 | 15.3.1 | पात्र पूंजीगत निवेश का 15 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 15.00 लाख) | वाहन एवं उपभोज्य भंडार |
| 2 | 2014 | 01 अक्टूबर 2014 | 6.1 | पात्र पूंजीगत निवेश का 15 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 15.00 लाख) | भूमि और आवास इकाइयाँ |
| 3 | 2017 | 01 अप्रैल 2018 | 6.1 | पात्र पूंजीगत निवेश का 40 प्रतिशत | भूमि, भवन, जनरेटर सेट, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, अनुसंधान एवं विकास उपकरण, भंडारण टैंक आदि। |
| 4 | 2019 | 01 अक्टूबर 2019 | 6.1 | पात्र पूंजीगत निवेश का 40 प्रतिशत | उपकरण, जिग्स, डाई, साँचे, स्पेयर पार्ट्स, उपभोज्य भंडार, पी एंड एम |

| स. क्र. | योजना वर्ष | प्रभावी तिथि | योजना की धारा | पूंजीगत अनुदान की मात्रा | "पूंजीगत निवेश" में शामिल नहीं की गई वस्तुएँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2021 | 13 अगस्त 2021 | 6.1.1 | पात्र पूंजीगत निवेश का 40 प्रतिशत | की स्थापना, अनुसंधान एवं विकास उपकरण, जनरेटर सेट, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, केबल, बस बार, विद्युत नियंत्रण पैनल, परिवहन शुल्क, तकनीकी जानकारी शुल्क, भंडारण टैंक आदि। |

## 5.2 संगठनात्मक संरचना

एमएसएमई विभाग की संगठनात्मक संरचना नीचे **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है:-

**चार्ट 5.1: विभाग की संगठनात्मक संरचना**

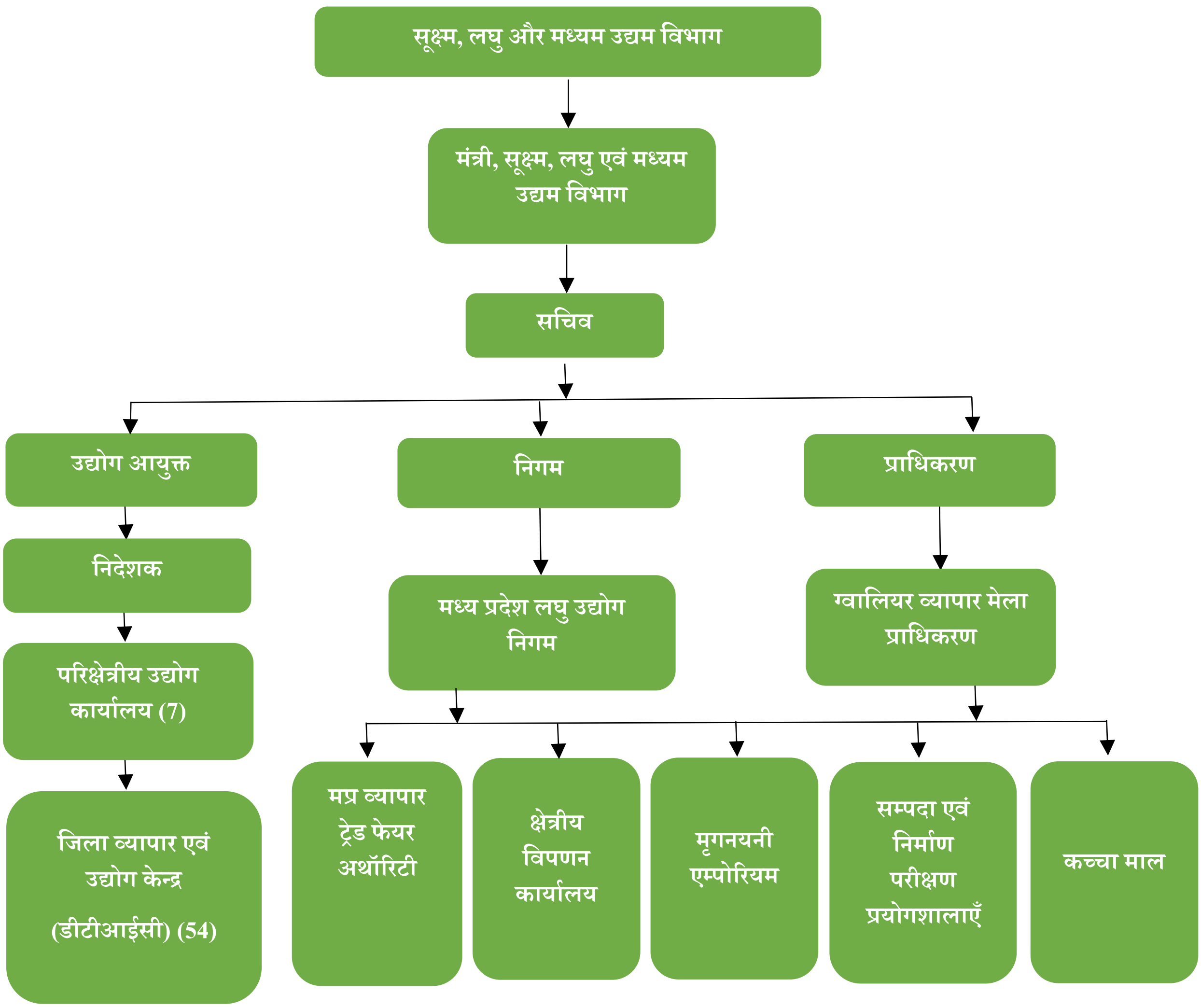


सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। उद्योग आयुक्त, विभाग के कार्यात्मक प्रमुख हैं। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और एक प्राधिकरण है। राज्य में कुल 54 जिला व्यापार और उद्योग केंद्र (डीटीआईसी) हैं, प्रत्येक का नेतृत्व एक महाप्रबंधक करता है।

## 5.3 अनुदानों की प्रवृत्ति: माँग, जारी एवं उपयोग की गई धनराशि

एमएसएमई विभाग एमएसएमई विभाग द्वारा की गयी माँग, जारी की गई धनराशि और उपयोग की प्रवृत्ति को नीचे **चार्ट 5.2** में दर्शाया गया है:-

**चार्ट 5.2: माँग की गयी, जारी की गई धनराशि और वास्तविक उपयोग (2017-2022)**

**(₹ करोड़ में)**

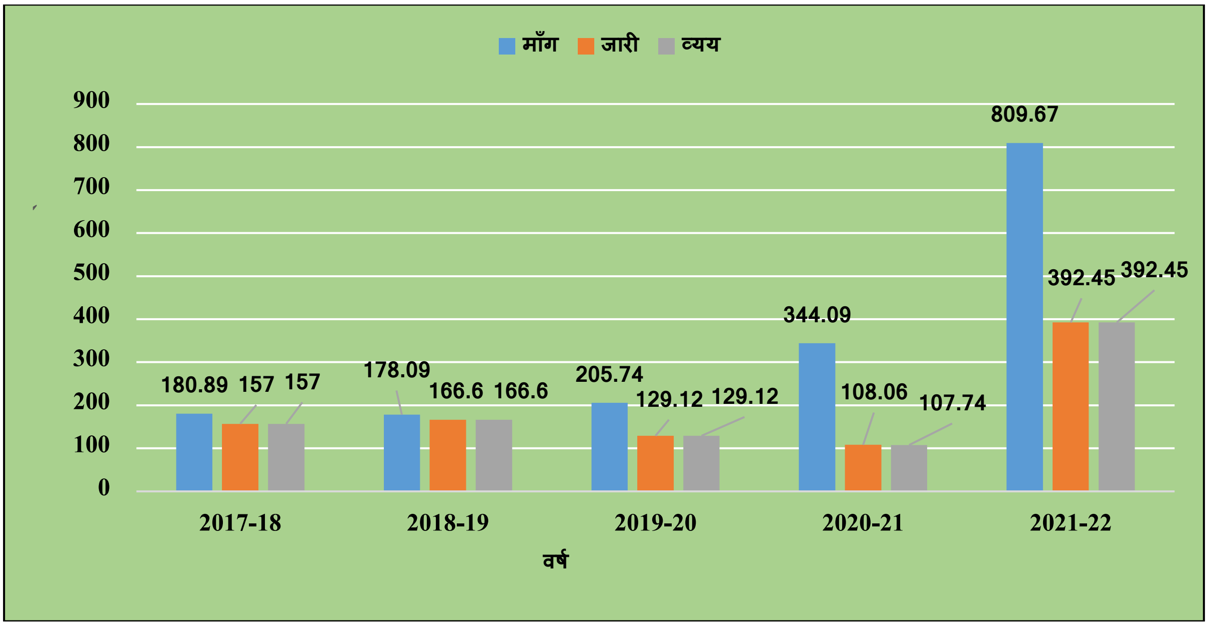


**तालिका 5.2: माँग की गयी, जारी की गई धनराशि और वास्तविक व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | माँग | जारी | व्यय |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 180.89 | 157.00 | 157.00 |
| 2018-19 | 178.09 | 166.60 | 166.60 |
| 2019-20 | 205.74 | 129.12 | 129.12 |
| 2020-21 | 344.09 | 108.06 | 107.74 |
| 2021-22 | 809.67 | 392.45 | 392.45 |
| योग | 1,718.48 | 953.23 | 952.91 |

***स्रोत:*** *विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी*

## 5.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, विभाग की कुल 54 जिला इकाइयों में से 22 लेखापरीक्षा चयनित जिला इकाइयों[1] (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अर्थात डीटीआईसी) में 2,118 प्रकरणों में पूंजीगत सब्सिडी स्वीकृत की गई। लेखापरीक्षा ने मई 2022 से सितंबर 2022 की अवधि के दौरान इन 22 चयनित इकाइयों में और आयुक्त एमएसएमई उद्योग के कार्यालय में पूंजीगत सब्सिडी निधि के अनुदान, जारी किए जाने और निगरानी की प्रक्रिया की समीक्षा की। लेखापरीक्षा ने एमएसएमई प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 173 प्रकरणों में ₹ 19.11 करोड़ की राशि की पूंजीगत सब्सिडी को अनियमित रूप से जारी किये जाने के प्रकरण देखे। विवरण नीचे **तालिका 5.3** में दिया गया है।

[1] इकाइयों का चयन आईडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्ट्रेटीफाईड सैंपलिंग पद्यति के आधार पर किया गया था।

**तालिका 5.3: लेखापरीक्षा के परिणाम**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणियाँ | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | संयंत्र और मशीनरी/भूमि/भवन के अस्वीकृत घटकों पर अनियमित सब्सिडी जारी किया जाना | 148 | 14.37 |
| 2 | एमएसएमई योजनाओं के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अयोग्य उद्योग/उद्योगों को अनियमित सब्सिडी दिया जाना | 6 | 2.53 |
| 3 | बंद उद्योगों को अनियमित पूंजीगत सब्सिडी दिया जाना | 3 | 0.67 |
| 4 | संयंत्र और मशीनरी लागत में जीएसटी के अतिरिक्त वृद्धि के कारण सब्सिडी का अधिक भुगतान | 16 | 1.54 |
| **योग** | | **173** | **19.11** |

विवरण आगामी कंडिकाओं में दिए गए हैं।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## 5.5 अस्वीकृत घटकों पर एमएसएमई को अनियमित पूंजीगत सब्सिडी जारी किया जाना

वर्ष 2010, 2014, 2017, 2019 और 2021 से संबंधित एमएसएमई प्रोत्साहन योजनाओं ने संयंत्र और मशीनरी (पी एंड एम), भवनों आदि जैसे पूंजीगत बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी देने के लिए विशिष्ट शर्तों को निर्दिष्ट किया था।

लेखापरीक्षा ने 20[2] डीटीआईसी से संबंधित 148 प्रकरणों में पाया कि विभिन्न योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 14.37 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी अनियमित रूप से स्वीकृत की गई, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक अनाधिकृत व्यय हुआ। दिशा-निर्देशों का सार और उल्लंघनों के परिणामस्वरूप सब्सिडी का अनियमित अनुदान को नीचे **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है:

**तालिका 5.4: योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पूंजीगत सब्सिडी जारी करना**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | योजना प्रावधान | उल्लंघन | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | दिशा-निर्देश 2014 के कंडिका 3.8 के अनुसार, पी एंड एम में पूंजी निवेश में पात्र पी एंड एम, भवन और शेड में निवेश शामिल है, लेकिन इसमें पूंजीगत सब्सिडी की गणना के लिए भूमि और आवास इकाइयां शामिल नहीं होंगी। आयकर नियम ₹ दो लाख से अधिक नकद भुगतान पर रोक लगाते हैं। | पाँच[3] डीटीआईसी ने आठ प्रकरणों में सब्सिडी की गणना के उद्देश्य से भूमि की लागत और अयोग्य पी एंड एम को गलत तरीके से शामिल किया। एक अन्य प्रकरण[4] में एक डीटीआईसी में, इकाई ने छह मौकों पर अनियमित रूप से ₹ 17.90 लाख मूल्य का पी एंड एम खरीदा जिसमे प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो लाख से अधिक का नकद भुगतान किया गया। डीटीआईसी द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी और इकाई को अनियमित रूप से ₹ 2.57 की सब्सिडी की अनुमति दी गई थी। | 0.16 |
| 2 | दिशा-निर्देश 2014 के कंडिका 6.5 (ii) के अनुसार, पूंजीगत सब्सिडी की गणना के लिए पी एंड एम में पूंजी | एक प्रकरण में, एक[5] डीटीआईसी ने चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र के बिना | 0.08 |

[2] बड़वानी, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, पीथमपुर, मालनपुर, मंडीदीप, मंडला, नीमच, रतलाम, रीवा, शाजापुर, टीकमगढ़ और उज्जैन।

[3] बुरहानपुर (दो प्रकरण), देवास (एक प्रकरण), मंडला (एक प्रकरण), नीमच (एक प्रकरण) और शाजापुर (तीन प्रकरण)।

[4] मेसर्स प्रथमेश टेक्सटाइल्स (डीटीआईसी, बुरहानपुर)।

[5] बुरहानपुर (एक प्रकरण)।

| स. क्र. | योजना प्रावधान | उल्लंघन | राशि |
|---|---|---|---|
| | निवेश को चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। | सब्सिडी की गणना के लिए भवन की लागत को गलत तरीके से शामिल किया था। | |
| 3 | दिशा-निर्देश 2014 के कंडिका 4.5 के अनुसार, विस्तार/विविधीकरण/तकनीकी उन्नयन में निवेश का निर्धारण करने के लिए, सूक्ष्म और लघु-स्तरीय इकाइयों के प्रकरण में पिछले एक वर्ष के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक तक किए गए निवेश को पूंजीगत सब्सिडी की गणना करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। | दो[6] डीटीआईसी ने तीन प्रकरणों में सब्सिडी की गणना के लिए एक वर्ष से अधिक के निवेश की गलत अनुमति दी। | 0.09 |
| 4 | दिशा-निर्देश 2014 के कंडिका 5.4(i) के अनुसार, नए उद्योगों के प्रकरण में, पूंजीगत सब्सिडी की गणना के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक तक पूँजी निवेश को ध्यान में रखा जाना है। | दो प्रकरणों में दो[7] डीटीआईसी ने सब्सिडी की गणना के उद्देश्य से वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के बाद भी किए गए निवेश को गलत तरीके से अनुमति दी। | 0.01 |
| 5 | दिशा-निर्देश 2017 के कंडिका 3.5 के अनुसार, पी एंड एम में निवेश में औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया में मदद करने वाली मशीनों और उसके सहायक उपकरणों की लागत, परिवहन तथा भूमि, भवन, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण, जनरेटर सेट, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अनुसंधान और विकास उपकरण, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, भंडारण टैंक, गोदाम और अग्निशमन उपकरण की लागत को छोड़कर अन्य कर शामिल होंगे। | 15[8] डीटीआईसी ने 39 प्रकरणों में अपने कुल पूंजीगत निवेश में जैसे क्रेन, परिवहन शुल्क, बिजली के सामान आदि जैसी अयोग्य वस्तुओं की खरीद पर आई लागतों को शामिल किया और पाँच डीटीआईसी ने गलत तरीके से इसकी अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप सब्सिडी का अधिक अनुदान दिया गया। | 3.08 |
| 6 | दिशा-निर्देश 2017 के कंडिका 3.6(अ) के अनुसार, नवीन इकाई वह उद्योग है जिसकी वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01 अप्रैल 2018 से प्रभावी है। | एक[9] डीटीआईसी ने एक प्रकरण में गलत तरीके से उत्पादन की तिथि 01 अप्रैल 2018 दिखाई जबकि बैलेन्स शीट के अनुसार उत्पादन 01 अप्रैल 2018 से पहले हुआ था। | 0.11 |
| 7 | दिशा-निर्देश 2017 के कंडिका 5.4(i) के अनुसार, पूंजीगत सब्सिडी की गणना के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक तक के पूंजी निवेश को ध्यान में रखा जाना है। | तीन[10] डीटीआईसी ने तीन प्रकरणों में सब्सिडी की गणना के उद्देश्य से वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक के बाद भी किए गए निवेश को गलत तरीके से अनुमति दी। | 0.29 |
| 8 | दिशा-निर्देश 2017 के कंडिका 4.11 के अनुसार, विस्तार/विविधीकरण/तकनीकी उन्नयन में निवेश का निर्धारण करने के लिए, वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि तक पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निवेश को पूंजीगत सब्सिडी की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा। | एक[11] डीटीआईसी ने एक प्रकरण में तीन वर्षों (वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक तक) से अधिक विस्तार/तकनीकी उन्नयन पर किए गए निवेशों की गलत अनुमति दी। | 0.08 |
| 9 | दिशा-निर्देश 2019 के कंडिका 4.12 के अनुसार, विस्तार/विविधीकरण/तकनीकी उन्नयन में निवेश का निर्धारण करने के लिए, पूंजीगत सब्सिडी की गणना के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक तक पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निवेश को ध्यान में रखा जाएगा। | एक प्रकरण में एक[12] डीटीआईसी ने तीन वर्षों (वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक तक) से अधिक विस्तार/तकनीकी उन्नयन पर किए गए निवेशों की गलत अनुमति दी। | 0.04 |

6 रतलाम (दो प्रकरण), टीकमगढ़ (एक प्रकरण)।

7 खरगौन (एक प्रकरण) तथा रतलाम (एक प्रकरण)।

8 बड़वानी (दो प्रकरण), भोपाल (दो प्रकरण), बुरहानपुर (दो प्रकरण), छिंदवाड़ा (पाँच प्रकरण), देवास (पाँच प्रकरण), ग्वालियर (एक प्रकरण), इंदौर (तीन प्रकरण), झाबुआ (एक प्रकरण), खरगौन (तीन प्रकरण), मालनपुर (दो प्रकरण), मंडला (दो प्रकरण), रीवा (दो प्रकरण), उज्जैन (पाँच प्रकरण), शाजापुर (दो प्रकरण) और टीकमगढ़ (दो प्रकरण)।

9 रीवा।

10 बुरहानपुर (एक प्रकरण), ग्वालियर (एक प्रकरण) और उज्जैन (एक प्रकरण)।

11 बुरहानपुर।

12 देवास।

| स. क्र. | योजना प्रावधान | उल्लंघन | राशि |
|---|---|---|---|
| 10 | दिशा-निर्देश 2019 के कंडिका 5.6(i) के अनुसार, पूंजीगत सब्सिडी की गणना के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक तक के पूंजी निवेश को ध्यान में रखा जाना है। | तीन[13] डीटीआईसी ने तीन प्रकरणों में सब्सिडी की गणना के उद्देश्य से वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक के बाद भी किए गए निवेश की गलत अनुमति दी। | 0.15 |
| 11 | दिशा-निर्देश 2019 के कंडिका 6.1 के अनुसार, पी एंड एम पर कुल पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत तक की पूंजीगत सब्सिडी की अनुमति है। | 13[14] डीटीआईसी ने 72 प्रकरणों में योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपात्र संयंत्र और मशीनरी पर पूंजीगत सब्सिडी की अनुमति दी। | 8.22 |
| 12 | दिशा-निर्देश 2019 के कंडिका 6.2 के अनुसार, पूंजीगत सब्सिडी की गणना के उद्देश्य से भवन निर्माण के लिए पूंजी निवेश पी एंड एम की लागत तक सीमित होगा। | दो[15] डीटीआईसी ने सात प्रकरणों में योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति से अधिक भवनों की लागत के लिए अतिरिक्त निवेश को मान्य किया, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत सब्सिडी का अधिक अनुदान दिया गया। | 0.59 |
| 13 | दिशा-निर्देश 2021 के कंडिका 3.5 के अनुसार, पी एंड एम में निवेश एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार होगा। पी एंड एम को एमएसएमई अधिनियम 2006 में परिभाषित किया गया है। | चार[16] डीटीआईसी ने छह प्रकरणों में योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपात्र संयंत्र और मशीनरी पर पूंजीगत सब्सिडी की अनुमति दी। | 1.47 |
| **योग** | | | **14.37** |

प्रकरणों को जनवरी 2023 में एमएसएमई विभाग, मध्य प्रदेश शासन को अग्रेषित किया गया था।

इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किए गए 148 प्रकरणों में से 133 प्रकरणों में, अस्वीकार्य निवेश पर दी गई सब्सिडी की वसूली या अस्वीकार्य निवेश पर जारी अतिरिक्त सब्सिडी को आगामी किश्तों में समायोजित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। शेष 15 प्रकरणों में, शासन ने निम्नानुसार बताया:

- **तालिका 7.4 की स. क्र. 1:** मेसर्स प्रथमेश टेक्सटाइल्स (डीटीआईसी, बुरहानपुर) के प्रकरण में यह बताया गया था कि सब्सिडी देने के उद्देश्य से नकद भुगतान स्वीकार्य था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी योजना के दिशा-निर्देशों का उपयोग व्यापक केंद्रीय नियमों को दरकिनार करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है जो पूरे भारत में लागू हैं। इस प्रकरण में, नकद भुगतान आईटी नियमों का उल्लंघन था और इसलिए स्वीकार्य नहीं था।
- **तालिका 7.4 का स. क्र. 2:** मेसर्स संजारी इरीगेशन (डीटीआईसी, बुरहानपुर) के प्रकरण में यह बताया गया था कि स्थल का निरीक्षण करने पर भवन निर्मित पाया गया। यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भवन के अंतिम उपयोग/ उद्देश्य को न्यायोचित ठहराने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट/ चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
- **तालिका 7.4 का स. क्र. 3:** दो प्रकरणों (डीटीआईसी, रतलाम) और एक प्रकरण (डीटीआईसी, टीकमगढ़) में यह उत्तर दिया गया कि विस्तार/ विविधीकरण/ तकनीकी उन्नयन के प्रकरणों में, पिछले एक वर्ष से अधिक किया

[13] इंदौर (एक प्रकरण), पीथमपुर (एक प्रकरण) और उज्जैन (एक प्रकरण)।

[14] बड़वानी (छह प्रकरण), बैतूल (तीन प्रकरण), बुरहानपुर (छह प्रकरण), छिंदवाड़ा (चार प्रकरण), देवास (दो प्रकरण), ग्वालियर (तीन प्रकरण), इंदौर (अठारह प्रकरण), मालनपुर (तीन प्रकरण), मंडीदीप (आठ प्रकरण), मंडला (चार प्रकरण), पीथमपुर (दस प्रकरण), रीवा (एक प्रकरण), शाजापुर (चार प्रकरण) और उज्जैन (एक प्रकरण)।

[15] इंदौर (पाँच प्रकरण) और टीकमगढ़ (दो प्रकरण)।

[16] देवास (दो प्रकरण), मालनपुर (एक प्रकरण), मंडीदीप (एक प्रकरण) और शाजापुर (दो प्रकरण)।

गया निवेश पात्र है और इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था (जुलाई 2018)। उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि जुलाई 2018 में जारी स्पष्टीकरण 2017 के योजना दिशा-निर्देशों पर लागू होता है और लेखापरीक्षा द्वारा संदर्भित प्रकरण 2014 की योजना के तहत सब्सिडी के अनुदान के लिए था।

- **तालिका 7.4 का स. क्र. 5:** सात प्रकरणों अर्थात, डीटीआईसी, भोपाल (दो प्रकरण), झाबुआ (एक प्रकरण), खरगौन (दो प्रकरण), मालनपुर (एक प्रकरण) और टीकमगढ़ (एक प्रकरण) में यह उल्लेख किया गया था कि मौजूदा नीति के तहत पात्र निवेश पर इकाइयों को सब्सिडी प्रदान करने की मंजूरी दी गई थी। उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि मौजूदा नीति यानी 2017 के दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से सब्सिडी का दावा करने के उद्देश्य से क्रेन, बिजली के सामान आदि जैसी वस्तुओं की खरीद की अनुमति नहीं है।
- **तालिका 7.4 का स. क्र. 6:** डीटीआईसी, रीवा के एक प्रकरण में यह बताया गया था कि उत्पादन अप्रैल 2018 से ही शुरू हुआ था और इकाई पहले व्यापारिक गतिविधि में लगी हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जो जुलाई 2017 से प्रभावी था, इकाई को निर्माता के रूप में पहचानता है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि इकाई अप्रैल 2018 से पहले उत्पादन गतिविधि में लगी हुई थी। शासन ने अप्रैल 2018 से पहले इकाई की व्यापारिक गतिविधियों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- **तालिका 7.4 का स. क्र. 11:** डीटीआईसी, बैतूल की तीन इकाइयों में से एक इकाई के प्रकरण में यह बताया गया था कि बिल पी एंड एम के निर्माण भाग से संबंधित हैं, जो सब्सिडी के लिए स्वीकार्य है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार, निवेश की लागत की गणना करते समय स्थापना संबंधी खर्चों को बाहर रखा जाना चाहिए। उत्तर में सब्सिडी के लिए अन्य अयोग्य घटकों के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।
- **तालिका 7.4 का स. क्र. 13:** डीटीआईसी, मालनपुर के एक प्रकरण में यह बताया गया था कि सब्सिडी केवल स्वीकार्य पी एंड एम पर दी गई थी। उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि नियंत्रण पैनल की खरीद, केबल से संबंधित खर्चों आदि पर सब्सिडी दी गई थी, जो 2019 के योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार अस्वीकृत थी।

प्रकरण में आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

## 5.6 अपात्र और बंद उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी का अनियमित प्रदाय

वर्ष 2010, 2014, 2017, 2019 और 2021 से संबंधित विभिन्न एमएसएमई प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार, एमएसएमई योजनाओं के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले या अपात्र[17] उद्योगों की सूची में आने वाले उद्योग पूंजीगत सब्सिडी के लिए अयोग्य थे। इसके अलावा, एमएसएमई प्रोत्साहन योजनाएं प्रदान करती हैं कि इन योजनाओं के तहत पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने वाले उद्योगों को उत्पादन की दिनांक से कम से कम तीन साल (2014 की योजना के अनुसार) या पाँच साल (2010 और 2017 की योजनाओं के अनुसार) संचालन में रहना होगा। जो उद्योग अपना उत्पादन कम से कम तीन या पाँच साल (जैसा भी मामला हो) तक जारी नहीं रखते हैं, उन्हें बंद उद्योग माना जाएगा और इन उद्योगों से दंडात्मक ब्याज सहित पूंजीगत सब्सिडी की वसूली की जाएगी।

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

[17] प्रत्येक वर्ष जब इस तरह के दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, तो अपात्र उद्योगों की सूची योजना के दिशा-निर्देशों में जोड़ दी जाती है। उदाहरण के लिए, स्टोन क्रशर इकाइयाँ, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, चारकोल उत्पादन आदि।

### 5.6.1 अपात्र उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी जारी करना

दो डीटीआईसी[18] से संबंधित दो प्रकरणों में, एक स्टोन क्रशर इकाई और एक डोलोमाइट क्रशर इकाई, जो विभिन्न योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अयोग्य थे, को अनियमित रूप से सब्सिडी दी गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। विवरण निम्नानुसार है:

**तालिका 5.5: अपात्र उद्योगों को सब्सिडी जारी करना**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | विवरण | जारी की गई पूंजीगत सब्सिडी की राशि |
|---|---|---|
| 1 | डीटीआईसी, उज्जैन के अंतर्गत एक इकाई (मेसर्स एसएस स्टोन क्रशर), जो पत्थर क्रशिंग का काम करती थी, पूंजीगत सब्सिडी का दावा करने के लिए अयोग्य थी क्योंकि पत्थर क्रशिंग 2017 की योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार उद्योगों की अयोग्य सूची में है। | 1.07 |
| 2 | डीटीआईसी, मंडला के अंतर्गत एक इकाई (मेसर्स श्याम इंडस्ट्रीज़) को डोलोमाइट की क्रशिंग के लिए लाइसेंस दिया गया था, जो 2017 की योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार अपात्र उद्योगों (खनिजों की क्रशिंग) की सूची में था। | 0.49 |
| **योग** | | **1.56** |

अतिरिक्त विवरण **परिशिष्ट 5.1** में दिया गया है।

यह इंगित किए जाने पर, शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि मेसर्स एस.एस. स्टोन क्रशर, (डीटीआईसी, उज्जैन) के संबंध में इकाई के नाम में "स्टोन क्रशर" शब्द होने से यह सब्सिडी के लिए अयोग्य नहीं हो जाता है, क्योंकि अपात्रता का निर्णय उत्पाद के आधार पर किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पादन इकाई केवल पत्थर क्रशिंग का काम करती है, जैसा कि एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसे दिए गए प्रमाण-पत्र (30 अप्रैल 2018) से भी स्पष्ट है। विभाग अपने दावे के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य जैसे जीएसटी रिटर्न, बिक्री चालान आदि प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि इकाई पत्थर क्रश करने के अलावा अन्य वस्तुओं का निर्माण कर रही थी।

मेसर्स श्याम इंडस्ट्रीज (डीटीआईसी, मंडला) के संबंध में, शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि इकाई रंगोली, गुलाल, उर्वरक आदि (डोलोमाइट पीसने के बिना) का निर्माण कर रही थी जो अपात्र सूची में नहीं हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पादन इकाई को लाइसेंस केवल डोलोमाइट क्रशिंग करने के उद्देश्य से दिया गया था, जो सब्सिडी का दावा करने के लिए पात्र नहीं था।

शासन इकाइयों को दी गई अयोग्य सब्सिडी की वसूली कर सकती है। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

18 डीटीआईसी उज्जैन और मंडला।

## 5.6.2 एमएसएमई योजनाओं के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी जारी करना

दो[19] डीटीआईसी से संबंधित चार प्रकरणों में उद्योग सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि उन्होंने विभिन्न एमएसएमई योजनाओं के तहत दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। हालांकि, डीटीआईसी ने इन उद्योगों को सब्सिडी जारी कर दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.97 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान हुआ। विवरण की चर्चा नीचे दी गई है:

**तालिका 5.6: उन उद्योगों को दी गई सब्सिडी जिन्होंने योजनाओं के प्रावधानों का उल्लंघन किया**

**(₹ लाख में)**

| स. क्र. | इकाई का नाम (डीटीआईसी) | ब्यौरा | अपात्र सब्सिडी की राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | मेसर्स जय गजानन फूड्स (डीटीआईसी, खरगौन) | अपात्र उद्योगों की सूची के अनुसार, (योजना 2010) पी एंड एम में ₹ 50 लाख रुपये से कम निवेश वाली आटा मिलें पूंजीगत सब्सिडी का दावा करने के लिए अयोग्य हैं। इकाई ने पी एंड एम में कुल ₹ 50.99 लाख का निवेश किया और तदनुसार उसे ₹ 25.61 लाख की पूंजीगत सब्सिडी दी गई। दस्तावेजों की जाँच से पता चला कि इकाई ने उत्पादन की दिनांक के बाद पी एंड एम में ₹ 7.35 लाख का निवेश किया। इस प्रकार, इकाई ने उत्पादन की दिनांक से पहले पी एंड एम में ₹ 50 लाख से कम का निवेश किया था, जिसके परिणामस्वरूप इकाई पूंजीगत सब्सिडी का दावा करने के लिए अयोग्य हो गई। | 25.61 |
| 2 | मेसर्स आस इंडस्ट्रीज (डीटीआईसी, मंडला) | योजना दिशानिर्देश, 2019 के बिंदु क्रमांक 4.11 में यह प्रावधान है कि विविधीकरण/विस्तार के प्रकरण में सब्सिडी की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि पूर्व-स्थापित उत्पादन क्षमता में कमी नहीं की जाएगी। यही स्थिति योजना दिशा-निर्देश, 2017 (बिंदु क्रमांक 4.10) के प्रकरण में भी है। इकाइयों ने पूर्व-स्थापित उत्पादन क्षमता (जैसा कि विस्तार से पहले परिकल्पना की गई थी) हासिल नहीं की और इसलिए वे विस्तार के लिए सब्सिडी का दावा करने के लिए पात्र नहीं थे। | 48.82 |
| 3 | मेसर्स दीपक स्टील फैब्रिकेशन (डीटीआईसी, मंडला) | | 3.72 |
| 4 | मेसर्स के.आर.डी. इंडस्ट्रीज (डीटीआईसी, मंडला) | | 18.84 |
| **योग** | | | **96.99** |

अतिरिक्त विवरण **परिशिष्ट 5.2** में दिया गया है।

इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि:

- डीटीआईसी, खरगौन के एक प्रकरण[20] में प्रकरण का परीक्षण उपरांत वसूली की कार्यवाही की जायेगी। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।
- डीटीआईसी, मंडला के तीन[21] प्रकरणों में इकाइयों ने उत्पादन कम नहीं किया है, इसलिए वे सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

डीटीआईसी, मंडला के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि तीनों इकाइयों में से कोई भी पूर्व-उत्पादन क्षमता हासिल नहीं कर सका, इसके बावजूद, उन्होंने विस्तार के लिए पूंजीगत सब्सिडी का दावा किया जिसे डीटीआईसी द्वारा गलत तरीके से अनुमति दी गई थी।

19 डीटीआईसी खरगौन (एक प्रकरण) और मंडला (तीन प्रकरण)।

20 मेसर्स जय गजानन फूड्स।

21 मेसर्स आस इंडस्ट्रीज, मेसर्स दीपक स्टील फैब्रिकेशन और मेसर्स केआरडी इंडस्ट्रीज।

### 5.6.3 बंद उत्पादन इकाइयों को जारी पूंजीगत सब्सिडी की वसूली न होना

तीन[22] डीटीआईसी से संबंधित तीन मामलों में, जिन उत्पादन इकाइयों को ₹ 0.48 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त हुई, उन्होंने योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तीन साल से पाँच साल की अवधि (जैसा लागू हो) के लिए अपना परिचालन जारी नहीं रखा। हालांकि, डीटीआईसी उत्पादन इकाइयों की गतिविधियों की निगरानी करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत सब्सिडी के रूप में ₹ 0.48 करोड़ की राशि का निरर्थक व्यय हुआ।

न्यूनतम निर्धारित समयावधि के लिए काम करने में विफलता के लिए, ₹ 0.19 करोड़ का दंडात्मक ब्याज भी लगाया जा सकता था, लेकिन लगाया नहीं गया।

विवरण **परिशिष्ट 5.3** में दिया गया है।

इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि:

- डीटीआईसी, खरगौन एवं डीटीआईसी, छिंदवाड़ा के दो प्रकरणों[23] में वसूली के लिए कार्यवाही की गई। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।
- डीटीआईसी शाजापुर के एक[24] प्रकरण में, यह पुष्टि नहीं हुई है कि इकाई छह महीने से अधिक समय से बंद थी, इसलिए वसूली की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

उत्तर पूरी तरह से अस्वीकार्य है क्योंकि विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जैसे डीटीआईसी द्वारा इकाई का भौतिक निरीक्षण एवं डीटीआईसी और इकाई के बीच पत्राचार स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उद्योग मई 2016 से निष्क्रिय/बंद था। अतः जारी की गई सब्सिडी की वसूली दंडात्मक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।।

## 5.7 जीएसटी मानदंडों के उल्लंघन के कारण सब्सिडी का अधिक भुगतान

भारत सरकार के एमएसएमई विभाग ने राजपत्र अधिसूचना[25] के माध्यम से निर्दिष्ट किया है कि पूंजीगत सब्सिडी दावों के उद्देश्य से केवल पी एंड एम या उपकरण के खरीद मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें माल और सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं है, (चाहे वह पहली बार खरीदा गया हो या दूसरी बार)। मध्य प्रदेश शासन ने 01 जुलाई 2020 से इसे अपनाया। लेखापरीक्षा ने पाया कि सात[26] डीटीआईसी से संबंधित 16 प्रकरणों में, औद्योगिक इकाइयों ने पी एंड एम की खरीद के लिए सब्सिडी का दावा करते समय पी एंड एम लागत में जीएसटी घटक को गलत तरीके से शामिल किया। डीटीआईसी ने इन इकाइयों को सब्सिडी जारी करने की मंजूरी देते समय, सब्सिडी के दावों की सत्यता की जाँच करने में विफल रहे और पी एंड एम खरीद लागत में जीएसटी को शामिल करने की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी का अधिक भुगतान/जारी हुआ।

विवरण **परिशिष्ट 5.4** में दिया गया है।

---

22 छिंदवाड़ा (2017 योजना), खरगौन (2010 योजना) और शाजापुर (2014 योजना)।

23 मेसर्स लक्ष्य इंडस्ट्रीज और मेसर्स सहारा टेक्सटाइल्स।

24 मेसर्स बालाजी इंटरप्राइजेज।

25 राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 1875 दिनांक 26 जून 2020।

26 बुरहानपुर (एक प्रकरण), छिंदवाड़ा (तीन प्रकरण), देवास (एक प्रकरण), ग्वालियर (एक प्रकरण), इंदौर (दो प्रकरण), मंडीदीप (एक प्रकरण) और उज्जैन (सात प्रकरण)।

इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि:

- पाँच[27] डीटीआईसी से संबंधित प्रकरणों के संबंध में, जीएसटी राशि की पात्रता इकाई द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न के आधार पर तय की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इकाइयों द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी का विवरण पहले से ही डीटीआईसी के पास उपलब्ध था, जिसे वे सब्सिडी की अनुमति देते समय जाँचने में विफल रहे।
- दो[28] डीटीआईसी से संबंधित प्रकरणों में, अपात्र निवेश पर सब्सिडी की वसूली आगामी किस्तों से समायोजन द्वारा की जाएगी।

आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

## 5.8 विविध मुद्दे

### 5.8.1 औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त घरेलू विद्युत कनेक्शन

योजना दिशानिर्देश, 2014 के बिंदु 5.4 के अनुसार, डीटीआईसी को अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन इकाई द्वारा लिए गए विद्युत कनेक्शन का सत्यापन करना चाहिए। इसके सत्यापन के बाद ही सब्सिडी का दावा करने के लिए इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन को दावे की स्वीकृति के लिए संबंधित समिति को भेजा जाएगा।

डीटीआईसी, भोपाल के तहत एक प्रकरण[29] में यह पाया गया कि इकाई औद्योगिक उपयोग के लिए घरेलू कनेक्शन का उपयोग कर रही थी। हालांकि, डीटीआईसी इसे सत्यापित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, डीटीआईसी द्वारा दावे की स्वीकृति से पूर्व इकाई का समुचित निरीक्षण एवं आवेदन की शुद्धता का परीक्षण न किए जाने के कारण इकाई को ₹ 0.15 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी का लाभ दिया गया।

इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (जुलाई 2023) कि इकाई के खिलाफ कार्यवाही करना विद्युत विभाग की जिम्मेदारी थी।

उत्तर में इस तथ्य की अनदेखी की गई है कि सब्सिडी दावों को स्वीकृत करने से पूर्व विद्युत कनेक्शनों का सत्यापन करना विभाग की स्पष्ट जिम्मेदारी थी, जिसमें डीटीआईसी विफल रहा।

[27] डीटीआईसी: बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर, मंडीदीप और उज्जैन।

[28] डीटीआईसी: देवास और ग्वालियर।

[29] मेसर्स एफएएस फूड बेकर्स।

# अध्याय VI

# वन विभाग

# अध्याय VI
# वन विभाग

## "मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियों का प्रबंधन" पर अनुपालन लेखापरीक्षा


***सारांश***

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिये मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियों के प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की जांच की तथा अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि को भी शामिल किया गया क्योंकि कटाई कार्यों से बाद के वित्तीय वर्षों तक राजस्व प्राप्त हुआ था। लेखापरीक्षा ने 73 वन मंडलों में से 25 वन मंडलों एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के कार्यालय में अभिलेखों की विस्तृत जांच की और कुछ जानकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) से भी एकत्र की गई।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की जांच के दौरान चिन्हांकित पेड़ों की कटाई न होने, अतिक्रमण, लीज रेंट एवं डिविडेंड की वसूली न होने, इत्यादि के कारण राजस्व हानि से संबंधित कई प्रकरण पाया।

आगे की कंडिकाओं में उल्लेखित इन प्रकरणों से ₹ 389.51 करोड़ का राजस्व प्रभावित हुआ है।


## 6.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश के वन 77,493 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुये है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र (3,08,252 वर्ग किमी) का 25.14 प्रतिशत है। इमारती लकड़ी, बांस और जलाऊ लकड़ी, मुख्य काष्ठ वनोपज हैं जो राजस्व का सृजन करते हैं। तेंदूपत्ता, साल बीज, हर्रा, गोंद, चिरौंजी, महुआ के फूल और बीज, इत्यादि गैर-काष्ठ वनोपज हैं। मध्य प्रदेश राज्य लघु वन (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ गैर-काष्ठ वन उत्पादों का व्यापार करता है और उनके विक्रय से प्राप्त राशि राज्य के वन-राजस्व का हिस्सा नहीं है। व्यापारियों/ उपभोक्ताओं के साथ काष्ठ उत्पाद का व्यापार विभाग के द्वारा नीलामी और निस्तारी[1] के माध्यम से किया जाता है।

कटाई योग्य लकड़ी को चिन्हित करने और उपज का आकलन करने की प्रक्रिया कूपों[2] के निर्धारित कटाई वर्ष से पूर्व की जाती है। वन उत्पाद को डिपो में ले जाया जाता है और नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है, जो समय-समय पर आयोजित होती हैं। वन राजस्व में लीज रेंट, डिविडेंड, शास्ति, क्षतिपूर्ति, फीस, कटाई एवं पर्यवेक्षण शुल्क, इत्यादि भी शामिल होते हैं, जो विभाग द्वारा आरोपित और संग्रहित किये जाते है।

## 6.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य और मानदंड

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए, मार्च 2022 और दिसंबर 2022 के बीच, आयोजित की गई थी कि क्या:

- कार्य योजना (डबल्यूपी) में परिकल्पित चिंहांकन, कटाई और निष्कर्षण गतिविधियां भारत सरकार के प्रावधानों/ स्वीकृति के अनुसार की जा रही थीं;
- राजस्व की इष्टतम प्राप्ति के लिए वन प्राप्तियां कुशलतापूर्वक मूल्यांकित एवं संग्रहित की गई थीं; और
- निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ प्रभावी और कुशल थीं।

---

[1] डिपो के माध्यम से वनोपज की रियायती बिक्री।

[2] कूप, वन मंडलों की कार्य योजनाओं में निर्धारित सीमांकित वनक्षेत्र है जहां निर्धारित वर्ष में कटाई की जानी है।

अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्न से प्राप्त किए गए थे:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, मंडल की कार्य-योजना, कार्य-योजना संहिता और मध्य प्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969।
- स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी के विक्रय की शर्तो का विनियमन करने वाले नियम, 1976; वनोपज का व्ययन (डिस्पोज़ल) नियम, 1974, ट्रांजिट (वनोपज) नियम 2000, मध्य प्रदेश वन नियमावली, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एमपीटीसी), मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता (एमपीएफसी) और मध्य प्रदेश वन वित्तीय नियम (एमपीएफएफआर)।
- शासन एवं विभाग द्वारा जारी निर्देश एवं आदेश।

## 6.3 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि को शामिल किया गया। हालाँकि, अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि को भी शामिल किया गया क्योंकि कटाई कार्यों से बाद के वित्तीय वर्षों तक राजस्व प्राप्त हुआ था। लेखापरीक्षा ने मध्य प्रदेश में पीसीसीएफ (उत्पादन) के कार्यालय और 73 मंडलों में से यादृच्छिक रूप से चयनित 25 मंडलों[3] में वन प्राप्ति के प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की जांच की। कुछ जानकारी पीसीसीएफ (वित्त/बजट) से भी एकत्रित की गई थी।

[3] **सामान्य मंडल (जी):** छिंदवाड़ा पूर्व, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, नर्मदापुरम, झाबुआ, मंडला पश्चिम, रायसेन, रतलाम, सतना, सीहोर, शहडोल उत्तर, शहडोल दक्षिण, सीधी, सिंगरौली, रीवा, उमरिया।
**उत्पादन मंडल (पी):** बैतूल, देवास, हरदा, खंडवा, रायसेन और सिवनी।
(चयन आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड के माध्यम से किया गया था।)

## 6.4 संगठनात्मक स्वरूप

विभाग का संरचनात्मक स्वरूप संगठनात्मक आरेख में नीचे दर्शाया गया है:

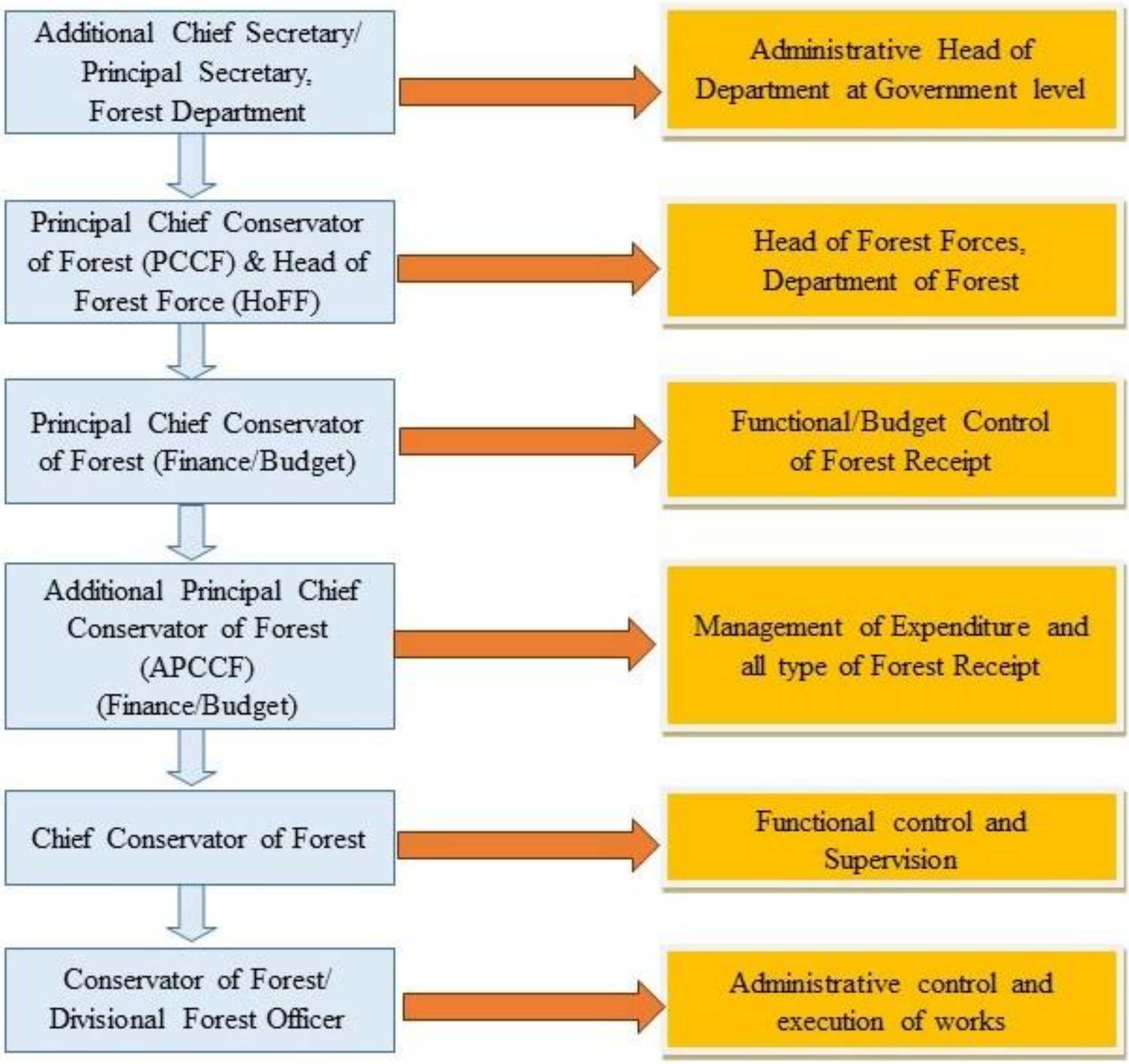


वन मंडलाधिकारी अपने संबंधित मंडलों में सरकारी राजस्व की वसूली सहित सभी वन अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें उपमंडलाधिकारियों और परिक्षेत्र अधिकारियों के द्वारा सहायता की जाती है।

## 6.5 वनोपज एवं वन राजस्व की प्रवृत्ति

कटाईयोग्य लकड़ी को चिन्हांकित करने और उपज का आकलन करने की प्रक्रिया कूपों के निर्धारित कटाई वर्ष से पूर्व की जाती है। वनोपज को डिपो में ले जाया जाता है और समय-समय पर आयोजित होने वाली नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और बांस का उत्पादन नीचे **तालिका 6.1** में वर्णित किया गया है:

**तालिका 6.1: पिछले तीन वर्षों के दौरान इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और बांस का उत्पादन**

| क्र.सं. | विवरण | कटाई वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
| 1 | इमारती लकड़ी (मात्रा, घन मी. में) | 2,73,365 | 2,09,210 | 1,74,545 |
| 2 | जलाऊ स्टैक (मात्रा, संख्या में) | 1,62,945 | 1,26,811 | 1,01,546 |
| 3 | बांस (मात्रा, नोशनल टन में) | 34,189 | 27,106 | 37,211 |

***(स्रोत: विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22)***

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2020-21 में इमारती लकड़ी और जलाऊ स्टैक का उत्पादन क्रमशः 36 और 38 प्रतिशत घट गया तथा वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में बांस का उत्पादन नौ प्रतिशत बढ़ गया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त वन राजस्व की स्थिति नीचे **तालिका 6.2** में दी गई है:

**तालिका 6.2: पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त वन राजस्व**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | वर्ष | लक्ष्य | प्राप्ति | प्रतिशत वृद्धि/ कमी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | 1,500.00 | 1,036.83 | (-) 30.88 |
| 2 | 2020-21 | 1,398.93 | 1,294.69 | (-) 7.45 |
| 3 | 2021-22 | 1,311.26 | 1,444.14 | (+) 10.13 |
| कुल | | 4,210.19 | 3,775.66 | |

***( स्रोत: : एपीसीसीएफ (बजट) द्वारा दी गई जानकारी)***

वन विभाग ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि तक विभिन्न उप-शीर्षों, जैसे लकड़ी और अन्य वनोपज़ की बिक्री, सामाजिक और कृषि वानिकी से प्राप्तियां, लकड़ी, बांस का राजकीय व्यापार और अन्य प्राप्तियों, में निर्धारित लक्ष्य ₹ 4210.19 करोड़ के विरुद्ध ₹ 3775.66 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया। निर्धारित लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्ति के कारण लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किये गये (मार्च 2024)।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 25 मंडलों में से 12 मंडलों[4] में ₹ 8.24 करोड़ की कुल राशि दो से 74 वर्षों के बीच की अवधि से वसूली के लिए बकाया थी, जो इस बात का सूचक है कि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसकी वसूली हेतु विभाग संबंधित प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई नहीं कर रहा है।

## लेखापरीक्षा प्रेक्षण

## 6.6 कार्य-योजना का क्रियान्वयन

कार्य-योजना के क्रियान्वयन में कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

### 6.6.1 कटाई की अनुमति देने और कार्य-योजना की तैयारी में देरी के कारण राजस्व वसूली में देरी

राष्ट्रीय कार्य-योजना संहिता 2014 के अनुसार, कार्य-योजना (डब्ल्यू पी) को हर 10 वर्ष में पुनरीक्षित किया जाना चाहिये और एक वनमंडल की कार्य-योजना की तैयारी में सामान्यतः दो वर्ष लगना चाहिए जो कार्य की मात्रा और उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं के आधार पर भिन्न हो सकता हैं। इस समयावधि में भारत सरकार से समय पर अनुमोदन प्राप्त करने के

[4] बैतूल(पी), देवास(पी), सिवनी(पी), छिंदवाड़ा पूर्व(जी), शहडोल उत्तर(जी), रायसेन(जी), रतलाम(जी), रीवा(जी), सतना(जी), शहडोल दक्षिण(जी), सीधी(जी) और उमरिया(जी)।

लिए आवश्यक समय शामिल है। इसके अतिरिक्त, कार्य-योजना के अनुसार कटाई की अनुमति कटाई के एक वर्ष पहले भारत सरकार को भेजी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने चार मंडलों में नई कार्य-योजना की तैयारी और भारत सरकार को/ से प्रस्तुति या कटाई की अनुमति मांगने में असामान्य विलंब देखा, जिसके कारण कटाई में विलंब हुआ तथा परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्ति में अवरोध हुआ जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 6.3** में वर्णित है:

**तालिका 6.3: कार्य-योजना प्रस्तुतिकरण में या कटाई की अनुमति मांगने में देरी**

**(₹ लाख में)**

| मंडल का नाम | लेखापरीक्षा-प्रेक्षण | प्रभावित लकड़ी की मात्रा (घन मी. में) | न्यूनतम अवरुद्ध राजस्व |
|---|---|---|---|
| छिंदवाड़ा पूर्व (जी) | अंतिम कार्य-योजना वर्ष 2017-18 तक लागू थी। वर्ष 2018-19 से देय अगली कार्य-योजना 38 महीने की देरी के बाद मई 2021 में भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी। | 3,594.42 | 70.16 |
| सीहोर (जी) | अंतिम कार्य-योजना वर्ष 2015-16 तक लागू थी। वर्ष 2016-17 से देय अगली कार्य-योजना 50 महीने की देरी के बाद मई 2020 में भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी। | 9,537.44 | 1469.05 |
| सीधी (जी) | वर्ष 2019-20 के लिए कटाई की अनुमति का प्रस्ताव वर्ष 2018-19 में भारत सरकार को भेजा जाना था। वर्ष 2019-20 के लिए कटाई की अनुमति प्राप्त करने हेतु वनमंडलाधिकारी ने 15 माह की देरी के बाद जुलाई 2019 में पत्र भेजा। | 103.70 | 3.39 |
| सतना (जी) | वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 के लिए कटाई की अनुमति का प्रस्ताव वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में भारत सरकार को भेजा जाना था। वनमंडलाधिकारी ने वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के लिए कटाई की अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्र क्रमश: 33 और 19 महीने की देरी के बाद अक्टूबर 2021 में भेजा। | 364.75 | 34.77 |
| **कुल** | | **13,600.31** | **1,577.37** |

***(स्रोत: विभागीय अभिलेख)***

कार्य-योजना प्रस्तुत करने में विलंब का कारण अभिलेख में नहीं था।

इस प्रकार, समय पर तैयारी और योजनाओं को प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने में संबंधित वनमंडलाधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप कार्य-योजना के क्रियान्वयन में देरी हुई, जिससे न केवल कटाई-चक्र (₹ 15.77 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ) और सहायक प्रक्रियाएं प्रभावित हुईं, बल्कि इसके परिणामस्वरूप अन्य गतिविधियाँ जैसे वृक्षारोपण या वनों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए अन्य सुरक्षात्मक उपायों में भी विलंब हुआ।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसंबर 2023) कि जिन कूपों का दोहन अनुमोदित कार्य-योजना के अभाव में नहीं किया जा सका, बाद में अनुमोदन मिलने के पश्चात उनका दोहन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विलंब हुआ। अतः राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य-योजना प्रस्तुत करने और कटाई की अनुमति में 15 से 38 माह तक की देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप राजस्व वसूली अवरोधित हुई।

## 6.6.2 कार्य-योजना के अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन न करना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए मध्य प्रदेश में कार्य-योजना के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की वार्षिक अनुमति में यह निर्धारित किया

गया है कि अधिकार और छूट देने के लिए, वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित अनिवार्य कटाई सहित सभी प्रकार की कटाई, अवैध कटाई तथा मृत, म्रियमान एवं रोगग्रस्त पेड़ों (हवा से गिरे पेड़ों सहित) की कटाई की गणना संबंधित वर्ष की निर्धारित कटाई में की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने आठ मंडलों[5] में पाया कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए अनुमानित उत्पादन के विरुद्ध 74,740.39 घन मी. इमारती लकड़ी, 9,260 बल्लियाँ और 35,218.93 घन मी. जलाऊ लकड़ी की कटाई की गई थी। हालाँकि, मंडलों द्वारा इसी अवधि के दौरान 14,575.68 घन मी. इमारती लकड़ी अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई, जिसका विवरण नीचे **तालिका 6.4** में दिया गया है:

**तालिका 6.4: अन्य स्रोतों से प्राप्त लकड़ी का विवरण**

| कटाई का प्रकार | मात्रा (घन मी. में) |
|---|---|
| अवैध कटाई | 3,041.70 |
| हवा से गिरे पेड़ | 2,913.03 |
| वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कटाई | 8,620.95 |
| **कुल** | **14,575.68** |

कटाई की मात्रा का अनुमान लगाते समय, अन्य स्रोतों से प्राप्त होनेवाली 14,575.68 घन मी. लकड़ी, जैसा कि ऊपर वर्णित है, को संज्ञान में लेने और कार्य-योजना में काटी जाने वाली अनुमानित मात्रा को अनुपातिक रूप से कम करने में मण्डल विफल रहे। परिणामतः, अन्य स्रोतों से प्राप्त लकड़ियों को शामिल न करके, विभाग ने भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त 14,575.68 घन मी. की कटाई की अनुमति दी।

यह इंगित किये जाने पर, चार वनमंडलाधिकारी[6] ने कहा (अगस्त और सितंबर 2022 के बीच) कि जब्त वनोपज का समायोजन अगले कटाई वर्ष में किया जाएगा। वनमंडलाधिकारी(पी), सिवनी ने कहा (अगस्त 2022) कि भारत सरकार के निर्देशानुसार समायोजन किया गया था, जबकि वनमंडलाधिकारी(जी), हरदा ने कहा (मार्च 2022) कि वनों के उच्च घनत्व के कारण वन पर प्रतिकूल प्रभाव की कोई संभावना नहीं थी। अन्य[7] ने उत्तर नहीं दिये (नवंबर 2023)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त लकड़ी काटने की अनुमति दी गई थी और वनमंडलाधिकारी(पी), सिवनी के संबंध में तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसके अतिरिक्त, वनमंडलाधिकारी(पी), हरदा के उत्तर ने विवेकपूर्ण दोहन के माध्यम से वन संरक्षण के प्रति विभागीय अधिकारियों की उदासीनता का संकेत दिया।

### 6.6.3 अतिक्रमण के कारण राजस्व की हानि

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 80ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो धारा 20 या 29 के अंतर्गत आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में गठित क्षेत्रों में किसी भी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेता है या उस पर कब्जा जारी रखता है, जैसा भी प्रकरण हो, इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के अंतर्गत उसके विरुद्ध की जानेवाली किसी भी कार्रवाई के प्रति बिना पूर्वाग्रह के, उसे एक वन अधिकारी, जो कि वनमंडलाधिकारी के पद से नीचे का न हो, के आदेश से अविलम्ब निष्कासित कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

**6.6.3.1** कार्य-योजना के अनुसार छह मंडलों में 60,822.829 हे. वन भूमि पर अतिक्रमण था। हालाँकि, मंडल अधिकारियों ने अपने उच्चाधिकारियों को वनाधिकार के निर्णित प्रकरण (12,065.306 हे.), वनाधिकार के लंबित प्रकरण (2,26.266 हे.) तथा वनाधिकार अधिनियम, 1980 लागू होने से पूर्व के अतिक्रमण (7,10.914 हे.) में शामिल क्षेत्र सहित

[5] छिंदवाड़ा पूर्व(जी), हरदा(जी), नर्मदापुरम(जी), रायसेन(जी), रीवा(जी), शहडोल उत्तर(जी), सीधी(जी) और सिवनी(पी)।

[6] छिंदवाड़ा पूर्व (जी), उत्तर शहडोल (जी), रीवा (जी) और सीधी (जी)।

[7] डीएफओ (जी) नर्मदापुरम और रायसेन।

मात्र 34,442.404 हे. पर अतिक्रमण होना बताया था। इस प्रकार, 26,380.425 हे. कम अतिक्रमण होना बताया गया था। सूचना न देने के कारण उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों में यह बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि मंडलों ने अतिक्रमण को रिक्त करवाने के लिए कोई कार्रवाई की थी, जिसके परिणामस्वरूप वन क्षेत्र (47,820.343 हे.[8]) पर अवैध कब्जा जारी रहा, जिससे वनों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसंबर 2023) कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत शेष भूमि के लिए वन अधिकार का दावा करने की प्रक्रिया प्रगति पर है और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक अतिक्रमण हटाना संभव नहीं है। हालाँकि, नये अतिक्रमणों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसमें अतिक्रमणों को शीघ्र हटाने के विषय में आश्वासन का अभाव है।

**6.6.3.2** रायसेन (जी) मंडल में, कार्य-योजना(2013-14 से 2022-23) के अनुसार, कुल 1,54,628.02 हे. में से 19,321.27 हे. वन भूमि अतिक्रमित थी और तीन कूप जो आंशिक रूप से अतिक्रमित क्षेत्रों में थे, में कटाई की जानी थी। मंडल खाली करवाने की कार्रवाई में विफल रहा और परिणामस्वरूप, अतिक्रमित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले उन भागों में कटाई नहीं की जा सकी। विवरण नीचे **तालिका 6.5** में दिया गया है:

**तालिका 6.5: अतिक्रमित क्षेत्र में नहीं काटे गए क्षेत्र का विवरण**

| कॉलम | विवरण | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| ए | रायसेन (जी) मंडल के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान कटाई हेतु चयनित कूपों का कुल क्षेत्रफल | 13,686.45 |
| बी | अतिक्रमित क्षेत्र के अंतर्गत कूपों का क्षेत्रफल | 1,012.49 |
| सी | कुल क्षेत्र जिसमें कटाई हुई (तीन कूपों में) | 13,093.37 |
| डी | क्षेत्र जिसमें कटाई नहीं हुई (अतिक्रमित क्षेत्र के भीतर) (ए घटाव सी) | 593.08 |

इस प्रकार, अतिक्रमण का संज्ञान लेने और यथार्थवादी कार्य-योजना तैयार करने में संबंधित वनमंडलाधिकारी की विफलता के कारण 593.08 हेक्टेयर (5,663.91 घन मी.[9] इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी सहित) में पेड़ों की कटाई नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़[10] के राजस्व की हानि हुई।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसंबर 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई राजस्व हानि की गणना गलत है। लेखापरीक्षा ने पेड़ों की औसत मात्रा 19.1 घन मी. प्रति हे. माना है जिसका अर्थ है कि घने वन(36.2 प्रतिशत), विरल वन(34.9 प्रतिशत), खुले वन(12.14 प्रतिशत), वन गांव(4.5 प्रतिशत), अतिक्रमण(11.84 प्रतिशत) और अन्य(33 प्रतिशत) नगण्य है। इसलिए, अतिक्रमित क्षेत्र के साथ पेड़ों की औसत मात्रा का गुणन पूर्णतः गलत है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने उत्पादन क्षमता को 50 प्रतिशत माना है जो वास्तव में 33 प्रतिशत (6.1 घन मी.) है और यह घने और विरल वनों से प्राप्त होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य-योजना के परिशिष्ट 18 एवं 33 में ही पेड़ों की औसत मात्रा 19.1 घन मी. प्रति हे. बताई गई है और यदि उपज 33 प्रतिशत भी मानी जाए तो राजस्व हानि ₹ 0.96 करोड़[11] बैठती है।

---

8 60,822.829 हे - (वन अधिकार का क्षेत्र = 12,065.306 हे, लंबित वन अधिकार का क्षेत्र = 226.266 हे और 1980 से पहले अतिक्रमण का क्षेत्र = 710.914 हे)

9 कार्य-योजना के अनुसार चिंहांकन एवं विदोहन कार्य के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत क्षेत्र ही निर्धारित है तथा मंडल में औसत लकड़ी 19.1 घन मी. प्रति हे. है। (593.08/2 *19.1)

10 3,106.66 घन मी. (इमारती लकड़ी) x ₹ 2,896 प्रति घन मी. = ₹ 89,96,887
2,557.25 घन मी. (जलाऊ लकड़ी) x ₹ 2,183 प्रति घन मी. = ₹ 55,82,477
**कुल = ₹ 1,45,79,364**

11 विभागीय उत्तर के अनुसार घने एवं विरल वनों से 33 प्रतिशत वनोपज प्राप्त होता है तथा मंडल में इमारती लकड़ी का औसत 19.1 घन मी. प्रति हे. है। (593.08/3 *19.1) = 3,738.18 घन मी.
2,050.39 घन मी. (इमारती लकड़ी ) x ₹ 2,896 प्रति घन मी.= ₹ 59,37,929
1,678.79 घन मी. (जलाऊ लकड़ी ) x ₹ 2,183 प्रति घन मी.= ₹ 36,64,799
**कुल = ₹ 96,02,728**

### 6.6.4 स्टंप की उपस्थिति के कारण राजस्व की हानि

अवैध कटाई के प्रकरणों में वन विभाग के सभी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये, शासन ने निर्देश जारी किया था (फरवरी 2004), जिसमें वन विभाग के कर्मचारियों की चूक के कारण अवैध कटाई होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, पीसीसीएफ ने सभी संबंधित मंडलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था (मार्च 2005) कि रेंज असिस्टेंट (आरए) कूप में उपलब्ध स्टंप्स का विवरण 'मार्किंग बुक' में दर्ज करें, जिसमें उनके होने की वजह और यह पता लगाना भी शामिल है कि क्या इन स्टंप्स के लिए 'प्रिलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट (पीओआर)' दर्ज किया गया है या नहीं। विवरण को आगे रेंज अधिकारी और एसडीओ द्वारा सत्यापित किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने नौ मंडलों[12] में पाया कि 108 कूपों में कटाई के लिए चिन्हांकित 79,108 पेड़ों में से 15,929 स्टंप या पोलार्ड[13] थे, जो इन कूपों में चिन्हांकित कुल पेड़ों के 10.18 से 100 प्रतिशत के बीच थे।

हालाँकि, इन मंडलों में 'मार्किंग बुक्स' की जांच से पता चला कि इनमें से किसी भी स्टंप के संबंध में पीओआर पंजीकृत नहीं किया गया था और न 'मार्किंग बुक्स' में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, बिना पंजीकृत पीओआर के स्टंप की उपस्थिति, वसूली के बिना अवैध कटाई का संकेत देती है, जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹1.09 करोड़ का नुकसान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 6.1** में दिखाया गया है।

लापरवाही के कारण हुई अवैध कटाई के लिए संबंधित वनकर्मियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वनमंडलाधिकारी (जी) उमरिया, दक्षिण शहडोल, उत्तर शहडोल और पश्चिम मंडला ने बताया कि पेड़ों के 'इवैल्यूएशन फॉर्म फैक्टर' के अनुसार, छाती की ऊंचाई के ऊपर के पेड़ों की परिधि के कारण उत्पादन की मात्रा में अंतर आया है। हरदा, सीहोर और रायसेन के वनमंडलाधिकारी (जी) ने बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद अलग से उत्तर भेजा जाएगा। वनमंडलाधिकारी (जी), होशंगाबाद ने बताया कि भुगतान रेंज अधिकारी द्वारा मार्किंग के सत्यापन के बाद किया जाता है। वनमंडलाधिकारी (जी), डिंडोरी ने बताया कि मार्किंग कार्य-योजना के अनुसार की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वांछित टिप्पणियां (अर्थात्, स्टंप विभागीय कटाई के कारण था) या पीओआर (अर्थात्, अवैध कटाई के लिए जहां अपराधियों की पहचान की गई है और अपराध का प्रशमन किया गया है) 'मार्किंग बुक' में दर्ज नहीं की गई हैं जिनके अभाव में कूपों में पेड़ों की अवैध कटाई की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आगे, प्रकरण की प्रगति प्रतिक्षित है (मार्च 2024)।

### 6.6.5 चिन्हांकित कूपों में पेड़ों की कटाई नहीं होने से राजस्व हानि

कूप वन मंडलों की कार्य-योजना में निर्धारित सीमांकित वनक्षेत्र हैं जहां निर्धारित वर्ष में कटाई की जानी है। पीसीसीएफ ने सभी संबंधित मंडलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (नवंबर 2004) कि कूपों में पेड़ों का सीमांकन, पहचान, चिंहांकन और कटाई कार्य-योजना के अनुसार की जाये।

लेखापरीक्षा ने आठ मंडलों[14] में पाया कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान 90 कूपों में 1,78,597 पेड़ों को काटने के लिए चिन्हांकित किया गया था और इस कटाई से 20,174 घन मी. इमारती लकड़ी और 12,048 घन मी. जलाऊ लकड़ी की प्राप्ति का अनुमान था। इसके विरुद्ध, मंडलों ने 1,12,302 पेड़ काटे, जिससे 8,748 घन मी. इमारती लकड़ी और 8,286 घन मी. जलाऊ लकड़ी प्राप्त हुई। इस प्रकार, 66,295 पेड़ों की कम कटाई के कारण 11,426 घन मी.

[12] डिंडोरी (जी), हरदा (जी), नर्मदापुरम (जी), मंडला पश्चिम(जी), रायसेन (जी) , सीहोर (जी), शहडोल उत्तर(जी) शहडोल दक्षिण (जी) और उमरिया (जी)।

[13] स्टंप एक मीटर तक की ऊंचाई के अवैध रूप से काटे गए पेड़ के अवशेष हैं और पोलार्ड एक से दो मीटर की ऊंचाई के।

[14] बैतूल(पी), हरदा(पी), खंडवा(पी), नर्मदापुरम(जी), शहडोल उत्तर(जी), शहडोल दक्षिण(जी), सिंगरौली(जी) और उमरिया(जी)।

इमारती लकड़ी और 3,762 घन मी. जलाऊ लकड़ी की कम प्राप्ति हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹13.30 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध हुआ। वर्षवार विवरण नीचे **तालिका 6.6** में है:

**तालिका 6.6: चिन्हांकित पेड़ों की कम कटाई**

| वर्ष | कटाई के लिए चिन्हांकित पेड़ों की संख्या | काटे गए पेड़ों की संख्या |
|---|---|---|
| **2018-19** | 22,693 | 16,078 |
| **2019-20** | 21,391 | 15,606 |
| **2020-21** | 51,803 | 26,060 |
| **2021-22** | 82,710 | 54,458 |
| कुल | **1,78,597** | **1,12,202** |

शासन ने उत्तर में बताया (दिसंबर 2023) कि उक्त मंडलों के अंतर्गत कटाई के लिए चिन्हांकित सभी पेड़ों को काट दिया गया है और जहां भी कमी है वह नगण्य है। उक्त मंडलों के 1,282 कूपों में कटाई हेतु चिन्हांकित 10,83,453 पेड़ों के विरूद्ध 10,36,929 पेड़ों की कटाई की जा चुकी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त मंडलों के अंतर्गत सभी कूपों (1282) में कटाई का विवरण प्रदान किया गया है, जबकि विशिष्ट 90 कूपों में कटाई में कमी 37 प्रतिशत (नियोजित कटाई के विरुद्ध) थी, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था।

## 6.6.6 अनुमान की तुलना में वास्तविक उत्पादन में भिन्नता के कारण राजस्व की हानि

एपीसीसीएफ (पी) द्वारा जारी (मार्च 2004) निर्देशों के अनुसार, इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी के अनुमानित और वास्तविक उत्पादन के बीच 10 प्रतिशत का अंतर स्वीकार्य है। पीसीसीएफ ने आगे निर्देश दिया (जुलाई 2015) कि अत्यधिक भिन्नता के कारणों का परीक्षण और उनका समाधान, सामान्य और उत्पादन, दोनों मंडलों के कर्मचारियों के संयुक्त निरीक्षण (विदोहन के दौरान) द्वारा किया जा सकता है।

### *6.6.6.1 अनुमान की तुलना में वास्तविक में कमी*

लेखापरीक्षा ने छह मंडलों[15] में पाया कि 63 कूपों में कुल 1,07,573 पेड़ कटाई के लिए चिन्हित थे, जिनसे 10,323 घन मी. इमारती लकड़ी और 5,506 घन मी. जलाऊ लकड़ी का उत्पादन अनुमानित था। इसके विरुद्ध, चिन्हांकित पेड़ों की कटाई से 6,813 घन मी. इमारती लकड़ी और 3,493 घन मी. जलाऊ लकड़ी का वास्तविक उत्पादन हुआ। 63 कूपों में इमारती लकड़ी / जलाऊ लकड़ी के उत्पादन में कमी 12 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि अनुमानित और वास्तविक उत्पादन के बीच 10 प्रतिशत से अधिक भिन्नता के बावजूद, संबंधित सामान्य और उत्पादन मंडल इस अंतर के समाधान के लिए संयुक्त निरीक्षण करने में विफल रहे।

कटाई की मात्रा की निगरानी करने और समाधान करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹5.18 करोड़[16] के राजस्व की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट 6.2(i)** में बताया गया है।

### *6.6.6.2 वास्तविक उत्पादन की गणना के दौरान इमारती लकड़ी का जलाऊ लकड़ी में अनियमित संपरिवर्तन*

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन मंडलों[17] के 54 कूपों में इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी का कुल अनुमानित उत्पादन 751 घन मी. था। इसके विरुद्ध वास्तविक उत्पादन 779 घन मी. हुआ था, जो अनुमान से अधिक (चार प्रतिशत) था, जिससे यह संकेत मिलता है कि उत्पादन का अनुमान बहुत अच्छा था।

15 हरदा (पी), खंडवा (पी), रायसेन (पी), देवास (जी), रीवा (जी) और शहडोल दक्षिण (जी)।

16 नुकसान की गणना 10 प्रतिशत स्वीकार्य भिन्नता को घटाकर की गई है।

17 बैतूल (पी), सतना (जी) और सीधी (जी)।

हालाँकि, वास्तविक उत्पादन के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि 493 घन मी. इमारती लकड़ी के अनुमान के विरुद्ध, मंडलों ने वास्तव में 302 घन मी. इमारती लकड़ी (39 प्रतिशत की कमी) ही प्राप्त किया था। जलाऊ लकड़ी के संबंध में, मंडलों ने 258 घन मी. के अनुमान के विरुद्ध 477 घन मी. जलाऊ लकड़ी प्राप्त की, जिससे 85 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ।

इस प्रकार, मंडलों ने बोलीदाताओं को लाभ पहुंचाने हेतु वास्तविक उत्पादन की गणना के समय अनियमित रूप से इमारती लकड़ी को जलाऊ लकड़ी में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि इमारती लकड़ी[18] की तुलना में जलाऊ लकड़ी सस्ती है। इमारती लकड़ी के उत्पादन में अधिक अंतर (39 प्रतिशत) के बावजूद, विभाग ने वास्तविक गणना की जांच करने या संबंधित सामान्य और उत्पादन मंडलों के बीच संयुक्त भौतिक सत्यापन के माध्यम से इसकी निगरानी करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार, इमारती लकड़ी के जलाऊ लकड़ी में अनियमित संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप 0.45 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई। विवरण **परिशिष्ट 6.2(ii)** में दिया गया है।

इमारती लकड़ी के कम उत्पादन, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई, के लिए विभाग संबंधित मंडलों पर जिम्मेदारी तय कर सकता है।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसंबर 2023) कि खंडवा मंडल में उत्पादन में 13.64 प्रतिशत की कमी हुई क्योंकि मृत, म्रियमाण या रोगग्रस्त पेड़ों को कटाई के लिए चिह्नित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, इन मंडलों में इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी के उत्पादन में औसत/कुल कमी केवल चार प्रतिशत थी जो स्वीकार्य सीमा के भीतर थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमानित मात्रा मृत, म्रियमाण या रोगग्रस्त पेड़ों पर विचार करने के बाद निकाली जाती है। अभिलेखों के अनुसार, खंडवा में वास्तविक कमी 39.80 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर में दिया गया विवरण उपरोक्त मंडल के समस्त कूपों से संबंधित हैं। जबकि यह अवलोकन लेखापरीक्षा द्वारा चयनित और टिप्पणी किए गए 63 कूपों से संबंधित है। इन कूपों में कमी 10 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से 12 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच अधिक थी।

इसके अतिरिक्त, वास्तविक उत्पादन की गणना में इमारती लकड़ी का जलाऊ लकड़ी में अनियमित संपरिवर्तन करने के विषय पर शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया (मार्च 2024)।

### 6.6.7 बांस के कम उत्पादन से राजस्व की हानि

सीसीएफ (उत्पादन) ने 1984 के पूर्वादेश को स्पष्ट करते हुए कहा था (जून 1995) कि बांस के विदोहन में अनुमानित और वास्तविक उत्पादन के बीच कोई अंतर (इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी के संबंध में लागू 10 प्रतिशत का अंतर) अनुमत्य नहीं है। हालाँकि, एपीसीसीएफ (उत्पादन) ने अपने परिपत्र (फरवरी 2009) में कहा है कि यदि बांस के अनुमानित और वास्तविक उत्पादन में अंतर ±10 प्रतिशत से अधिक या कम होता है या लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जाता है, तो सभी अधिकारी/ कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने छह मंडलों[19] में पाया कि अनुमानित उत्पादन (6,872.164 एनटी औद्योगिक और 8,322.856 एनटी वाणिज्यिक) के विरुद्ध 60 विभिन्न कूपों में बांस के वास्तविक उत्पादन (2780.61 एनटी औद्योगिक और 2529.12 एनटी वाणिज्यिक) में 13 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच कमी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.31 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। विवरण **परिशिष्ट 6.3** में दिया गया है।

---

18 इमारती लकड़ी का न्यूनतम औसत नीलामी मूल्य ₹8685 है, जबकि जलाऊ लकड़ी का ₹1820 है।

19 बैतूल (पी), हरदा (पी), खंडवा (पी), सिवनी (पी), नर्मदापुरम (जी) और शहडोल उत्तर (जी)।

विचलन की अनुमति न होने के संबंध में सीसीएफ के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, वास्तविक उत्पादन की निगरानी करने में मंडल विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की हानि हुई। उत्पादन में कमी के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसंबर 2023) कि अनुमानित और वास्तविक उत्पादन में अंतर हो सकता है। ± 10 प्रतिशत के अनुमत्य अंतर से संबंधित निर्देश (जून 1995) बांस के कूपों पर लागू नहीं होते हैं।

निम्नलिखित कारणों से उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है:

(1) जून 1995 के आदेश ने बांस कटाई के प्रकरण में अनुमान और वास्तविक के बीच किसी भी अंतर की अनुमति नहीं दी थी।

(2) फरवरी 2009 के आदेश ने बांस के प्रकरण में ±10 प्रतिशत के अंतर की अनुमति देते हुए अंतर के लिए जिम्मेदारी तय करने को कहा था।

लेखापरीक्षा ने ±10 प्रतिशत अंतर की अनुमति देने के बाद न्यूनतम हानि की गणना करने के लिए फरवरी 2009 के आदेश को संज्ञान में लिया है। यदि जून 1995 का आदेश जिसने बांस के संबंध में किसी भी अंतर की अनुमति नहीं दी, का अनुपालन किया जाता है तो अंतर और हानि बहुत अधिक होगी।

विभाग अनुमान की तुलना में बांस के कम उत्पादन के कारणों की जांच कर सकता है।

### 6.6.8 पारगमन शुल्क की वसूली कम होना/ न होना

मप्र शासन ने वनभूमि से खनिजों के परिवहन के संबंध में निर्देश जारी किये (मई 2001) जिसके अंतर्गत पट्टाधारक को वन विभाग को पारगमन शुल्क का भुगतान करना होगा। खनिज संसाधन विभाग समय-समय पर पारगमन शुल्क की वसूली से संबंधित अभिलेख वनमंडलाधिकारी को उपलब्ध करायेगा; इसके बाद पारगमन शुल्क को वन विभाग के राजस्व मद में समायोजित किया जाएगा। वनमंडलाधिकारी को पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को खनिज संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए पारगमन शुल्क के अभिलेख के साथ मिलान करना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उचित पारगमन शुल्क सरकारी खाते में जमा किया जा रहा है। आगे, कोयला एवं चूनापत्थर इत्यादि के लिए पारगमन शुल्क की दर ₹ सात प्रति मीट्रिक टन तय की गई थी (मई 2001) और, संशोधित कर (मार्च 2020) ₹ 57 प्रति मीट्रिक टन की गई थी।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई:

**6.6.8.1** सतना एवं सिंगरौली मंडलों में, अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि छह पट्टाधारकों[20] ने 5.54 करोड़ मीट्रिक टन कोयला एवं चूनापत्थर भिजवाया था और पारगमन शुल्क के रूप में केवल ₹205.80 करोड़ की राशि जमा किया था। हालांकि, खनिज संसाधन विभाग के अभिलेखों का प्रति-सत्यापन करने पर पता चला कि उन्होंने 11.83 करोड़ मीट्रिक टन खनिज भेजा था, जिसके लिए पारगमन शुल्क के रूप में कुल ₹464 करोड़ रुपये का भुगतान करना आवश्यक था। इस प्रकार, पट्टाधारक ने ₹258.20 करोड़ रुपये की पारगमन शुल्क का भुगतान किये बिना 6.29 करोड़ मीट्रिक टन खनिज भेज दिया था।

संबंधित विभागों के बीच प्रति-सत्यापन की प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप शासकीय राजस्व की कम वसूली हुई।

**6.6.8.2** झाबुआ और उत्तर शहडोल मंडलों में, दो पट्टाधारकों ने 2.98 लाख मीट्रिक टन कोयला और रॉक फॉस्फेट का परिवहन किया और मंडलों को पट्टाधारकों से ₹ 1.18 करोड़ का पारगमन शुल्क प्राप्त हुआ। अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वास्तविक देय शुल्क ₹1.69 करोड़ था। परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करते समय विवरणों को सत्यापित करने और उचित शुल्क वसूलने में विभाग की निष्क्रियता के कारण ₹ 0.51 करोड़ के शासकीय राजस्व की कम वसूली हुई।

20 मेसर्स हीरालाल रामेश्वर प्रसाद, खड़िया प्रोजेक्ट, सासन प्रोजेक्ट, अमलोरी माइंस, दुधीचुवा माइंस और झिरगुड़ा माइंस।

सतना और सिंगरौली के वनमंडलाधिकारी (जी) ने उत्तर में बताया (जुलाई और अगस्त 2022) कि कार्रवाई की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। जबकि झाबुआ और दक्षिण शहडोल के वनमंडलाधिकारी (जी) ने बकाया पारगमन शुल्क की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पट्टाधारकों की निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप पारगमन शुल्क की चोरी/कम भुगतान के बारे में उत्तर मौन हैं। वसूली की सूचना नहीं दी गई है (मार्च 2024)।

## 6.7 वन प्राप्तियों का निर्धारण एवं संग्रहण

वन प्राप्तियों के निर्धारण और संग्रहण से संबन्धित कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

### 6.7.1 लीज रेंट एवं डिविडेंड की वसूली न/कम होने के कारण शासन को हानि

मप्र वित्तीय संहिता, खंड-एक के अध्याय-दो के अनुसार, यह सुनिश्चित करना संबंधित प्रशासनिक विभाग का कर्तव्य है कि शासन को देय राशि का समुचित और त्वरित निर्धारण, संग्रहण और कोषागार में नियमित प्रेषण हो।

मप्र शासन ने निर्णय लिया (नवंबर 1979) कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम (एमपीएसएफडीसी), 'परियोजना एक' या 'क्राप वन' क्षेत्रों[21] से बांस और सागौन की बिक्री से निगम द्वारा प्रतिवर्ष अर्जित शुद्ध राजस्व में से दो प्रतिशत वन विभाग को लीज रेंट के रूप में भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग ने निर्णय लिया (जुलाई 2005) कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर-पश्चात-लाभ का 20 प्रतिशत राज्य शासन को डिविडेंड के रूप में भुगतान करेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 'एमपीएसएफडीसी' द्वारा वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए लीज रेंट की गणना और भुगतान नवंबर 2020 से किया गया था और 13 महीने से 17 महीने के विलंब के बाद मार्च 2022 में लीज रेंट का भुगतान किया गया था। वर्ष 2020-21 के लिए लीज रेंट की राशि निगम द्वारा ₹ 55.13 करोड़ में से ₹ 50.13 करोड़ का भुगतान किया जाना बाकी था, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए लीज रेंट की न तो गणना की गई थी और न ही भुगतान किया गया था।

निगम ने 2018-19 से 2019-20 की अवधि के लिए डिविडेंड का भुगतान 11 महीने से 23 महीने के बीच की देरी से किया। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के डिविडेंड की न तो गणना की गई और न ही एमपीएसएफडीसी द्वारा भुगतान किया गया।

भुगतान में विलंब/ भुगतान न होने के बावजूद, विभाग निगम से इसकी वसूली करने में विफल रहा। इसके कारण अभिलेखों में नहीं थे। इससे शासन को ब्याज के रूप में 23.12 करोड़[22] रुपये की हानि हुई।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसंबर 2023) कि निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं के अनुमोदन में विलंब के कारण देनदारी हुई। लीज रेंट और डिविडेंड की राशि के निर्धारण एवं अनुमोदन का दायित्व उसके बाद बना, और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अंतर्गत भुगतान किया गया। विलंब कोविड-19 महामारी के कारण हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे सितंबर 2019 में तैयार और प्रस्तुत किये जाने चाहिए थे, जबकि कोविड-19 के कारण प्रतिबंध जनवरी 2020 के बाद शुरू हुआ। एमपीएसएफडीसी द्वारा आगामी वर्षों के लिए डिविडेंड और लीज रेंट के भुगतान में देरी के बारे में भी उत्तर मौन है।

[21] परियोजना एक या क्राप एक क्षेत्र बांस और लकड़ी की खड़ी फसल वाली वन भूमि है जिसे वन विभाग द्वारा एमपीएसएफडीसी को हस्तांतरित किया जाता है।

[22] एमपीएसएफडीसी के 17 जुलाई 2020 के पत्र में उल्लिखित एफडीआर पर सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लागू

### 6.7.2 परिवहन ठेकेदार से सिक्योरिटी डिपॉजिट एवं अर्थदण्ड न प्राप्त होना

वनोपज के परिवहन के लिए परिवहन अनुबंध की शर्त 6 में कहा गया है कि ठेकेदार सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में परिवहन के ठेके की कुल राशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य किसी भी अनुसूचित बैंक का क्रॉसड बैंक ड्राफ्ट/डिपॉजिट एट कॉल/फिक्स्ड डिपॉजिट/ बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। उपरोक्त अनुबंध की शर्त 12, यह निर्धारित करती है कि यदि ठेकेदार अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है एवं ठेकेदार सम्पूर्ण सिक्योरिटी डिपॉजिट या उसके कुछ अंश की जब्ती और अनुबंध की अवधि के दौरान या अगले वर्ष तक शासकीय ट्रकों सहित परिवहन के अन्य साधनों को उपयोग में लाने के लिए शासन को स्वीकृत निविदा दर से 33.33 प्रतिशत अधिक दर पर क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य होगा।

लेखापरीक्षा ने हरदा (पी), रायसेन (पी) और नर्मदापुरम (जी) मंडलों के परिवहन अनुबंध के 36 प्रकरणों में पाया कि ठेकेदारों द्वारा ₹10.88 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रस्तुत नहीं की गई थी, फिर भी उन्हें कार्य सौंपा गया था और निष्पादन शुरू कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध की शर्त का अनुपालन नहीं हुआ और ठेकेदारों को अनुचित आर्थिक लाभ दिया गया।

इसके अतिरिक्त, अन्य प्रकरणों में, यह देखा गया कि हरदा(पी), खंडवा(पी) और रायसेन(पी) मंडलों में, कूपों से 8,561 घन मी. लकड़ी के परिवहन के लिए कुल 22 परिवहन अनुबंध निष्पादित किए गए थे। हालाँकि, कटाई की वास्तविक मात्रा 6,904.99 घन मी. थी, जिसके विरुद्ध ठेकेदारों ने 4,347.15 घन मी. का परिवहन किया और 2,557.84 घन मी. लकड़ी कूपों में ही छोड़ दिया। इस प्रकार, ठेकेदार ने चूक की, और स्वीकृत निविदा दर से 33.33 प्रतिशत अधिक दर पर क्षतिपूर्ति आरोपित किया जाना और ठेकेदार से वसूला जाना चाहिए था। विभाग द्वारा ₹24.17 लाख की आरोप्य क्षतिपूर्ति न तो आरोपित की गई और न ही वसूली गई, जिसके परिणामस्वरूप शासन को हानि हुई।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसंबर 2023) कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ठेकेदार के देयकों से काट ली गई है। हरदा एवं खंडवा उत्पादन मंडलों में वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए सभी 64 परिवहन समूहों में परिवहन ठेकेदारों से ठेका राशि के 10 प्रतिशत से अधिक की वसूली की गई तथा 10,339 घन मी. की अधिसूचित अनुमानित मात्रा के विरुद्ध 7,675.632 घन मी. वनोपज का परिवहन किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए किसी भी प्रकरण में वसूल की गई राशि की जानकारी नहीं दी गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने 22 अनुबंधों में लकड़ी की निष्कर्षित मात्रा का परिवहन न होने को इंगित किया है। इन 22 अनुबंधों में अनुबंध की शर्त 12 के प्रावधान के अनुसार संपूर्ण निष्कर्षित मात्रा का परिवहन नहीं करने पर ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति वसूल नहीं की गई।

### 6.7.3 वन अपराध के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति का कम निर्धारण एवं वसूली

भारतीय वन अधिनियम की धारा 68 (मप्र शासन की मार्च 2010 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) के अनुसार, वन अपराध के शमन के लिए, क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली गई राशि वनोपज के मूल्य के दोगुने से कम नहीं होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने छह मंडलों[23] में पाया कि वन अपराध के 105 प्रकरणों में जब्त वनोपज का मूल्य ₹ 2.24 लाख आकलित किया गया था। हालाँकि, अपराधियों के विरुद्ध अपराध के प्रकरणों को ₹ 4.48 लाख के बजाय ₹ 1.46 लाख की क्षतिपूर्ति की वसूली के बाद समाप्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.02 लाख का कम अर्थदण्ड लगाया गया।

वन अपराध के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति की कम वसूली पर उत्तर मौन है।

[23] देवास (जी), डिंडोरी (जी), हरदा (जी), झाबुआ (जी), रायसेन (जी) और सतना (जी)।

### 6.7.4 डिपो में पुनर्मापन पर वनोपज में कमी से हानि

एसीसीएफ (उत्पादन) ने निर्देश दिया (मार्च 2003) कि कूपों में माप के दौरान विभिन्न परिधि वर्गों के लिए सीसीएफ (उत्पादन) के निर्देशों (अक्टूबर 1997) में बताए गए कारणों से छूट के प्रावधान पर विचार किया जा सकता है और डिपो में पुनर्मापन के दौरान छूट का कोई प्रावधान नहीं है, और यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसकी वसूली कूप प्रभारी से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पीसीसीएफ ने डिपो में प्राप्त हुई जब्त सामग्री की मात्रा में कमी देखी (जनवरी 2005) और निर्देश दिया कि मिलान के बाद, कमी की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जावे।

**6.7.4.1** लेखापरीक्षा ने छह मंडलों[24] में पाया कि 106 कूपों से 4847.53 घन मी. लकड़ी डिपो भेजी गई थी। डिपो में पुनर्मापन पर 4,682.61 घन मी. लकड़ी पाई गई। इस प्रकार, 164.92 घन मी. लकड़ी कम थी। इससे ₹ 27.76 लाख की हानि हुई।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसंबर 2023) कि खंडवा में कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और सतना में प्रकरण की जांच वनमंडलाधिकारी द्वारा की जा रही है जबकि अन्य मंडलों में कोई कमी नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को दिखाए गए सभी मंडलों से संबन्धित अभिलेखों में कूपों से डिपो तक परिवहन की गई लकड़ी की मात्रा में कमी प्रकट हुई थी, और इसलिए इसकी यथोचित जांच की जाये।

**6.7.4.2** लेखापरीक्षा ने 10 मंडलों[25] में पाया कि वन अपराध के 179 प्रकरणों में कुल 339.196 घन मी. सामग्री जब्त की गई और मंडलों के बिक्री डिपो ले जाई गई, डिपो में पुनर्मापन पर 32.72 घन मी. की कमी देखी गई। इस प्रकार, डिपो में प्राप्त सामग्री 9.65 प्रतिशत तक कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.55 लाख की हानि हुई, जिसकी वसूली संबंधित कर्मचारियों से की जानी चाहिये।

उमरिया(जी), दक्षिण शहडोल और बैतूल (पी) के वनमंडलाधिकारियों ने उत्तर में बताया (सितंबर और अक्टूबर 2022) कि सामान्य मंडल द्वारा निष्कर्षित लकड़ी का मापन लकड़ी के दोनों सिरों को संज्ञान में लेकर किया जाता है, और पुनर्मापन दोनों सिरों को छोड़कर किया गया था। वनमंडलाधिकारी(जी), रायसेन ने बताया (सितंबर 2022) कि वसूली प्रगति पर है। वनमंडलाधिकारी(पी), देवास ने बताया (सितंबर 2022) कि कार्रवाई सामान्य मंडल द्वारा की जाएगी। जबकि वनमंडलाधिकारी(जी), हरदा ने बताया (मार्च 2022) कि सूखने के कारण लकड़ी की परिधि घट जाती है और यह लट्ठों से बल्लियों में परिवर्तित हो जाती है। वनमंडलाधिकारी (जी), सीहोर और वनमंडलाधिकारी(जी), पूर्वी छिंदवाड़ा ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। वनमंडलाधिकारी(जी), सिंगरौली ने बताया (अगस्त 2022) कि टंकण में त्रुटि हुई थी। वनमंडलाधिकारी(जी), सीधी ने बताया (जुलाई 2022) कि विलंब के कारण मात्रा में कमी हुई।

वनमंडलाधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय निर्देशानुसार कूप में माप एवं डिपो में पुनर्मापन में अंतर नहीं हो सकता, मापने की प्रक्रिया एक जैसी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, वसूली के संबंध में वनमंडलाधिकारी(जी), रायसेन द्वारा वसूली से संबन्धित कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और वनमंडलाधिकारी(जी), सिंगरौली उत्तर के समर्थन में अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सके।

### 6.7.5 भौतिक सत्यापन में वनोपज की कमी से हानि

मप्र वित्तीय संहिता के नियम 22(1) के अनुसार, किसी भी हानि की सूचना विभागीय प्रमुख (एचओडी) के साथ-साथ महालेखाकार (एजी) को दी जानी चाहिए और जांच के बाद वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

---

[24] हरदा(पी), खंडवा(पी), रायसेन(पी), उत्तर शहडोल(जी), सतना(ग) एवं सिंगरौली (जी)।

[25] बैतूल (पी), देवास (पी), रायसेन (पी), छिंदवाड़ा पूर्व (जी), हरदा (जी), सीहोर (जी), दक्षिण शहडोल (जी), सीधी (जी), सिंगरौली (जी) और उमरिया (जी)।

लेखापरीक्षा ने 11 मंडलों[26] में पाया कि 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान वन अधिकारियों द्वारा किए गये डिपो के भौतिक सत्यापन में ₹26.85 लाख मूल्य की 8.77 घन मी. सागौन की लकड़ी, 98,760 बांस, 9,303 बल्लियाँ और 520.5 घन मी. जलाऊ लकड़ी कम पाई गई थी। कमी के कारण अभिलेख में नहीं थे। इसके अतिरिक्त, इन हानियों के प्रकरणों को अनुवर्ती कार्रवाई जैसे कि हानि के कारण, जिन परिस्थितियों में हानि हुई और भविष्य में हानि को रोकने के लिए किए गए निवारक उपाय के लिए एचओडी/ एजी को प्रतिवेदित किया जाना नहीं पाया गया।

शासन ने उत्तर में बताया कि वनोपज का नुकसान प्राकृतिक अपघटन, मंडल के कर्मचारियों द्वारा सामग्री के रखरखाव में लापरवाही और नगरीय प्रशासन को प्रदान की गई सामग्री (बांस, बल्लियाँ, इत्यादि) वापस न करने के कारण हुआ है। अपघटन के प्रकरणों में बट्टे खाते में डालने की कार्यवाही तथा लापरवाही के प्रकरणों में लापरवाह कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त, नगरीय प्रशासन को प्रदान की गई सामग्री की वसूली (मौद्रिक/भौतिक) के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। यह भी बताया गया कि रायसेन (जी) एवं देवास (जी) मंडलों में फिलहाल वनोपज की कोई कमी नहीं है। नर्मदापुरम (जी) में वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शेष आठ मंडलों में वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर अपघटन के कारण नष्ट हुई मात्रा पर मौन है। अपघटन के कारण नष्ट हुई वनोपज के मूल्य के बारे में लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाए। नर्मदापुरम (जी) मंडल में जारी आदेश के परिणाम से तथा शेष आठ मंडलों में की जा रही कार्यवाही की प्रगति से भी अवगत करवाया जाए।

### 6.7.6 लकड़ी का निस्तारण न होने से राजस्व की हानि

भारतीय वन अधिनियम की धारा 58 के अनुसार, मजिस्ट्रेट भारतीय वन अधिनियम की धारा 52[27] के अंतर्गत जब्त की गई किसी भी संपत्ति जो शीघ्र और भौतिक रूप से नष्ट हो सकती है, की बिक्री का निर्देश दे सकता है।

लेखापरीक्षा ने आठ मंडलों[28] में पाया कि वन अपराध के 190 प्रकरणों में जब्त की गई लकड़ी के 5,316 लट्ठे (363.19 घन मी.) 36 वर्षों से अधिक समय से बिना निपटान के पड़े थे। चूंकि मुकदमेबाजी की दीर्घावधि में लकड़ी का खराब होना संभावित है, अतः हानि से बचने के लिए लकड़ी के निपटान की अनुमति हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना विभाग की बुद्धिमत्ता होती। लेकिन इन प्रकरणों में लकड़ी के निपटान की कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

वनमंडलाधिकारी (पी), बैतूल ने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया(अक्टूबर 2022) कि लकड़ी बारिश, दीमक और धूप के कारण नष्ट हो गई थी। छिंदवाड़ा पूर्व(जी), देवास(जी), डिंडोरी(जी), हरदा(जी) और रतलाम(जी) के वनमंडलाधिकारियों ने बताया(मार्च, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2022) कि न्यायालय से अनुमोदन के बाद निपटान किया जाएगा। अन्य वनमंडलाधिकारियों ने बताया कि निपटान के बाद स्थिति बताई जाएगी।

आगे की प्रगति से अवगत नहीं करवाया गया था (मार्च 2024)।

### 6.7.7 प्रतिपूरक वनीकरण और गलत वर्गीकरण में शुल्क न लगाया जाना

**6.7.7.1** वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने सरकारी विभागों को छोड़कर उपयोगकर्ता निकायों (यूए) से प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) की परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि वसूल करने के निर्देश जारी किए (दिसंबर 2004) और इसे राज्य सरकार के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाएगा।

26 छिंदवाड़ा पूर्व(जी), देवास(जी), धार(जी), डिंडोरी(जी), नर्मदापुरम(जी), झाबुआ(जी), रायसेन(जी), रतलाम(जी), सतना(जी), उमरिया(जी) और पश्चिम मंडला(जी)।

27 जब्तीयोग्य संपत्ति की जब्ती और उसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

28 बैतूल (पी), छिंदवाड़ा पूर्व (जी), देवास (जी), डिंडोरी (जी), हरदा (जी), मंडला पश्चिम (जी), रतलाम (जी) और सिंगरौली (जी)।

लेखापरीक्षा ने पाँच मंडलों के पाँच प्रकरणों[29] में पाया कि ₹ 68.34 लाख की राशि का पर्यवेक्षण शुल्क या तो कम वसूल किया गया (तीन प्रकरणों में) या वसूल नहीं किया गया (दो प्रकरणों में)। वसूली कम/ न होने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

वनमंडलाधिकारियों ने बताया (जुलाई से सितंबर 2022 के बीच) कि प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। आगे की प्रगति पर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मार्च 2024)।

**6.7.7.2** पीसीसीएफ (भू-प्रबंधन) ने निर्देश दिया (सितंबर 2013) कि प्रतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन परियोजना की स्वीकृति के दो वर्ष बाद की मजदूरी की दर को आधार मानकर (10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की बढ़ती लागत पर) तैयार किया जाना चाहिए ताकि औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब के कारण दर बढ़ने पर विभाग को अतिरिक्त खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।

लेखापरीक्षा ने पाँच मंडलों[30] में पाया कि उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सीए परियोजनाओं के नौ डीपीआर विभिन्न घटकों की वर्तमान बाजार दरों पर तैयार किए गए थे। परियोजना लागत ₹ 1,532.75 लाख (उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार) के बजाय ₹ 1,319.08 लाख आकलित की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 213.67 लाख का कम आकलन हुआ, जिससे ₹ 21.36 लाख के पर्यवेक्षण शुल्क का कम निर्धारण हुआ।

सिंगरौली(जी), उत्तर शहडोल, रायसेन और देवास के वनमंडलाधिकारियों ने उत्तर में बताया (अगस्त और सितंबर 2022) कि परियोजना का प्राक्कलन शासन के निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया था, जबकि वनमंडलाधिकारी(जी), उमरिया ने बताया (सितंबर 2022) कि पर्यवेक्षण शुल्क की गणना की जांच के बाद इसे जमा करवाने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी को पत्र जारी किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि परियोजना लागत की गणना के लिए श्रम-दर के संबंध में शासन के निर्देश स्पष्ट थे। इस प्रकार, शासकीय निर्देशों का पालन करने में वनमंडलाधिकारियों की विफलता शुल्कों के कम निर्धारण और उस सीमा तक कम वसूली में परिणत हुई।

**6.7.7.3** एमओईएफसीसी, भारत सरकार (अक्टूबर 2010) और पीसीसीएफ (भू-प्रबंधन) (मई 2013) ने निर्देश दिया कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों में सीए, अतिरिक्त सीए, पीनल सीए, सीए और एनपीवी की राशि, इत्यादि, उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा मध्य प्रदेश के लिए तदर्थ कैम्पा के अंतर्गत नई दिल्ली में खोले गए खाते में आरटीजीएस/ सीबीएस के माध्यम से सीधे जमा की जानी थी। मप्र कोषालाय संहिता के नियम 13 (भाग V) में यह निर्धारित किया गया है कि वन विभाग द्वारा प्राप्त राशियां उच्चंत या प्रेषण शीर्ष में जमा नहीं की जाएंगी, उन्हें समुचित राजस्व शीर्ष में जमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पीसीसीएफ (उत्पादन) ने यह भी निर्देश दिया (फरवरी 2019) कि, यदि वन राजस्व को शीर्ष 8782 में जमा किया गया है, तो इसे तुरंत वन के उचित शीर्ष में राजस्व के रूप में समायोजित किया जाएगा।

- डिंडोरी मंडल (जी) में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से दो सड़क परियोजनाओं से संबंधित नेट प्रेजेंट वैल्यू और सीए चार्ज के रूप में ₹1.13 करोड़ की राशि वसूल की गई थी। वसूल की गई राशि को कैम्पा[31] निधि के बजाय मप्र शासन के राजस्व शीर्ष '0406' में जमा किया गया, जो कि विभागीय राजस्व में ₹1.13 करोड़ की वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुआ।
- नर्मदापुरम और दक्षिण शहडोल मंडल में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं और खनन के लिए पर्यवेक्षण और खनन शुल्क के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी से ₹ 2.66 करोड़ की राशि वसूल की गई और मप्र शासन के राजस्व शीर्ष

[29] उमरिया (जी), शहडोल उत्तर (जी), शहडोल दक्षिण (जी), डिंडोरी (जी) और सिंगरौली (जी)।

[30] देवास (जी), उत्तर शहडोल (जी), रायसेन (जी), सिंगरौली (जी) और उमरिया (जी)।

[31] कैम्पा, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय है।

"0406 - फॉरस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ" के बजाय अन्य शीर्षों[32] में जमा की गई। इस प्रकार ₹ 2.66 करोड़ की राशि के राजस्व मद का गलत वर्गीकरण हुआ।

- लेखापरीक्षा ने पांच मंडलों[33] में पाया कि कार्यालय द्वारा ₹8.24 लाख की राशि 237 चालानों के माध्यम से वन प्रेषण शीर्ष "0406 फॉरस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ 01-800 अन्य प्राप्तियां, 0229 विविध" के बजाय प्रेषण शीर्ष "8782" में जमा की गई थी।

वनमंडलाधिकारी(जी), दक्षिण शहडोल ने उत्तर में बताया (सितंबर 2022) कि उचित वर्गीकरण के लिए कोषालय को पत्र लिखा जाएगा, जबकि वनमंडलाधिकारी(जी), उमरिया ने बताया (सितंबर 2022) कि राजस्व प्राप्तियां संबंधित प्राप्ति शीर्ष में अंतरित कर दी जाएंगी। वनमंडलाधिकारी(जी), सिंगरौली ने बताया (अगस्त 2022) कि कोषालय के अभिलेखों के साथ मिलान किया गया था और इसकी रिपोर्ट सीसीएफ और महालेखाकार (ले/ह) को भेजी गई थी। होशंगाबाद(जी), सतना और खंडवा(पी) के वनमंडलाधिकारियों ने बताया (जुलाई 2022) कि राशि का मिलान किया जाएगा।

आगे की प्रगति पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2024)।

**6.7.7.4** वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी किये (जुलाई 2012) कि उपयोगकर्ता एजेंसी से प्रक्रिया एवं पंजीयन शुल्क वसूला जायेगा।

उमरिया एवं झाबुआ वन मंडलों की नौ परियोजनाओं में देखा गया कि मंडलों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी से वसूली योग्य राशि ₹1.74 लाख के विरूद्ध ₹0.20 लाख की वसूली की गयी। परिणामतः, उच्च अधिकारियों के निर्देश के विरुद्ध विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी से ₹1.54 लाख के प्रक्रिया/ पंजीकरण शुल्क की कम वसूल हुई।

उमरिया(जी) और झाबुआ के वनमंडलाधिकारियों ने आश्वासित किया कि प्रक्रिया/ पंजीकरण शुल्क जमा करने के लिए मांग की जाएगी।

## 6.8 निगरानी एवं पर्यवेक्षण

निगरानी और पर्यवेक्षण मे कमियों के कुछ दृष्टांत हैं जिनकी चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है:

### 6.8.1 काष्ठ-लेखा तैयार न किया जाना

मप्र वन वित्तीय नियमावली का नियम 217, परिक्षेत्र एवं बिक्री डिपो में प्रारूप 20ए में मासिक काष्ठ-लेखा तैयार किया जाना तथा अगले महीने की 25 तारीख को वनमंडलाधिकारियों को प्रस्तुत करना प्रावधानित करता है। इसमें उत्पाद का प्रारंभिक शेष, इसकी प्राप्ति का समय, महीने के दौरान निपटान की गई मात्रा, बची हुई शेष मात्रा, इत्यादि जैसी जानकारियाँ होती हैं, जो काटी और जब्त की गई वनोपज की प्राप्ति एवं निपटान की वनमंडलाधिकारी द्वारा निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे कूप और डिपो के बीच लकड़ी की किसी भी कमी का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।

लेखापरीक्षा ने 16 मंडलों[34] में पाया कि काष्ठ-लेखा समय पर तैयार नहीं की जा रही थी और इसमें दो दिन से 38 वर्ष तक का विलंब[35] था। रतलाम (जी) मंडल के अंतर्गत चार परिक्षेत्रों में से तीन परिक्षेत्रों द्वारा काष्ठ-लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया था, और वनमंडलाधिकारी के द्वारा एक ही परिक्षेत्र का काष्ठ-लेखा सीसीएफ को भेजा गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसंबर 2023) कि काष्ठ-लेखा की तैयारी की निगरानी मुख्यालय के द्वारा की जा रही है और विलंब के प्रकरण में उन्हें समय पर तैयार करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

[32] नर्मदापुरम "8443-सिविल डिपॉजिट" में ₹16.58 लाख और दक्षिण शहडोल- में "8336-एनपीवी वनभूमि" में ₹2.49 करोड़।

[33] खंडवा (पी), नर्मदापुरम (जी), सतना (जी), सिंगरौली (जी) और उमरिया (जी)।

[34] देवास (पी), देवास (जी), डिंडोरी (जी), हरदा (पी), हरदा (जी), झाबुआ (जी), नर्मदापुरम (जी), रायसेन (पी), रतलाम(जी), रीवा (जी), सतना (जी), शहडोल दक्षिण (जी), शहडोल उत्तर (जी), सीधी (जी), सिंगरौली (जी) और उमरिया (जी)।

[35] मार्च 2022 तक।

लेखे समय पर तैयार करने में मंडलों की विफलता और इस कमी को रोकने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई पर उत्तर मौन है।

### 6.8.2 पारगमन अनुज्ञापत्र की लेखाओं का संधारण न करना

पारगमन (वनोपज) नियम 2000 के नियम 10(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे पारगमन अनुज्ञापत्र की पुस्तक दी जाती है, उसके द्वारा जारी पारगमन अनुज्ञापत्र के माध्यम से निकाले गए वनोपज का मासिक लेखा वनमंडलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। नियम 10(2) में आगे प्रावधान है कि समस्त उपयोगित पारगमन अनुज्ञापत्रों के प्रतिपर्णक तथा अन-उपयोगित अनुज्ञापत्र, यदि कोई हों, उस अधिकारी को वापस कर दिए जाएंगे जिनसे अनुज्ञापत्रों की पुस्तक प्राप्त की गई थी। अनुज्ञापत्र की नई पुस्तक तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि पूर्व में उपयोगित समस्त अनुज्ञापत्रों के प्रतिपर्णक वापस नहीं कर दिए जाते। इससे वनमंडलाधिकारी परिवहन किये गये वनोपज पर निगरानी रख सकेंगे।

लेखापरीक्षा ने 13 मंडलों[36] में पाया कि, जिन व्यक्तियों को पारगमन अनुज्ञापत्र की पुस्तकें जारी की गई थीं, उनसे पारगमन अनुज्ञापत्र का मासिक लेखा प्राप्त नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, चार मंडलों में, पारगमन अनुज्ञापत्र की 277 नई पुस्तकें[37] पुरानी पारगमन अनुज्ञापत्र की पुस्तक के प्रतिपर्णक प्राप्त किए बिना जारी कर दी गई। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पारगमन अनुज्ञापत्र की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन किया जाना भी 12 मंडलों[38] के अभिलेख में नहीं पाया गया। ये पारगमन अनुज्ञापत्र की पुस्तकों की भौतिक उपलब्धता पर प्रभावी नियंत्रण की कमी को दर्शाते हैं और ऐसी स्थिति में वनोपज के अनधिकृत परिवहन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

आगे, धार मंडल ने 2002-03 से 2003-04 की अवधि के दौरान सीसीएफ, इंदौर से पारगमन अनुज्ञापत्र की 768 पुस्तक प्राप्त किया था, जिनमें से पारगमन अनुज्ञापत्र की 71 पुस्तकें परिक्षेत्र कार्यालयों को जारी की गई थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंडल ने पारगमन अनुज्ञापत्र की शेष 697 पुस्तकों में से 87 पुस्तकों की हानि होना माना था और पारगमन अनुज्ञापत्र की पुस्तकों के अभिरक्षक से वसूली (₹ 17.40 लाख) का प्रस्ताव सीसीएफ, इंदौर को प्रस्तुत किया था। आगे कोई त्वरित प्रगति नहीं देखी गई और प्रकरण को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पारगमन अनुज्ञापत्र की शेष 610 पुस्तकों (697 - 87) का मंडल के अभिलेखों में कोई अता-पता नहीं था। पारगमन अनुज्ञापत्र की 610 पुस्तकों के भौतिक सत्यापन के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

इस प्रकार, पारगमन अनुज्ञापत्र की लेखायेँ अनुपलब्ध होने के कारण निष्कर्षित की जानेवाली की तुलना में वास्तव में निष्कर्षित एवं परिवहित की गई वनोपज का प्रति-सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। साथ ही, यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अपेक्षित पारगमन शुल्क जमा किया जा रहा था या नहीं। इसके अतिरिक्त अवैध परिवहन पर नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा ई-पारगमन अनुज्ञापत्र की व्यवस्था भी शुरू नहीं की गई थी। विभाग शेष 610 पुस्तकों की जानकारी दे। पुस्तकों की तथाकथित हानि के लिए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जावे, जिसके कारण गबन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसंबर 2023) कि मंडलों द्वारा पारगमन अनुज्ञापत्र से संबंधित सभी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है और पारगमन अनुज्ञापत्र की पुस्तकें नियमों के अनुसार संधारित की जा रही हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। साथ ही, प्रस्तावित वसूली की अग्रेत्तर प्रगति एवं धार मंडल में पारगमन अनुज्ञापत्र की पुस्तकों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के प्रस्ताव के विषय में उत्तर मौन है।

---

[36] बैतूल (पी), हरदा (पी), दतिया (जी), देवास (जी), डिंडोरी (जी), हरदा (जी), नर्मदापुरम (जी), शहडोल उत्तर(जी), रायसेन (जी), रतलाम (जी), सतना (जी), शहडोल दक्षिण(जी), और उमरिया (जी)।

[37] बैतूल (पी)-69, देवास (पी)-30, हरदा (पी)-33, और सतना (जी)-145।

[38] बैतूल (पी), हरदा (पी), देवास(जी), देवास (पी), हरदा (जी), नर्मदापुरम (जी), शहडोल उत्तर(जी), रायसेन (जी), रतलाम(जी), सतना (जी), शहडोल दक्षिण(जी), और उमरिया (जी)।

### 6.8.3 प्रेषण का मिलान न करना

मप्र कोषालाय संहिता के नियम 294 के अनुसार, कोषालाय महीने के दौरान वन प्रेषण और उनकी जमा राशि की समेकित पावती अगले महीने की पाँचवीं तिथि तक प्रेषित करेगा। जैसे ही कोषालाय की समेकित पावती(सीटीआर) प्राप्त होती है, रोकड़ बही की प्रविष्टियों के साथ इसका मिलान किया जाएगा और वनमंडलाधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेगा कि प्रेषित राशि वास्तव में कोषालाय अथवा बैंक में जमा की गई है।

लेखापरीक्षा ने पाँच मंडलों[39] में पाया कि माहवार मिलान नहीं किया जा रहा था। अवधि, 2019-20 से 2021-22[40] के दौरान ₹173.70 करोड़ की राशि का मिलान 15 से 54 महीने तक लंबित था। कोषालाय अभिलेखों के साथ जमा किए गए चालानों के मिलान के अभाव में, धोखाधड़ी, दुरुपयोग, इत्यादि गंभीर अनियमितताओं की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने चार मंडलों[41] में पाया कि ₹ 4.13 करोड़ की राशि विभागीय अभिलेखों में प्राप्तियों के रूप में दर्ज थी (345 चालान के माध्यम से)। जबकि, महीने[42] के सीटीआर की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि राशि कोषालाय अभिलेखों में परिलक्षित नहीं हो रही थी।
नर्मदापुरम(जी) और सीहोर के वनमंडलाधिकारियों ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि मिलान के बाद, आगे की कार्रवाई की सूचना दी जाएगी। शहडोल उत्तर(जी) और उमरिया के वनमंडलाधिकारियों ने उत्तर नहीं दिया (मार्च 2024)।

विभाग सभी मंडलों में सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करे और सरकारी खाते में राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करे।

### 6.8.4 वन विकास उपकर का अनियमित समायोजन

म.प्र. कराधान अधिनियम, 1982 की धारा 7 की उपधारा 4 एवं 5 के अनुसार वन विकास उपकर (एफडीसी) के रूप में प्राप्त राशि को एक अलग निधि अर्थात वन विकास निधि में अंतरित किया जाना है और यह राशि अधिनियम में उल्लिखित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग की जानी है। एफडीसी को मई 2018 के म.प्र.शासन के अध्यादेश की धारा 3 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वन विभाग ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान एफडीसी के रूप में ₹9.08 करोड़ की राशि एकत्रित की। हालाँकि, यह निधि अभी भी अप्रयुक्त है क्योंकि इसे उन निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रावधानित नहीं किया गया था जिनके लिए इसे आरोपित किया गया था।

पीसीसीएफ (वित्त और बजट) ने कोई अभिमत नहीं दिया (मार्च 2024)।

## 6.9 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने अनुमोदित कार्य योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन न करने के साथ-साथ कार्य योजना तैयार करने और प्रस्तुत करने में विलंब पाया। विभाग ने वन भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए समुचित कार्यवाही नहीं की। खनिज संसाधन विभाग के साथ समन्वय का अभाव था। एमपीएसएफडीसी से लीज रेंट एवं डिविडेंड नियमितरूप से एवं समय पर नहीं प्राप्त किए जा रहे थे। वनोपज के विक्रय से आय को सरकारी खातों में जमा करने में विफलता, भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न होने के कारण लकड़ी का निपटान न होना, पुनर्मापन में लकड़ी की कमी, निर्धारित अभिलेखों

39 रायसेन (पी), देवास (जी), नर्मदापुरम (जी), रीवा (जी) और उमरिया (जी)।

40 रीवा (जी) मंडल में जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए राशि ली गई।

41 नर्मदापुरम (जी), शहडोल उत्तर (जी), सीहोर (जी) और उमरिया (जी)।

42 नर्मदापुरम (जी) 03/21 और 12/21, शहडोल उत्तर (जी) 03/19 और 03/21, उमरिया (जी) 03/19, 01/20 और 02/22 और सीहोर (जी) 03/2019 से 06 /2019 ।

(काष्ठ-लेखा, पारगमन अनुज्ञापत्र के लेखे, इत्यादि) को न बनाया जाना, प्रेषणों का मिलान न करना, इत्यादि के प्रकरण भी पाये गये।

## 6.10 अनुशंसाएँ

प्रणाली एवं अनुपालन की कमियों को सुधारने के लिए शासन निम्नलिखित अनुशंसाओं के क्रियान्वयन पर विचार कर सकता है।

- कार्य-योजना की समय पर तैयारी और उसके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मासिक प्रतिवेदन निर्धारित करना।
- अनुमानित और वास्तविक उपज के बीच अत्यधिक अंतर पर नजर रखने के लिए वनोपज के आकलन की प्रक्रिया में समुचित नियंत्रण लाना।
- अवैध कटाई के प्रकरणों में हानि की सूचना देने के लिए एक समान आधार अपनाना जैसे कि मार्किंग बुक्स में अवैध कटाई को दर्ज करना या पीओआर को संलग्न करना (जहां उपलब्ध हो)।
- वन भूमि से निष्कर्षित एवं परिवहित मात्राओं का खनिज संसाधन विभाग से मिलान की प्रणाली को सुदृढ़ करना।
- लीज रेंट और डिविडेंड की वसूली न होने/ कम होने के कारण शासन को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
- डिपो में पुनर्मापन के समय वनोपज में कमी के लिए जिम्मेदारी तय करना और जिम्मेदार कर्मचारियों से ऐसी हानि की वसूली की जा सकती है।

# अध्याय VII

# लोक निर्माण विभाग

# अध्याय VII
# लोक निर्माण विभाग

## मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई के द्वारा शैक्षणिक भवनों (लोक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) के निर्माण पर अनुपालन लेखापरीक्षा


### *सारांश*

लेखापरीक्षा ने 'मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा शैक्षणिक भवनों (लोक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग) के निर्माण' से संबंधित अभिलेखों की जांच की। वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि को संज्ञान में लेते हुये यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2022 और अक्टूबर 2022 के बीच यह अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी कि क्या कार्यों का अनुमोदन/ स्वीकृति एवं निधियों का उपयोग, और तीनों विभागों के अनुबंध/ कार्यों के निष्पादन के दौरान प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी सुनिश्चित करते हुये प्रयोज्य संहिता और संविदात्मक प्रावधानों का पालन किया गया था। लेखापरीक्षा ने 52 परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों (पीआईयू) में से 13 पीआईयू को लेखापरीक्षा नमूना जांच के लिए चुना। इन 13 चयनित पीआईयू में लोक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और छात्रावासों के निर्माण के 603 कार्यों में से 123 कार्यों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने जांच की। परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई और सभी पांच अतिरिक्त परियोजना संचालक के अभिलेखों की भी जांच की गई।

अभिलेखों के जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने वित्तीय प्रबंधन में कमियों, अनियमित व्यय, प्राक्कलन में कमियों, निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं, संविदा-प्रबंधन में कमियों, कार्यों के निष्पादन में कमियों और गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी में कमियों से संबंधित कई अनियमितताओं को देखा। इन अनियमितताओं का समग्र प्रभाव ₹ 117.87 करोड़ है।


## 7.1 प्रस्तावना

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सरकारी संपत्तियों की आयोजना, रूपांकन तथा निर्माण बावत मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) की प्रमुख संस्था है। पीडब्ल्यूडी की परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) लोक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न भवनों के निर्माण का कार्य डिपाजिट वर्क्स के तौर पर करती है।

शासन स्तर पर लोक निर्माण विभाग के प्रधान प्रमुख सचिव होते हैं जबकि परियोजना संचालक (पीडी) {मई 2023 से प्रमुख अभियंता(भवन) के रूप में पुनः नामित} विभाग के तकनीकी प्रधान होते हैं, जिसे मुख्य वास्तुकार और पांच अतिरिक्त परियोजना संचालक[1] (एपीडी) {मई 2023 से मुख्य अभियंता(भवन) के रूप में पुनः नामित} द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य अभियंता (भवन) को जोनल स्तर[2] एवं जिलास्तर पर क्रमशः संयुक्त परियोजना संचालक (जेपीडी) {मई 2023

---

[1] भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रीवा में।

[2] भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रीवा में।

से अधीक्षण यंत्री (भवन) के रूप में पुनः नामित} और संभागीय परियोजना यंत्री (डीपीई) {मई 2023 से कार्यपालन यंत्री (भवन) के रूप में पुनः नामित} के द्वारा सहायता की जाती है।

## 7.2 आवंटन एवं व्यय

लोक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों के भवनों के निर्माण के लिए 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान आवंटन और व्यय का विवरण नीचे **तालिका 7.1** में दिया गया है:

**तालिका 7.1: वर्षवार आवंटन और व्यय दर्शाने वाला विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष / विभाग | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन/ प्राप्त डिपॉज़िट | व्यय | आवंटन/ प्राप्त डिपॉज़िट | व्यय | आवंटन/ प्राप्त डिपॉज़िट | व्यय |
| लोक शिक्षा | 329.47 | 294.20 | 299.67 | 298.34 | 237.25 | 225.77 |
| उच्च शिक्षा | 197.70 | 183.75 | 242.08 | 199.62 | 114.31 | 103.00 |
| तकनीकी शिक्षा | 34.90 | 14.27 | 18.42 | 12.94 | 12.29 | 9.19 |
| कुल | **562.07** | **492.22** | **560.17** | **510.90** | **363.85** | **337.96** |

***(स्रोत: लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)***

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 के बीच स्वीकृत विद्यालयों, महाविद्यालयों और छात्रावासों के कार्यों को पूरा करने के कारण वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक कार्यों के लिए जमा राशि में ₹ 198.22 करोड़ की कमी हुई।

## 7.3 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

अवधि 2019-20 से 2021-22 को संज्ञान में लेते हुये यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2022 और अक्टूबर 2022 के बीच यह अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी कि क्या कार्यों का अनुमोदन/ स्वीकृति एवं निधियों का उपयोग, और तीनों विभागों के अनुबंध/ कार्यों के निष्पादन के दौरान प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी सुनिश्चित करते हुये प्रयोज्य संहिता और संविदात्मक प्रावधानों का पालन किया गया था।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नलिखित से प्राप्त मानदंडो पर आधारित है:

(i) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) विनिर्देश;

(ii) नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी);

(iii) मध्य प्रदेश निर्माण विभाग (एमपीपीडब्ल्यूडी) नियमावली;

(iv) मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता;

(v) मध्य प्रदेश कोषालय संहिता;

(vi) मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दर-अनुसूची (एस.ओ.आर.);

(vii) संविदा-अभिलेखों के नियम और शर्तें;

(viii) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी परिपत्र और आदेश।

## 7.4 लेखापरीक्षा पद्धति

कुल 52 पी.आई.यू. में से, लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा नमूना जांच के लिए 13 पी.आई.यू.[3] का चयन[4] किया। लेखापरीक्षा ने इन 13 चयनित पी.आई.यू. में लोक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और छात्रावासों के निर्माण के 603 कार्यों में से 123 कार्यों[5] के अभिलेखों की जांच की। प्रमुख अभियंता (ई-इन-सी) (भवन) और सभी पांच मुख्य अभियंता (सीई) (भवन) के अभिलेखों की भी जांच की गई।

## लेखापरीक्षा प्रेक्षण

## 7.5 वित्तीय प्रबंधन में कमियाँ

### 7.5.1 अनियमित व्यय

म.प्र.वित्तीय संहिता के नियम 8, 9, 10 और 11 के अनुसार सभी व्यय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करते हुए और सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी के साथ स्वीकृत सीमा के भीतर किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, म.प्र. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के अनुसार, प्रत्येक कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी की 'तकनीकी मंजूरी' (टीएस) के लिए एक विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए, और यह स्वीकृत व्यय से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही, टीएस में कोई वस्तुपरक परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

प्रमुख अभियंता (भवन) के द्वारा अनुमति-पत्र (एल.ओ.ए.) जारी करते समय सभी अनुमति-पत्रों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि संविदा राशि से अधिक व्यय नहीं होगा और इन निर्देशों के उल्लंघन के लिए संबंधित मुख्य अभियंता (भवन) जिम्मेदार होगा।

**7.5.1.1** लेखापरीक्षा ने 13 पीआईयू में देखा कि 123 कार्य (लेखापरीक्षा द्वारा चयनित) ठेकेदारों को ₹ 413.64 करोड़ की कुल संविदा राशि पर प्रदान किए गए थे। हालांकि, इन 123 कार्यों में से ₹257.60 करोड़ की संविदा राशि के 77 कार्य में संबंधित विभागों के सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ही संविदा राशि से अधिक व्यय हो चुका था। इसके अतिरिक्त, संबंधित सीई (भवन) के द्वारा जहां भी प्रयोजन हुआ, बिना किसी विस्तृत स्पष्टीकरण के पुनरीक्षित टीएस प्रदान किया गया। सीई (भवन) द्वारा अनुमोदित लागत से अधिक बढ़ी हुई लागत की स्वीकृति के कारण ₹ 30.66 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जो अनियमित था। विचलन के कारण अत्यधिक व्यय निम्नलिखित करणों से हुआ:

- विभाग द्वारा उन मदों/अतिरिक्त मात्रा का निष्पादन किया गया जो स्वीकृत प्राक्कलन में मौजूद नहीं थी।
- पीसीसी, आरसीसी, सेंटरिंग और शटरिंग, प्लास्टर, ईंट कार्य, फर्श, एमएस फ्रेम, वॉटर प्रूफिंग के लिए ग्रेडिंग, पेंट, इत्यादि की किफायती मदों को महंगी मदों से बदल दिया गया।
- भवनों के निर्माण क्षेत्र में वृद्धि या सब/सुपर-स्ट्रक्चर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिना कई मदों की मात्रा में असंगत वृद्धि हुई थी। ऐसी स्थिति में अनावश्यक एवं संदिग्ध माप के लिए भुगतान की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

---

[3] छतरपुर, देवास, ग्वालियर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, सागर, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन।

[4] IDEA सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के आधार पर 13 इकाइयों का चयन किया गया

[5] 97 पूर्ण, 25 जारी और एक निलंबित कार्य।

इन सभी प्रकरणों में, ठेकों का अनुबंध मूल्य ठेकों की संभावित राशि (पीएसी) से कम था, लेकिन व्यय संविदा राशि से अधिक था, यह दर्शाता है कि पीएसी की तुलना में संविदा राशि में परिलक्षित बचत को ठेकों के बाद संविदा राशि से अधिक व्यय के माध्यम से ठेकेदारों को दे दिया गया था।

आगे, यह तथ्य कि ई-इन-सी के आदेश का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त व्यय को लगातार मंजूरी दी गई थी, खराब निगरानी और ढीले आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि साइट की स्थिति, मिट्टी की स्थिति और विभाग की मांग/ आवश्यकता के कारण कार्य पर व्यय संविदा राशि से अधिक हो गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यय में वृद्धि महंगी मदों के उपयोग और भवन के निर्माण क्षेत्र और डिजाइन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव के बिना ही सब एवं सुपर-स्ट्रक्चर में मदों /मात्राओं में असंगत वृद्धि के कारण हुआ था। साथ ही, मदों में परिवर्तन/वृद्धि की कोई मांग लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

**7.5.1.2** लेखापरीक्षा ने 13 पीआईयू[6] के 69 कार्यों में पाया कि तीन से 203 मदें जो मूल प्राक्कलन में नहीं थीं, उन्हें निष्पादित किया गया या अनुमोदित मदों की मात्रा में वृद्धि की गई, और मूल प्राक्कलन की चार से 186 मदें निष्पादित नहीं की गई या कम मात्रा में निष्पादित की गई। इस प्रकार, मदों की संख्या, मदों की मात्रा और लागत (अधिक और बचत) के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचलन थे। हालाँकि, विभाग ने संबंधित विभागों से पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना मदों के निष्पादन के लिए भुगतान किया था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता तब होती है जब व्यय मूल प्रशासनिक स्वीकृति से 10 प्रतिशत अधिक हो जाता है। किसी भी प्रकरण में, व्यय में वृद्धि प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक नहीं हुई, इसलिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, म.प्र. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.005 (जिसे शासन ने अपने उत्तर में संदर्भित किया है) के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूल प्रस्तावों से वस्तुपरक विचलन होने पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त किया जाना चाहिए, भले ही अन्य मदों पर हुई बचत उनकी लागत की भरपाई कर सकती हो।

**7.5.1.3** म.प्र. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.131 के अनुसार, जब व्यय स्वीकृत प्राक्कलन की राशि से 10 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना हो तो एक पुनरीक्षित प्राक्कलन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाँच पीआईयू[7] के 10 कार्यों में पाया कि स्वीकृत प्राक्कलन और किए गए कार्य के मूल्य के बीच व्यापक अंतर था, प्रत्येक अवसर पर किए गए कार्य का मूल्य स्वीकृत प्राक्कलन से 10 प्रतिशत से अधिक था। लेकिन कार्यों को अंतिम रूप दे दिया गया, और जैसा कि ऊपर बताया गया है, सक्षम प्राधिकारी से पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति (टीएस) प्राप्त किए बिना ठेकेदारों को भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप अनियमित निष्पादन और ₹ 3.68 करोड़ का अनधिकृत भुगतान हुआ **(परिशिष्ट 7.1)**।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि पीआईयू (खंडवा, सागर, सिंगरौली और उज्जैन) को पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। टीकमगढ़ पीआईयू के प्रकरण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अनुमोदन के बिना स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक व्यय के लिए संबंधित पीआईयू के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई पर उत्तर मौन है। आगे की प्रगति पर उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

---

6 छतरपुर, देवास, ग्वालियर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, सागर, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन।

7 खंडवा, सागर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन ।

### 7.5.2 अनियमित पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना

म.प्र. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.027 के अनुसार, प्राक्कलन में दरें समान्यतः दर-अनुसूची (एसओआर) के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति (टीएस) विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने छः पीआईयू[8] के 18 कार्यों में पाया कि कार्यों की मूल टी एस निविदा प्रतिशत को शामिल किए बिना एसओआर के आधार पर प्रदान की गई थी। अतिरिक्त मात्रा और अस्वीकृत मदों के निष्पादन के कारण, लागत में वृद्धि हुई और इसलिए कार्य पूरा होने के बाद पुनरीक्षित टीएस प्रदान की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निविदा प्रतिशत[9] को शामिल करके कार्यों के लिए पुनरीक्षित टीएस प्रदान की गई थी। पुनरीक्षित टीएस में निविदा प्रतिशत को संज्ञान में लेते हुए टीएस का अनुमोदन अनियमित था और इसके परिणामस्वरूप पुनरीक्षित टीएस पर ₹ 11.05 करोड़ (**परिशिष्ट 7.2**) की अतिरिक्त राशि का निष्पादन और भुगतान हुआ, जो नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि पीआईयू को पुनरीक्षित तकनीकी मंजूरी लेने के लिए निर्देशित किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग पुनरीक्षित टीएस को मंजूरी देते समय उचित सावधानी बरतने में विफल रहा। अनुबंध के निष्पादन के बाद लागत में किसी भी संशोधन का ठीक से विश्लेषण किया जाना चाहिए और लागत में वृद्धि के लिए पुनरीक्षित टीएस को मंजूरी देना न केवल खराब योजना को इंगित करता है, बल्कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने का एक स्रोत भी हो सकता है जिसकी जांच करने की आवश्यकता है। आगे की प्रगति पर उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 7.5.3 अपूर्ण कार्य के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना

म.प्र. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.178 के अनुसार, निर्माण विभाग (डब्ल्यूडी) के अलावा अन्य विभाग के लिए निष्पादित किसी भी मूल कार्य के पूर्ण होने पर, कार्यपालन यंत्री को संबंधित विभाग के अधिकारी को तुरंत प्रपत्र परिशिष्ट 2.29 में एक पूर्णता प्रमाण पत्र भेजना चाहिए, उस संबन्धित अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे कार्यपालन यंत्री को वापस कर देना चाहिए।

तकनीकी शिक्षा विभाग (मार्च 2018) के द्वारा बडनगर, उज्जैन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में चारदीवारी के निर्माण के लिए ₹ 2.89 करोड़ (₹7,792 प्रति रनिंग मीटर की दर से 3,680 मीटर) की प्रशासनिक स्वीकृति (ए.ए.) दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 3,680 मीटर की अनुमोदित लंबाई की तुलना में केवल 1,574.55 मीटर लंबाई में चारदीवारी के निर्माण के बाद कार्य के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। साथ ही, मात्र 1,574.55 मीटर (3680 मीटर के स्थान पर) के निर्माण के लिए ₹ 1.23 करोड़[10] के स्थान पर ₹ 1.67 करोड़ का व्यय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक स्वीकृति (ए.ए.) से परे ₹ 0.44 करोड़ का अनधिकृत निष्पादन और व्यय हुआ। पीआईयू की गतिविधियों की निगरानी करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप कार्यपालन यंत्री, पीआईयू, उज्जैन ने अधूरे कार्य के लिए अनियमित रूप से पूर्णता प्रमाण पत्र (सीसी) जारी किया।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि साइट की आवश्यकता के अनुसार, एए के भीतर क्रॉस ड्रेनेज कार्य निष्पादित किए गए थे।

[8] छतरपुर, देवास, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली और टीकमगढ़।

[9] ऋणात्मक निविदा प्रतिशत, पीएसी से कम दर का वह प्रतिशत है जिस पर काम दिया गया था।

[10] 1,574.55 मी x ₹ 7,792 प्रति रनिंग मीटर।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

(i) पुनरीक्षित ए.ए. लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिससे यह ज्ञात हो सके कि कार्य के स्कोप में हुए बदलाव की जानकारी तकनीकी शिक्षा विभाग को थी और उसने चारदीवारी की लंबाई में कमी को मंजूरी दी थी, जिसका सुरक्षा संबंधी प्रभाव हो सकता था।

(ii) ₹ 0.44 करोड़ के अधिक व्यय के कारण भी अभिलेखों में नहीं थे।

विभाग संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में कोई चूक होने पर उसकी जांच कर सकता है और जिम्मेदारी तय कर सकता है।

### 7.5.4 मूल विभाग को बचत राशि वापस/ सूचित न करना

म.प्र. वित्तीय संहिता के सामान्य नियम 149 के अनुसार, किसी प्राक्कलन पर दी गई स्वीकृति को उसी वस्तु के लिए देखा जाना चाहिए जिस वस्तु के लिए प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है| तदनुसार, किसी परियोजना-विशेष के लिए स्वीकृत प्राक्कलन पर किसी भी प्रत्याशित या वास्तविक बचत का उपयोग, विशेष प्राधिकार के बिना, ऐसे किसी भी अतिरिक्त कार्य को करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो मूल परियोजना में शामिल नहीं हो अथवा इसके वास्तविक निष्पादन से काफी हद तक जुड़ा न हो।

लेखापरीक्षा ने नौ पीआईयू[11] के 57 कार्यों में पाया कि विद्यालयों, छात्रावासों, महाविद्यालयों के भवनों, चारदीवारी का निर्माण और मरम्मत एवं नवीकरण कार्यों के लिए ₹271.34 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसमें पर्यवेक्षण शुल्क और गुणवत्ता नियंत्रण, आकस्मिक व्यय, इत्यादि जैसे अन्य सभी व्यय शामिल थे। ये कार्य ₹ 257.68 करोड़ खर्च करने के बाद पूर्ण हुये। हालाँकि, ₹ 13.66 करोड़ की अधिशेष राशि मूल विभागों को समर्पित/ सूचित नहीं की गई थी। बचत का यह अनधिकृत प्रतिधारण वित्तीय औचित्य एवं मप्र वित्तीय संहिता के नियमों के विरुद्ध था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि, वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि सीधे बीसीओ से बीसीओ (एक विभाग से दूसरे विभाग को) को समर्पित कर दी जाती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, सभी प्रकरणों में, कार्य पूरा होने के बाद हुई बचत का विवरण मूल विभागों को सूचित नहीं किया गया था।

### 7.5.5 पर्यवेक्षण शुल्क की कम वसूली

मप्र शासन द्वारा जारी निर्देशों (मई 1997 एवं सितम्बर 2015) के अनुसार अंतर्विभागीय कार्यों के निर्माण पर लगाया जाने वाला पर्यवेक्षण शुल्क इस प्रकार होगा:

- ₹ एक लाख तक के कार्यों के लिए: 22.75 प्रतिशत
- ₹ दो करोड़ रुपये तक के कार्यों के लिए: 12 प्रतिशत
- ₹ पांच करोड़ तक के कार्यों के लिए: आठ प्रतिशत
- ₹ पांच करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए: सात प्रतिशत

लेखापरीक्षा ने 13 पीआईयू[12] के 110 कार्यों (₹427 करोड़ मूल्य) में पाया कि उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन में, विभाग ने पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में ₹ 32.96 करोड़ की आरोप्य राशि के बजाय ₹ 12.86 करोड़ की राशि आरोपित किया था। इसके

[11] देवास, कटनी, खंडवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन।

[12] छतरपुर, देवास, ग्वालियर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, सागर, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन।

परिणामस्वरूप ₹ 20.10 करोड़ की राशि के पर्यवेक्षण शुल्क का कम आरोपण हुआ। पर्यवेक्षण शुल्क कम आरोपित करने के कारणों को अभिलेखित नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि कंडिका में उल्लिखित परिपत्र पीआईयू पीडब्ल्यूडी पर लागू नहीं है।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि उक्त परिपत्र की कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहले के निर्देशों (मई 1997) के अनुसार पर्यवेक्षण शुल्क पीडब्ल्यूडी के पीआईयू के प्रकरणों में भी लागू होंगे।

### 7.5.6 ठेकेदारों से परफॉरमेंस सिक्योरिटी नहीं लिया जाना

अनुबंध की सामान्य शर्तों की कंडिका 29 के अनुसार, भवन-निर्माण कार्यों में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली परफॉरमेंस सिक्योरिटी, अनुबंध राशि का पांच प्रतिशत होगी जिसकी वैधता डिफ़ेक्ट लायबिलिटी अवधि (रखरखाव गारंटी अवधि) के समाप्त होने के तीन महीने बाद तक रहेगी और परफॉरमेंस सिक्योरिटी अनुबंधों के निष्पादन से पहले जमा की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ देखी गईं:

- पीआईयू, खंडवा के एकलव्य पॉलिटेक्निक कॉलेज, हरसूद के निर्माण का कार्य ₹ 32.11 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को दिया गया था, जिसके लिए ₹ 1.61 करोड़ की परफॉरमेंस सिक्योरिटी जमा करना आवश्यक था। इसके विरूद्ध ठेकेदार ने परफॉरमेंस सिक्योरिटी के रूप में ₹ 1.06 करोड़ की फिक्स्ड डिपाजिट रसीद जमा की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.55 करोड़ की परफॉरमेंस सिक्योरिटी की कम प्राप्ति हुई।

- पीआईयू, देवास के हायर सेकेंडरी स्कूल, तिगरिया गोगा के निर्माण कार्य को नियत/विस्तारित तिथि में कार्य पूरा न होने के कारण नवंबर 2021 में कार्यपालन यंत्री (भवन) द्वारा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन विभाग द्वारा ₹ 0.06 करोड़ की परफॉरमेंस सिक्योरिटी की वसूली नहीं की गई थी (जुलाई 2023)।

- पीआईयू, टीकमगढ़ के दो कार्यों में परफॉरमेंस सिक्योरिटी के रूप में जमा की गई ₹ 0.13 करोड़ की बैंक गारंटी की वैधता डिफ़ेक्ट लायबिलिटी अवधि पूरी होने से पहले समाप्त हो गई थी, जिसे ठेकेदार द्वारा नवीनीकृत नहीं किया गया था और पीआईयू इसे सुनिश्चित करने में विफल रहा।

परफॉरमेंस सिक्योरिटी संबंधी कंडिका का अनुपालन सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता ने न केवल ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया, बल्कि अपना काम करने के लिए उन्हे अनुबंध की शर्तों के अनुसार पर्याप्त प्रोत्साहन भी प्रदान किया।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, हरसूद के प्रकरण में, ₹ 1.61 करोड़ के परफॉरमेंस गारंटी के विरुद्ध ₹ 1.43 करोड़ जमा किए गए थे और शेष ₹ 0.18 करोड़ के लिए पत्र जारी किया गया है (जून 2023) जबकि, देवास के प्रकरण में, अनुबंध रद्द कर दिया गया था, काम पूरा हो चुका है इसलिए बैंक गारंटी को जब्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और टीकमगढ़ के प्रकरण में, एफडीआर के रूप में परफॉरमेंस गारंटी जमा कर दिया गया है।

पीआईयू, टीकमगढ़ के प्रकरण में उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, परफॉरमेंस सिक्योरिटी हमेशा विभाग के पास जमा की जानी चाहिए। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, हरसूद के प्रकरण में, शेष परफॉरमेंस सिक्योरिटी शीघ्र (नवंबर 2023) प्राप्त की जावे। पीआईयू, देवास के प्रकरण में, चूँकि कार्य को निरस्त कर दिया गया, ठेकेदार की परफॉरमेंस सिक्योरिटी जब्त न करने पर, डिफ़ेक्ट लायबिलिटी की अवधि के दौरान त्रुटियाँ पाई जानी पर विभाग के पास कोई बैकअप नहीं बचा और परफॉरमेंस गारंटी के अभाव में, मरम्मत कार्य के लिए ठेकेदार को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

## 7.6 प्राक्कलन में कमियाँ

### 7.6.1 समरूप भवनों के सदृश मदों की निष्पादित मात्रा में व्यापक भिन्नताएँ

म.प्र. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के अनुसार, प्रत्येक कार्य के लिए कार्य शुरू होने से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए एक विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए। आगे, म.प्र. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.028 के अनुसार, जो अधिकारी प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति देता है, वह ड्राइंग के अनुसार आवश्यक सभी मदों को प्राक्कलन में शामिल करने और डिजाइन की मजबूती का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार होता है।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियाँ पाई:

#### 7.6.1.1 समरूप भवनों में व्यापक भिन्नता

मध्य प्रदेश शासन ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और छात्रावासों के लिए समान निर्मित क्षेत्रवाले भवनों के मॉडल डिजाइन और ड्राइंग को मानकीकृत किया है और तदनुसार विभिन्न संस्थानों के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां (ए.ए.) निर्धारित की गई हैं जैसा कि नीचे **तालिका 7.2** में दिखाया गया है:

**तालिका 7.2: विभिन्न संस्थानों के लिए निर्धारित प्रशासनिक स्वीकृतियाँ दर्शानेवाला विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| भवन के प्रकार | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि |
|---|---|
| स्नातक महाविद्यालय | ₹ 6.50 |
| उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालय में 100 सीट वाले बालक एवं 100 सीट वाली बालिका छात्रावास | ₹ 7.72 |
| उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | ₹ 1.75 |
| उच्च विद्यालय | ₹ 1.00 |

हालाँकि, शासन ने कार्यों के निष्पादन के लिए मदों का मानकीकरण नहीं किया है।

लेखापरीक्षा ने 11 पीआईयू[13] के अंतर्गत 19 महाविद्यालय भवनों और पांच पीआईयू[14] के तहत छह छात्रावास भवनों में निष्पादित और भुगतान की गई मदों तथा आरसीसी, ब्रिकवर्क, प्लास्टर, फ्लोरिंग, टॉयलेट टाइल्स, रेलिंग, वॉटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट, पुट्टी, पेंट, इत्यादि की मात्रा में व्यापक भिन्नता देखी यद्यपि प्लिंथ लेबल से ऊपर कार्य बिल्कुल समान थे। निष्पादित मात्राओं में भिन्नता के बावजूद, कार्यों का पुनरीक्षित टीएस भी किसी विशेष औचित्य को अभिलेखित किए बिना प्रदान किया गया था। विभिन्न मदों की मात्राओं की भिन्नता की सीमा नीचे **तालिका 7.3** में दर्शाई गई है:

**तालिका 7.3: समान मदों की मात्रा में भिन्नता की सीमा दर्शाने वाला विवरण**

| क्र. सं. | मदें | महाविद्यालय भवन | | | छात्रावास भवन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | न्यूनतम निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा | उच्चतम निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा | कॉलम 3 के साथ भिन्नता की सीमा (प्रतिशत में) | न्यूनतम निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा | उच्चतम निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा | कॉलम 6 के साथ भिन्नता की सीमा (प्रतिशत में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | प्रबलित सीमेंट कंक्रीट | 1,055.200 घन मी. | 1,830.337 घन मी. | 13 से 73 | 1,216.388 घन मी. | 1,651.739 घन मी. | 26 से 36 |
| 2 | ब्रिकवर्क | 895.690 घन मी. | 1,420.840 घन मी. | 10 से 59 | 1,013.425 घन मी. | 1,477.916 घन मी. | 13 से 46 |

13 छतरपुर, देवास, कटनी, खंडवा, मंदसौर, सागर, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन।

14 छतरपुर, देवास, मंदसौर, सागर और शाजापुर।

| क्र. सं. | मदें | महाविद्यालय भवन | | | छात्रावास भवन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | न्यूनतम निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा | उच्चतम निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा | कॉलम 3 के साथ भिन्नता की सीमा (प्रतिशत में) | न्यूनतम निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा | उच्चतम निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा | कॉलम 6 के साथ भिन्नता की सीमा (प्रतिशत में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | प्लास्टर | 11,644.440 वर्ग मी. | 23,685.020 घन मी. | 27 से 103 | 16,479.429 वर्ग मी. | 22,712.060 वर्ग मी. | 12 से 38 |
| 4 | फ्लोरिंग | 3,653.420 वर्ग मी. | 6,632.690 वर्ग मी. | 22 से 82 | 3,942.78 वर्ग मी. | 7,251.400 वर्ग मी. | 10 से 84 |
| 5 | टॉयलेट टाइल्स | 266.730 वर्ग मी. | 909.720 वर्ग मी. | 43 से 241 | 1,686.22 वर्ग मी. | 2,381.320 वर्ग मी. | 15 से 41 |
| 6 | रेलिंग | 612.505 कि. ग्रा. | 4,434.86 कि. ग्रा. | 45 से 624 | 1223 कि. ग्रा. | 6,354.714 कि. ग्रा. | 29 से 420 |
| 7 | वाटर-प्रूफिंग ट्रीटमेंट (सीमेंट कंक्रीट) | 90.340 घन मी. | 205.284 घन मी. | 11 से 127 | 90.41 घन मी. | 241.554 घन मी. | 71 से167 |
| 8 | वाटर-प्रूफिंग ट्रीटमेंट (फाइबर ग्लास क्लोथिंग) | 1,230.420 वर्ग मी. | 2,800.300 वर्ग मी. | 47 से 128 | 1,803.47 वर्ग मी. | 2,936.540 वर्ग मी. | 13 से 63 |
| 9 | पुट्टी | 11,544.400 वर्ग मी. | 26,987.45 वर्ग मी. | 13 से 134 | 11,382.098 वर्ग मी. | 22,052.330 वर्ग मी. | 27 से 94 |
| 10 | पेंट | 15,748.730 वर्ग मी. | 45,098.360 वर्ग मी. | 18 से 186 | 18,578.135 वर्ग मी. | 38,275.302 वर्ग मी. | 20 से 106 |

*(स्रोत: लोक निर्माण विभाग के अभिलेख)*

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आधारभूत[15] संस्थानों की तुलना में विभिन्न संस्थानों में पीआईयू द्वारा निष्पादित मात्राएँ 10 प्रतिशत से 624 प्रतिशत के बीच भिन्न थीं।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के अभाव में पीआईयू ने समान डिज़ाइन विनिर्देशों का पालन नहीं किया। विभिन्न संस्थानों में मदों को अलग-अलग तरीके से निष्पादित किया गया जैसा कि नीचे **तालिका 7.4** में दिखाया गया है:

**तालिका 7.4: समान भवनों में विभिन्न मदों का उपयोग दिखाने वाला विवरण**

| मदों का विवरण | | महाविद्यालय भवनों में प्रयुक्त मदों का प्रकार एवं कार्यों की संख्या | | छात्रावास भवनों में प्रयुक्त मदों का प्रकार एवं कार्यों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्रिकवर्क | प्रकार | ए ए सी | फ्लाइ ऐश ईंट | ए ए सी | फ्लाइ ऐश ईंट |
| | संख्या | 3 | 18* | 4 | 6 |
| फ्लोरिंग (ग्रेनाइट) | प्रकार | प्रयुक्त | अप्रयुक्त | प्रयुक्त | अप्रयुक्त |
| | संख्या | 10 | 9 | 6 | 0 |
| फ्लोरिंग (मार्बल पत्थर) | प्रकार | प्रयुक्त | अप्रयुक्त | प्रयुक्त | अप्रयुक्त |
| | संख्या | 3 | 16 | 2 | 4 |
| फ्लोरिंग (टाइल्स) | प्रकार | प्रयुक्त | अप्रयुक्त | प्रयुक्त | अप्रयुक्त |
| | संख्या | 17 | 2 | 4 | 2 |
| रेलिंग | प्रकार | माइल्ड स्टील | स्टेनलेस स्टील | माइल्ड स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| | संख्या | 12 | 6# | 1 | 5 |
| | प्रकार | प्रयुक्त | अप्रयुक्त | प्रयुक्त | अप्रयुक्त |

[15] संस्थान जहां निष्पादित मात्राएं न्यूनतम थीं।

| मदों का विवरण | | महाविद्यालय भवनों में प्रयुक्त मदों का प्रकार एवं कार्यों की संख्या | | छात्रावास भवनों में प्रयुक्त मदों का प्रकार एवं कार्यों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| वाटर-प्रूफिंग ट्रीटमेंट (सीमेंट कंक्रीट) | संख्या | 16 | 3 | 6 | 0 |
| वाटर-प्रूफिंग ट्रीटमेंट (फाइबर ग्लास क्लोथिंग) | प्रकार | प्रयुक्त | अप्रयुक्त | प्रयुक्त | अप्रयुक्त |
| | संख्या | 14 | 5 | 5 | 1 |

***(स्रोत : लोक निर्माण विभाग के अभिलेख)***

*** दो महाविद्यालयों भवनों एवं चार छात्रावास भवनों में दोनों मदों का निष्पादन किया गया।**

**# एक महाविद्यालय भवन में रेलिंग का कार्य नहीं कराया गया।**

परिणामस्वरूप कार्य मानकीकरण के बिना किए गए और संबंधित विभागों के अनुमोदन के बिना विचलन किए गए।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि भू-संरचना के कारण, समरूप भवनों में भवनों के आवश्यकतानुरूप अनुकूलन और कार्यस्थल में भिन्नता के कारण अन्य वृद्धियाँ यथोचित है। इसके अतिरिक्त, स्थल की रूपरेखा एवं आकृति, नींव की गहराई के साथ-साथ स्थल की मिट्टी की भार-वहन क्षमता में भिन्नता, स्थल के भूकंपीय क्षेत्र में परिवर्तन, इत्यादि भिन्नताएं संरचनात्मक घटना में प्रतिबिंबित होती हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तुलना किए गए किसी भी भवन को अनुकूलित नहीं किया गया था और सभी शासन द्वारा निर्धारित मॉडल डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुसार बने थे। इसके अतिरिक्त, समरूप भवनों में निश्चित आयामवाली, प्लिंथ लेबल से ऊपर के सब और सुपर स्ट्रक्चर की मदों की तुलना की गई, जो रूपरेखा, स्थलाकृति, स्थल के विकास, नींव की गहराई, भूकंपीय क्षेत्र मेँ अंतर, इत्यादि में बदलाव के साथ परिवर्तित नहीं होती।

### 7.6.1.2 स्टील के अधिक उपयोग के कारण अतिरिक्त लागत

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी तीन श्रेणी के भवनों (विद्यालय, महाविद्यालय और छात्रावास भवन) में रीइनफोर्समेंट स्टील कंक्रीट के प्रति घनमीटर में स्टील की मात्रा पीआईयू मंदसौर में सभी से कम थी।

इन मात्राओं का उपयोग (सभी सैम्पल्ड पीआईयू में सबसे कम होने के कारण) अन्य पीआईयू में आरसीसी के प्रति घनमीटर स्टील की मात्रा का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ के रूप में किया गया और यह देखा गया कि अन्य सभी 12 पीआईयू (मंदसौर के अलावा) मेँ तीनों प्रकार के भवनों में व्यापक भिन्नताएं थीं जैसा कि नीचे **तालिका 7.5** में बताया गया है:

**तालिका 7.5: आरसीसी के प्रति घन मी. स्टील की मात्रा में भिन्नता दर्शाने वाला विवरण**

| पीआईयू का नाम | विद्यालय भवन | | महाविद्यालय भवन | | छात्रावास भवन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आरसीसी के प्रति घन मी. में स्टील की मात्रा की भिन्नता | अतिरिक्त प्रतिशत की भिन्नता | आरसीसी के प्रति घन मी. में स्टील की मात्रा की भिन्नता | अतिरिक्त प्रतिशत की भिन्नता | आरसीसी के प्रति घन मी. में स्टील की मात्रा की भिन्नता | अतिरिक्त प्रतिशत की भिन्नता |
| मंदसौर (स्टील की न्यूनतम खपत) | 101 | 0 | 114 | 0 | 115 | 0 |
| छतरपुर | 123 से 125 | 22 से 24 | 123 से 145 | 8 से 27 | * | * |
| देवास | 122 से 127 | 21 से 26 | 123 से 134 | 8 से 18 | 121 | 5 |
| ग्वालियर | 138 | 37 | # | # | # | # |
| कटनी | 122 से 140 | 21 से 39 | # | # | 140 | 22 |
| खंडवा | 124 से 125 | 23 से 24 | 139 से 144 | 22 से 26 | 138 | 20 |
| रायसेन | 124 से 130 | 23 से 29 | # | # | # | # |
| सागर | 134 से 138 | 33 से 37 | 146 से 147 | 28 से 29 | 122 | 6 |

| पीआईयू का नाम | विद्यालय भवन | | महाविद्यालय भवन | | छात्रावास भवन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आरसीसी के प्रति घन मी. में स्टील की मात्रा की भिन्नता | अतिरिक्त प्रतिशत की भिन्नता | आरसीसी के प्रति घन मी. में स्टील की मात्रा की भिन्नता | अतिरिक्त प्रतिशत की भिन्नता | आरसीसी के प्रति घन मी. में स्टील की मात्रा की भिन्नता | अतिरिक्त प्रतिशत की भिन्नता |
| सीहोर | 118 | 17 | 135 से 137 | 18 से 20 | * | * |
| शाजापुर | 135 | 34 | 155 | 36 | 127 | 10 |
| सिंगरौली | 148 | 47 | 120 से 131 | 5 से 15 | * | * |
| टीकमगढ़ | 112 से 124 | 11 से 23 | 126 | 11 | # | # |
| उज्जैन | 112 से 152 | 11 से 50 | 144 | 26 | # | # |

*** इन कार्यों में आरसीसी के प्रति घन मी स्टील की अधिक मात्रा की खपत नहीं देखी गई।**

**# समान कार्य निष्पादित/पूर्ण नहीं किए गए।**

सभी 12 पीआईयू में, इन कार्यों की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृतियाँ भी औचित्य को अभिलेखबद्ध किए बिना ही प्रदान की गई।

चूंकि डिजाइन को मानकीकृत किया गया था, लेखापरीक्षा अन्य पीआईयू में आरसीसी के प्रति घन मीटर स्टील की अतिरिक्त खपत के कारणों का पता नहीं लगा सका। इस प्रकार, औचित्य के बिना इस्पात की बढ़ी हुई खपत के परिणामस्वरूप इन कार्यों में अतिरिक्त लागत और ₹ 7.65 करोड़ का भुगतान हुआ जैसा कि नीचे **तालिका 7.6** में वर्णित है:

**तालिका 7.6: स्टील की अधिक खपत के लिए अतिरिक्त भुगतान दर्शाने वाला विवरण**

| भवनों का प्रकार | स्टील की अतिरिक्त मात्रा (किलोग्राम में) | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| विद्यालय भवन | 3,57,098.64 | 1.99 |
| महाविद्यालय भवन | 9,54,182.23 | 4.69 |
| छात्रावास भवन | 1,85,373.63 | 0.97 |
| कुल | | 7.65 |

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि भू-संरचना के कारण, समान भवनों में कार्यस्थल भिन्नता के लिए भवन का अनुकूलन और अन्य विकास यथोचित है। इसके अतिरिक्त, स्थल की रूपरेखा और स्थलाकृति, नींव की गहराई के साथ-साथ स्थल की मिट्टी की भारवहन क्षमता में भिन्नता, स्थल के भूकंपीय क्षेत्र में अंतर, इत्यादि विविधताएं संरचनात्मक घटना में प्रतिबिंबित होती हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, लेखापरीक्षा ने आरसीसी के प्रति घन मीटर में उपयोग किए गए स्टील के आधार पर भिन्नताओं की गणना की है, न कि वास्तव में उपयोग की गई कुल मात्रा पर जो कई स्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती है।

## 7.7 निविदा प्रक्रिया में अनियमितता

### 7.7.1 निविदाओं के वित्तीय प्रस्ताव को अनधिकृत रूप से खोलना

मप्र शासन के आदेशानुसार निविदाकारों की वित्तीय बोलियां निम्नानुसार खोली जानी है:

| सक्षम प्राधिकारी | वित्तीय सीमा (मप्र शासन के परिपत्र सितंबर 2018 के अनुसार) |
|---|---|
| मुख्य अभियंता (भवन) | ₹20 लाख से अधिक ₹ पांच करोड़ तक की निविदाओं के लिए |
| प्रमुख अभियंता (भवन)/ शासन स्तर पर निविदा समिति | ₹ 5.00 करोड़ से अधिक की निविदाओं के लिए |

इसके अतिरिक्त, ठेके की शर्तों के अनुसार, बोलीदाताओं, या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, जो आधिकारिक तौर पर ऐसी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, परीक्षण, मूल्यांकन, तुलना और ठेका सौंपने की अनुशंसा से संबंधित जानकारी बोली पर अंतिम निर्णय होने तक प्रकट नहीं की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच मुख्य अभियंता (भवन)[16] से संबंधित 44 निविदाएं ऐसी थीं जिनका मूल्य ₹ पांच करोड़ से अधिक था। इनमें से 14 निविदाओं के प्रकरणों में (प्रस्तुत किए गए 22 निविदा के प्रकरणों में से)[17], वित्तीय बोलियां जो मुख्य अभियंता (भवन) के अधिकार क्षेत्र से परे थीं, उनके कार्यालयों में खोली गईं और अनुमोदन के लिए प्रमुख अभियंता (भवन) को भेजी गई। प्रमुख अभियंता (भवन) ने बोली-प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए मुख्य अभियंता (भवन) के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, मुख्य अभियंता (भवन) की अनियमित कार्रवाई ने उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन किया और बोली प्रक्रिया की गोपनीयता का भी उल्लंघन किया।

शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया (मार्च 2024)।

### 7.7.2 कार्य का अनियमित आवंटन

निविदा के प्रावधानों के अनुसार, बोली लगाने वाले की बोली क्षमता का आकलन निम्नानुसार किया जाता है:

बोली-क्षमता = AxNx1.5 - B

जहां A = पिछले पांच वर्षों में टर्नओवर की अधिकतम राशि, N = समयावधि और B = हाथ में बचे शेष कार्य का मूल्य। न्यूनतम योग्यताएं पूरी करनेवाले बोलीकर्ता तभी योग्य होंगे जब उनकी उपलब्ध बोली-क्षमता ठेके की कुल संभावित राशि से अधिक हो।

इसके अतिरिक्त , निविदा के अभिलेखों की कंडिका 24 के अनुसार, यदि किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि बोलीकर्ता ने मिथ्या-प्रस्तुतीकरण सहित कोई भी कार्य या चूक, जिससे जानबूझकर या लापरवाही से वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए शासन/विभाग को भ्रमित किया गया है या भ्रमित करने का प्रयास किया गया है तो शासन/ विभाग बोली को अस्वीकार कर सकता है अथवा बोलीकर्ता को अनिश्चित काल या एक निश्चित अवधि के लिए बोलियों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर सकता है, ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य अभियंता (भवन), ग्वालियर के अंतर्गत तीन प्रकरणों में, बोलीकर्ताओं ने बोली प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपनी बोली-क्षमताओं के संबंध में झूठी घोषणाएं प्रस्तुत कीं। इन तीनों मामलों में, बोलीकर्ताओं ने हाथ में बचे कार्य का विवरण छिपाकर अपनी बोली-क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर बताया। विवरण नीचे **तालिका 7.7** में दिया गया है:

[16] भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रीवा।

[17] 44 निविदाओं में से केवल 22 के अभिलेख लेखापरीक्षा को दिखाए गए। शेष 22 निविदाओं के अभिलेख अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

**तालिका 7.7: योग्य बोलीकर्ताओं की घोषित और वास्तविक बोली-क्षमता दर्शाने वाला विवरण**

| कार्य का नाम | सफल बोलीकर्ता का नाम | बोलीकर्ता द्वारा घोषित बोली-क्षमता (₹ करोड़ में) | वास्तविक बोली क्षमता (लेखापरीक्षा के द्वारा आकलित) (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नौगांव, छतरपुर का निर्माण | मैसर्स लक्ष्मी चंद एंड कंपनी | 21.97 | 8.29[18] |
| स्नातक महाविद्यालय, नौगांव, छतरपुर का निर्माण | मेसर्स हरगोविंद गुप्ता | 26.74 | (-) 8.85[19] |
| स्नातक महाविद्यालय, चंदला, छतरपुर का निर्माण | | | |

यद्यपि वास्तविक बोली-क्षमताओं से संबंधित जानकारी जोनल कार्यालय के पास उपलब्ध थी, जानबूझकर चूक/ मिथ्या-प्रस्तुतीकरण के कृत्यों के लिए ठेकेदारों/ बोलीकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने में मुख्य अभियंता (भवन), ग्वालियर विफल रहे तथा बोलीकर्ताओं को योग्य माना गया और उन्हें अनियमित रूप से कार्य आवंटित किया गया।

इसके परिणामस्वरूप बोलीकर्ताओं को अनुचित लाभ हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि मुख्य अभियंता (भवन), ग्वालियर को तथ्यों को सत्यापित करने और प्रमुख अभियंता, भवन को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

## 7.8 अनुबंध-प्रबंधन में कमियाँ

### 7.8.1 संशोधित दरें न अपनाने के कारण अधिक भुगतान

पीआईयू द्वारा निष्पादित सभी कार्यों के निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की धारा 1 के अनुसार, एसओआर में, एनआईटी के दिनांक तक जारी सभी संशोधन कार्य पर प्रयोज्य थे।

7.8.1.1 लेखापरीक्षा ने 12 पीआईयू[20] के 43 कार्यों में पाया कि कार्य की मदों का भुगतान एनआईटी के दिनांक तक संशोधित और कम दरों पर किए जाने के बजाय संशोधन-पूर्व की उच्च दरों पर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 2.01 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि, छतरपुर, देवास, खंडवा, मंदसौर और शाजापुर के प्रकरणों में, लेखापरीक्षा के इंगित करने पर वसूली की गई है; रायसेन के प्रकरण में, गणना की जा रही है एवं ठेकेदारों से वसूली की जाएगी, और कटनी, सागर, सीहोर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन के प्रकरणों में, मुख्य अभियंता (भवन) को तथ्यों की जांच करने और नियमानुसार वसूली के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

सभी लंबित प्रकरणों में वसूली प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

**7.8.1.2** लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंदसौर के उत्कृष्ट विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए 100 सीटर छात्रावास के निर्माण-कार्य की एनआईटी 11 जून 2018 को जारी की गई थी अर्थात संशोधन क्रमांक 38 जारी होने के बाद जिसके

18

| बोलीकर्ता के अनुसार वित्तीय क्षमता | वास्तविक वित्तीय क्षमता | बढ़ा कर दर्शाया |
|---|---|---|
| 20.82x1.5x1.5-24.88 = ₹ 21.97 करोड़ | 20.82x1.5x1.5-38.55 = ₹ 8.29 करोड़ | ₹ 13.68 करोड़ |

19

| बोली लगाने वाले के अनुसार वित्तीय क्षमता | वास्तविक वित्तीय क्षमता | बढ़ा कर दर्शाया |
|---|---|---|
| 49.99x1x1.5-48.25 = ₹ 26.74 करोड़ | 49.99x1x1.5-83.84 = (-) ₹ 8.85 करोड़ | ₹ 35.59 करोड़ |

20 छतरपुर, देवास, कटनी, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, सागर, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन।

माध्यम से एक नई मद, आरसीसी (शटरिंग सहित) एसओआर में शामिल की गई थी। अत: कार्य में इस मद का निष्पादन एवं भुगतान किया जाना था। जबकि कार्य का निष्पादन एवं भुगतान एसओआर की पुरानी मद (आरसीसी एम-20 शटरिंग रहित) से किया गया तथा "शटरिंग" मद का भुगतान अलग से किया गया। संशोधित दरों और मदों को न अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 0.26 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई और भुगतान हुआ।

शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया (मार्च 2024)।

### 7.8.2 उच्च दरें अपनाने के कारण अतिरिक्त भुगतान

मप्र शासन द्वारा जारी भवन निर्माण कार्यों के अनुबंध की विशेष शर्तों की कंडिका 5 के अनुसार, यदि इसे एनआईटी में संशोधन के रूप में जारी किया गया है तो एनआईटी के दिनांक और बोली जमा करने के दिनांक के बीच दर-अनुसूची (एसओआर) में किया गया संशोधन भी प्रयोज्य होगा।

लेखापरीक्षा ने तीन पीआईयू[21] के तीन कार्यों में पाया कि एनआईटी की तिथि के बाद लेकिन बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले स्टील की मदों की दरों में वृद्धि की गई थी। विभाग द्वारा इस संबंध में एनआईटी में संशोधन जारी नहीं किया गया, जैसा कि संशोधित दरों पर भुगतान के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार आवश्यक था। हालाँकि, स्टील मद का भुगतान पूर्व-संशोधित दरों के बजाय बढ़ी हुई दरों पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.13 करोड़ **(परिशिष्ट 7.3)** का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि, खंडवा के प्रकरण में, एनआईटी 30 जुलाई 2018 को जारी की गई थी और एसओआर में 13 अगस्त 2018 को संशोधन किया गया था, इसलिए मद पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया, जबकि कटनी और सीहोर के प्रकरणों में, मुख्य अभियंता (भवन) को तथ्य की जांचकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, खंडवा के प्रकरण में, एसओआर में संशोधन बोली जमा करने की तिथि (14 अगस्त 2018) से पहले जारी किया गया था और इसलिए विभाग द्वारा एनआईटी में संशोधन जारी किया जाना था, जो नहीं किया गया। इसलिए अतिरिक्त भुगतान की अनुमति नहीं दी जानी थी।

कटनी और सीहोर के प्रकरण में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 7.8.3 भूमि की उपलब्धता के बिना कार्य का अनियमित आवंटन

मप्र शासन द्वारा जारी परिपत्र (जून **2017**) के अनुसार**,** भवन-निर्माण के प्रकरण में **90** प्रतिशत निर्विवाद भूमि उपलब्ध होने पर ही सफल बोलीकर्ता के साथ अनुबंध किया जाएगा। यदि भूमि उपलब्ध नहीं है**,** तो संबंधित कार्यपालन यंत्री (भवन)**,** मुख्य अभियंता (भवन) को लिखित रूप में सूचित करेंगे और भूमि अधिग्रहण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अनुबंध का निष्पादन 90 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता के बाद ही किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 10 पीआईयू[22] के 27 कार्यों में पाया कि संबंधित विभागों द्वारा भूमि की उपलब्धता की पुष्टि से पहले ही कार्यपालन यंत्रिओं (भवन) के द्वारा अनुबंध निष्पादित कर लिए गए थे। उपरोक्त आदेश के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कार्य पूरा होने में 147 से 1690 दिनों तक की देरी हुई। इन 27 कार्यों में से एक कार्य मार्च 2024 तक लंबित था।

शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2023) कि निविदा-प्रक्रिया एक समयबद्ध प्रक्रिया है। अनुलग्नक-एल के अनुसार**,** सफल बोलीकर्ता को 15 दिनों के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होता है।

[21] कटनी, खंडवा और सीहोर।
[22] छतरपुर, देवास, ग्वालियर, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, टीकमगढ़ और उज्जैन।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त आदेश के अनुसार, शासन अनुबंध की वैधता अवधि को 90 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता तक बढ़ा सकती है या कम से कम 90 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं। इसलिए, निविदा प्रक्रिया को पूरा करने की जल्दबाजी अनावश्यक थी।

### 7.8.4 समयवृद्धि की अविवेकपूर्ण स्वीकृति एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण

ठेके की सामान्य शर्तों (जीसीसी) की कंडिका 15 के अनुसार, कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत्य समय, जो अनुबंध में दर्ज है, का ठेकेदार द्वारा दृढ़ता से ध्यान रखा जाएगा। समयबद्धता तथा/या माइलस्टोन का अनुपालन करने में ठेकेदार की विफलता पर अनुबंध में निर्धारित क्षतिपूरक शास्ति आरोपित होगी।

**7.8.4.1** ठेके के अनुलग्नक-पी के अनुसार, यदि अतिरिक्त समय, यदि कोई हो, सहित पूर्णता की निर्धारित अवधि के अंदर कार्य पूरा नहीं होता है, तो ठेकेदार पर विलंब के लिए 0.05 प्रतिशत प्रति दिन की दर से अनुबंध राशि के अधिकतम 10 प्रतिशत तक शास्ति आरोपित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने 13 पीआईयू[23] के 50 कार्यों में पाया कि कार्य 98 दिनों से 1690 दिनों की देरी से पूरे हुए। हालाँकि, विभाग ने 23 कार्यों में एक दिन से 42 दिन तक की देरी के लिए ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया था और 27 कार्यों में, ठेकेदारों को किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। देरी के शेष दिनों को या तो नियोक्ता की गलती या अप्रत्याशित घटना, जैसे, लेआउट प्रदान करने में देरी, कोविड-19[24], शिविर की व्यवस्था में देरी, बिजली आपूर्ति की अनुपलब्धता, रेत और खनिज खनन पर प्रतिबंध, बिल भुगतान में देरी, इत्यादि माना गया, हालांकि, ये सभी कारण ठेकेदार के दायित्व थे और कोविड-19 को छोड़कर कोई भी कारण अप्रत्याशित घटना के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि अनुबंध में उल्लिखित है और ठेकेदार इस देरी के लिए जिम्मेदार थे। इसके परिणामस्वरूप ₹13.40 करोड़ की क्षतिपूरक शास्ति की वसूली नहीं/कम हुई।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि, कार्यपालन यंत्री और ठेकेदार से विलंब संबंधी तथ्य ज्ञात करने के बाद सक्षम प्राधिकारी (मुख्य अभियंता) द्वारा एनआईटी के अनुसार समयवृद्धि की स्वीकृति दी गई थी, और तब विलंब एवं शास्ति का निर्णय किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलंब के लिए दैनिक शास्ति की दर पहले से ही अनुबंध में दी गई है। मुख्य अभियंता को ठेकेदार, विभाग और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हुये विलंब का विश्लेषण करना है और प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार पर कितने दिनों के लिए शास्ति आरोपित करना है, इसका निर्णय करना है। हालांकि, सीई ने इसे अनदेखा कर दिया और अप्रत्याशित घटनाओं को, बिना किसी उचित औचित्य के, विलंब के उपरोक्त सभी कारणों की वजह होना बताया।

**7.8.4.2** लेखापरीक्षा ने 10 पीआईयू[25] के 26 कार्यों में पाया कि कार्य 64 दिन से 1669 दिन की देरी से पूरे हुए और कार्य पूरा होने के बाद 16 दिन से 1066 दिन बीत गए लेकिन न तो समयवृद्धि स्वीकृत की गई, न ही कोई शास्ति आरोपित[26] की गई।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि, कार्यपालन यंत्री और ठेकेदार से विलंब संबंधी तथ्य ज्ञात करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, मुख्य अभियंता के द्वारा एनआईटी के अनुसार समयवृद्धि की स्वीकृति दी गई थी, और विलंब एवं शास्ति का निर्णय किया गया।

[23] छतरपुर, देवास, ग्वालियर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, सागर, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन।

[24] एमपी शासन ने कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 120 दिनों तक की देरी को माफ करने का आदेश (अप्रैल 2020) जारी किया था।

[25] छतरपुर, देवास, ग्वालियर, कटनी, खंडवा, रायसेन, सीहोर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन।

[26] चूंकि विभाग द्वारा समयवृद्धि के प्रकरण प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए शास्ति की गणना नहीं की गई।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उपरोक्त प्रकरणों में समयवृद्धि की मंजूरी से संबंधित कोई अभिलेखीय साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था (मार्च 2024)।

### 7.8.5 सिक्यूरिटी डिपॉजिट की कम कटौती

ठेके की समान्य शर्तों की कंडिका 30.1 के अनुसार, चलित देयकों की कुल राशि के पाँच प्रतिशत की दर से प्रत्येक चलित देयक से सिक्यूरिटी डिपॉजिट की कटौती की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने आठ पीआईयू[27] के 60 कार्यों में पाया कि विभाग ने सिक्यूरिटी डिपॉजिट की कटौती किए गए कार्य की सकल राशि पर नहीं की, और इसके बजाय शुद्ध राशि (सकल राशि से जीएसटी घटाकर) या उससे भी कम राशि पर सिक्यूरिटी डिपॉजिट की वसूली की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ की सिक्यूरिटी डिपॉजिट की कम कटौती हुई।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि जीएसटी राशि पर कोई राशि नहीं काटी गई क्योंकि यह कर की राशि थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ठेके की शर्तों के अनुसार, सिक्यूरिटी डिपॉजिट को शुद्ध राशि के बजाय सकल राशि में से काटना था। आगे, जीएसटी की तरह ही, अन्य कर/उपकर जैसे आयकर, श्रम कल्याण उपकर, इत्यादि भी सकल भुगतान में शामिल रहते हैं। अन्य करों की तरह ही जहां विभाग ने सिक्यूरिटी डिपॉजिट की कटौती की, उसे सकल राशि जिसमें जीएसटी भी शामिल था, में से काटा जाना चाहिए था।

### 7.8.6 रॉयल्टी की कम कटौती

ठेके की समान्य शर्तों की कंडिका 25.2 के अनुसार, शासकीय कार्यों में वास्तव में उपयोग की गई सामग्रियों से संबन्धित खदान शुल्क, रॉयल्टी, चुंगी और किसी भी अन्य कर एवं शुल्क का दायित्व, यदि कोई हो, तो उसे ठेकेदार के द्वारा वहन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने चार पीआईयू[28] के आठ कार्यों में पाया कि ठेकेदारों द्वारा 28868.167 घन मी. पत्थर और 21524.104 घन मी. रेत का उपयोग किया गया था, जिसके लिए ₹ 0.50 करोड़ की रॉयल्टी वसूली-योग्य थी। इसके विरुद्ध उनके देयकों से केवल ₹ 0.26 करोड़ रुपये की रॉयल्टी काटी गई थी। रॉयल्टी की कम कटौती का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.24 करोड़ की रॉयल्टी की कम कटौती हुई।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि खंडवा और उज्जैन के प्रकरणों में ठेकेदार के अंतिम देयक से वसूली की जाएगी। मंदसौर और टीकमगढ़ के प्रकरणों में, लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित किये जाने पर रॉयल्टी की शेष राशि देयकों और सिक्यूरिटी डिपॉजिट से काट ली गई है और संबंधित विभाग को भेज दी गई है।

खंडवा और उज्जैन के संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

## 7.9 कार्यों के निष्पादन में कमियाँ

### 7.9.1 मदों के अनावश्यक निष्पादन पर अतिरिक्त व्यय

**7.9.1.1** सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों के अध्याय 22 "वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट" के अनुसार, 'वॉटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट विथ फाइबर ग्लास क्लॉथ' (सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों की कंडिका 22.6) और 'ग्रेडिंग ऑफ रूफ फॉर वॉटर प्रूफिंग विथ सीमेंट कंक्रीट' (सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों की कंडिका 22.9) वॉटर प्रूफिंग की दो भिन्न पद्धतियाँ हैं।

[27] देवास, खंडवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन।

[28] खंडवा, मंदसौर, टीकमगढ़ और उज्जैन।

लेखापरीक्षा ने आठ पीआईयू[29] के 26 कार्यों में पाया कि उपरोक्त विनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सभी 26 कार्यों में सीमेंट कंक्रीट द्वारा वॉटर प्रूफिंग के साथ-साथ फाइबर ग्लास क्लॉथ द्वारा भी वॉटर प्रूफिंग का कार्य निष्पादित किया गया था। चूँकि, वॉटर प्रूफिंग के प्रयोजन के लिए केवल एक ही मद को क्रियान्वित करने की आवश्यकता होती है और एक ही कार्य में वॉटर प्रूफिंग की दोनों परतों को एक साथ बिछाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार, दोनों मदों का एक साथ निष्पादन न तो आवश्यक था और न ही स्वीकार्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (**परिशिष्ट 7.4**)।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि खाली छत पर ढलान प्राप्त करने के लिए, ग्रेडिंग प्रदान की गई थी जो वॉटर प्रूफिंग की परत नहीं है। ग्रेडिंग के ऊपर, स्थल की उपयुक्तता के अनुसार आगे की प्रूफिंग के लिए एसओआर मद में से उपयुक्त मद का चयन किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों के आधार पर प्रयोज्य एसओआर (2014) मद के अनुसार ग्रेडिंग के मद (22.14.1) का नाम "ग्रेडिंग रूफ फॉर वॉटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट" है। इसके अलावा, "वॉटर प्रूफिंग विथ फाइबर ग्लास क्लॉथ" की मद (22.6) वॉटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट के लिए एक अलग मद है।

7.9.1.2 म.प्र. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.028 के अनुसार, प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करनेवाला अधिकारी डिजाइन की सुदृढ़ता का आकलन करने और ड्राइंग के संदर्भ में प्राक्कलन में शामिल करने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को समाविष्ट करने बावत जिम्मेदार होता है। विस्तृत प्राक्कलन की शुद्धता प्राक्कलित और निष्पादित मात्राओं के बीच नाममात्र भिन्नता की सीमा से मापी जानी है। इस प्रकार, प्राक्कलन यथार्थपूर्ण होना चाहिए, और प्राक्कलन में कोई भी अनावश्यक मद शामिल नहीं की जानी चाहिए या निष्पादित करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने तीन पीआईयू[30] के आठ कार्यों में पाया कि मदों एवं मात्राओं का अतिरिक्त चौड़ाई और गहराई में निष्पादन किया गया था, यद्यपि इसे तकनीकी स्वीकृति (टीएस) और मूल प्राक्कलन में स्वीकृति नहीं दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप आवश्यकता के बिना अनावश्यक निष्पादन के कारण ₹ 0.77 करोड़ (**परिशिष्ट 7.5**) की अतिरिक्त लागत आई।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि देवास के प्रकरण में, पेवमेंट की मोटाई की अनियमितता को ठीक कर दिया गया है और कार्य की अधिक मात्रा के लिए किए गए भुगतान, ₹ 0.07 करोड़ की वसूली कर ली गई है। सागर के प्रकरण में मुख्य अभियंता को तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए थे। शाजापुर के प्रकरण में, 100 सीटों वाले बालकों एवं बालिकाओं के उत्कृष्टता छात्रावास - दोनों भवन हाई स्वेलिंग इंडेक्स वाली ब्लैक कॉटन (बीसी) सायल के क्षेत्र में थे। यदि मिट्टी के ऊपर पेवर ब्लॉक बिछाए जाते, तो फर्श की सतह ऊबड़-खाबड़ हो जाती, इसलिए स्थल की स्थिति के अनुसार सीसी एम-15 निष्पादित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ जारी की गई हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीआईयू, शाजापुर के प्रकरण में, एसओआर का मद क्रमांक. 11.74 एक पूर्ण मद है जिसमें "एम-15 पीसीसी के साथ किनारों को लॉक करने सहित स्टोन डस्ट की बैडिंग पर पेवर ब्लॉक बिछाना" भी शामिल है, जिसका उपयोग आंगन और भवन के आसपास के क्षेत्र में बिछाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, सीसी एम-15 का निष्पादन अनावश्यक था, क्योंकि स्वेलिंग के कारण ब्लैक कॉटन (बीसी) सायल पर स्टोन डस्ट की बैडिंग पहले ही बिछा दी गई थी। पीआईयू, सागर के प्रकरण में उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 7.9.2 ठेकेदारों को अधिक भुगतान

म.प्र. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 4.017 के अनुसार, माप-पुस्तिका निष्पादित किए गए कार्य की मात्राओं के समस्त लेखाजोखाओं का आधार होती है। इसमें तथ्यों के ऐसे सभी विवरण होने चाहिए जो न्यायालय में निर्णायात्मक

[29] छतरपुर, ग्वालियर, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, सागर, सीहोर और शाजापुर।

[30] देवास, सागर और शाजापुर।

साक्ष्य बन सकें। कार्य एवं सामग्री का विवरण स्पष्ट होना चाहिए ताकि आसानी से पहचान और जांच की जा सके। यह भुगतान किये जाने का आधार बनता है।

लेखापरीक्षा ने 12 पीआईयू[31] के 30 कार्यों में पाया कि विभिन्न कारणों से ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया था जैसा कि नीचे **तालिका 7.8** में बताया गया है:

**तालिका 7.8: ठेकेदार को अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| अनियमितताओं का विवरण | कार्यों की संख्या | इकाई की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| वास्तविक कार्य के बिना गलत/ अधिक माप दर्ज करना (खंडवा, मंदसौर, सिंगरौली, टीकमगढ़) | 7 | 4 | 0.43 |
| दुगुना मापन (सिंगरौली, टीकमगढ़) | 5 | 2 | 0.23 |
| विस्तृत माप और स्पष्टीकरण के बिना मात्रा में वृद्धि (देवास, खंडवा, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़) | 7 | 5 | 0.47 |
| एक पूर्ण मद में पहले से ही शामिल मद के लिए अलग से भुगतान(छतरपुर, रायसेन, सीहोर) | 6 | 3 | 0.24 |
| ग़लत मदों का प्रयोग (देवास, खंडवा, मंदसौर, सागर, सीहोर, सिंगरौली, टीकमगढ़) | 15 | 7 | 0.39 |
| अस्वीकार्य मदों के लिए भुगतान (ग्वालियर, खंडवा, सिंगरौली, टीकमगढ़) | 10 | 4 | 0.20 |
| मुरुम भराई और बागवानी की मदों का निष्पादन के बिना गलत मापन (खंडवा) | 1 | 1 | 0.48 |
| पहले ही भुगतान की जा चुकी मदों का पुनर्वर्गीकरण (देवास) | 1 | 1 | 0.06 |
| अंकगणितीय गणना में त्रुटि (कटनी) | 1 | 1 | 0.05 |
| **योग** | | | **2.55** |

*(स्रोत: लोक निर्माण विभाग के अभिलेख)*

ये प्रकरण माप दर्ज करने और भुगतान के लिए देयकों की प्रोसेसिंग पर अपर्याप्त नियंत्रण एवं यथोचित ध्यान की कमी इंगित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 2.55 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि छतरपुर, देवास, सीहोर और सिंगरौली संभाग से संबंधित कार्यों में तथ्यों की जांच के बाद उत्तर दिया जाएगा। शेष आठ संभागों से संबंधित कार्यों में ठेकेदारों को कोई अनियमित भुगतान नहीं किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपलब्ध अभिलेखों की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उपरोक्त तालिका में उल्लिखित कारणों से ठेकेदारों को अधिक भुगतान हुआ है।

## 7.9.3 अधूरे कार्यों पर व्यर्थ व्यय

म.प्र. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.005 के अनुसार, जब प्रशासनिक स्वीकृति(एए) प्राक्कलन चरण-II पर दी गई हो और स्वीकृत राशि से 10 प्रतिशत से अधिक का व्यय हो चुका हो या होने की संभावना हो या मूल प्रस्तावों में व्यापक परिवर्तन किए जाते हैं तो भले ही उनकी लागत अन्य मदों पर हुई बचत के द्वारा पूरी की जा सकती हो, सक्षम प्राधिकारी से पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए।

### 7.9.3.1 अपूर्ण विद्यालय

पीआईयू, रायसेन की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरखेड़ा के निर्माण का कार्य मई 2018 में, एक ठेकेदार को ₹0.76 करोड़ (प्राक्कलित लागत, ₹ 0.86 करोड़) में मार्च 2019 तक या उससे पूर्व पूरा करने

[31] छतरपुर, देवास, ग्वालियर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, सागर, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली और टीकमगढ़।

के लिए दिया गया था। शिक्षा विभाग के द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए एक करोड़ (प्रयोज्य पर्यवेक्षण शुल्क सहित) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

अंतिम माप 12 अक्टूबर 2019 को दर्ज किया गया था और तत्पश्चात अंतिम देयक (8वां आरए) का भुगतान 19 अक्टूबर 2019 को किया गया था, जिसके लिए ठेकेदार को ₹ 0.92 करोड़ (₹ 0.09 करोड़ के पर्यवेक्षण शुल्क को छोड़कर) की राशि का भुगतान किया गया था। चूंकि कुल व्यय प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक हो चुका था, आगे कोई और भुगतान नहीं किया जा सका, और ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। आगे कोई और माप दर्ज नहीं होना यह इंगित करता था कि काम बंद कर दिया गया था और आगे कोई प्रगति (या कार्य पुनः प्रारम्भ होने) की सूचना नहीं दी गई। लेखापरीक्षा द्वारा विभाग के अधिकारियों के साथ किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जुलाई 2022) में इस तथ्य की पुष्टि हुई कि काम बंद कर दिया गया था और स्थल को पूर्णतः छोड़ दिया गया था।

**रायसेन में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरखेड़ा स्टेशन का स्थगित कार्य**
***(स्रोत: 4 जुलाई 2022 को लेखापरीक्षा दल द्वारा लिया गया चित्र)***

लेखापरीक्षा ने इसप्रकार पाया कि:

- विभाग ने परियोजना के पूरा होने में निर्धारित समय के पश्चात हुये विलंब और या लागत-वृद्धि के कारणों को दर्ज नहीं किया था।

- कार्य बंद होने की तिथि से 26 महीने से अधिक (फरवरी 2023 तक) बीत जाने के बावजूद, विभाग ने लोक शिक्षा विभाग से पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। परिणामतः, ठेके की स्वीकृत राशि से अधिक भुगतान होने के बावजूद, कार्य पूरा नहीं किया जा सका और परित्यक्त स्थिति में पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.01 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि निविदा मॉडल प्राक्कलन के आधार पर जारी की गई थी। निविदा के समय भूमि का निर्धारण नहीं हुआ था और भूमि आवंटन की प्रत्याशा में निविदा जारी की गई थी। भूमि की प्रोफ़ाइल ढलानदार थी और इसलिए लागत बढ़ गई। एक पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को कार्य हाथ में लेने/ शुरू करने से पहले स्थल की स्थितियों के बारे में पता था। अतः, अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय से बचने के लिए इसे कार्य शुरू होने से पहले पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करना चाहिए था और तदनुसार स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

### 7.9.3.2 अपूर्ण चहारदीवारी

लेखापरीक्षा ने चार पीआईयू[32] के चार कार्यों में पाया कि यद्यपि अनुबंधों में भवनों के चारों ओर चहारदीवारी का प्रावधान था, आंशिक लंबाई में उनके निर्माण के बाद कार्य छोड़ दिया गया था। हालाँकि, सभी कार्यों का पूर्ण होना दिखाया गया था और ठेकेदारों को अंतिम भुगतान कर दिया गया था। चूंकि अपूर्ण चहारदीवारियाँ किसी काम की नहीं थी, इनके निर्माण पर किया गया ₹1.41 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल था। विवरण नीचे **तालिका 7.9** में दिया गया है:

**तालिका 7.9: अपूर्ण चहारदीवारी के निर्माण पर निष्फल व्यय दर्शानेवाला विवरण**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | पी आई यू का नाम | कार्य का नाम | अनुबंध क्रमांक | किये गये कार्य का मूल्य | चहारदीवारी के निर्माण पर व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | देवास | देवास में विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण | 15/2017-18 | 590.39 | 0.19 |
| 2 | मन्दसौर | शामगढ़ में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 10/2017-18 | 552.07 | 0.28 |
| 3 | सिंगरौली | सराय में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 13/2017-18 | 631.83 | 0.24 |
| 4 | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ में आईटीआई में चहारदीवारी का निर्माण | 16/2018-19 | 69.57 | 0.70 |
| | | **योग** | | | **1.41** |

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि भवन परिसर को घेरने के लिए भूमि की उपलब्धता के अनुसार चहारदीवारी की लंबाई आवश्यक है।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि अपूर्ण चहारदीवारियों का निर्माण न केवल वांछित उद्देश्य (भवनों की सुरक्षा) को पूरा करने में विफल रहा, बल्कि ₹ 1.41 करोड़ के निष्फल व्यय में परिणत भी हुआ।

## 7.9.4 ठेकेदारों को अदेय वित्तीय लाभ

विभाग ने निर्देश जारी किए थे (सितंबर 2016) कि ₹ पांच करोड़ से अधिक लागत वाले भवनों में 'अंडर फ्लोर फिलिंग' के लिए 'डबल व्हील वाइब्रेटरी रोलर' का प्रयोग करना होगा अन्यथा 'फ्लोर फिलिंग' के भुगतान से 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने नौ पीआईयू[33] के 25 कार्यों में पाया कि यद्यपि इन कार्यों की पीएसी ₹ पांच करोड़ से अधिक थी, ठेकेदारों ने ऊपर बताये अनुसार निर्दिष्ट मशीन का प्रयोग कार्यों में नहीं किया था। विभागीय अभिलखों में इसका कोई उल्लेख नहीं था कि ठेकेदारों के पास वांछित मशीन उपलब्ध थीं या कि मदों के निष्पादन के दौरान उसका प्रयोग किया गया था। विभाग ठेकेदारों के देयकों का भुगतान करते समय ऊपर बताए अनुसार कटौती करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 0.69 करोड़ का अदेय वित्तीय लाभ हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि 'प्लेट वाइब्रेटर' और 'डबल व्हील वाइब्रेटिंग रोलर' का प्रयोग कम्पैक्शन प्रक्रिया का एक हिस्सा है और, इसका अलग से उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसे सभी प्रकरणों में जहां 'वाइब्रेटरी कम्पैक्शन रोलर्स' का उपयोग किया गया था, एमबी में विशिष्ट नोटिंग दर्ज की गई थी। किसी भी अभिलेख के अभाव में, इस दावे को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि 'वाइब्रेटरी कम्पैक्शन रोलर्स' का प्रयोग किया गया है।

[32] देवास, मंदसौर, सिंगरौली और टीकमगढ़।

[33] छतरपुर, देवास, ग्वालियर, कटनी, खंडवा, रायसेन, सीहोर, शाजापुर और टीकमगढ़।

आवश्यक मशीनरी के प्रयोग के लिए, या तो वह अनुबंध के साथ संलग्न ठेकेदार के आधिपत्यवाली मशीनरी की सूची में होगी अथवा ठेकेदार द्वारा किराए पर ली जाएगी, जिसे विभाग सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं कर सका। इस प्रकार, विभाग ने अपने ही निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

### 7.9.5 उत्खनित सामग्री के परिवहन के लिए अतिरिक्त भुगतान

भवनों की अधोसंरचना हेतु मिट्टी के उत्खनन के लिए दर-अनुसूची (एसओआर) के मद क्रमांक 2.5, 2.6 और 2.7 के अनुसार, उत्खनित मिट्टी का उपयोग करना/ 50 मी. की दूरी तक हटाना है। एसओआर के मद क्रमांक 2.25 के अंतर्गत, उत्खनन से प्राप्त मिट्टी, चट्टान (कठोर/साधारण) को छोड़कर, का उपयोग 50 मी. की दूरी तक नींव, गड्ढों, और अधोसंरचना के किनारों को भरने में किया जाना है। एसओआर के मद क्रमांक 2.27 और 2.28 के अंतर्गत, चयनित मिट्टी, सख्त मुरुम/कोपरा[34] और क्रशर स्टोन डस्ट/ मोटी रेत को नींव की भराई में मिट्टी के ऊपर निष्पादित किया जाना है। चूँकि उत्खनित मिट्टी का उपयोग भवन के निर्माण-स्थलों पर ही किया जाना है, अतः मिट्टी का परिवहन न तो आवश्यक है और न ही भुगतानयोग्य है।

इसके अतिरिक्त, एसओआर के सामान्य नोट 19 के अनुसार, उत्खनित कठोर/साधारण चट्टान ठेकेदार को ₹ 150 प्रति घन मी. की दर से जारी की जाएगी। उत्खनित साधारण/कठोर चट्टान का परिवहन शुल्क भी देय नहीं है।

लेखापरीक्षा ने सात पीआईयू[35] के 14 कार्यों में पाया कि इन सभी कार्यों में मिट्टी/कठोर चट्टान के लिए परिवहन शुल्क का भुगतान किया गया था, जो देय नहीं था क्योंकि उत्खनित मिट्टी/कठोर चट्टान की सम्पूर्ण मात्रा का उपयोग साइट पर किया जाना था/जारी किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप परिवहन शुल्क के रूप में ₹0.32 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि छतरपुर के प्रकरण में, उपलब्ध मिट्टी बीसी सॉयल थी इसलिए परिवहन किया गया। खंडवा के प्रकरण में वसूली की गई है। अन्य प्रकरणों में, कई बार जगह की उपलब्धता जैसी साइट की बाध्यताओं के कारण निष्पादित सामग्री के परिवहन की आवश्यकता होती है, इसलिए उत्खनित मिट्टी का परिवहन किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, पीआईयू छतरपुर के प्रकरण में, कार्य में 'ग्रेड स्लैब कंक्रीट' का निष्पादन किया गया था, और इसलिए, उत्खनित मिट्टी का उपयोग साइट पर किया जाना था, इसलिए परिवहन व्यय की अनुमति अनियमित थी, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अधिक भुगतान हुआ। अन्य प्रकरणों में, संबंधित कार्य स्नातक महाविद्यालय, छात्रावास, इत्यादि के थे, जिनमें उत्खनित मिट्टी को फिर से भरने के लिए एकत्र करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध थी और इसलिए, परिवहन व्यय का भुगतान अनियमित था और इसके परिणामस्वरूप अधिक भुगतान हुआ।

### 7.9.6 जल के उपयोग पर परिहार्य व्यय

एसओआर के सामान्य नोट 9 के अनुसार, यदि निर्माण कार्य के लिए शासकीय स्रोत के जल का उपयोग किया जाता है, तो जल के उपयोगवाली मदों के लिए ठेकेदार को भुगतान की गई राशि में से एक प्रतिशत की दर से जल-शुल्क की कटौती की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने 13 पीआईयू[36] के 84 कार्यों में पाया कि 81 कार्यों में बोरवेल की ड्रिलिंग का कार्य 'बिल ऑफ क्वान्टिटी (बीओक्यू)' में दिया गया था और दर्ज की गई मापों के अनुसार सुपर-स्ट्रक्चर का कार्य समाप्त होने के बाद निष्पादित किया गया था और इसलिए, एसओआर में दिए दर पर जल की लागत वसूल नहीं की गई। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान तीन जारी कार्यों में यह देखा गया कि बोरवेल्स की ड्रिलिंग की गई थी और उनके जल का उपयोग निर्माण-कार्य के लिए किया जा रहा था, लेकिन जल-शुल्क को टालने के लिए उनका माप दर्ज नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप पर्यवेक्षण और

[34] सख्त मुरुम का रंग लाल होता है और यह लौह यौगिकों द्वारा निर्मित होता है।

[35] छतरपुर, देवास, ग्वालियर, खंडवा, सागर, टीकमगढ़ और उज्जैन।

[36] छतरपुर, देवास, ग्वालियर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, सागर, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन।

गुणवत्ता नियंत्रण (एसक्यूसी) कंसल्टेंट के द्वारा मापों में हेरफेर के कारण इन तीन कार्यों में ठेकेदारों को जल-शुल्क के रूप में ₹ 0.05 करोड़ (जैसा कि नीचे **तालिका 7.10** में वर्णित है) का अदेय वित्तीय लाभ हुआ, जिसे विभागीय अधिकारियों ने भी नजरअंदाज किया था।

**तालिका 7.10: जल-शुल्क की वसूली नहीं होने को दर्शानेवाला विवरण**

**(₹ करोड़ में )**

| क्र. सं. | पीआईयू का नाम | कार्य का नाम | जल-शुल्क की राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्वालियर | ग्वालियर में दृष्टि-बाधित एवं श्रवण-बाधित के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण | 2.08 |
| 2 | सागर | गढ़ाकोटा में स्नातक महाविद्यालय के विस्तार का कार्य | 3.06 |
| 3 | सीहोर | सीहोर में उत्कृष्ट विद्यालय में 100 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण | 0.30 |
| **योग** | | | **5.44** |

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में, शेष 81 कार्यों में गलत प्रक्रिया अपनाते हुए बोरवेल्स की ड्रिलिंग की मापों को सुपर-स्ट्रक्चर का कार्य पूरा होने के बाद दर्जकर जल-शुल्क से बचाव करते हुए ठेकेदारों को वित्तीय लाभ पहुंचाने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जिससे ₹ 1.58 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा (जल के उपयोगवाली मदों पर एक प्रतिशत जल-शुल्क)।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि कार्यपालन यंत्री के प्रतिवेदन के अनुसार, ऐसा लगा कि अधिकांश प्रकरणों में, ठेकेदार द्वारा बड़े निर्माण-कार्यों के पूरा करने के बाद अंत में बोरिंग/ ड्रिलिंग की गई थी, इसलिए शुल्क की कटौती नहीं की गई थी। टीकमगढ़ के प्रकरण में, शासकीय स्रोतों से जल का उपयोग आंशिक रूप में किया गया था जिसके लिए अगले देयक या सिक्यूरिटी डिपाजिट से नियमानुसार कटौती की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाए गए संदर्भित प्रकरणों में, बोरवेल्स उत्खनित किए गए थे और ठेकेदार निर्माण-कार्य के लिए उन बोरवेल्स के जल का उपयोग कर रहा था। अत: निर्धारित दर पर कटौती की जानी चाहिए थी।

विभाग समुचित जांच कर सकता है कि क्या बोरवेल्स का निष्पादन सब-स्ट्रक्चर एवं सुपर-स्ट्रक्चर के कार्यों से पहले किया गया था और तदनुसार कार्रवाई करे।

खंडवा और उज्जैन के संबंध में आगे की प्रगति पर उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

## 7.10 गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी में कमियाँ

### 7.10.1 फील्ड-लैबोरेटरी की स्थापना न करना

ठेके की सामान्य शर्तों की कंडिका 17 के अनुसार, ठेकेदार को निर्दिष्ट समय के भीतर निर्दिष्ट उपकरण सहित फील्ड-लैबोरेटरी स्थापित करनी होगी, ऐसा न करने पर, ठेके में निर्दिष्ट शास्ति आरोपित होगी, यानी ठेके की राशि का एक प्रतिशत प्रतिमाह विलंब के लिए, अधिकतम ₹50,000 प्रतिमाह तक।

आगे, विभाग ने निर्देश जारी किया (फरवरी 2013) कि ₹ पांच करोड़ से अधिक और कम के कार्य के प्रकरणों में क्रमशः मुख्य अभियंता (भवन) और अधीक्षण यंत्री (भवन) द्वारा फील्ड-लैबोरेटरी की स्थापना को सत्यापित किया जाएगा, और मुख्य अभियंता (भवन)/ अधीक्षण यंत्री (भवन) के द्वारा सत्यापन के बाद ही ठेकेदार को पहला भुगतान जारी किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने सात पीआईयू[37] के 19 कार्यों में पाया कि ठेकेदारों ने फील्ड-लैबोरेटरी स्थापित नहीं की थी। इसलिए ₹ 1.39 करोड़ की शास्ति आरोपित होनी थी। लेकिन विभाग ने न तो कोई शास्ति आरोपित की और न ही इस संबंध में कोई वसूली की।

शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2023) कि निर्देशानुसार सामग्री परीक्षण लैबोरेटरी स्थापित किये बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। सभी मुख्य अभियंता (भवन), अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री नियमित रूप से कार्यस्थलों का दौरा करते हैं। लैब की स्थापना से पहले आरसीसी कार्य की अनुमति नहीं दी जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदारों द्वारा फील्ड-लैबोरेटरी की स्थापना का कोई प्रमाण नहीं था। मुख्य अभियंता (भवन)/ अधीक्षण यंत्री (भवन) के प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

### 7.10.2 अवमानक स्टील का उपयोग

अनुबंध के साथ संलग्न बीओक्यू के अनुसार, एसओआर के मद क्रमांक 5.16.6 (संशोधित) के अनुसार, कार्य में "Fe 500 D ग्रेड" स्टील का उपयोग किया जाना था, जिसमें अत्यधिक मजबूती और अधिक लचीलापन होता है।

लेखापरीक्षा ने सात पीआईयू[38] **(परिशिष्ट 7.6)** के 16 कार्यों में पाया कि ठेकेदारों ने कार्यों में स्टील "Fe 500 ग्रेड" का उपयोग किया था जो सस्ता और कम मज़बूती वाला है, लेकिन विभाग ने इसे न केवल स्वीकार कर लिया, बल्कि दरें बिना घटाए ठेकेदारों को भुगतान भी कर दिया। उज्जैन के एक कार्य में "Fe 415 ग्रेड" स्टील का उपयोग किया गया था, जो निर्दिष्ट स्टील की तुलना में और अधिक घटिया था। अवमानक स्टील के साथ कार्यों का निष्पादन भवनों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि पिछले प्रचलित एसओआर की तरह, FE 500 और FE 500 D के लिए केवल एक दर है। प्रचलित आईएस कोड 1786-2008 और 13920-1993/2016 के अनुसार, FE 500 और FE 500 D दोनों का कार्य में उपयोग करने की अनुमति है यदि वे बढ़ाव की 14.5 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा को पूरा करते हैं। अतः भवन निर्माण-कार्य में उपयोग किया जाता है।

हालाँकि तथ्य यह है कि विभाग ने ठेकेदारों को घटिया विशिष्टियों का उपयोग कर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दी। केवल इसलिए कि एसओआर दरें समान हैं या क्योंकि दोनों श्रेणियों के स्टील का उपयोग किया जा सकता है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी अन्य विभाग के लिए डिपोजिट वर्क निष्पादित करने वाला विभाग निचले ग्रेड के उत्पाद का उपयोग करेगा, विशेषतः सुरक्षा की बात पर विचार करते हुए, क्योंकि इन भवनों के मुख्य उपयोगकर्ता छात्र होंगे।

विभाग तथ्यों की जांच कर संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करे।

### 7.10.3 आरसीसी के अवमानक कार्य का निष्पादन

अनुबंध के साथ संलग्न बीओक्यू के अनुसार, 'एम-20 आरसीसी डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट' के एसओआर मद (संशोधित मद 5.44.1, 5.44.2 और 5.44.3) का, वेट बैचिंग और रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट में सीमेंट की 325 कि. ग्रा. प्रति घन मी. की न्यूनतम मात्रा के साथ मशीन मिक्सिंग के द्वारा आरसीसी संरचनाओं में उपयोग किया जाना था।

आईएस कोड 456:2000 के अनुसार, 'डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट' को 'नॉमिनल मिक्स' की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। यदि 'डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट का उपयोग किसी भी कारण से एम-20 या उससे कम ग्रेड के कार्य में नहीं किया जा सकता है, तो प्रभारी यंत्री की अनुमति से 'नॉमिनल मिक्स' का उपयोग किया जा सकता है।

---
37 छतरपुर, देवास, कटनी, खंडवा, शाजापुर, सिंगरौली और टीकमगढ़।

38 छतरपुर, ग्वालियर, खंडवा, रायसेन, सीहोर, टीकमगढ़ और उज्जैन।

लेखापरीक्षा ने पांच पीआईयू[39] के 11 कार्यों में पाया कि ₹ 11.33 करोड़ मूल्य की आरसीसी की मद को एसओआर में निर्दिष्ट 'वजन के अनुसार बेहतर संगृहीत कंक्रीट 'डिजाइन मिक्स' के साथ' की जगह 'आयतन के अनुसार 'नॉमिनल मिक्स' के साथ' निष्पादित किया गया था। इनमें से किसी भी प्रकरण में, 'डिजाइन मिक्स' के बजाय 'नॉमिनल मिक्स' का उपयोग करने का कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 'डिजाइन मिक्स' के बजाय 'नॉमिनल मिक्स' का उपयोग करने के लिए प्रभारी यंत्री का अनुमोदन भी अभिलेख में नहीं था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि कंक्रीट का एम20 ग्रेड, 'नॉमिनल मिक्स' और 'डिजाइन मिक्स' दोनों विकल्पों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह कोड द्वारा स्वीकार्य है इसलिए भवन निर्माण-कार्यों के लिए इनमें से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आईएस कोड 456:2000 के पैरा 9.1.1 के अनुसार, 'डिजाइन मिक्स कंक्रीट' को 'नॉमिनल मिक्स कंक्रीट' की तुलना में प्राथमिकता दी जानी है और कोई भी विचलन संबंधित प्रभारी यंत्री के द्वारा अनुमोदित किया जाना था, जो इन प्रकरणों में नहीं किया गया था। साथ ही, 'डिजाइन मिक्स' के बजाय 'नॉमिनल मिक्स' का उपयोग करके आरसीसी निष्पादित करने के कारण भी उपलब्ध नहीं थे।

विभाग तथ्यों की जांच करे और संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करे।

### 7.10.4 क्रशर रन मैकडैम के निष्पादन पर व्यर्थ व्यय

सड़क-निर्माण में 'क्रशर रन मैकडैम (सीआरएम)' को पेवमेंट के नीचे एक सब-बेस और बेस कोर्स के रूप में भी बिछाया जाता है। इसका उद्देश्य बेस कोर्स (ओवरले) बिछाया जाना पूरा होने तक सब-बेस को खराब होने से बचना है। एम.ओ.आर.टी.एच. विनिर्देश की कंडिका 407.4 के अनुसार, तैयार सीआरएम सतह पर किसी भी वाहन के यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने छतरपुर में तकनीकी महाविद्यालय, नौगांव के कार्य में पाया कि 1,920 मीटर की लंबाई में सीआरएम बिछाया गया था, लेकिन उसके उपर कोई अन्य परत नहीं बिछाई गई थी और महाविद्यालय चालू था, जो यह दर्शाता है कि सीआरएम की सतह पर वाहनों के आवागमन की अनुमति थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.15 करोड़[40] का सीआरएम कार्य क्षतिग्रस्त हुआ, जैसा कि विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया।

**नौगांव में तकनीकी महाविद्यालय के पास सड़क कार्य के लिए एक्स्पोस्ड सीआरएम**

*(स्रोत: 10 मई 2022 को लेखापरीक्षा दल द्वारा लिया गया चित्र)*

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि विभिन्न भवनों के बीच पैदल संपर्क हेतु यह कार्य किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.ओ.आर.टी.एच. विनिर्देश के अनुपालन में सड़क पर कोई अन्य ऊपरी परत नहीं बिछाई गई थी। इससे सड़क को क्षति पहुंची और इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक का व्यय व्यर्थ हुआ।

---

39 खंडवा, मंदसौर, शाजापुर, सिंगरौली और उज्जैन।

40 (860 मी x 7.5 मी x 0.15 मी) + (1,060 मी x 3 मी x 0.15 मी) = 1,444.50 घन मी 1,444.50 घन मी x ₹ 1,171 घटाव 10.12 प्रतिशत = ₹ 15,20,328.74

### 7.10.5 संयुक्त आवधिक निरीक्षण न करना

भवन निर्माण-कार्यों के लिए अनुबंध की विशेष शर्तों की कंडिका 8 के अनुसार, भवन का ठेकेदार और प्रभारी यंत्री या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष में दो बार संयुक्त आवधिक निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें से एक निरीक्षण जुलाई-अगस्त-सितंबर के दौरान बरसात के महीनों के दौरान रिसाव/लीकेज पर ध्यान देने के लिए किया जाएगा और पाई गई कमी का विवरण देते हुए निरीक्षण-टीप जारी की जाएगी। परफ़ोर्मेंस गारंटी/ डिफ़ेक्ट लायबिलिटी की अवधि के अंत में सिक्यूरिटी डिपाजिट को विमुक्त करते समय मुख्य अभियंता (भवन)/अधीक्षण यंत्री (भवन) के द्वारा इसके अनुपालन को भी संज्ञान में लिया जाएगा और ठीक से अभिलेखबद्ध किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 13 पीआईयू[41] के 97 पूर्ण कार्यों में से 67 कार्यों में पाया कि ठेकेदार और प्रभारी यंत्री या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भवनों का संयुक्त आवधिक निरीक्षण नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि चूँकि कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री (भवन) को कोई गंभीर तथ्य नहीं मिला था, निरीक्षण-टीप जारी नहीं किए गए थे। अब बरसात के मौसम से पहले भवन के हस्तांतरण के बाद संपूर्ण डिफ़ेक्ट लायबिलिटी की अवधि के दौरान कार्यस्थल का निरीक्षण करने और निष्कर्ष जो भी हो, निरीक्षण-टीप जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

## 7.11 भवनों की साधारण आवश्यकताओं में कमियाँ

### 7.11.1 दीमक निरोधक उपचार निष्पादित न किया जाना

सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों की कंडिका 2.28 के अनुसार, विद्यमान भवनों के साथ-साथ नई भवन संरचनाओं में दीमक नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दीमक के कारण भवन के लकड़ी के घटकों तथा अन्य घरेलू वस्तुओं जैसे फर्नीचर, कपड़े, कागजात, इत्यादि को अत्यधिक क्षति पहुँच सकती है। एसओआर भी मद क्रमांक 2.32 के माध्यम से निर्माणपूर्व दीमक निरोधक उपचार प्रावधानित करता है।

लेखापरीक्षा ने आठ पीआईयू[42] के 32 कार्यों में पाया कि दीमक निरोधक उपचार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 27 कार्यों में तो प्राक्कलन में भी इसका प्रावधान नहीं किया गया था। यह न केवल विनिर्देशों का पालन न करना था बल्कि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य को भी विफल करना था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि पीआईयू ने आवश्यकता के अनुसार सभी प्रचलित प्रावधानों सहित ड्राइंग एवं प्राक्कलन तैयार किया और प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मूल विभाग को प्रस्तुत किया था। मूल विभाग के द्वारा निधि की उपलब्धता के अनुसार मदों का निर्णय लिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल विभाग प्राक्कलन तैयार करने से पहले कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करता है जिस पर पीआईयू, पीडब्ल्यूडी तकनीकी स्वीकृति देता है। ऐसे में यह जिम्मेदारी निष्पादनकर्ता विभाग की है कि वह कार्यों के मद पर विचार करे और तदनुसार निष्पादित करे।

---

41 छतरपुर, देवास, ग्वालियर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, सागर, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन।

42 छतरपुर, देवास, कटनी, खंडवा, सागर, शाजापुर, टीकमगढ़ और उज्जैन।

### 7.11.2 अग्निशमन प्रणाली का संस्थापन न करना

प्रमुख अभियंता (भवन) ने सभी भवनों में अनिवार्य रूप से अग्निशमन व्यवस्था संस्थापित करने का निर्देश जारी (अप्रैल 2017) किया है। राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी), 2016 की तालिका 7, संस्थागत भवनों सहित सभी प्रकार के भवनों में अग्निशमन संस्थापनाओं के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा ने जांच के लिए चयनित 80 पूर्ण किए गए मूल कार्यों में पाया:

- अग्निशमन व्यवस्था (अग्निशामक यंत्र), 13 पीआईयू[43] के 58 कार्यों में स्थापित नहीं थी।
- अग्निशमन व्यवस्था का प्रावधान, 48 कार्यों (58 कार्यों में से) के प्राक्कलन में नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि पीआईयू ने आवश्यकता के अनुसार सभी प्रचलित प्रावधानों सहित ड्राइंग एवं प्राक्कलन तैयार किया और प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मूल विभाग को प्रस्तुत किया था। मूल विभाग के द्वारा निधि की उपलब्धता के अनुसार मदों का निर्णय लिया गया।

उत्तर गलत है क्योंकि क्योंकि मूल विभाग प्राक्कलन तैयार करने से पहले कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करता है जिस पर पीआईयू, पीडब्ल्यूडी तकनीकी स्वीकृति देता है। यद्यपि प्रमुख अभियंता (भवन) ने अग्निशमन व्यवस्था की संस्थापना अनिवार्यरूप से करने का निर्देश जारी किया है (अप्रैल 2017), लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए 58 कार्यों में से 48 कार्यों के प्राक्कलन/ टीएस तक में इसे शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार, भवनों में अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध न कराकर, विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा की अनदेखी की है।

### 7.11.3 वर्षा-जल संचयन प्रणाली का निष्पादन न होना

प्रमुख अभियंता (भवन) ने सभी शासकीय भवनों में वर्षा-जल संचयन प्रणाली अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किया है (अप्रैल 2016)।

लेखापरीक्षा ने जांच के लिए चयनित 80 पूर्ण किए गए मूल कार्यों में पाया:

- वर्षा-जल संचयन प्रणाली, 13 पीआईयू[44] के 60 कार्यों में संस्थापित नहीं की गई थी।
- वर्षा-जल संचयन प्रणाली का प्रावधान, 35 कार्यों (60 कार्यों में से) के प्राक्कलन में नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि पीआईयू ने आवश्यकता के अनुसार सभी प्रचलित प्रावधानों सहित ड्राइंग एवं प्राक्कलन तैयार किया और प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मूल विभाग को प्रस्तुत किया। मूल विभाग के द्वारा निधि की उपलब्धता के अनुसार मदों का निर्णय लिया गया। बेस्ट प्रैक्टिस सुनिश्चित करने के लिए, भवन के पूरा होने के बाद मूल विभाग के पास निधि की उपलब्धता के अनुसार वर्षा-जल संचयन प्रणाली संस्थापित की जा सकती है।

उत्तर गलत है क्योंकि मूल विभाग प्राक्कलन तैयार करने से पहले कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करता है जिस पर पीआईयू, पीडब्ल्यूडी तकनीकी स्वीकृति देता है। यद्यपि प्रमुख अभियंता (भवन) ने वर्षा-जल संचयन प्रणाली की अनिवार्य संस्थापना के लिए निर्देश जारी किया है (अप्रैल 2016), लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए 60 कार्यों में से 35 कार्यों के प्राक्कलन/ टीएस में इसे शामिल ही नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग ने न केवल अपने स्वयं के निर्देशों की अनदेखी की, बल्कि उसके कार्यों से जल-संरक्षण के प्रति चिंता की कमी का संकेत भी मिलता है।

43 छतरपुर, देवास, ग्वालियर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, सागर, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन।

44 छतरपुर, देवास, ग्वालियर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, सागर, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन।

## 7.12 सुपरविजन एण्ड क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट (एसक्यूसी) को अधिक भुगतान

'टर्म्स ऑफ रेफ्रेन्स' में उल्लिखित एसक्यूसी के कामकाज और एसक्यूसी के कार्य के दायरे के संबंध में म.प्र. शासन के आदेश (फरवरी 2016) के अनुसार, एसक्यूसी कार्यों के पर्यवेक्षण, ड्राइंग/डिजाइन के अनुसार कार्य के निष्पादन, माप को दर्ज करने, देयकों को तैयार करने और कार्यों की गुणवत्ता-नियंत्रण के लिए ज़िम्मेदार होंगे। एसक्यूसी को कार्यों का पर्यवेक्षण और गुणवत्ता-नियंत्रण ठेकेदार के भुगतान पर उनके द्वारा उद्धृत सबसे कम प्रतिशत दरों पर सौंपा गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान, एसक्यूसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कई कमियाँ पाई गई जिनका विवरण नीचे **तालिका 7.11** में दिया गया है:

**तालिका 7.11: एसक्यूसी के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियों को दर्शाने वाला विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| प्रतिवेदन का कंडिका क्रमांक | विषय | राशि |
|---|---|---|
| 7.6.1 | समरूप भवनों के सदृश मदों की निष्पादित मात्रा में व्यापक भिन्नताएँ | - |
| 7.8.1 | संशोधित दरें न अपनाने के कारण अधिक भुगतान | 2.27 |
| 7.8.2 | उच्च दरें अपनाने के कारण अतिरिक्त भुगतान | 1.13 |
| 7.8.4 | समयवृद्धि की अविवेकपूर्ण स्वीकृति एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण | - |
| 7.9.1 | मदों के अनावश्यक निष्पादन पर अतिरिक्त व्यय | 2.27 |
| 7.9.2 | ठेकेदारों को अधिक भुगतान | 2.55 |
| 7.9.4 | ठेकेदारों को अदेय वित्तीय लाभ | 0.69 |
| 7.9.5 | उत्खनन सामग्री के परिवहन के लिए अतिरिक्त भुगतान | 0.32 |
| 7.9.6 | जल के उपयोग पर परिहार्य व्यय | 1.63 |
| 7.10.1 | फील्ड-लैबोरेटरी की स्थापना न करना | 1.39 |
| 7.10.2 | अवमानक स्टील का उपयोग | - |
| 7.10.3 | आरसीसी के अवमानक कार्य का निष्पादन | 11.33 |

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि एसक्यूसी द्वारा किए गए कार्यों में गंभीरतम कमियाँ थीं और इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को विभिन्न प्रकार के अधिक भुगतान हुए। चूंकि एसक्यूसी को ठेकेदारों को किए गए भुगतान के आधार पर भुगतान किया गया था, ठेकेदारों को अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप एसक्यूसी को भी ₹ 0.14 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

विभाग एसक्यूसी के कार्य की समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि एसक्यूसी की निगरानी में कमी के कारण हुई चूक के लिए एसक्यूसी पर कार्यवाही करे।

शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि रायसेन, शाजापुर और सिंगरौली के प्रकरण में, एसक्यूसी के देयकों से वसूली की गई है। अन्य संभागों में मुख्य अभियंता को तथ्यों की जांचकर अवगत करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

आगे की प्रगति पर उत्तर प्रतीक्षित है। (मार्च 2024)।

## 7.13 निष्कर्ष

वित्तीय प्रबंधन, प्राक्कलन, निविदा-प्रक्रिया, ठेका-प्रबंधन और गुणवत्ता-नियंत्रण में बहुत-सी कमियाँ थीं, जिन्हें ऊपर वर्णित किया गया है। लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- कार्यों की लागत संबंधित विभाग के अनुमोदन के बिना बढ़ा दी गई, मदें/ मात्रायें जो बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में शामिल नहीं थीं उनका निष्पादन किया गया और बीओक्यू में शामिल मदों/मात्राओं को निष्पादित नहीं किया गया, प्रशासनिक स्वीकृति(एए) से बचत की सूचना संबंधित विभाग को नहीं दी गई, शासन के निर्देशों के अनुरूप पर्यवेक्षण शुल्क नहीं लिया गया।

- समरूप भवनों में निष्पादित विभिन्न मदों की मात्रायेँ व्यापकरूप से भिन्न थी।

- मुख्य अभियंता द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर निविदा-प्रकरण खोले गये तथा अपात्र बोलीदाताओं को निविदायें प्रदान की गयीं।

- ठेकेदारों को भुगतान करते समय दर-अनुसूची में जारी किए गए संशोधनों को नहीं अपनाया गया, उचित कारणों के बिना समयवृद्धि दी गई और किए गए कार्य के सकल मूल्य के बजाय कार्य के शुद्ध मूल्य पर सिक्यूरिटी डिपाजिट काटी गई।

- अनावश्यक मदों का निष्पादन किया गया, बढ़ा कर/ वर्धित, दोहरा माप दर्ज किया गया, निष्पादन और भुगतान के बाद मदों को पुनः वर्गीकृत किया गया, गलत मदों का निष्पादन किया गया, विद्यालय और चाहरदीवारी को अपूर्ण छोड़ दिया गया, प्लिंथ फिलिंग के संघनन में 'डबल व्हील वाइब्रेटरी रोलर' का प्रयोग नहीं किया गया और बोरवेल ड्रिलिंग के लिए संदेहास्पद माप दर्ज किए गए।

- भवनों में दीमक निरोधक उपचार, अग्निशमन व्यवस्था, और वर्षा-जल संचयन जैसी सामान्य आवश्यकताएँ/ सुविधाएं निष्पादित नहीं की गईं।

## 7.14 अनुशंसाएँ

- विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मदों और मात्राओं में बड़े परिवर्तन को संबंधित विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

- विभाग को त्रुटियों की जांच करना चाहिए और व्यापक विचलन सहित अत्यधिक एवं अनधिकृत व्यय के लिए संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारियां तय करना चाहिए।

- विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेकेदारों को भुगतान करने से पहले एसक्यूसी द्वारा दर्ज मापों की जांच और सत्यापन, आहरण एवं संवितरण अधिकारी {कार्यपालन यंत्री (भवन)} द्वारा किया गया हो।

- विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निष्पादन के प्रत्येक चरण में कार्यों की गुणवत्ता की उचित निगरानी की जाये।

- विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि त्रुटियों से बचने के लिए एसक्यूसी द्वारा कार्य के दायरे और टर्म्स ऑफ रेफ्रेन्स के अनुसार कार्य किए जायें।

**(प्रिया पारिख)**
**महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)**
**मध्यप्रदेश**

**भोपाल**
**दिनांक: 27 अप्रैल 2025**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**(के. संजय मूर्ति)**
**भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक**

**नई दिल्ली**
**दिनांक: 30 अप्रैल 2025**

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट 1.1

*(कंडिका 1.6.4 में संदर्भित)*

### लोक लेखा समिति द्वारा जारी अनुशंसा रिपोर्टों की सूची जिनके संबंध में विभाग द्वारा एटीएन लंबित है

| ऑडिट रिपोर्ट का वर्ष | विधान सभा | लोक लेखा समिति वर्ष | अनुसंशा रिपोर्ट क्रमांक | संदर्भ क्रमांक | कुल संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| परिवहन विभाग | | | | | |
| **2010-11** | चौदहवां | 2016-17 | 391 | 4.7 (4.7.14,4.7.15, 4.7.16), 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 | 7 |
| **2011-12** | चौदहवां | 2016-17 | 392 | 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 | 4 |
| **2012-13** | चौदहवां | 2017-18 | 469 | 4.7.7, 4.7.8, 4.7.9, 4.7.10, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 | 8 |
| **2014-15** | चौदहवां | 2017-18 | 472 | 4.3, 4.4, 4.5 | 3 |
| योग | | | | | **22** |
| संस्कृति विभाग | | | | | |
| **2011-12** | चौदहवां | 2017-18 | 449 | 3.2 (3.2.6.1, 3.2.7.1, 3.2.7.3, 3.2.7.6, 3.2.7.7, 3.2.7.8, 3.2.8.1, 3.2.8.2, 3.2.8.3, 3.2.8.4, 3.2.8.5, 3.2.8.6, 3.2.8.7, 3.2.8.9, 3.2.8.10, 3.2.8.11, 3.2.8.12,) | 1 |
| योग | | | | | **1** |

| ऑडिट रिपोर्ट का वर्ष | विधान सभा | लोक लेखा समिति वर्ष | अनुसंशा रिपोर्ट क्रमांक | संदर्भ क्रमांक | कुल संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| **नगर विकास एवं आवास विभाग** | | | | | |
| **2008-09** | चौदहवां | 2017-18 | 438 | 2.2.10 | 1 |
| **2009-10** | चौदहवां | 2017-18 | 442 | 2.1.7 | **1** |
| **2013-14** | चौदहवां | 2017-18 | 457 | 2.1, (2.1.7, 2.1.8.1, 2.1.8.2, 2.1.8.5, 2.1.9.3, 2.1.10.3, 2.1.10.4, 2.1.11.7,) 3.2.1 | **2** |
| **योग** | | | | | **4** |
| **वाणिज्य कर विभाग** | | | | | |
| **2005-06** | चौदहवां | 2016-17 | 383 | 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | 7 |
| **2005-06** | चौदहवां | 2016-17 | 383 | 5.6 | 1 |
| **2006-07** | चौदहवां | 2015-16 | 72 | 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11, 2.12 | 7 |
| **2007-08** | चौदहवां | 2016-17 | 384 | 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.13, 2.15, 2.17 | 8 |
| **2008-09** | चौदहवां | 2016-17 | 385 | 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18 | 15 |
| **2009-10** | चौदहवां | 2016-17 | 388 | 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.24, 2.25 | 10 |
| **2009-10** | चौदहवां | 2016-17 | 388 | 7.2, 7.3 | 2 |

| ऑडिट रिपोर्ट का वर्ष | विधान सभा | लोक लेखा समिति वर्ष | अनुसंशा रिपोर्ट क्रमांक | संदर्भ क्रमांक | कुल संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| **2010-11** | चौदहवां | 2017-18 | 463 | 7.2, 7.3, 7.5 | 3 |
| **2011-12** | पंद्रवांह | 2019-20 | 7 | 2.10.9, 2.10.10, 2.10.11, 2.10.12, 2.10.13, 2.10.14, 2.10.15, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.5.8, 3.5.9, 3.5.16, 3.5.17, 3.5.18, 3.5.20, 3.5.22, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 7.3 | 23 |
| | योग | | | | **76** |
| वाणिज्य कर (पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग) | | | | | |
| **2005-06** | चौदहवां | 2016-17 | 383 | 5.2, 5.3, 5.4 | 3 |
| **2006-07** | चौदहवां | 2015-16 | 72 | 5.2, 5.8 | 2 |
| **2007-08** | चौदहवां | 2016-17 | 384 | 5.2.8, 5.2.9, 5.2.11 to 5.2.21, 5.3, 5.5 | 3 |
| **2008-09** | चौदहवां | 2016-17 | 385 | 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17 | 11 |
| **2009-10** | चौदहवां | 2016-17 | 388 | 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, | 9 |

| ऑडिट रिपोर्ट का वर्ष | विधान सभा | लोक लेखा समिति वर्ष | अनुसंशा रिपोर्ट क्रमांक | संदर्भ क्रमांक | कुल संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| **2010-11** | चौदहवां | 2017-18 | 463 | 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 | 13 |
| योग | | | | | **41** |
| वाणिज्य कर (राज्य आबकारी विभाग) | | | | | |
| **2005-06** | चौदहवां | 2016-17 | 383 | 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, | 6 |
| **2006-07** | चौदहवां | 2015-16 | 72 | 3.2 | 1 |
| **2007-08** | चौदहवां | 2016-17 | 384 | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 | 8 |
| **2008-09** | चौदहवां | 2016-17 | 385 | 3.3, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3.19, | 9 |
| **2009-10** | चौदहवां | 2016-17 | 388 | 3.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.9, 3.10, 3.12, 3.14 | 6 |
| **2010-11** | चौदहवां | 2017-18 | 463 | 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.13 | 5 |
| योग | | | | | **35** |
| खनिज साधन विभाग | | | | | |
| **2009-10** | चौदहवां | 2016-17 | 386 | 9.10, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19 | 9 |
| **2010-11** | चौदहवां | 2016-17 | 390 | 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 | 10 |

| ऑडिट रिपोर्ट का वर्ष | विधान सभा | लोक लेखा समिति वर्ष | अनुसंशा रिपोर्ट क्रमांक | संदर्भ क्रमांक | कुल संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| **2011-12** | चौदहवां | 2016-17 | 393 | 8.6,8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17 | 10 |
| **2013-14** | चौदहवां | 2017-18 | 471 | 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12 | 6 |
| **2014-15** | पंद्रवांह | 2019-20 | 9 | 7.3, 7.4,7.5.1, 7.5.2, 7.6.1, 7.6.2, 7.7, 7.10 | 6 |
| योग | | | | | **41** |
| लोक निर्माण विभाग | | | | | |
| **2003-04** | चौदहवां | 2003-04 | 49 | 4.2.2, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3 | 4 |
| **2004-05** | चौदहवां | 2015-16 | 52 | 3.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.5.3 | 4 |
| **2005-06** | चौदहवां | 2016-17 | 360 | 3.7, 4.1.5, 4.2.5, 4.2.7 | 4 |
| **2006-07** | चौदहवां | 2016-17 | 366 | 4.2.8, 4.2.9, 4.5.4 | 3 |
| **2007-08** | चौदहवां | 2017-18 | 435 | 4.5.4 | 1 |
| **2008-09** | पंद्रवांह | 2012-13 | 1 | 1.2, 2.2.6, 2.2.7 | 3 |
| **2010-11** | चौदहवां | 2016-17 | 375 | 3.4.3 | 1 |
| **2011-12** | चौदहवां | 2017-18 | 466 | 2.1 | 1 |
| योग | | | | | **21** |
| वन विभाग | | | | | |
| **2006-07** | चौदहवां | 2016-17 | 365 | 3.2 | 1 |
| **2013-14** | पंद्रवांह | 2019-20 | 8 | 2.1 | 1 |

| ऑडिट रिपोर्ट का वर्ष | विधान सभा | लोक लेखा समिति वर्ष | अनुसंशा रिपोर्ट क्रमांक | संदर्भ क्रमांक | कुल संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| योग | | | | | **2** |
| लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | | | | | |
| **2005-06** | चौदहवां | 2016-17 | 364 | 4.1.3, 4.2.3, 4.3.4, 4.6.4 | 4 |
| **2012-13** | चौदहवां | 2017-18 | 454 | 2.1 | 1 |
| योग | | | | | **5** |
| परिवेश विभाग | | | | | |
| **2013-14** | चौदहवां | - | 457 | 2.1 | 1 |
| योग | | | | | **1** |
| महायोग | | | | | **249** |

## परिशिष्ट 2.1

*(कंडिका 2.4 में संदर्भित)*

### विस्तृत लेखापरीक्षा, केंद्रीकृत लेखापरीक्षा और वृत्तों की लेखापरीक्षा के लिए नमूना

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम |
|---|---|---|
| विस्तृत लेखापरीक्षा | | |
| 1 | 23AACFR2535H1ZJ | बैढ़न |
| 2 | 23AADCJ2088H1ZO | बालाघाट |
| 3 | 23AAACT2438A1Z1 | भोपाल - 1 |
| 4 | 23AAACL0582H2ZT | भोपाल - 1 |
| 5 | 23AAKCM8087E2Z8 | भोपाल - 3 |
| 6 | 23AAAAM0307R1ZP | भोपाल - 4 |
| 7 | 23AAAAM1625N1ZQ | भोपाल - 4 |
| 8 | 23AAFCC2625P1ZL | भोपाल - 5 |
| 9 | 23AAHCA9581C1ZR | भोपाल - 5 |
| 10 | 23AVYPA6978L2ZP | भोपाल - 5 |
| 11 | 23AAACT4119L1ZG | भोपाल - 6 |
| 12 | 23AAFPH2563J1ZW | भोपाल - 6 |
| 13 | 23AALCA4130B1ZE | भोपाल - 6 |
| 14 | 23AAWPK7553Q1ZQ | भोपाल - 6 |
| 15 | 23AELPA9944A1ZT | भोपाल - 6 |
| 16 | 23AAGCB6748K1ZF | भोपाल - 6 |
| 17 | 23ASNPR5125Q1Z3 | बीना |
| 18 | 23AAACJ6297K5Z5 | बीना |
| 19 | 23AAKFB9235G1ZI | छिंदवाड़ा - 1 |
| 20 | 23BQCPS9738L1Z7 | छिंदवाड़ा - 1 |
| 21 | 23AAACR4896A2ZK | छिंदवाड़ा - 2 |
| 22 | 23AAOFM5739Q1ZH | दमोह |
| 23 | 23ACLPA0788N2ZD | दमोह |
| 24 | 23AABCI2856A2Z4 | देवास |
| 25 | 23AFTPV1703R1ZQ | देवास |
| 26 | 23AAHCM7589G1Z3 | ग्वालियर - 1 |
| 27 | 23AAKFB8078M1ZY | ग्वालियर - 1 |
| 28 | 23AOQPC9085H1ZN | नर्मदापुरम |
| 29 | 23AAECS8466P1ZN | इंदौर - 1 |
| 30 | 23AGOPS5276L1ZO | इंदौर - 10 |
| 31 | 23AAECT7614G1ZH | इंदौर - 10 |
| 32 | 23AADCD3523F1Z8 | इंदौर - 11 |
| 33 | 23AAACI7351P1ZB | इंदौर - 11 |
| 34 | 23AAACL6150B1Z6 | इंदौर - 11 |
| 35 | 23AABCM1884C1ZV | इंदौर - 11 |
| 36 | 23ASGPS8189N1ZT | इंदौर - 11 |
| 37 | 23AAACK3935D1Z0 | इंदौर - 11 |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम |
|---|---|---|
| 38 | 23AAACA4651L1ZU | इंदौर - 11 |
| 39 | 23AADCC4637P1ZF | इंदौर - 12 |
| 40 | 23AAVCS1165L1ZW | इंदौर - 12 |
| 41 | 23AAEFP2364C1ZQ | इंदौर - 13 |
| 42 | 23AAACT7303G1ZR | इंदौर - 15 |
| 43 | 23AKQPS0060G1Z8 | इंदौर - 15 |
| 44 | 23BLLPD3404Q1Z2 | इंदौर - 15 |
| 45 | 23ACSPV9056F1Z0 | इंदौर - 2 |
| 46 | 23AAACN3548H3ZM | इंदौर - 3 |
| 47 | 23AAAJI0103J1ZW | इंदौर - 3 |
| 48 | 23AABCM6602Q1ZC | इंदौर - 3 |
| 49 | 23AAACB2484Q1ZG | इंदौर - 3 |
| 50 | 23ARDPG5921C1ZF | इंदौर - 3 |
| 51 | 23AADCM9997N1ZK | इंदौर - 4 |
| 52 | 23AGSPA8703A1ZV | इंदौर - 6 |
| 53 | 23AABCP1892R1ZX | इंदौर - 8 |
| 54 | 23AAAAA2647N1ZU | इटारसी |
| 55 | 23CQZPM2063G1ZK | जबलपुर - 4 |
| 56 | 23AABCD9257A1Z1 | जबलपुर - 4 |
| 57 | 23AGIPA7007R1ZB | जबलपुर - 4 |
| 58 | 23BAMPK0825L1ZO | झाबुआ |
| 59 | 23ATJPS3213P1ZD | कटनी - 1 |
| 60 | 23AGMPR9714N1ZO | कटनी - 1 |
| 61 | 23ABAFS0896F1ZA | कटनी - 2 |
| 62 | 23AAACH6184K1ZH | मंडीदीप |
| 63 | 23AAACP4072C1ZZ | मंडीदीप |
| 64 | 23AADCM8862E1ZH | मंडीदीप |
| 65 | 23AABCU3243P1Z7 | मंडीदीप |
| 66 | 23APUPT2772F1ZG | मंडला |
| 67 | 23ACKPL0231G1Z5 | नीमच |
| 68 | 23AAACI1091A1ZD | पीथमपुर |
| 69 | 23ABSFS0709F1Z8 | रीवा |
| 70 | 23CXDPS2970M1Z1 | रीवा |
| 71 | 23ATYPA0791M1Z9 | शिवपुरी |
| 72 | 23AAIFR6102J1ZD | टीकमगढ़ |
| 73 | 23AAFCK2993L1Z6 | उज्जैन - 1 |
| 74 | 23AEMPB0681A1Z7 | उज्जैन - 3 |
| 75 | 23ACWPS6320D2ZH | विदिशा |
| केंद्रीकृत लेखापरीक्षा | | |
| 1 | 23AADCP0175F1ZU | अनूपपुर |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम |
|---|---|---|
| 2 | 23AABFH1349E1ZY | अशोक नगर |
| 3 | 23ABZPJ9010D1ZP | अशोक नगर |
| 4 | 23AHXPR4468B1ZZ | अशोक नगर |
| 5 | 23BWRPR7704N1ZR | अशोक नगर |
| 6 | 23AAACJ6297K4Z6 | बैढ़न |
| 7 | 23AABCG2253K1ZV | बैढ़न |
| 8 | 23AABCT5299E1ZB | बैढ़न |
| 9 | 23AACCG2497A1Z1 | बैढ़न |
| 10 | 23AAECR7290Q1ZQ | बैढ़न |
| 11 | 23AAKCS0723M1ZB | बैढ़न |
| 12 | 23AAPCS9159L1ZK | बैढ़न |
| 13 | 23AARCS3716K1Z1 | बैढ़न |
| 14 | 23ACNPT9081B1ZE | बैढ़न |
| 15 | 23AEOPT8988E1ZP | बैढ़न |
| 16 | 23ALJPS9274Q1Z2 | बैढ़न |
| 17 | 23AMHPC9081E1ZA | बैढ़न |
| 18 | 23ANDPA7075K2Z2 | बैढ़न |
| 19 | 23AWOPK0231B1Z7 | बैढ़न |
| 20 | 23BESPP4167A2ZG | बैढ़न |
| 21 | 23BVKPS6640E1ZH | बैढ़न |
| 22 | 23CJOPK1782L1ZS | बैढ़न |
| 23 | 23AAABA0385J1Z1 | बालाघाट |
| 24 | 23AAACT8174F1ZE | बालाघाट |
| 25 | 23AAAFW8248A1ZG | बालाघाट |
| 26 | 23AAAGD0854N1ZI | बालाघाट |
| 27 | 23AAFPI0733B1ZK | बालाघाट |
| 28 | 23AAPFS0532E1ZI | बालाघाट |
| 29 | 23ABYPC8706C1ZQ | बालाघाट |
| 30 | 23AEUPK4378K1ZV | बालाघाट |
| 31 | 23AAAGP0877K1Z5 | बैतूल |
| 32 | 23AMPPA3564Q1ZN | बैतूल |
| 33 | 23AAAAM1802D1ZG | भोपाल - 1 |
| 34 | 23AAACT2727Q1Z4 | भोपाल - 1 |
| 35 | 23AAACU5552C1ZR | भोपाल - 1 |
| 36 | 23AABCJ7024M1ZL | भोपाल - 1 |
| 37 | 23AACCT1282E1ZR | भोपाल - 1 |
| 38 | 23AADCP6483E1ZH | भोपाल - 1 |
| 39 | 23AAKCA2581R1Z7 | भोपाल - 1 |
| 40 | 23AANFR8506M1ZQ | भोपाल - 1 |
| 41 | 23AARFA1801E1Z0 | भोपाल - 1 |
| 42 | 23ASUPG5563C1ZQ | भोपाल - 1 |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम |
|---|---|---|
| 43 | 23AYNPK3364J2Z6 | भोपाल - 1 |
| 44 | 23BNKPS9749E1ZH | भोपाल - 1 |
| 45 | 23CPFPK4636A1ZD | भोपाल - 1 |
| 46 | 23AABCT6665J1Z4 | भोपाल - 2 |
| 47 | 23AACCS0396N1Z4 | भोपाल - 2 |
| 48 | 23AGQPR1594N1ZM | भोपाल - 2 |
| 49 | 23AAFCR8492P1ZL | भोपाल - 3 |
| 50 | 23AAZPB7831R1ZX | भोपाल - 3 |
| 51 | 23ADJFS7249D1Z0 | भोपाल - 3 |
| 52 | 23AFGPB7730P1ZC | भोपाल - 3 |
| 53 | 23AHCPM9389H2ZY | भोपाल - 3 |
| 54 | 23AHEPI4215J1ZP | भोपाल - 3 |
| 55 | 23AUUPJ0705D1ZZ | भोपाल - 3 |
| 56 | 23CBPPK7301C1Z0 | भोपाल - 3 |
| 57 | 23DXSPS9455R1Z1 | भोपाल - 3 |
| 58 | 23AAAGP0668N1Z2 | भोपाल - 4 |
| 59 | 23AACCM0330Q1ZM | भोपाल - 4 |
| 60 | 23AAKCA2311H1Z8 | भोपाल - 4 |
| 61 | 23AAQPG9735Q1ZW | भोपाल - 4 |
| 62 | 23ABAPG0509P1ZY | भोपाल - 4 |
| 63 | 23ABDPB5693C1Z4 | भोपाल - 4 |
| 64 | 23AAACB9001B1ZK | भोपाल - 5 |
| 65 | 23AABCM1275D1Z0 | भोपाल - 5 |
| 66 | 23AABCR7570C1ZN | भोपाल - 5 |
| 67 | 23AACCK3915B1Z6 | भोपाल - 5 |
| 68 | 23AADCH1677G1ZR | भोपाल - 5 |
| 69 | 23AAPCS1247M1Z1 | भोपाल - 5 |
| 70 | 23AAPCS6078Q1ZE | भोपाल - 5 |
| 71 | 23ABYPV0017D1ZP | भोपाल - 5 |
| 72 | 23ADCFS2317R1ZV | भोपाल - 5 |
| 73 | 23AFGPJ5199C1ZK | भोपाल - 5 |
| 74 | 23AAACI5139B1Z6 | भोपाल - 6 |
| 75 | 23AAACL0140P6ZM | भोपाल - 6 |
| 76 | 23AAACT1507C1Z5 | भोपाल - 6 |
| 77 | 23AACCD6124B1ZE | भोपाल - 6 |
| 78 | 23AACCG6363K1ZJ | भोपाल - 6 |
| 79 | 23AACFR0292F1ZL | भोपाल - 6 |
| 80 | 23AADCJ5526G1ZT | भोपाल - 6 |
| 81 | 23AAECB1762H1Z0 | भोपाल - 6 |
| 82 | 23AAECD4619B1Z8 | भोपाल - 6 |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम |
|---|---|---|
| 83 | 23AAHCR3799P2ZI | भोपाल - 6 |
| 84 | 23AAKCS6409C1ZL | भोपाल - 6 |
| 85 | 23AAZPG0895J1Z6 | भोपाल - 6 |
| 86 | 23AHBPS6659K1ZW | भोपाल - 6 |
| 87 | 23AADCN5437G1ZN | बीना |
| 88 | 23AEGPC2132P1ZR | बीना |
| 89 | 23AAAAP0436G2Z2 | बुरहानपुर |
| 90 | 23AASFS1317E1ZE | बुरहानपुर |
| 91 | 23AADFT5755G1Z6 | छतरपुर |
| 92 | 23ABQFS9460D1ZW | छतरपुर |
| 93 | 23AFHPA0432Q1ZP | छतरपुर |
| 94 | 23AFPPD7065L1Z5 | छतरपुर |
| 95 | 23AIYPA3758K1ZU | छतरपुर |
| 96 | 23BBHPS2342J1ZN | छतरपुर |
| 97 | 23AAAGD0905Q1ZK | छिंदवाड़ा - 1 |
| 98 | 23AAACB3368H1ZY | छिंदवाड़ा - 2 |
| 99 | 23AAACO0054F1Z4 | छिंदवाड़ा - 2 |
| 100 | 23AAGCP0445H1ZQ | छिंदवाड़ा - 2 |
| 101 | 23AKOPC9542K2ZV | छिंदवाड़ा - 2 |
| 102 | 23APBPS9366R1ZZ | छिंदवाड़ा - 2 |
| 103 | 23BWLPR8845Q1ZF | छिंदवाड़ा - 2 |
| 104 | 23AABCP1495Q1Z0 | दमोह |
| 105 | 23AGHPN3365J1ZA | दतिया |
| 106 | 23AAACJ4233B1ZC | देवास |
| 107 | 23AAQFS9791L1Z7 | देवास |
| 108 | 23AABCN5686R1ZR | धार |
| 109 | 23BSPPA4241P1ZK | धार |
| 110 | 23CDTPB0985P1ZY | धार |
| 111 | 23AAACN0189N2ZB | गुना |
| 112 | 23AAAFZ3305R1ZY | गुना |
| 113 | 23AADCR0290H1ZO | गुना |
| 114 | 23AAACG0870D1Z8 | ग्वालियर - 1 |
| 115 | 23AABCH3262R1ZD | ग्वालियर - 1 |
| 116 | 23AACCP0377Q1Z4 | ग्वालियर - 1 |
| 117 | 23AAHCP9915H1Z8 | ग्वालियर - 1 |
| 118 | 23AAQCS3027G1ZF | ग्वालियर - 1 |
| 119 | 23ABHFS6828A1ZD | ग्वालियर - 1 |
| 120 | 23AFKPC0491C1Z2 | ग्वालियर - 1 |
| 121 | 23ALIPG1659G1ZB | ग्वालियर - 1 |
| 122 | 23AROPV7201M1ZB | ग्वालियर - 1 |
| 123 | 23AAACS3558C3ZP | ग्वालियर - 2 |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम |
|---|---|---|
| 124 | 23AAAGB0020Q1ZW | ग्वालियर - 2 |
| 125 | 23AACCV5516B2ZT | ग्वालियर - 2 |
| 126 | 23AAQCS1980C1ZD | ग्वालियर - 2 |
| 127 | 23AATCS2082A1ZJ | ग्वालियर - 2 |
| 128 | 23AICPK4550F1ZP | ग्वालियर - 2 |
| 129 | 23AACFJ0797R1ZU | ग्वालियर - 3 |
| 130 | 23AAICS2238R1ZX | ग्वालियर - 3 |
| 131 | 23AAVPA0992N1ZA | ग्वालियर - 3 |
| 132 | 23AAVPJ3146R2Z0 | ग्वालियर - 3 |
| 133 | 23BCTPB4173M1ZB | ग्वालियर - 4 |
| 134 | 23AKEPP5115B1ZR | हरदा |
| 135 | 23AEWPN3328Q1ZQ | नर्मदापुरम |
| 136 | 23AABCC0303L1ZA | इंदौर - 1 |
| 137 | 23AAECS0765R2ZW | इंदौर - 1 |
| 138 | 23AAHCA0139L1ZW | इंदौर - 1 |
| 139 | 23AAJFT7585J1ZL | इंदौर - 1 |
| 140 | 23AAOCS8417N1ZQ | इंदौर - 1 |
| 141 | 23AGAPB9601Q1ZG | इंदौर - 1 |
| 142 | 23AQHPT0223B1ZH | इंदौर - 1 |
| 143 | 23ASOPP8735D1ZH | इंदौर - 1 |
| 144 | 23CCBPS5453E1ZR | इंदौर - 1 |
| 145 | 23AABCE9378F1ZK | इंदौर - 10 |
| 146 | 23AAICM9813G1ZF | इंदौर - 10 |
| 147 | 23AAACG2207L1Z0 | इंदौर - 11 |
| 148 | 23AAACH4288C1ZX | इंदौर - 11 |
| 149 | 23AAACH7412G1Z1 | इंदौर - 11 |
| 150 | 23AAACL3717A2Z8 | इंदौर - 11 |
| 151 | 23AAACW2472M1Z7 | इंदौर - 11 |
| 152 | 23AAAJI0016N1ZK | इंदौर - 11 |
| 153 | 23AABCS3737J1ZE | इंदौर - 11 |
| 154 | 23AACCN5346B1ZY | इंदौर - 11 |
| 155 | 23AAGCC1585R1Z7 | इंदौर - 11 |
| 156 | 23AAIFG1265H1ZN | इंदौर - 11 |
| 157 | 23AAJCS4517L1Z6 | इंदौर - 11 |
| 158 | 23AAPCS7430L1ZY | इंदौर - 11 |
| 159 | 23AFVPD6711R1ZW | इंदौर - 11 |
| 160 | 23BIIPD1865R1ZW | इंदौर - 11 |
| 161 | 23AAACD0474C1ZD | इंदौर - 12 |
| 162 | 23AAACJ9784B1ZM | इंदौर - 12 |
| 163 | 23AAACO0171H1ZY | इंदौर - 12 |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम |
|---|---|---|
| 164 | 23AAACZ4066A1ZR | इंदौर - 12 |
| 165 | 23AABCC2523L1Z0 | इंदौर - 12 |
| 166 | 23AACCM2658K1ZF | इंदौर - 12 |
| 167 | 23AAGCM0811L1ZQ | इंदौर - 12 |
| 168 | 23AAGFP5298P1ZI | इंदौर - 12 |
| 169 | 23AASFR6817J1ZP | इंदौर - 12 |
| 170 | 23AAYCS4103K1Z3 | इंदौर - 12 |
| 171 | 23AAACC4481E1Z3 | इंदौर - 13 |
| 172 | 23AAACG1376N1ZK | इंदौर - 13 |
| 173 | 23AAACR0421M1ZR | इंदौर - 13 |
| 174 | 23AABCM8797N1ZQ | इंदौर - 13 |
| 175 | 23AACCC6806H1ZY | इंदौर - 13 |
| 176 | 23AACCP3026E1Z1 | इंदौर - 13 |
| 177 | 23AACCV6960B1ZK | इंदौर - 13 |
| 178 | 23AADCI4357A1Z3 | इंदौर - 13 |
| 179 | 23AADCS3124K1ZL | इंदौर - 13 |
| 180 | 23AAHFL0345C1ZY | इंदौर - 13 |
| 181 | 23AAHFP2014N1ZD | इंदौर - 13 |
| 182 | 23AAIPM0566H1ZU | इंदौर - 13 |
| 183 | 23AAJCS7201D2ZR | इंदौर - 13 |
| 184 | 23AAKCS3060P1Z1 | इंदौर - 13 |
| 185 | 23ADKPC0193R1ZC | इंदौर - 13 |
| 186 | 23AELPJ8571Q1ZQ | इंदौर - 13 |
| 187 | 23AEMPR8523F1ZC | इंदौर - 13 |
| 188 | 23AVCPS2503H1ZY | इंदौर - 13 |
| 189 | 23AWPPB1331G1Z2 | इंदौर - 13 |
| 190 | 23AAACS8577K1ZX | इंदौर - 14 |
| 191 | 23AAGCM3176Q1Z0 | इंदौर - 14 |
| 192 | 23AATFA1156G1ZM | इंदौर - 14 |
| 193 | 23ABPFS6840N2ZH | इंदौर - 14 |
| 194 | 23AHIPP8649P1ZG | इंदौर - 14 |
| 195 | 23AWLPS6696K1ZM | इंदौर - 15 |
| 196 | 23AAACM3025E1Z7 | इंदौर - 2 |
| 197 | 23AACCI1182J1ZS | इंदौर - 2 |
| 198 | 23AFYPG9674B1Z3 | इंदौर - 2 |
| 199 | 23AHVPM8148H1ZT | इंदौर - 2 |
| 200 | 23AAACP6224A4Z2 | इंदौर - 3 |
| 201 | 23AABCB7813N1ZM | इंदौर - 3 |
| 202 | 23AABCJ1303P1ZT | इंदौर - 3 |
| 203 | 23AABCP6580C1ZP | इंदौर - 3 |
| 204 | 23AABCV6494M1ZT | इंदौर - 3 |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम |
|---|---|---|
| 205 | 23AACCD1376K1ZR | इंदौर - 3 |
| 206 | 23AADFO0526A1Z4 | इंदौर - 3 |
| 207 | 23AADHH3715A2Z1 | इंदौर - 3 |
| 208 | 23AAFCK4444G1ZR | इंदौर - 3 |
| 209 | 23AAICS1406R1Z5 | इंदौर - 3 |
| 210 | 23AAKCA1969P1Z5 | इंदौर - 3 |
| 211 | 23AAKCS5309P1ZX | इंदौर - 3 |
| 212 | 23AATCS8714K1ZR | इंदौर - 3 |
| 213 | 23AATFM9588J1ZB | इंदौर - 3 |
| 214 | 23AJOPM1429N1ZW | इंदौर - 3 |
| 215 | 23AQLPA6843Q1ZF | इंदौर - 3 |
| 216 | 23AVRPP1658H1Z8 | इंदौर - 3 |
| 217 | 23AAIFV2453Q1ZP | इंदौर - 4 |
| 218 | 23APAPJ3646Q1ZO | इंदौर - 4 |
| 219 | 23ABCFA7748J1ZC | इंदौर - 8 |
| 220 | 23AAACG2409A1ZJ | इंदौर - 9 |
| 221 | 23AAACN5983C2ZM | इंदौर - 9 |
| 222 | 23AABCW1647D1ZQ | इंदौर - 9 |
| 223 | 23AACCB8991N1Z4 | इंदौर - 9 |
| 224 | 23AACCC9702E1Z3 | इंदौर - 9 |
| 225 | 23AACCD2180M1ZR | इंदौर - 9 |
| 226 | 23AACCD2180M2ZQ | इंदौर - 9 |
| 227 | 23AAECS9424P1ZV | इंदौर - 9 |
| 228 | 23AAHCA6168M1ZD | इंदौर - 9 |
| 229 | 23AANFA1979P1ZU | इंदौर - 9 |
| 230 | 23BOSPS6798L1ZP | इंदौर - 9 |
| 231 | 23AAOFS4933Q1ZH | इटारसी |
| 232 | 23AAAGC0017Q1ZQ | जबलपुर - 1 |
| 233 | 23AABCG1786B1Z2 | जबलपुर - 1 |
| 234 | 23AACCK5599H1ZA | जबलपुर - 1 |
| 235 | 23AEYPA1332B1Z4 | जबलपुर - 1 |
| 236 | 23BBBPT0415M1ZS | जबलपुर - 1 |
| 237 | 23AADFT0692A1ZO | जबलपुर - 2 |
| 238 | 23AAECC5380N1ZG | जबलपुर - 2 |
| 239 | 23AAJFS1179F2Z8 | जबलपुर - 2 |
| 240 | 23AAOCA6678B1ZM | जबलपुर - 2 |
| 241 | 23AARAS9511J1Z2 | जबलपुर - 2 |
| 242 | 23AAUCS6947B1Z2 | जबलपुर - 2 |
| 243 | 23ABTFS1188H2ZR | जबलपुर - 2 |
| 244 | 23AFWPY8746E1ZM | जबलपुर - 2 |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम |
|---|---|---|
| 245 | 23AACCM9520G1ZP | जबलपुर - 3 |
| 246 | 23AACFU8514B1ZL | जबलपुर - 3 |
| 247 | 23AAHCP4130C1Z1 | जबलपुर - 3 |
| 248 | 23ADTPM3456A1ZO | जबलपुर - 3 |
| 249 | 23AFRPB4543D2ZS | जबलपुर - 3 |
| 250 | 23AFSPB5605H1ZN | जबलपुर - 3 |
| 251 | 23ANNPS6073M1ZB | जबलपुर - 3 |
| 252 | 23AACFH4783M1Z4 | जबलपुर - 4 |
| 253 | 23ACOPJ3752A1ZZ | जबलपुर - 4 |
| 254 | 23ADQPK4768C1ZG | जावरा |
| 255 | 23AFTPT0316G1ZG | जावरा |
| 256 | 23AABTA6039N1ZO | झाबुआ |
| 257 | 23AAECN8925A1ZR | झाबुआ |
| 258 | 23ACPPJ7458N1ZW | झाबुआ |
| 259 | 23ATIPB1859K1ZP | झाबुआ |
| 260 | 23AAAAP8531E1ZV | कटनी - 1 |
| 261 | 23AACFN8976C2Z7 | कटनी - 1 |
| 262 | 23AAFCK1095H1ZO | कटनी - 1 |
| 263 | 23AAACE7550N1ZI | कटनी - 2 |
| 264 | 23AAACU0163H1ZS | खंडवा |
| 265 | 23AAAGD0801K1Z1 | खंडवा |
| 266 | 23AABCO5420A1Z9 | खंडवा |
| 267 | 23AALFJ1065D1ZR | खंडवा |
| 268 | 23AFHPB6724Q1Z9 | खंडवा |
| 269 | 23BBZPS9887C1ZO | खंडवा |
| 270 | 23AABAH5500J1Z4 | खरगौन |
| 271 | 23AADCR1784Q1ZW | खरगौन |
| 272 | 23AAECN0930F2ZZ | खरगौन |
| 273 | 23AAMPL4454D1ZW | खरगौन |
| 274 | 23AARPW1775D1ZE | खरगौन |
| 275 | 23AFHPA3159A1Z8 | खरगौन |
| 276 | 23AHAPV1053H1ZN | खरगौन |
| 277 | 23AAACP6332M1ZF | मंडीदीप |
| 278 | 23AABCV2466R1ZV | मंडीदीप |
| 279 | 23AADCN4681N2Z3 | मंडीदीप |
| 280 | 23AAKCA0736E2Z4 | मंडीदीप |
| 281 | 23AGDPV9463B1ZC | मंडीदीप |
| 282 | 23CPUPS3267N1ZY | मंडीदीप |
| 283 | 23AAAGD0800J1Z4 | मंडला |
| 284 | 23AOOPC7738M1ZI | मंडला |
| 285 | 23ATNPR2109R1Z5 | मंडला |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम |
|---|---|---|
| 286 | 23AEPPG8565H1Z6 | मंदसौर |
| 287 | 23AIJPB2691M1Z6 | मंदसौर |
| 288 | 23AJQPG5598J1ZM | मंदसौर |
| 289 | 23AAAAV0767E1ZR | मुरैना |
| 290 | 23AADCC1698Q1Z6 | मुरैना |
| 291 | 23AADCM6400E1Z3 | मुरैना |
| 292 | 23AAECB5121E1ZD | मुरैना |
| 293 | 23AAMCA5657N1Z6 | मुरैना |
| 294 | 23AAACJ3814E1Z5 | नरसिंहपुर |
| 295 | 23ACPPC5174Q1Z4 | नौगाँव |
| 296 | 23AHXPB9619A1ZE | नीमच |
| 297 | 23AFQPL3161A1ZU | पन्ना |
| 298 | 23AAACA4769K1ZL | पीथमपुर |
| 299 | 23AAACB7066L1ZM | पीथमपुर |
| 300 | 23AAACM0405A1ZL | पीथमपुर |
| 301 | 23AABCE5821H1Z0 | पीथमपुर |
| 302 | 23AABCS5326B3ZW | पीथमपुर |
| 303 | 23AABCT3904C1ZZ | पीथमपुर |
| 304 | 23AAFCM6870J1Z8 | पीथमपुर |
| 305 | 23AAFCP6470M1Z3 | पीथमपुर |
| 306 | 23ACRPC2771K1ZH | पीथमपुर |
| 307 | 23ANWPS2095Q1ZW | पीथमपुर |
| 308 | 23AACCS3062K1ZH | राजगढ़ |
| 309 | 23AADFM6399P1ZK | राजगढ़ |
| 310 | 23AANFB8790M1ZS | राजगढ़ |
| 311 | 23ASYPK5684J1ZX | राजगढ़ |
| 312 | 23AWVPK6871G1Z0 | राजगढ़ |
| 313 | 23AACHT9627C1Z8 | रतलाम - 1 |
| 314 | 23ABAPT7755L1Z7 | रतलाम - 1 |
| 315 | 23AASFR7100G1ZA | रतलाम - 2 |
| 316 | 23AHXPJ2463N1ZR | रतलाम - 2 |
| 317 | 23AAACQ1461G1ZV | रीवा |
| 318 | 23AAACZ2168D3ZK | रीवा |
| 319 | 23AABCB1562A3ZH | रीवा |
| 320 | 23AAICR1321G2ZU | रीवा |
| 321 | 23ABBFS7645F1Z8 | रीवा |
| 322 | 23AJKPS8387D1ZS | रीवा |
| 323 | 23BEBPS3911N1ZE | रीवा |
| 324 | 23BQIPS2682D1ZT | रीवा |
| 325 | 23AAACG0904A1ZN | सागर |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम |
|---|---|---|
| 326 | 23AAYCS4966L1ZE | सागर |
| 327 | 23CFGPS8850B1ZF | सागर |
| 328 | 23AAACU3547P1Z1 | सतना -1 |
| 329 | 23AADCB1675Q1ZE | सतना -1 |
| 330 | 23AFXPA6035K1ZA | सतना -1 |
| 331 | 23AABCB3313M1Z1 | सतना - 2 |
| 332 | 23AAHPT2582P1Z3 | सीहोर |
| 333 | 23AAVFA5540N1Z1 | सेंधवा |
| 334 | 23AAXFM7844B1Z1 | सेंधवा |
| 335 | 23DCIPP1970B1ZU | सेंधवा |
| 336 | 23AAALD1899G1Z7 | सिवनी |
| 337 | 23BKZPK1912M1ZQ | सिवनी |
| 338 | 23AACCT0370R1Z5 | शहडोल |
| 339 | 23AAFCM6698A1ZH | शहडोल |
| 340 | 23AAOFP5447J1ZV | शहडोल |
| 341 | 23AETPK8323H1ZA | शहडोल |
| 342 | 23AGTPG6394E1Z5 | शहडोल |
| 343 | 23AJAPJ7324B1ZW | शहडोल |
| 344 | 23AMCPA8879K1ZS | शाजापुर |
| 345 | 23AGGPR9607J1Z2 | श्योपुर |
| 346 | 23AQDPG3276H1Z3 | श्योपुर |
| 347 | 23ACQPG2631R1Z9 | शिवपुरी |
| 348 | 23AGPPG3022M1ZH | शिवपुरी |
| 349 | 23AJVPR9655E1ZJ | शिवपुरी |
| 350 | 23AUBPS0577R1Z2 | शिवपुरी |
| 351 | 23AADCG1026A1ZL | टीकमगढ़ |
| 352 | 23ACHPN4018Q1ZC | टीकमगढ़ |
| 353 | 23AEFPJ6783A1ZR | टीकमगढ़ |
| 354 | 23AEOPA2451F1Z0 | टीकमगढ़ |
| 355 | 23AICPG5431F1ZV | टीकमगढ़ |
| 356 | 23AJYPA6873E1ZZ | टीकमगढ़ |
| 357 | 23BBOPC2094L1ZJ | टीकमगढ़ |
| 358 | 23AAACV6547J1Z6 | उज्जैन - 1 |
| 359 | 23ABXPG9939L1ZR | उज्जैन - 1 |
| 360 | 23AIGPG6163L1Z7 | उज्जैन - 1 |
| 361 | 23AQWPP2298P1ZQ | उज्जैन - 1 |
| 362 | 23AAACL6442L1ZI | उज्जैन - 2 |
| 363 | 23AAKCS7579P1ZD | उज्जैन - 2 |
| 364 | 23BDWPS8677P1Z2 | उज्जैन - 2 |
| 365 | 23AEEPJ9263Q1ZY | विदिशा |
| 366 | 23AVOPK6562C1ZL | विदिशा |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम |
|---|---|---|
| 367 | 23BHZPS7293A1ZS | विदिशा |
| 368 | 23AABPQ7886M1Z1 | इंदौर - 5 |
| वृत्त लेखापरीक्षा | | |
| 1 | - | भोपाल - 5 |
| 2 | - | इंदौर - 15 |
| 3 | - | इंदौर - 11 |
| 4 | - | भोपाल - 1 |
| 5 | - | भोपाल - 4 |
| 6 | - | मंडीदीप |
| 7 | - | जबलपुर - 4 |
| 8 | - | भोपाल - 6 |
| 9 | - | इंदौर - 3 |
| 10 | - | इंदौर - 12 |

## परिशिष्ट 2.2

*(कंडिका 2.6.1.1 में संदर्भित)*

### विवरणियों के दाखिल नहीं करने पर कार्रवाई की कमी

**(₹ लाख में)**

| वृत्त का नाम | वर्ष | पहचाने गए गैर-फाइलरों की संख्या | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ जीएसटीआर 3ए जारी किया गया है | ऐसे प्रकरण जहाँ जीएसटीआर 3ए के अनुसरण में विवरणी दाखिल किया गया है | ऐसे प्रकरण जहाँ सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन शुरू किया गया (एएसएमटी -13) | | | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ एएसएमटी -13 की कार्यवाही लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | संख्या | निर्धारित राशि | वसूल की गई राशि | |
| इंदौर-11 | 2017-18 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 461 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | 2,244 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| इंदौर-15 | 2017-18 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 365 | 532 | 440 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | 1,522 | 532 | 440 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| भोपाल-5 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 2,235 | 2,235 | 2,097 | 138 | 2,164.16 | 2,164.16 | 0 |
| | **उप योग** | 2,235 | 2,235 | 2,097 | 138 | 2,164.16 | 2,164.16 | 0 |
| भोपाल-1 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 997 | 997 | 952 | 45 | 32.40 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | 997 | 997 | 952 | 45 | 32.40 | 0 | 0 |
| भोपाल-4 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 241 | 241 | 72 | 27 | 92.02 | 80.70 | 20 |
| | **उप योग** | 241 | 241 | 72 | 27 | 92.02 | 80.70 | 20 |
| मंडीदीप | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 171 | 171 | 27 | 144 | 0 | 0 | 144 |
| | **उप योग** | 171 | 171 | 27 | 144 | 0 | 0 | 144 |
| जबलपुर-4 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| वृत्त का नाम | वर्ष | पहचाने गए गैर-फाइलरों की संख्या | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ जीएसटीआर 3ए जारी किया गया है | ऐसे प्रकरण जहाँ जीएसटीआर 3ए के अनुसरण में विवरणी दाखिल किया गया है | ऐसे प्रकरण जहाँ सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन शुरू किया गया (एएसएमटी -13) | | | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ एएसएमटी -13 की कार्यवाही लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | संख्या | निर्धारित राशि | वसूल की गई राशि | |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 435 | 435 | 265 | 170 | 123.54 | 90.47 | 0 |
| | **उप योग** | 435 | 435 | 265 | 170 | 123.54 | 90.47 | 0 |
| भोपाल-6 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 2,011 | 1,446 | 1,446 | 66 | 195.82 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | 2,011 | 1,446 | 1,446 | 66 | 195.82 | 0 | 0 |
| इंदौर-3 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 1,220 | 1,220 | 1,022 | 198 | 114.62 | 114.12 | 126 |
| | **उप योग** | 1,220 | 1,220 | 1,022 | 198 | 114.62 | 114.12 | 126 |
| इंदौर-12 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 1,320 | 1,320 | 1,014 | 306 | 102.52 | 0 | 96 |
| | **उप योग** | 1,320 | 1,320 | 1,014 | 306 | 102.52 | 0 | 96 |
| **महा योग** | | **12,396** | **8,668** | **7,406** | **1,186** | **2,825.08** | **2,449.45** | **386** |

## परिशिष्ट 2.3

*(कंडिका 2.6.1.2 में संदर्भित)*

### विवरणियों की संवीक्षा की धीमी गति/विवरणियों की संवीक्षा की शुरूआत न करना)

**(₹ लाख में)**

| वृत्त का नाम | वर्ष | विवरणियों की संवीक्षा | | | | | ऐसे प्रकरण जहाँ एससीएन जारी किए गए | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | करदाताओं की संख्या जिनके रिटर्न की जाँच की गई थी | विवरणियों की संवीक्षा | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ एएसएमटी-10 जारी किए गए थे | ऐसे प्रकरण जहाँ करदाता द्वारा विसंगति स्वीकार की गयी | | | | | |
| | | | | | संख्या | वसूल की गई राशि | संख्या | राशि | प्रकरण पूरे किए गए | राशि |
| **इंदौर-11** | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **इंदौर-15** | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **भोपाल-5** | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.65 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | **1** | **18** | **1** | **0** | **0** | **1** | **6.65** | **0** | **0** |
| **भोपाल-1** | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| वृत्त का नाम | वर्ष | विवरणियों की संवीक्षा | | | | | ऐसे प्रकरण जहाँ एससीएन जारी किए गए | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | करदाताओं की संख्या जिनके रिटर्न की जाँच की गई थी | विवरणियों की संवीक्षा | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ एएसएमटी-10 जारी किए गए थे | ऐसे प्रकरण जहाँ करदाता द्वारा विसंगति स्वीकार की गयी | | | | | |
| | | | | | संख्या | वसूल की गई राशि | संख्या | राशि | प्रकरण पूरे किए गए | राशि |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 99 | 1,188 | 56 | 25 | 2,521.20 | 10 | 1,242.53 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | **99** | **1,188** | **56** | **25** | **2,521.20** | **10** | **1,242.53** | **0** | **0** |
| भोपाल-4 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| मंडीदीप | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 41 | 492 | 38 | 6 | 51.17 | 23 | 12,112.80 | 12 | 65.29 |
| | **उप योग** | **41** | **492** | **38** | **6** | **51.17** | **23** | **12,112.80** | **12** | **65.29** |
| जबलपुर -4 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 22 | 264 | 13 | 8 | 80.25 | 5 | 93.99 | 5 | 4.95 |
| | **उप योग** | **22** | **264** | **13** | **8** | **80.25** | **5** | **93.99** | **5** | **4.95** |
| भोपाल-6 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020-21 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| वृत्त का नाम | वर्ष | विवरणियों की संवीक्षा | | | | | ऐसे प्रकरण जहाँ एससीएन जारी किए गए | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | करदाताओं की संख्या जिनके रिटर्न की जाँच की गई थी | विवरणियों की संवीक्षा | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ एएसएमटी-10 जारी किए गए थे | ऐसे प्रकरण जहाँ करदाता द्वारा विसंगति स्वीकार की गयी | | | | | |
| | | | | | संख्या | वसूल की गई राशि | संख्या | राशि | प्रकरण पूरे किए गए | राशि |
| | **उप योग** | **14** | **14** | **14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| इंदौर-3 | 2017-18 | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 635.40 | 3 | 6.07 |
| | 2018-19 | 6 | 72 | 5 | 0 | 0 | 5 | 994.15 | 3 | 1.29 |
| | 2019-20 | 6 | 72 | 4 | 0 | 0 | 4 | 395.11 | 3 | 12.00 |
| | 2020-21 | 126 | 1,512 | 126 | 0 | 0 | 126 | 5,304.00 | 107 | 522.57 |
| | **उप योग** | **144** | **1,728** | **141** | **0** | **0** | **141** | **7,328.66** | **116** | **541.93** |
| इंदौर-12 | 2017-18 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018-19 | 11 | 132 | 11 | 1 | 2.58 | 5 | 1,730.88 | 0 | 0 |
| | 2019-20 | 27 | 324 | 24 | 3 | 3.50 | 10 | 1,153.10 | 0 | 9.34 |
| | 2020-21 | 58 | 696 | 55 | 3 | 39.56 | 15 | 630.06 | 0 | 5.94 |
| | **उप योग** | 98 | 1,170 | 92 | 8 | 45.64 | 30 | 3,514.04 | 0 | 15.28 |
| महा योग | 2017-18 | 8 | 90 | 8 | 1 | 0 | 6 | 635.40 | 3 | 6.07 |
| | 2018-19 | 17 | 204 | 16 | 1 | 2.58 | 10 | 2,725.03 | 3 | 1.29 |
| | 2019-20 | 33 | 396 | 28 | 3 | 3.50 | 14 | 1,548.21 | 3 | 21.34 |
| | 2020-21 | 361 | 4,184 | 303 | 42 | 2,692.18 | 180 | 19,390.03 | 124 | 598.75 |
| | **योग** | 419 | 4,874 | 355 | 47 | 2,698.26 | 210 | 24,298.67 | 133 | 627.45 |

## परिशिष्ट 2.4

*(कंडिका 2.6.1.4 (बी) में संदर्भित)*

### डीजीएआरएम रिपोर्ट पर कार्रवाई की कमी

| स. क्र. | वृत्त का नाम | वर्ष | सत्यापन के लिए चिह्नित डीजीआरएम रिपोर्टों की संख्या | सत्यापन के लिए डीजीआरएम रिपोर्ट में शामिल प्रकरणों की संख्या (इकाइयां) (सभी रिपोर्ट एक साथ) | ऐसे प्रकरण जहाँ वृत्त द्वारा सत्यापन पूरा किया गया है | | | ऐसे प्रकरण जहाँ कार्रवाई शुरू की गई और लंबित सत्यापन (31.03.2021 तक) | | ऐसे प्रकरण जहाँ कार्रवाई शुरू नहीं की गई है | | ऐसे प्रकरण जहाँ फीडबैक फॉर्म में सत्यापित प्रकरणों में से प्रस्तावित "कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | रिपोर्ट की संख्या | इकाइयों की संख्या | वसूल की गई राशि | रिपोर्ट की संख्या | इकाइयों की संख्या | रिपोर्ट की संख्या | इकाइयों की संख्या | इकाइयों की संख्या | रिपोर्ट की संख्या |
| 1 | इंदौर-11 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | इंदौर-15 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | भोपाल-5 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | भोपाल-1 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | वर्ष | सत्यापन के लिए चिह्नित डीजीआरएम रिपोर्टों की संख्या | सत्यापन के लिए डीजीआरएम रिपोर्ट में शामिल प्रकरणों की संख्या (इकाइयां) (सभी रिपोर्ट एक साथ) | ऐसे प्रकरण जहाँ वृत्त द्वारा सत्यापन पूरा किया गया है | | | ऐसे प्रकरण जहाँ कार्रवाई शुरू की गई और लंबित सत्यापन (31.03.2021 तक) | | ऐसे प्रकरण जहाँ कार्रवाई शुरू नहीं की गई है | | ऐसे प्रकरण जहाँ फीडबैक फॉर्म में सत्यापित प्रकरणों में से प्रस्तावित “कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है” | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | रिपोर्ट की संख्या | इकाइयों की संख्या | वसूल की गई राशि | रिपोर्ट की संख्या | इकाइयों की संख्या | रिपोर्ट की संख्या | इकाइयों की संख्या | इकाइयों की संख्या | रिपोर्ट की संख्या |
| | | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | भोपाल-4 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | मंडीदीप | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7** | जबलपुर-4 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | भोपाल-6 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | वर्ष | सत्यापन के लिए चिह्नित डीजीआरएम रिपोर्टों की संख्या | सत्यापन के लिए डीजीआरएम रिपोर्ट में शामिल प्रकरणों की संख्या (इकाइयां) (सभी रिपोर्ट एक साथ) | ऐसे प्रकरण जहाँ वृत्त द्वारा सत्यापन पूरा किया गया है | | | ऐसे प्रकरण जहाँ कार्रवाई शुरू की गई और लंबित सत्यापन (31.03.2021 तक) | | ऐसे प्रकरण जहाँ कार्रवाई शुरू नहीं की गई है | | ऐसे प्रकरण जहाँ फीडबैक फॉर्म में सत्यापित प्रकरणों में से प्रस्तावित "कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | रिपोर्ट की संख्या | इकाइयों की संख्या | वसूल की गई राशि | रिपोर्ट की संख्या | इकाइयों की संख्या | रिपोर्ट की संख्या | इकाइयों की संख्या | इकाइयों की संख्या | रिपोर्ट की संख्या |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | इंदौर-3 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | इंदौर-12 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **उप योग** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## परिशिष्ट 2.5

*(कंडिका 2.6.1.5 में संदर्भित)*

### पंजीकरण रद्द करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करना

**(₹ लाख में)**

| स. क्र. | वृत्त का नाम | करदाता से रद्द करने के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या | वृत्त अधिकारी के स्वयं के प्रस्ताव पर शुरू किए गए रद्दीकरण की संख्या | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ आरईजी 17 एससीएन जारी किए गए थे | | | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ आरईजी-19 में रद्द करने का आदेश जारी किया गया है | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ आरईजी-17 जारी किए बिना आरईजी-19 जारी किया गया | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ आरईजी -20 आदेश पारित किया गया (कार्यवाही बिना) | ऐसे प्रकरण जहाँ स्वयं के प्रस्ताव से रद्द करने के प्रकरण में धारा 62 के तहत मूल्यांकन किया गया है | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | करदाता आवेदन पर | अपनी ओर से कार्रवाई करने पर | योग | | | | शुरू किए गए मूल्यांकन की संख्या | वसूल की गई राशि (प्रारंभ किए गए प्रकरण) | वसूल की गई राशि (पूर्ण किए गए प्रकरण) |
| 1 | इंदौर - 11 | 1,294 | 643 | 0 | 0 | 0 | 898 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | इंदौर - 15 | 355 | 438 | 0 | 397 | 397 | 291 | 0 | 106 | 291 | 0 | 0 |
| 3 | भोपाल - 5 | 1,157 | 2,323 | 0 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | भोपाल - 1 | 810 | 1,641 | 810 | 1,641 | 2,451 | 2,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | भोपाल - 4 | 714 | 1,104 | 94 | 1,211 | 1,305 | 712 | 0 | 109 | 83 | 342.20 | 5.99 |
| 6 | मंडीदीप | 355 | 698 | 355 | 698 | 1,053 | 879 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | जबलपुर - 4 | 1,089 | 1,675 | 43 | 1,668 | 1,711 | 1,676 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| 8 | भोपाल - 6 | 368 | 983 | 39 | 983 | 1,022 | 1,002 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | इंदौर - 3 | 411 | 575 | 0 | 575 | 575 | 772 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | इंदौर - 12 | 846 | 911 | 0 | 911 | 911 | 1,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **योग** | **7,399** | **10,991** | **1,341** | **10,407** | **11,748** | **12,761** | **643** | **840** | **390** | **342.20** | **5.99** |

**परिशिष्ट 2.6**

*(कंडिका 2.6.1.6 में संदर्भित)*

**जीएसटीआर-10 के दाखिल नहीं करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई**

**(राशि ₹ में)**

| स. क्र. | वृत्त का नाम | वर्ष | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ आरईजी-19 में रद्द करने का आदेश जारी किया गया है | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ रद्द पंजीकरण रद्द कर दिया गया है | जीएसटीआर 10 दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या | जीएसटीआर 10 फाइल नहीं करने पर कार्रवाई शुरू की गई | ऐसे प्रकरण जहाँ सर्वोत्तम निर्णय प्रारंभ/पूरा किया गया है | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| 1 | इंदौर - 11 | 2017-18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 296 | 51 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 288 | 119 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 306 | 182 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| | | **उप योग** | **898** | **352** | **262** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | इंदौर - 15 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 103 | 82 | 97 | 0 | 103 | 0 |
| | | 2019-20 | 99 | 73 | 92 | 0 | 99 | 0 |
| | | 2020-21 | 89 | 77 | 128 | 0 | 89 | 0 |
| | | **उप योग** | **291** | **232** | **317** | **0** | **291** | **0** |
| 3 | भोपाल - 5 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 774 | 189 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 794 | 398 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 755 | 614 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| | | **उप योग** | **2,323** | **1,201** | **282** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | भोपाल - 1 | 2017-18 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 814 | 57 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 930 | 36 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 618 | 56 | 550 | 0 | 0 | 0 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | वर्ष | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ आरईजी-19 में रद्द करने का आदेश जारी किया गया है | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ रद्द पंजीकरण रद्द कर दिया गया है | जीएसटीआर 10 दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या | जीएसटीआर 10 फाइल नहीं करने पर कार्रवाई शुरू की गई | ऐसे प्रकरण जहाँ सर्वोत्तम निर्णय प्रारंभ/पूरा किया गया है | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| | | **उप योग** | **2,451** | **149** | **1,960** | 0 | 0 | 0 |
| 5 | भोपाल - 4 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 133 | 115 | 18 | 0 | 40 | 49,83,000 |
| | | 2019-20 | 298 | 170 | 128 | 0 | 25 | 10,52,000 |
| | | 2020-21 | 281 | 197 | 84 | 0 | 18 | 28,18,5000 |
| | | **उप योग** | **712** | **482** | **230** | 0 | **83** | **34,22,0000** |
| 6 | मंडीदीप | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 441 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 305 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 133 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | | **उप योग** | **879** | **109** | **155** | 0 | 0 | 0 |
| 7 | जबलपुर - 4 | 2017-18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 483 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 791 | 130 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 385 | 105 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| | | **उप योग** | **1,676** | **304** | **12** | **0** | **16** | **0** |
| 8 | भोपाल - 6 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 467 | 234 | 5 | 86 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 335 | 107 | 37 | 87 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 200 | 56 | 59 | 53 | 0 | 0 |
| | | **उप योग** | **1,002** | **397** | **101** | **226** | 0 | 0 |
| 9 | इंदौर - 3 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 387 | 114 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 229 | 68 | 46 | 0 | 0 | 0 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | वर्ष | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ आरईजी-19 में रद्द करने का आदेश जारी किया गया है | ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ रद्द पंजीकरण रद्द कर दिया गया है | जीएसटीआर 10 दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या | जीएसटीआर 10 फाइल नहीं करने पर कार्रवाई शुरू की गई | ऐसे प्रकरण जहाँ सर्वोत्तम निर्णय प्रारंभ/पूरा किया गया है | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| | | 2020-21 | 156 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| | | **उप योग** | **772** | **203** | **146** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | इंदौर - 12 | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 552 | 83 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 739 | 103 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 466 | 31 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| | | **उप योग** | **1,757** | **217** | **316** | 0 | 0 | 0 |
| **महा योग** | | | **12,761** | **3,646** | **3,781** | **226** | **390** | **3,42,20,000** |

# परिशिष्ट 2.7

*(कंडिका 2.6.2.1 में उल्लिखित)*

## विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न किया जाना

**(राशि ₹ में)**

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | कर प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भुगतान के बिना आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ उठाना | 23AEOPA2451F1Z0 | टीकमगढ़ | 13,01,192 |
| 2 | वित्तीय विवरण में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित आईटीसी के बीच समाधान (9 सी की तालिका 14टी) | 23AAIFG1265H1ZN | इंदौर-11 | 13,14,52,098 |
| 3 | विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान | 23AAACZ2168D3ZK | रीवा | 23,84,272 |
| 4 | विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान | 23AABCB1562A3ZH | रीवा | 3,16,73,291 |
| 5 | आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ | 23AARFA1801E1Z0 | भोपाल-1 | 29,03,731 |
| **योग** | | | | **16,97,14,584** |

## परिशिष्ट 2.8

*(कंडिका 2.6.2.3 में संदर्भित)*

### जीएसटी कानून और नियमों से विचलन:- विभाग द्वारा स्वीकार किए गए प्रकरण या कार्रवाई शुरू की गई

**(राशि ₹ में)**

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | एएसएमटी 10 जारी | | एससीएन जारी | | | वसूली | | डीलर के साथ पत्राचार के तहत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव |
| | | | | | | डीआरसी - 01 | डीआरसी- 07 | | | | | |
| 1 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23AAECS0765R2ZW | इंदौर - 1 | | | 1 | - | 1,38,81,231 | | | | |
| 2 | | 23AAHFL0345C1ZY | इंदौर - 13 | | | 1 | - | 3,22,83,382 | | | | |
| 3 | | 23AAACM3025E1Z7 | इंदौर - 2 | 1 | 1,37,14,887 | | | | | | | |
| 4 | | 23AAACU3547P1Z1 | सतना - 1 | | | | | | | | 1 | 3,23,18,664 |
| 5 | | 23AACFR0292F1ZL | भोपाल - 6 | 1 | 1,35,64,504 | | | | | | | |
| 6 | | 23AAECD4619B1Z8 | भोपाल - 6 | 1 | 1,36,55,591 | | | | | | | |
| 7 | | 23AAICR1321G2ZU | रीवा | 1 | 2,15,26,236 | | | | | | | |
| 8 | | 23AACCM9520G1ZP | जबलपुर - 3 | 1 | 6,02,46,413 | | | | | | | |
| 9 | | 23AARAS9511J1Z2 | जबलपुर - 2 | 1 | 1,27,26,254 | | | | | | | |
| 10 | | 23AADCS3124K1ZL | इंदौर - 13 | 1 | 4,51,26,612 | | | | | | | |
| 11 | | 23AAJCS7201D2ZR | इंदौर - 13 | 1 | 1,98,50,954 | | | | | | | |
| 12 | | 23AAVPJ3146R2Z0 | ग्वालियर - 3 | 1 | 1,36,91,471 | | | | | | | |
| 13 | | 23AFKPC0491C1Z2 | ग्वालियर - 1 | 1 | 1,27,60,558 | | | | | | | |
| 14 | | 23AAKCA2311H1Z8 | भोपाल - 4 | | | - | 1 | 1,72,77,511 | | | | |
| 15 | | 23AKOPC9542K2ZV | छिंदवाड़ा - 2 | 1 | 16,54,949 | | | | | | | |

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | एएसएमटी 10 जारी | | एससीएन जारी | | | वसूली | | डीलर के साथ पत्राचार के तहत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव |
| | | | | | | डीआरसी - 01 | डीआरसी- 07 | | | | | |
| 16 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23BWLPR8845Q1ZF | छिंदवाड़ा - 2 | 1 | 22,46,681 | | | | | | | |
| 17 | | 23ASYPK5684J1ZX | राजगढ़ | | | | | | 1 | 3,93,965 | | |
| 18 | | 23AFXPA6035K1ZA | सतना - 1 | | | | | | | | 1 | 30,22,509 |
| 19 | | 23AAZPG0895J1Z6 | भोपाल - 6 | 1 | 24,93,619 | | | | | | | |
| 20 | | 23AMHPC9081E1ZA | बैढ़न | 1 | 21,48,514 | | | | | | | |
| 21 | | 23BVKPS6640E1ZH | बैढ़न | 1 | 27,63,671 | | | | | | | |
| 22 | | 23BBBPT0415M1ZS | जबलपुर - 1 | 1 | 30,88,344 | | | | | | | |
| 23 | | 23AEYPA1332B1Z4 | जबलपुर - 1 | 1 | 15,33,966 | | | | | | | |
| 24 | | 23AAFCK4444G1ZR | इंदौर - 3 | 1 | 17,77,174 | | | | | | | |
| 25 | | 23AAACP6224A4Z2 | इंदौर - 3 | 1 | 33,48,335 | | | | | | | |
| 26 | | 23AAAGB0020Q1ZW | ग्वालियर - 2 | | | | | | | | 1 | 15,67,993 |
| 27 | | 23AACFN8976C2Z7 | कटनी - 1 | 1 | 16,67,136 | | | | | | | |
| 28 | | 23AATFA1156G1ZM | इंदौर - 14 | | | - | 1 | 19,81,855 | | | | |
| 29 | भुगतान के बिना आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ उठाना (जीएसटीआर 3बी फाइल नहीं किया गया) | 23AKEPP5115B1ZR | हरदा | | | | | | | | 1 | 13,60,504 |
| 30 | | 23ATNPR2109R1Z5 | मंडला | 1 | 11,31,413 | | | | | | | |
| 31 | | 23CJOPK1782L1ZS | बैढ़न | | | 1 | - | 13,19,350 | | | | |

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | एएसएमटी 10 जारी | | एससीएन जारी | | | वसूली | | डीलर के साथ पत्राचार के तहत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव |
| | | | | | | डीआरसी - 01 | डीआरसी- 07 | | | | | |
| 32 | आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ | 23AAOFS4933Q1ZH | इटारसी | | | 1 | - | 99,75,300 | | | | |
| 33 | | 23AAYCS4966L1ZE | सागर | 1 | 39,53,647 | | | | | | | |
| 34 | | 23CFGPS8850B1ZF | सागर | 1 | 50,78,567 | | | | | | | |
| 35 | | 23ANNPS6073M1ZB | जबलपुर - 3 | 1 | 12,38,417 | | | | | | | |
| 36 | | 23AAGCC1585R1Z7 | इंदौर - 11 | 1 | 1,18,90,696 | | | | | | | |
| 37 | | 23AWPPB1331G1Z2 | इंदौर - 13 | 1 | 12,66,074 | | | | | | | |
| 38 | | 23AAACG1376N1ZK | इंदौर - 13 | 1 | 15,60,210 | | | | | | | |
| 39 | | 23AHIPP8649P1ZG | इंदौर - 14 | 1 | 29,51,130 | | | | | | | |
| 40 | | 23CDTPB0985P1ZY | धार | 1 | 16,76,723 | | | | | | | |
| 41 | | 23ALIPG1659G1ZB | ग्वालियर - 1 | 1 | 77,38,811 | | | | | | | |
| 42 | आईएसडी क्रेडिट का गलत प्रत्यावर्तन | 23AAACU5552C1ZR | भोपाल - 1 | 1 | 41,253 | | | | | | | |
| 43 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण (फॉर्म 9 सी की तालिका 12 एफ) के बीच प्राप्त आईटीसी में बेमेल | 23AACCD6124B1ZE | भोपाल - 6 | 1 | 7,34,25,136 | | | | | | | |
| 44 | | 23AAACI5139B1Z6 | भोपाल - 6 | 1 | 4,71,00,228 | | | | | | | |
| 45 | | 23AAPCS9159L1ZK | बैढ़न | 1 | 18,75,22,768 | | | | | | | |
| 46 | | 23AARCS3716K1Z1 | बैढ़न | 1 | 6,17,50,792 | | | | | | | |
| 47 | | 23AABCM8797N1ZQ | इंदौर - 13 | | | 1 | - | 1,84,44,892 | | | | |
| 48 | वार्षिक रिटर्न में घोषित आईटीसी | 23AADCC1698Q1Z6 | मुरैना | 1 | 11,48,12,493 | | | | | | | |
| 49 | | 23AAACT1507C1Z5 | भोपाल - 6 | 1 | 66,86,85,478 | | | | | | | |

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | एएसएमटी 10 जारी | | एससीएन जारी | | | वसूली | | डीलर के साथ पत्राचार के तहत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव |
| | | | | | | डीआर सी - 01 | डीआर सी- 07 | | | | | |
| 50 | और वित्तीय विवरण में व्यय के बीच पुनर्मिलन (9 सी की तालिका 14टी) | 23AAKCS0723M1ZB | बैढ़न | 1 | 2,23,34,79,579 | | | | | | | |
| 51 | | 23AAECC5380N1ZG | जबलपुर - 2 | 1 | 16,02,80,225 | | | | | | | |
| 52 | | 23AAHFP2014N1ZD | इंदौर - 13 | 1 | 14,05,08,453 | | | | | | | |
| 53 | | 23AAACS8577K1ZX | इंदौर - 14 | 1 | 46,09,15,752 | | | | | | | |
| 54 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AACCI1182J1ZS | इंदौर - 2 | 1 | 48,31,54,880 | | | | | | | |
| 55 | | 23AFQPL3161A1ZU | पन्ना | | | 1 | - | 12,03,03,000 | | | | |
| 56 | | 23AADCJ5526G1ZT | भोपाल - 6 | 1 | 2,87,28,78,850 | | | | | | | |
| 57 | | 23AAECB1762H1Z0 | भोपाल - 6 | 1 | 41,05,10,368 | | | | | | | |
| 58 | | 23AAKCS6409C1ZL | भोपाल - 6 | 1 | 18,27,09,424 | | | | | | | |
| 59 | | 23AAACI5139B1Z6 | भोपाल - 6 | 1 | 11,73,27,816 | | | | | | | |
| 60 | | 23AAECR7290Q1ZQ | बैढ़न | 1 | 43,24,52,064 | | | | | | | |
| 61 | | 23ACNPT9081B1ZE | बैढ़न | 1 | 18,78,86,832 | | | | | | | |
| 62 | | 23ALJPS9274Q1Z2 | बैढ़न | 1 | 16,73,29,472 | | | | | | | |
| 63 | | 23AACFJ0797R1ZU | ग्वालियर - 3 | 1 | 41,85,53,952 | | | | | | | |
| 64 | | 23ABPFS6840N2ZH | इंदौर - 14 | 1 | 46,96,58,720 | | | | | | | |
| 65 | | 23AAACG0870D1Z8 | ग्वालियर - 1 | 1 | 11,76,41,888 | | | | | | | |
| 66 | | 23AAHCP9915H1Z8 | ग्वालियर - 1 | 1 | 11,35,08,888 | | | | | | | |
| 67 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण के बीच कर योग्य टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी | 23AAAAP0436G2Z2 | बुरहानपुर | 1 | 10,74,29,472 | | | | | | | |
| 68 | | 23AANFB8790M1ZS | राजगढ़ | 1 | 19,37,92,112 | | | | | | | |
| 69 | | 23AAACL0140P6ZM | भोपाल - 6 | 1 | 11,77,97,496 | | | | | | | |
| 70 | | 23AACCG6363K1ZJ | भोपाल - 6 | 1 | 10,29,62,416 | | | | | | | |

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | एएसएमटी 10 जारी | | एससीएन जारी | | | वसूली | | डीलर के साथ पत्राचार के तहत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव |
| | | | | | | डीआरसी - 01 | डीआरसी- 07 | | | | | |
| 71 | की तालिका 7जी) | 23AADCP0175F1ZU | अनूपपुर | 1 | 10,66,26,672 | | | | | | | |
| 72 | | 23AAACJ6297K4Z6 | बैढ़न | 1 | 14,28,91,63,300 | | | | | | | |
| 73 | | 23AABCB1562A3ZH | रीवा | | | 1 | - | 9,15,57,656 | | | | |
| 74 | | 23AFTPT0316G1ZG | जावरा | 1 | 12,55,25,216 | | | | | | | |
| 75 | | 23ABHFS6828A1ZD | ग्वालियर - 1 | 1 | 18,02,65,728 | | | | | | | |
| 76 | | 23AABCH3262R1ZD | ग्वालियर - 1 | 1 | 10,67,72,552 | | | | | | | |
| 77 | खातों की पुस्तकों और वार्षिक रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | 23ACPPC5174Q1Z4 | नौगाँव | | | - | 1 | 96,90,654 | | | | |
| 78 | | 23AWVPK6871G1Z0 | राजगढ़ | | | - | 1 | 65,40,509 | | | | |
| 79 | | 23AADFM6399P1ZK | राजगढ़ | 1 | 54,32,741 | | | | | | | |
| 80 | | 23AAACL0140P6ZM | भोपाल - 6 | 1 | 16,82,66,475 | | | | | | | |
| 81 | | 23AAACI5139B1Z6 | भोपाल - 6 | 1 | 9,35,08,989 | | | | | | | |
| 82 | | 23AADCJ5526G1ZT | भोपाल - 6 | 1 | 7,02,35,598 | | | | | | | |
| 83 | | 23AAHCR3799P2ZI | भोपाल - 6 | 1 | 1,81,05,000 | | | | | | | |
| 84 | | 23AHBPS6659K1ZW | भोपाल - 6 | 1 | 49,01,273 | | | | | | | |
| 85 | | 23AEOPT8988E1ZP | बैढ़न | 1 | 26,23,180 | | | | | | | |
| 86 | | 23ABTFS1188H2ZR | जबलपुर - 2 | 1 | 30,35,722 | | | | | | | |

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | एएसएमटी 10 जारी | | एससीएन जारी | | | वसूली | | डीलर के साथ पत्राचार के तहत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या डीआरसी - 01 | प्रकरणों की संख्या डीआरसी- 07 | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव |
| 87 | | 23AAOCA6678B1ZM | जबलपुर - 2 | 1 | 29,12,649 | | | | | | | |
| 88 | | 23AAQCS1980C1ZD | ग्वालियर - 2 | | | | | | | | 1 | 91,27,535 |
| 89 | | 23AICPK4550F1ZP | ग्वालियर - 2 | | | | | | | | 1 | 77,60,766 |
| 90 | | 23AATCS2082A1ZJ | ग्वालियर - 2 | | | | | | | | 1 | 48,51,575 |
| 91 | | 23AAICS2238R1ZX | ग्वालियर - 3 | 1 | 1,70,46,635 | | | | | | | |
| 92 | | 23AAVPA0992N1ZA | ग्वालियर - 3 | 1 | 96,44,934 | | | | | | | |
| 93 | | 23ABHFS6828A1ZD | ग्वालियर - 1 | 1 | 2,18,91,221 | | | | | | | |
| 94 | | 23ABQFS9460D1ZW | छतरपुर | | | 1 | - | 1,65,88,504 | | | | |
| 95 | | 23AFPPD7065L1Z5 | छतरपुर | | | 1 | - | 1,08,18,498 | | | | |
| 96 | अनुन्मोचित कर देयता | 23AAECB1762H1Z0 | भोपाल - 6 | 1 | 3,82,88,632 | | | | | | | |
| 97 | | 23AAACT1507C1Z5 | भोपाल - 6 | 1 | 3,53,22,600 | | | | | | | |
| 98 | | 23AAACI5139B1Z6 | भोपाल - 6 | 1 | 11,53,52,382 | | | | | | | |
| 99 | | 23AABCG2253K1ZV | बैढ़न | 1 | 4,48,17,388 | | | | | | | |
| 100 | | 23ANDPA7075K2Z2 | बैढ़न | 1 | 3,85,68,766 | | | | | | | |
| 101 | | 23AROPV7201M1ZB | ग्वालियर - 1 | 1 | 5,33,96,296 | | | | | | | |
| 102 | | 23AACCP0377Q1Z4 | ग्वालियर - 1 | 1 | 5,16,05,184 | | | | | | | |
| 103 | | 23AABPQ7886M1Z1 | इंदौर - 5 | | | | | | 1 | 12,244 | | |

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | एएसएमटी 10 जारी | | एससीएन जारी | | | वसूली | | डीलर के साथ पत्राचार के तहत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव | प्रकरणों की संख्या | कर प्रभाव |
| | | | | | | डीआरसी - 01 | डीआरसी- 07 | | | | | |
| 104 | ऐसे प्रकरण जहाँ जीएसटीआर 3बी दायर नहीं किया गया है, लेकिन जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 2ए उपलब्ध है | 23AHAPV1053H1ZN | खरगौन | 1 | 6,98,536 | | | | | | | |
| 105 | | 23BKZPK1912M1ZQ | सिवनी | | | 1 | | 43,145 | | | | |
| 106 | | 23BSPPA4241P1ZK | धार | | | | | | | | 1 | 35,111 |
| 107 | | 23AWOPK021B1Z7 | बैढ़न | 1 | 2,39,372 | | | | | | | |
| 108 | | 23BESPP4167A2ZG | बैढ़न | 1 | 1,59,169 | | | | | | | |
| 109 | | 23BQIPS2682D1ZT | रीवा | | | | 1 | 3,58,457 | | | | |
| 110 | | 23AADCN5437G1ZN | बीना | | | 1 | | 22,34,677 | | | | |
| 111 | | 23AFWPY8746E1ZM | जबलपुर - 2 | 1 | 65,538 | | | | | | | |
| 112 | | 23AADCI4357A1Z3 | इंदौर - 13 | | | | 1 | 46,896 | | | | |
| 113 | | 23AVCPS2503H1ZY | इंदौर - 13 | | | | 1 | 34,299 | | | | |
| 114 | | 23AAGCM3176Q1Z0 | इंदौर - 14 | 1 | 1,26,28,085 | | | | | | | |
| 115 | विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान | 23AAAGD0905Q1ZK | छिंदवाड़ा - 1 | | | - | 1 | 27,94,710 | | | | |
| 116 | | 23AADCB1675Q1ZE | सतना - 1 | | | | | | | | 1 | 82,86,456 |
| 117 | | 23AAAGP0877K1Z5 | बैतूल | 1 | 2,28,33,529 | | | | | | | |
| 118 | | 23AABCN5686R1ZR | धार | | | - | 1 | 42,60,601 | | | | |
| 119 | | 23AACCG2497A1Z1 | बैढ़न | 1 | 21,73,094 | | | | | | | |
| **योग** | | | | **88** | **26,57,42,94,820** | **11** | **9** | **36,00,76,670** | **2** | **4,06,209** | **9** | **6,83,31,113** |

## परिशिष्ट 2.9

*(कंडिका 2.6.2.3 में संदर्भित)*

### ऐसे प्रकरण जहाँ विभाग ने उत्तर के साथ उचित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया

**(राशि ₹ में)**

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | शामिल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23AFYPG9674B1Z3 | इंदौर - 2 | 1,38,63,244 |
| 2 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23AAMCA5657N1Z6 | मुरैना | 1,75,84,948 |
| 3 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23AAECB5121E1ZD | मुरैना | 1,28,83,639 |
| 4 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23AADCC1698Q1Z6 | मुरैना | 2,53,46,477 |
| 5 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23AAFCP6470M1Z3 | पीथमपुर | 1,45,13,874 |
| 6 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23AACCS3062K1ZH | राजगढ़ | 1,31,79,279 |
| 7 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23AETPK8323H1ZA | शहडोल | 5,33,85,204 |
| 8 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23AAACN0189N2ZB | गुना | 1,88,85,096 |
| 9 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23AADFO0526A1Z4 | इंदौर - 3 | 1,92,67,129 |
| 10 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23AAACS3558C3ZP | ग्वालियर - 2 | 1,97,15,869 |
| 11 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23AACCV5516B2ZT | ग्वालियर - 2 | 1,41,90,773 |
| 12 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23AIGPG6163L1Z7 | उज्जैन - 1 | 4,94,98,537 |
| 13 | आईटीसी का अधिक लाभ | 23BHZPS7293A1ZS | विदिशा | 1,28,60,581 |
| 14 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23APBPS9366R1ZZ | छिंदवाड़ा - 2 | 26,01,563 |
| 15 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23AAGFP5298P1ZI | इंदौर - 12 | 55,58,283 |
| 16 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23ABAPT7755L1Z7 | रतलाम - 1 | 33,79,350 |
| 17 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23AACHT9627C1Z8 | रतलाम - 1 | 20,81,346 |
| 18 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23AHXPJ2463N1ZR | रतलाम - 2 | 40,88,750 |
| 19 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23AGPPG3022M1ZH | शिवपुरी | 19,22,118 |
| 20 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23ACQPG2631R1Z9 | शिवपुरी | 46,39,132 |
| 21 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23AJVPR9655E1ZJ | शिवपुरी | 20,01,739 |
| 22 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23BEBPS3911N1ZE | रीवा | 16,27,358 |
| 23 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23AACFU8514B1ZL | जबलपुर - 3 | 40,25,282 |
| 24 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23AFSPB5605H1ZN | जबलपुर - 3 | 98,64,173 |

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | शामिल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 25 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23AFRPB4543D2ZS | जबलपुर - 3 | 55,28,569 |
| 26 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23AAHCP4130C1Z1 | जबलपुर - 3 | 38,53,325 |
| 27 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23AAJFS1179F2Z8 | जबलपुर - 2 | 16,70,900 |
| 28 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23ABCFA7748J1ZC | इंदौर - 8 | 1,48,93,65 |
| 29 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23AQWPP2298P1ZQ | उज्जैन - 1 | 32,30,884 |
| 30 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23ABXPG9939L1ZR | उज्जैन - 1 | 25,84,285 |
| 31 | भुगतान के बिना आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ उठाना (जीएसटीआर-3बी) | 23AIYPA3758K1ZU | छतरपुर | 13,69,784 |
| 32 | भुगतान के बिना आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ उठाना (जीएसटीआर-3बी) | 23AOOPC7738M1ZI | मंडला | 14,66,532 |
| 33 | आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ उठाना | 23AAACM0405A1ZL | पीथमपुर | 66,49,230 |
| 34 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण (फॉर्म 9 सी की तालिका 12 एफ) के बीच प्राप्त आईटीसी में बेमेल | 23AAFCM6870J1Z8 | पीथमपुर | 57,97,96,930 |
| 35 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण (फॉर्म 9 सी की तालिका 12 एफ) के बीच प्राप्त आईटीसी में बेमेल | 23AACCK5599H1ZA | जबलपुर - 1 | 5,82,70,900 |
| 36 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण के बीच प्राप्त आईटीसी में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 14टी) | 23AAFCM6870J1Z8 | पीथमपुर | 61,37,47,257 |
| 37 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण के बीच प्राप्त आईटीसी में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 14टी) | 23AAACB7066L1ZM | पीथमपुर | 39,97,70,435 |
| 38 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण के बीच प्राप्त आईटीसी में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 14टी) | 23AADCR0290H1ZO | गुना | 13,07,81,699 |
| 39 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण के बीच प्राप्त आईटीसी में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 14टी) | 23AABCJ1303P1ZT | इंदौर - 3 | 40,96,99,274 |
| 40 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AAIFV2453Q1ZP | इंदौर - 4 | 23,45,92,928 |
| 41 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AABCT3904C1ZZ | पीथमपुर | 2,61,46,37,060 |

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | शामिल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 42 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AABCE5821H1Z0 | पीथमपुर | 1,41,54,09,020 |
| 43 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AAACA4769K1ZL | पीथमपुर | 12,17,60,120 |
| 44 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AASFR7100G1ZA | रतलाम - 2 | 24,05,30,992 |
| 45 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AAACG0904A1ZN | सागर | 81,98,20,610 |
| 46 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AAOFP5447J1ZV | शहडोल | 19,11,97,344 |
| 47 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AAFCM6698A1ZH | शहडोल | 2,22,29,67,810 |
| 48 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AVOPK6562C1ZL | विदिशा | 5,20,47,87,52 |
| 49 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AAABA0385J1Z1 | बालाघाट | 12,39,43,200 |
| 50 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AAFCR8492P1ZL | भोपाल - 3 | 27,79,88,000 |
| 51 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AAAFZ3305R1ZY | गुना | 3,140,86,048 |
| 52 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AAACR0421M1ZR | इंदौर - 13 | 1,35,61,14,300 |
| 53 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AACCC6806H1ZY | इंदौर - 13 | 27,51,38,016 |
| 54 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AAIPM0566H1ZU | इंदौर - 13 | 14,30,64,016 |

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | शामिल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 55 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AAACV6547J1Z6 | उज्जैन - 1 | 52,58,21,824 |
| 56 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच कर योग्य टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 7जी) | 23AADCR1784Q1ZW | खरगौन | 9,56,04,168 |
| 57 | खातों की पुस्तकों और वार्षिक रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | 23AHVPM8148H1ZT | इंदौर - 2 | 42,84,588 |
| 58 | खातों की पुस्तकों और वार्षिक रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | 23AABAH5500J1Z4 | खरगौन | 1,78,10,811 |
| 59 | खातों की पुस्तकों और वार्षिक रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | 23AAACG0904A1ZN | सागर | 13,70,04,638 |
| 60 | खातों की पुस्तकों और वार्षिक रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | 23AJYPA6873E1ZZ | टीकमगढ़ | 48,89,406 |
| 61 | खातों की पुस्तकों और वार्षिक रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | 23AICPG5431F1ZV | टीकमगढ़ | 32,48,322 |
| 62 | खातों की पुस्तकों और वार्षिक रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | 23AHXPR4468B1ZZ | अशोक नगर | 69,88,065 |
| 63 | खातों की पुस्तकों और वार्षिक रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | 23AFHPA0432Q1ZP | छतरपुर | 1,14,00,000 |
| 64 | खातों की पुस्तकों और वार्षिक रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर) | 23AADFT5755G1Z6 | छतरपुर | 70,26,946 |
| 65 | अनुन्मोचित कर देयता | 23AACCS0396N1Z4 | भोपाल - 2 | 8,46,02,934 |
| 66 | | 23ABBFS7645F1Z8 | रीवा | 4,77,55,206 |
| 67 | | 23ADQPK4768C1ZG | जावरा | 7,91,12,886 |
| 68 | | 23ADTPM3456A1ZO | जबलपुर - 3 | 3,95,22,375 |
| 69 | | 23AAUCS6947B1Z2 | जबलपुर - 2 | 5,05,02,593 |
| 70 | | 23AACCV6960B1ZK | इंदौर - 13 | 5,21,13,921 |
| 71 | | 23AACFH4783M1Z4 | जबलपुर - 4 | 4,33,47,980 |
| 72 | ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाने वाले कंपोजिशन करदाता भी | 23APAPJ3646Q1ZO | इंदौर - 4 | - |
| 73 | | 23BNKPS9749E1ZH | भोपाल - 1 | - |
| 74 | | 23AEMPR8523F1ZC | इंदौर - 13 | - |

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | शामिल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 75 | ऐसे प्रकरण जहाँ जीएसटीआर 3बी दायर नहीं किया गया है, लेकिन जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 2ए उपलब्ध है | 23ACHPN4018Q1ZC | टीकमगढ़ | 6,38,41 |
| 76 | | 23BWRPR7704N1ZR | अशोक नगर | 5,91,36 |
| 77 | ब्याज का कम भुगतान | 23AABCT5299E1ZB | बैढ़न | 94,54,040 |
| 78 | विवरणियाँ दाखिल नहीं करने वाले | 23ABDPB5693C1Z4 | भोपाल - 4 | - |
| 79 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23AGHPN3365J1ZA | दतिया | 19,19,082 |
| 80 | वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच टर्नओवर में बेमेल (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर) | 23AFHPA3159A1Z8 | खरगौन | 46,14,98,720 |
| **योग** | | | | **15,10,26,32,811** |

## परिशिष्ट 2.10

*(कंडिका 2.6.2.3 में संदर्भित)*

**करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटि**

**(राशि ₹ में)**

| स. क्र. | मापदंड | जीएसटीआईएन | वृत्त का नाम | शामिल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आरसीएम के तहत आईटीसी का अतिरिक्त लाभ | 23ABZPJ9010D1ZP | अशोक नगर | 46,96,786 |
| 2 | | 23AQLPA6843Q1ZF | इंदौर - 3 | 26,16,628 |
| 3 | आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ | 23ABYPC8706C1ZQ | बालाघाट | 24,69,330 |
| 4 | अनुन्मोचित कर देयता | 23AABCT6665J1Z4 | भोपाल - 2 | 17,91,40,792 |
| 5 | भुगतान के बिना आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ उठाना | 23ACRPC2771K1ZH | पीथमपुर | 11,58,819 |
| 6 | भुगतान के बिना आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ उठाना | 23AGGPR9607J1Z2 | श्योपुर | 11,92,052 |
| 7 | भुगतान के बिना आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ उठाना | 23AQDPG3276H1Z3 | श्योपुर | 12,10,184 |
| **योग** | | | | **19,24,84,591** |

## परिशिष्ट 2.11

*(कंडिका 2.6.3.1 में संदर्भित)*

### अभिलेख प्रस्तुत न करना

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | जोन | संभाग | वृत्त | अभिलेख की सूची प्रस्तुत नहीं की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23AAKCM8087E2Z8 | मेसर्स मार्कसमैन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल - 3 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 2 | 23AAHCA9581C1ZR | मेसर्स अनन्या इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल - 5 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 3 | 23AVYPA6978L2ZP | मेसर्स मेडास कंसल्टेंसी सर्विसेज | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल - 5 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 4 | 23AAFCC2625P1ZL | सीस्केप ग्लोबल टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल - 5 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 5 | 23ACWPS6320D2ZH | मेसर्स भूपेंद्र कुमार शर्मा | भोपाल | भोपाल सं.-2 | विदिशा | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 6 | 23ACLPA0788N2ZD | दमोह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोपराइटर एसयू कुमार अरोड़ा | भोपाल | सागर सं. | दमोह | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 7 | 23AAOFM5739Q1ZH | मेसर्स माँ चंडी निर्माण कंपनी | भोपाल | सागर सं. | दमोह | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | जोन | संभाग | वृत्त | अभिलेख की सूची प्रस्तुत नहीं की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 23AADCJ2088 H1ZO | जेपीडब्ल्यू इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड | जबलपुर | छिंदवाड़ा सं. | बालाघाट | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| **9** | 23AAFCK2993 L1Z6 | मेसर्स कृष्णा बिल्ड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-2 | उज्जैन सं. | उज्जैन - 1 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| **10** | 23AEMPB068 1A1Z7 | मेसर्स राजेंद्र फारसी भंडार | इंदौर-2 | उज्जैन सं. | उज्जैन - 3 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| **11** | 23AAACT730 3G1ZR | तीरथदास शौकतराय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-1 | इंदौर - 15 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| **12** | 23AKQPS0060 G1Z8 | अमित ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-1 | इंदौर - 15 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| **13** | 23BLLPD3404 Q1Z2 | मेसर्स आशीर्वाद सेल्स प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-1 | इंदौर - 15 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| **14** | 23AAECS8466 P1ZN | मेसर्स श्री पेसेट्रोनिक्स लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-1 | इंदौर - 1 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| **15** | 23AADCD352 3F1Z8 | दोशी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 11 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| **16** | 23AAACI7351 P1ZB | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 11 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | जोन | संभाग | वृत्त | अभिलेख की सूची प्रस्तुत नहीं की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23AAACL615 0B1Z6 | लैंडमार्क ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 11 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 18 | 23ASGPS8189 N1ZT | सुरेश कुमार शर्मा | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 11 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 19 | 23AAACK393 5D1Z0 | एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 11 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 20 | 23AAACA465 1L1ZU | अशोक लीलैंड लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 11 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 21 | 23AABCM188 4C1ZV | माधुरी रिफाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 11 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 22 | 23ACSPV9056 F1Z0 | मेसर्स अनुज वोहरा | इंदौर-1 | इंदौर सं.-1 | इंदौर - 2 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 23 | 23AAKFB9235 G1ZI | मेसर्स बीजी कंस्ट्रक्सन | जबलपुर | छिंदवाड़ा सं. | छिंदवाड़ा - 1 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 24 | 23BQCPS9738 L1Z7 | शेख साबिर | जबलपुर | छिंदवाड़ा सं. | छिंदवाड़ा - 1 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 25 | 23AAACR489 6A2ZK | रेमंड लिमिटेड | जबलपुर | छिंदवाड़ा सं. | छिंदवाड़ा - 2 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | जोन | संभाग | वृत्त | अभिलेख की सूची प्रस्तुत नहीं की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23AAAAA264 7N1ZU | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिच्छुआ | भोपाल | भोपाल सं.-2 | इटारसी | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 27 | 23AAACT243 8A1Z1 | टाटा टेलीसर्विसेज | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल - 1 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 28 | 23AAACL058 2H2ZT | लाइफ इन्सुरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल - 1 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 29 | 23AAAAM030 7R1ZP | एमपी राज्य लघु वनोपज व्यापार और विकास सहकारी संस्था मर्यादित | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल - 4 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 30 | 23AAAAM162 5N1ZQ | मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल - 4 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 31 | 23AAACH618 4K1ZH | एचईजी लिमिटेड | भोपाल | भोपाल सं.-2 | मंडीदीप | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 32 | 23AAACP4072 C1ZZ | प्रॉक्टर एंड गैंबल होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | भोपाल | भोपाल सं.-2 | मंडीदीप | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 33 | 23AADCM886 2E1ZH | महालक्ष्मी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड | भोपाल | भोपाल सं.-2 | मंडीदीप | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 34 | 23AABCU324 3P1Z7 | यूनिकॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | भोपाल | भोपाल सं.-2 | मंडीदीप | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | जोन | संभाग | वृत्त | अभिलेख की सूची प्रस्तुत नहीं की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 23AGOPS5276 L1ZO | मेसर्स एंटरप्राइज इंडिया | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 10 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 36 | 23AAECT7614 G1ZH | ट्रैवल सेफ ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 10 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 37 | 23AABCP1892 R1ZX | पटेल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-3 | इंदौर - 8 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 38 | 23AGSPA8703 A1ZV | मेसर्स सोभा सिलाई मशीन | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 6 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 39 | 23BAMPK082 5L1ZO | मेसर्स पी एम कनानी | इंदौर-2 | रतलाम सं. | झाबुआ | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 40 | 23APUPT2772 F1ZG | मेसर्स ए के ट्रेडर्स | जबलपुर | जबलपुर सं.-2 | मंडला | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 41 | 23CQZPM206 3G1ZK | मेसर्स सुपर एंटरप्राइजेज मोबाइल शॉप | जबलपुर | जबलपुर सं.-1 | जबलपुर - 4 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 42 | 23AABCD925 7A1Z1 | डार्लिंग हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड | जबलपुर | जबलपुर सं.-1 | जबलपुर - 4 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 43 | 23AGIPA7007 R1ZB | न्यू मेट्रो मेडिकल सेंटर | जबलपुर | जबलपुर सं.-1 | जबलपुर - 4 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | जोन | संभाग | वृत्त | अभिलेख की सूची प्रस्तुत नहीं की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 23ATJPS3213P1ZD | मेसर्स अंकुर एंटरप्राइजेज | जबलपुर | जबलपुर सं.-2 | कटनी - 1 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 45 | 23AGMPR9714N1ZO | मेसर्स आदित्य मार्केटिंग | जबलपुर | जबलपुर सं.-2 | कटनी - 1 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 46 | 23ABAFS0896F1ZA | श्री एस एन खंपारिया, ठेकेदार | जबलपुर | जबलपुर सं.-2 | कटनी - 2 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 47 | 23ABSFS0709F1Z8 | रविन्द्र कुमार द्विवेदी | जबलपुर | सतना स. | रीवा | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 48 | 23CXDPS2970M1Z1 | मेसर्स राजेन्द्र पेट्रोलियम | जबलपुर | सतना स. | रीवा | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 49 | 23AACFR2535H1ZJ | मेसर्स राम किशन दया राम एंड कंपनी | जबलपुर | सतना स. | बैढ़न | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 50 | 23AAACT4119L1ZG | टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल - 6 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 51 | 23AAFPH2563J1ZW | हुनिद हुसैन सैफी | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल - 6 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 52 | 23AALCA4130B1ZE | अमलतास इंडिया लिमिटेड | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल - 6 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | जोन | संभाग | वृत्त | अभिलेख की सूची प्रस्तुत नहीं की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 23AAWPK755 3Q1ZQ | अशोक कुमार | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल -6 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 54 | 23AELPA9944 A1ZT | शिरीश रमेश अग्रवाल | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल - 6 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 55 | 23AAGCB674 8K1ZF | सुनील बंसल | भोपाल | भोपाल सं.-1 | भोपाल - 6 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 56 | 23AOQPC9085 H1ZN | कृष्ण कुमार चौकसे | भोपाल | भोपाल सं.-2 | नर्मदापुरम | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 57 | 23ASNPR5125 Q1Z3 | लिलेन्द्र राय | भोपाल | सागर सं. | बीना | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 58 | 23AAACJ6297 K5Z5 | जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड | भोपाल | सागर सं. | बीना | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 59 | 23AADCM999 7N1ZK | एमसीएस ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 4 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 60 | 23AAEFP2364 C1ZQ | पारीक पेस्टिसाइड्स | इंदौर-1 | इंदौर सं.-3 | इंदौर - 13 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 61 | 23AAACN354 8H3ZM | नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 3 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | जोन | संभाग | वृत्त | अभिलेख की सूची प्रस्तुत नहीं की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 23AAAJI0103J 1ZW | इंदौर विकास प्राधिकरण | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 3 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 63 | 23AABCM660 2Q1ZC | मंगलम सीमेंट लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 3 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 64 | 23ARDPG5921 C1ZF | विनीत गुप्ता | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 3 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 65 | 23AAACB248 4Q1ZG | बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-2 | इंदौर - 3 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 66 | 23AADCC463 7P1ZF | कंप्यूट्रोनिक्स सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-3 | इंदौर - 12 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 67 | 23AAVCS1165 L1ZW | एसआर डिजिटल टीवी एंड ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-1 | इंदौर सं.-3 | इंदौर - 12 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 68 | 23AAACI1091 A1ZD | इंदौर कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड इंदौर | इंदौर-1 | इंदौर सं.-1 | पीथमपुर | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 69 | 23AABCI2856 A2Z4 | इंडोटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड | इंदौर-2 | उज्जैन सं. | देवास | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 70 | 23AFTPV1703 R1ZQ | हर्ष विजय वर्गिया | इंदौर-2 | उज्जैन सं. | देवास | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |

| स. क्र. | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | जोन | संभाग | वृत्त | अभिलेख की सूची प्रस्तुत नहीं की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 23ACKPL0231 G1Z5 | जवाला प्रसाद लाठी | इंदौर-2 | रतलाम सं. | नीमच | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 72 | 23AAHCM758 9G1Z3 | एमडीपी इंफ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | ग्वालियर | ग्वालियर सं.-1 | ग्वालियर - 1 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 73 | 23AAKFB8078 M1ZY | भारती बिल्डकॉन | ग्वालियर | ग्वालियर सं.-1 | ग्वालियर - 1 | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 74 | 23ATYPA0791 M1Z9 | श्री साई साड़ी लोक | ग्वालियर | ग्वालियर सं.-2 | शिवपुरी | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |
| 75 | 23AAIFR6102J 1ZD | राज पल्सेज | भोपाल | सागर सं. | टीकमगढ़ | चालान/आपूर्ति के बिल/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट/रसीद वाउचर/भुगतान वाउचर, चयनित महीनों की जावक आपूर्ति/आवक आपूर्ति से संबंधित समझौता और खरीदी आदेश। |

## परिशिष्ट 2.12

*(कंडिका 2.6.3.2 में उल्लिखित)*

### जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल करने में देरी से विलंब शुल्क का कम भुगतान

(राशि ₹ में)

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जमा किया जाने वाला विलंब शुल्क | जमा किया गया विलंब शुल्क | कम जमा विलंब शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), मंडल - 5, भोपाल | 23AAFCC2625P1ZL | सीस्केप ग्लोबल टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 63,620 | 11,700 | 51,920 |
| 2 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - मंडला | 23APUPT2772F1ZG | ए. के. ट्रेडर्स | 2017-18 | 90,650 | 50,000 | 40,650 |
| 3 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - इटारसी | 23AAAAA2647N1ZU | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिच्छुआ | 2017-18 | 41,720 | 4,790 | 36,930 |
| 4 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 10, इंदौर | 23AAECT7614G1ZH | ट्रैवलसेफ ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 77,400 | 50,000 | 27,400 |
| 5 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1, उज्जैन | 23AAFCK2993L1Z6 | मेसर्स कृष्णा बिल्ड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 71,560 | 44,360 | 27,200 |
| 6 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1 ग्वालियर | 23AAHCM7589G1Z3 | एमडीपी इंफ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 76,000 | 50,000 | 26,000 |
| 7 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 3, इंदौर | 23ARDPG5921C1ZF | विनीत गुप्ता | 2017-18 | 19,800 | 10,700 | 9,100 |
| 8 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - नर्मदापुरम | 23AOQPC9085H1ZN | कृष्ण कुमार चौकसे | 2017-18 | 13,200 | 2,280 | 10,920 |
| 9 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) , वृत्त - 5, भोपाल | 23AAHCA9581C1ZR | मेसर्स अनन्या इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 28,600 | 19,200 | 9,400 |
| 10 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 6, भोपाल | 23AAWPK7553Q1ZQ | अशोक कुमार | 2017-18 | 23,500 | 14,650 | 8,850 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जमा किया जाने वाला विलंब शुल्क | जमा किया गया विलंब शुल्क | कम जमा विलंब शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 12, इंदौर | 23AADCC4637P1ZF | कम्प्यूट्रोनिक्स सिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 16,450 | 8,250 | 8,200 |
| 12 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - देवास | 23AFTPV1703R1ZQ | हर्ष विजयवर्गीय | 2017-18 | 7,650 | 220 | 7,430 |
| 13 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - बीना | 23ASNPR5125Q1Z3 | लिलेन्द्र राय | 2017-18 | 8,300 | 950 | 7,350 |
| 14 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 6, भोपाल | 23AAGCB6748K1ZF | सुनील बंसल | 2017-18 | 5,750 | 0 | 5,750 |
| 15 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - बालाघाट | 23AADCJ2088H1ZO | मेसर्स जेपीडब्ल्यू इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 15,690 | 10,600 | 5,090 |
| 16 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - नीमच | 23ACKPL0231G1Z5 | नर्मदा उद्यम | 2017-18 | 8,000 | 4,150 | 3,850 |
| 17 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 3, इंदौर | 23AAACN3548H3ZM | नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2017-18 | 11,500 | 8,650 | 2,850 |
| 18 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - मंडीदीप | 23AABCU3243P1Z7 | यूनिकॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 11,250 | 9,300 | 1,950 |
| 19 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 6, भोपाल | 23AELPA9944A1ZT | शिरीश रमेश अग्रवाल | 2017-18 | 1,800 | 200 | 1,600 |
| 20 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 12, इंदौर | 23AAVCS1165L1ZW | एसआर डिजिटल टीवी एंड ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 3,400 | 1,900 | 1,500 |
| 21 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - टीकमगढ़ | 23AAIFR6102J1ZD | राज पल्सेज | 2017-18 | 1,520 | 40 | 1,480 |
| 22 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 15, इंदौर | 23AKQPS0060G1Z8 | बलराम सचदेव | 2017-18 | 1,300 | 0 | 1,300 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जमा किया जाने वाला विलंब शुल्क | जमा किया गया विलंब शुल्क | कम जमा विलंब शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1, ग्वालियर | 23AAKFB80 78M1ZY | भारती बिल्डकॉन | 2017-18 | 7,000 | 2,950 | 4,050 |
| **योग** | | | | | **6,05,660** | **3,04,890** | **3,00,770** |

## परिशिष्ट 2.13

*(कंडिका 2.6.3.3 में संदर्भित)*

### जीएसटीआर 9/3बी में उपयोग की गयी आईटीसी और जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध आईटीसी के बीच बेमेल

**(राशि ₹ में)**

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 में (आरसीएम के अलावा) उपयोग आईटीसी | जीएसटीआर आर3बी में उपयोग की गयी आईटीसी | जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 3, इंदौर | 23AAACN3548H3ZM | नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 41,76,57,440 | 26,28,04,998 | 15,48,52,442 |
| 2 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 3, इंदौर | 23AAACB2484Q1ZG | बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 45,36,26,924 | 31,29,26,267 | 14,07,00,657 |
| 3 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) , वृत्त मंडीदीप | 23AAACP4072C1ZZ | प्रॉक्टर एंड गैंबल होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 90,71,66,880 | 80,32,26,905 | 10,39,39,975 |
| 4 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- 6, भोपाल | 23AAACT4119L1ZG | टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 14,95,68,662 | 8,70,68,958 | 6,24,99,704 |
| 5 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 3, इंदौर | 23AAAJI0103J1ZW | इंदौर विकास प्राधिकरण | 2017-18 | 0 | 10,70,85,720 | 5,96,64,614 | 4,74,21,106 |
| 6 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1, भोपाल | 23AAACT2438A1Z1 | टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 39,32,62,772 | 36,21,63,790 | 3,10,98,982 |
| 7 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 2, छिंदवाड़ा | 23AAACR4896A2ZK | रेमंड लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 42,63,08,096 | 39,61,70,562 | 3,01,37,534 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 में (आरसीएम के अलावा) उपयोग आईटीसी | जीएसटीआर आर3बी में उपयोग की गयी आईटीसी | जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 3, इंदौर | 23AABCM6602Q1ZC | मंगलम सीमेंट लिमिटेड | 2017-18 | 32,68,59,600 | 0 | 31,03,30,677 | 1,65,28,923 |
| 9 | स. आ, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 6, भोपाल | 23AAFPH2563J1ZW | हुनैद हुसैन सैफी | 2017-18 | 0 | 3,40,63,028 | 2,00,84,465 | 1,39,78,563 |
| 10 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - बालाघाट | 23AADCJ2088H1ZO | जेपीडब्ल्यू इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 4,97,03,009 | 0 | 3,58,30,629 | 1,38,72,380 |
| 11 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - पीथमपुर | 23AAACI1091A1ZD | इंदौर कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड इंदौर | 2017-18 | 0 | 5,27,93,166 | 4,02,40,749 | 1,25,52,417 |
| 12 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 12, इंदौर | 23AAVCS1165L1ZW | एसआर डिजिटल टीवी और ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 3,83,52,222 | 0 | 2,60,55,854 | 1,22,96,368 |
| 13 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 11, इंदौर | 23AAACL6150B1Z6 | लैंडमार्क ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 21,60,49,648 | 0 | 20,43,89,978 | 1,16,59,670 |
| 14 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) , वृत्त - 5, भोपाल | 23AAFCC2625P1ZL | मेसर्स सीस्केप ग्लोबल टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 1,71,18,084 | 60,41,138 | 1,10,76,946 |
| 15 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 11, इंदौर | 23AADCD3523F1Z8 | दोशी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 9,38,23,280 | 0 | 8,27,82,221 | 1,10,41,059 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 में (आरसीएम के अलावा) उपयोग आईटीसी | जीएसटीआर आर3बी में उपयोग की गयी आईटीसी | जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 6, भोपाल | 23AAGCB6748K1ZF | सुनील बंसल | 2017-18 | 8,28,37,768 | 0 | 7,18,24,278 | 1,10,13,490 |
| 17 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 2, इंदौर | 23ACSPV9056F1Z0 | अनुज वोहरा | 2017-18 | 0 | 5,33,69,284 | 4,51,51,504 | 82,17,780 |
| 18 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी),वृत्त - देवास | 23AABCI2856A2Z4 | इंडोटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 1,74,36,720 | 0 | 92,72,388 | 81,64,332 |
| 19 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1, ग्वालियर | 23AAKFB80 78M1ZY | भारती बिल्डकॉन | 2017-18 | 0 | 1,17,43,184 | 51,95,569 | 65,47,615 |
| 20 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त टीकमगढ़ | 23AAIFR6102J1ZD | राज पल्सेज | 2017-18 | 56,97,659 | 0 | 3,66,702 | 53,30,957 |
| 21 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 4 जबलपुर | 23CQZPM2063G1ZK | फरहत मंसूरी | 2017-18 | 0 | 1,42,53,723 | 91,17,759 | 51,35,964 |
| 22 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त बैढ़न | 23AACFR2535HIZJ | राम किशन दया राम एंड कंपनी | 2017-18 | 0 | 63,69,825 | 28,07,595 | 35,62,230 |
| 23 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 5, भोपाल | 23AVYPA6978L2ZP | सिंह आशुतोष | 2017-18 | 0 | 45,38,025 | 14,81,259 | 30,56,766 |
| 24 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - इटारसी | 23AAAAA2647N1ZU | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिच्छुआ | 2017-18 | 0 | 34,96,416 | 5,36,188 | 29,60,228 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 में (आरसीएम के अलावा) उपयोग आईटीसी | जीएसटीआर आर3बी में उपयोग की गयी आईटीसी | जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - मंडला | 23APUPT2772F1ZG | अनूप लाल टेकम | 2017-18 | 39,51,613 | 0 | 13,03,767 | 26,47,846 |
| 26 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 3, उज्जैन | 23AEMPB0681A1Z7 | मनीष कुमार बंथिया | 2017-18 | 0 | 76,49,979 | 51,04,986 | 25,44,993 |
| 27 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 6, भोपाल | 23AALCA4130B1ZE | अमलतास इंडिया लिमिटेड | 2017-18 | 1,11,04,606 | 0 | 85,73,835 | 25,30,771 |
| 28 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 5, भोपाल | 23AAHCA9581C1ZR | मेसर्स अन्या इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 85,27,980 | 61,11,764 | 24,16,216 |
| 29 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त मंडीदीप | 23AADCM8862E1ZH | महालक्ष्मी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 89,76,833 | 0 | 66,17,285 | 23,59,548 |
| 30 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1, छिंदवाड़ा | 23BQCPS9738L1Z7 | शेख साबिर | 2017-18 | 79,12,298 | 0 | 55,75,095 | 23,37,202 |
| 31 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1, छिंदवाड़ा | 23AAKFB9235G1ZI | बीजी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 66,28,106 | 45,51,600 | 20,76,506 |
| 32 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 3, इंदौर | 23ARDPG5921C1ZF | विनीत गुप्ता | 2017-18 | 64,40,919 | 0 | 45,11,744 | 19,29,175 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 में (आरसीएम के अलावा) उपयोग आईटीसी | जीएसटीआर आर3बी में उपयोग की गयी आईटीसी | जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 4 जबलपुर | 23AABCD9257A1Z1 | मेसर्स अनिल कुमार सिंह | 2017-18 | 0 | 19,04,539 | 7,27,347 | 11,77,192 |
| 34 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - नर्मदापुरम | 23AOQPC9085H1ZN | कृष्ण कुमार चौकसे | 2017-18 | 24,59,219 | 0 | 5,97,730 | 18,61,489 |
| 35 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1, उज्जैन | 23AAFCK2993L1Z6 | कृष्णा बिल्ड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 95,88,932 | 0 | 77,81,039 | 18,07,893 |
| 36 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त -विदिशा | 23ACWPS6320D2ZH | भूपेंद्र कुमार शर्मा | 2017-18 | 0 | 98,55,449 | 83,25,075 | 15,30,374 |
| 37 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 6, भोपाल | 23AAWPK7553Q1ZQ | अशोक कुमार | 2017-18 | 1,18,25,598 | 0 | 1,03,02,164 | 15,23,434 |
| 38 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 10 इंदौर | 23AAECT7614G1ZH | ट्रैवसेफ ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 26,95,305 | 0 | 12,53,234 | 14,42,071 |
| 39 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1 कटनी | 23AGMPR9714N1ZO | नीलम रस्तोगी | 2017-18 | 0 | 60,93,509 | 48,02,171 | 12,91,338 |
| 40 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - दमोह | 23AAOFM5739Q1ZH | माँ चंडी निर्माण कंपनी | 2017-18 | 0 | 59,97,527 | 48,90,578 | 11,06,949 |
| 41 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 6 इंदौर | 23AGSPA8703A1ZV | प्रदीप आचार्य | 2017-18 | 0 | 49,44,784 | 7,07,313 | 42,37,471 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 में (आरसीएम के अलावा) उपयोग आईटीसी | जीएसटीआर आर3बी में उपयोग की गयी आईटीसी | जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 15, इंदौर | 23BBLLPD3404Q1Z2 | आशीष देशमुख | 2017-18 | 35,92,349 | 0 | 35,88,498 | 3,851 |
| योग | | | | | 89,93,07,578 | 3,10,40,23,102 | 3,24,08,60,272 | 76,24,70,407 |

## परिशिष्ट 2.14

*(कंडिका 2.6.3.3 में संदर्भित)*

### आरसीएम के तहत उपयोग की गयी आईटीसी में बेमेल (कर के भुगतान के साथ)

(राशि ₹ में)

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | आरसीएम के तहत जीएसटीआर 3बी में उपयोग आईटीसी | जीएसटीआर 9 के अनुसार उपलब्ध आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 11, इंदौर | 23AABCM1884C1ZV | माधुरी रिफाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 16,46,022 | 0 | 16,46,022 |
| 2 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 3, इंदौर | 23AABCM6602Q1ZC | मंगलम सीमेंट लिमिटेड | 2017-18 | 34,84,022 | 42,84,604 | 8,00,582 |
| 3 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 11, इंदौर | 23AAACA4651L1ZU | अशोक लीलैंड लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 3,26,100 | 3,26,100 |
| 4 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 2, इंदौर | 23ACSPV9056F1Z0 | अनुज वोहरा | 2017-18 | 42,174 | 0 | 42,174 |
| **योग** | | | | | **51,72,218** | **46,10,704** | **28,14,878** |

**परिशिष्ट 2.15**

*(कंडिका 2.6.3.3 में संदर्भित)*

**जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध पात्र आईटीसी की तुलना में जीएसटीआर 9 (तालिका 8डी) में आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल (जीएसटीआर 9 का तालिका 8ए)**

**(राशि ₹ में)**

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 में आईटीसी लाभ (तालिका 8बी + 8सी) | जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए (तालिका 3 और 5) में उल्लिखित आईटीसी का लाभ | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए (तालिका 3 और 5) में उल्लिखित आईटीसी का लाभ | जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 10 इंदौर | 23AGOPS5276L1ZO | मोहम्मद सुबूर | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 2,74,55,622 | 2,72,91,855 | 1,63,767 |
| 2 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - झाबुआ | 23BAMPK0825L1ZO | प्रफुल्ल भाई मथुरभाई कनानी | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 1,47,38,447 | 1,45,97,576 | 1,40,871 |
| 3 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1 कटनी | 23ATJPS3213P1ZD | भगवती शिवहरे | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 10,84,504 | 9,95,949 | 88,555 |
| 4 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 4 इंदौर | 23AADCM9997N1ZK | एमसीएस ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 14,52,20,000 | 14,52,15,374 | 4,626 |
| 5 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 3, भोपाल | 23AAKCM8087E2Z8 | मेसर्स मार्कसमैन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 4,39,71,388 | 1359176 | 4,26,12,212 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 में आईटीसी लाभ (तालिका 8बी + 8सी) | जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए (तालिका 3 और 5) में उल्लिखित आईटीसी का लाभ | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए (तालिका 3 और 5) में उल्लिखित आईटीसी का लाभ | जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 11, इंदौर | 23AAACA4651L1ZU | अशोक लीलैंड लिमिटेड | 2017-18 | 2,07,96,97,620 | 1,88,28,84,351 | 19,68,13,269 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 11, इंदौर | 23AAACK3935D1Z0 | एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 58,91,46,168 | 56,72,10,624 | 2,19,35,544 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 11, इंदौर | 23ASGPS8189N1ZT | सुरेश कुमार शर्मा | 2017-18 | 3,63,91,043 | 2,91,98,674 | 71,92,369 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 11, इंदौर | 23AAACI7351P1ZB | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2017-18 | 6,06,10,672 | 4,36,60,164 | 1,69,50,508 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 11, इंदौर | 23AABCM1884C1ZV | माधुरी रिफाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड | | 18,45,79,408 | 15,41,17,688 | 3,04,61,720 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 15, इंदौर | 23AKQPS0060GIZ8 | बलराम सचदेव | 2017-18 | 2,18,57,992 | 1,86,23,446 | 32,34,546 | 0 | 0 | 0 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 में आईटीसी लाभ (तालिका 8बी + 8सी) | जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए (तालिका 3 और 5) में उल्लिखित आईटीसी का लाभ | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए (तालिका 3 और 5) में उल्लिखित आईटीसी का लाभ | जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 15, इंदौर | 23AAACT7303GIZR | तीरथदास शौकतराय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 1,20,91,651 | 98,41,262 | 22,50,389 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - दमोह | 23ACLPA0788N2ZD | सुनील अरोड़ा | 2017-18 | 54,14,130 | 32,19,863 | 21,94,267 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 13 इंदौर | 23AAEFP2364C1ZQ | पारीक कीटनाशक | 2017-18 | 5,72,60,377 | 2,39,69,160 | 3,32,91,217 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 12 इंदौर | 23AADCC4637P1ZF | कम्प्यूट्रोनिक्स सिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 2,16,52,480 | 93,12,065 | 1,23,40,415 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - देवास | 23AFTPV1703R1ZQ | हर्ष विजयवर्गीय | 2017-18 | 21,63,296 | 9,61,868 | 12,01,428 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त – नीमच | 23ACKPL0231G1Z5 | जवाला प्रसाद लाठी | 2017-18 | 67,79,520 | 41,07,288 | 26,72,232 | 0 | 0 | 0 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 में आईटीसी लाभ (तालिका 8बी + 8सी) | जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए (तालिका 3 और 5) में उल्लिखित आईटीसी का लाभ | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए (तालिका 3 और 5) में उल्लिखित आईटीसी का लाभ | जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1 ग्वालियर | 23AAHCM7589G1Z3 | एमडीपी इंफ्रा(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 3,72,44,748 | 2,61,82,848 | 1,10,61,900 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1 ग्वालियर | 23AAKFB8078M1ZY | भारती बिल्डकॉन | 2017-18 | 51,29,624 | 50,62,193 | 67,431 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त मंडीदीप | 23AABCU3243P1Z7 | यूनिकॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 1,41,07,321 | 1,39,91,863 | 1,15,458 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त मंडीदीप | 23AAACH6184K1ZH | रविकांत त्रिपाठी | 2017-18 | 97,82,14,592 | 90,03,10,543 | 7,79,04,049 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 4 जबलपुर | 23AGIPA7007R1ZB | रितुद्वाज अग्रवाल | 2017-18 | 1,04,98,940 | 78,28,845 | 26,70,095 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 2 कटनी | 23ABAFS0896F1ZA | श्री एस एन खंपारिया, ठेकेदार | 2017-18 | 77,21,825 | 60,54,396 | 16,67,429 | 0 | 0 | 0 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 में आईटीसी लाभ (तालिका 8बी + 8सी) | जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए (तालिका 3 और 5) में उल्लिखित आईटीसी का लाभ | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल | जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए (जीएसटीआर 2ए (तालिका 3 और 5) में उल्लिखित आईटीसी का लाभ | जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) , वृत्त - 6 भोपाल | 23AELPA9944A1ZT | शिरीश रमेश अग्रवाल | 2017-18 | 46,74,144 | 34,25,678 | 12,48,466 | 0 | 0 | 0 |
| | योग | | | | **4,13,52,35,551** | **3,70,99,62,819** | **42,52,72,732** | **23,24,69,961** | **18,94,59,930** | **4,30,10,031** |
| | महा योग | | | | | | | | | **46,82,82,763** |

## परिशिष्ट 2.16

***(कंडिका 2.6.3.3 में संदर्भित)***

**वार्षिक रिटर्न में घोषित आईटीसी का ईसीएल से बेमेल होना**

**(राशि ₹ में)**

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 6(ए) में उपयोग आईटीसी | जीएसटीआर 9 6(I) में उपयोग आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - पीथमपुर | 23AAACI1091A1ZD | इंदौर कम्पोजिट पी लिमिटेड | 2017-18 | 6,66,11,391 | 5,41,17,928 | 1,24,93,463 |
| 2 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 10, इंदौर | 23AGOPS5276L1ZO | मोहम्मद सुबूर | 2017-18 | 3,86,03,564 | 2,72,91,856 | 1,13,11,708 |
| 3 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त – दमोह | 23ACLPA0788N2ZD | सुनील अरोड़ा | 2017-18 | 1,32,89,401 | 54,14,130 | 78,75,271 |
| 4 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1, ग्वालियर | 23AAKFB8078M1ZY | भारती बिल्डकॉन | 2017-18 | 1,17,43,184 | 51,29,622 | 66,13,562 |
| 5 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - दमोह | 23AAOFM5739Q1ZH | माँ चंडी निर्माण कंपनी | 2017-18 | 59,97,527 | 0 | 59,97,527 |
| 6 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - टीकमगढ़ | 23AAIFR6102J1ZD | राज पल्सेज | 2017-18 | 56,97,659 | 4,01,537 | 52,96,122 |
| 7 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 2, छिंदवाड़ा | 23AAACR4896A2ZK | रेमंड लिमिटेड | 2017-18 | 42,96,53,984 | 42,63,08,096 | 33,45,888 |
| 8 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1, कटनी | 23ATJPS3213P1ZD | भगवती शिवहरे | 2017-18 | 62,48,592 | 54,18,916 | 8,29,676 |
| 9 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 4, भोपाल | 23AAAAM1625N1ZQ | एमपी राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित | 2017-18 | 56,92,276 | 49,26,559 | 7,65,717 |
| 10 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - विदिशा | 23ACWPS6320D2ZH | भूपेंद्र कुमार शर्मा | 2017-18 | 98,55,449 | 91,82,086 | 6,73,363 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 6(ए) में उपयोग आईटीसी | जीएसटीआर 9 6(I) में उपयोग आईटीसी | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) , वृत्त - 1, कटनी | 23AGMPR9714N1ZO | नीलम रस्तोगी | 2017-18 | 60,93,510 | 57,63,800 | 3,29,710 |
| 12 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 10, इंदौर | 23AAECT7614G1ZH | ट्रैवलसेफ ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 27,83,573 | 26,95,305 | 88,268 |
| 13 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1, भोपाल | 23AAACT2438A1Z1 | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | 2017-18 | 43,52,68,416 | 43,52,54,912 | 13,504 |
| **योग** | | | | | **1,03,75,38,526** | **98,19,04,747** | **5,56,33,779** |

## परिशिष्ट 2.17

*(कंडिका 2.6.3.3 में संदर्भित)*

### वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के बीच आईटीसी का बेमेल (तालिका 12एफ, 14टी और जीएसटीआर 9सी का 14 एस)

(राशि ₹ में)

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 सी के 14 टी में खर्च के आधार पर असमेकित शुद्ध आईटीसी | जीएसटीआर 9 सी के 12 एफ में असमेकित निवल आईटीसी | जीएसटीआर 9 के अनुसार उपलब्ध आईटीसी | जीएसटीआर 9 के 14 एस में घोषित जीएसटीआर 9 के अनुसार दावा आईटीसी | आईटीसी का अधिक लाभ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उप.आयु., राज्य कर, (जीएसटी) वृत्त -11, इंदौर | 23AAACK3935D1Z0 | एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 5,41,66,016 | 70,46,048 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 23ASGPS8189N1ZT | सुरेश कुमार शर्मा | 2017-18 | 4,00,810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 23AADCD3523F1Z8 | दोशी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 11,004 | 9,090 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 23AABCM1884C1ZV | माधुरी रिफाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 71,147 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | उप.आयु., राज्य कर, (जीएसटी) वृत्त - 3, भोपाल | 23AAKCM8087E2Z8 | मार्कसमैन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 9,090 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | स.आ., राज्य कर, (जीएसटी) वृत्त - 1, छिंदवाड़ा | 23BQCPS9738L1Z7 | शेख साबिर | 2017-18 | 0 | 0 | 80,08,407 | 79,21,773 | 86,634 |
| 7 | उप.आयु., राज्य कर, (जीएसटी) वृत्त - 6, भोपाल | 23AAACT4119LZG | टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 3,35,07,548 | 0 | 0 | 0 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 सी के 14 टी में खर्च के आधार पर असमेकित शुद्ध आईटीसी | जीएसटीआर 9 सी के 12 एफ में असमेकित निवल आईटीसी | जीएसटीआर 9 के अनुसार उपलब्ध आईटीसी | जीएसटीआर 9 के 14 एस में घोषित जीएसटीआर 9 के अनुसार दावा आईटीसी | आईटीसी का अधिक लाभ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | उप.आयु., राज्य कर, (जीएसटी) वृत्त - 1, भोपाल | 23AAACT2438A1Z1 | टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड | 2017-18 | 44,77,17,574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | स.आ., राज्य कर, (जीएसटी) वृत्त - मंडीदीप | 23AABCU3243P1Z7 | यूनिकॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 2,659 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 23AADCM8862E1ZH | महालक्ष्मी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 89,76,833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | स.आ., राज्य कर, (जीएसटी) वृत्त - 8, इंदौर | 23AABCP1892R1ZX | पटेल मोटर्स इंदौर प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 12,61,101 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | उप.आयु., राज्य कर, (जीएसटी) वृत्त - 1, कटनी | 23AGMPR9714N1ZO | नीलम रस्तोगी | 2017-18 | 0 | 5,76,35,800 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | स.आ., राज्य कर, (जीएसटी) वृत्त -10, इंदौर | 23AGOPS5276L1ZO | मोहम्मद सबूर | 2017-18 | 37,325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | वा.क.अ. - 12 इंदौर | 23AADCC4637P1ZF | कम्प्यूट्रोनिक्स सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 2,53,639 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | वा.क.अ. - 1 ग्वालियर | 23AAHCM7589G1Z3 | एमडीपी इंफ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 58,27,589 | 0 | 0 | 0 |
| योग | | | | | 51,13,09,562 | 10,56,23,711 | 80,08,407 | 79,21,773 | 86,634 |

## परिशिष्ट 2.18

*(कंडिका 2.6.3.3 में संदर्भित)*

### कर योग्य और शून्य/छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए सामान्य इनपुट के बदले जीएसटीआर 9 में आईटीसी प्रत्यावर्तन का बेमेल

**(राशि ₹ में)**

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 (7C या 7H) के अनुसार आईटीसी प्रत्यावर्तन | लेखापरीक्षा द्वारा निकला गया आईटीसी प्रत्यावर्तन | आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1 भोपाल | 23AACL0582H2ZT | भारतीय जीवन बीमा निगम | 2017-18 | 0 | 23,34,20,896 | 23,34,20,896 |
| 2 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 8, इंदौर | 23AABCP1892R1ZX | पटेल मोटर्स इंदौर प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 6,01,32,620 | 6,01,32,620 |
| 3 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त मंडीदीप | 23AADCM8862E1ZH | महालक्ष्मी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 1,49,41,746 | 1,49,41,746 |
| 4 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1 कटनी - 1 | 23AGMPR9714N1ZO | नेरेम रस्तोगी | 2017-18 | 0 | 8,51,815 | 8,51,815 |
| 5 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 4, जबलपुर | 23AGIPA7007R1ZB | नया मेट्रो मेडिकल सेंटर | 2017-18 | 0 | 1,17,325 | 1,17,325 |
| 6 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त मंडीदीप | 23AABCU3243P1Z7 | यूनिकॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 82,997 | 82,997 |
| **योग** | | | | | **0** | **30,95,47,399** | **30,95,47,399** |

## परिशिष्ट 2.19

*(कंडिका 2.6.3.3 में संदर्भित)*

### कर योग्य और छूट/शून्य आपूर्ति के लिए सामान्य इनपुट के बदले पूंजीगत वस्तुओं के लिए जीएसटीआर 9 में आईटीसी प्रत्यावर्तन का बेमेल

**(राशि ₹ में)**

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 की तालिका 7 डी में उल्लिखित आईटीसी प्रत्यावर्तन | जीएसटीआर 3बी के अनुसार प्रत्यावर्तन | जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 3बी में आईटीसी प्रत्यावर्तन के बीच बेमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 8, इंदौर | 23AABCP1892R1ZX | पटेल मोटर्स इंदौर प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 3,07,22,725 | 3,07,22,725 |
| 2 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त मंडीदीप | 23AAACH6184K1ZH | रविकांत त्रिपाठी | 2017-18 | 0 | 49,162 | 49,162 |
| 3 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 2 छिंदवाड़ा | 23AAACR4896A2ZK | रेमंड लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 37,801 | 37,801 |
| 4 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1, जबलपुर | 23AGIPA7007R1ZB | न्यू मेट्रो मेडिकल सेंटर | 2017-18 | 0 | 4,424 | 4,424 |
| **योग** | | | | | **0** | **3,08,14,112** | **3,08,14,112** |

## परिशिष्ट 2.20

*(कंडिका 2.6.3.4 में संदर्भित)*

### जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी या जीएसटीआर 9 के बीच देय कर का बेमेल

**(राशि ₹ में)**

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 1 कर देयता | जीएसटीआर 9 कर देयता | जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच कर देयता में अंतर | जीएसटीआर 1 कर देयता | जीएसटीआर 3बी कर देयता | जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच कर देयता में अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उप.आयु., राज्य कर, वृत्त - 11, इंदौर | 23AACK3935D1Z0 | एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 96,72,43,520 | 96,64,32,616 | 8,10,904 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | उप.आयु., राज्य कर, वृत्त - 11, इंदौर | 23AAACL6150B1Z6 | लैंडमार्क ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 21,28,03,408 | 20,77,65,715 | 50,37,693 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | उप.आयु., राज्य कर, वृत्त - 11, इंदौर | 23AAACI7351P1ZB | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2017-18 | 11,74,12,040 | 11,69,38,456 | 4,73,584 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | उप.आयु., राज्य कर, वृत्त - 11, इंदौर | 23AADCD3523F1Z8 | दोशी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 8,86,60,560 | 8,76,91,818 | 9,68,742 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | उप.आयु., राज्य कर, वृत्त - 15, इंदौर | 23BLLPD3404Q1Z2 | आशीर्वाद सेल्स एंड सप्लायर | 2017-18 | 37,16,025 | 34,38,575 | 2,77,450 | 0 | 0 | 0 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 1 कर देयता | जीएसटीआर 9 कर देयता | जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच कर देयता में अंतर | जीएसटीआर 1 कर देयता | जीएसटीआर 3बी कर देयता | जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच कर देयता में अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | स.आ., राज्य कर, वृत्त -इटारसी | 23AAAAA2647N1ZU | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिच्छुआ | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 5,36,775 | 30,256 | 5,06,519 |
| 7 | उप.आयु., राज्य कर, वृत्त - 2, इंदौर | 23ACSPV9056F1Z0 | अनुज वोहरा | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 4,31,22,032 | 4,12,65,208 | 18,56,824 |
| 8 | उप.आयु., राज्य कर, वृत्त - 3, भोपाल | 23AAKCM8087E2Z8 | मार्कसमैन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 4,46,99,672 | 4,07,55,756 | 39,43,916 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1, छिंदवाड़ा | 23AAKFB9235G1ZI | मेसर्स बी.जी. कन्स्ट्रक्शन | 2017-19 | 0 | 0 | 0 | 48,18,575 | 37,50,062 | 10,68,513 |
| 10 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - दमोह | 23ACLPA0788N2ZD | सुनील अरोड़ा | 2017-18 | 88,54,937 | 41,33,896 | 47,21,041 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 04 जबलपुर | 23AABCD9257A1Z1 | मेसर्स अनिल कुमार सिंह | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 8,68,185 | 2,83,726 | 5,84,459 |
| 12 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - मंडीदीप | 23AADCM8862E1ZH | महालक्ष्मी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 1,45,65,723 | 79,56,499 | 66,09,224 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | उप.आयु., राज्य कर, वृत्त - 6, इंदौर | 23AGSPA8703A1ZV | मेसर्स शोभा सिलाई मशीन | 2017-18 | 52,35,863 | 31,68,266 | 20,67,597 | 0 | 0 | 0 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 1 कर देयता | जीएसटीआर 9 कर देयता | जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच कर देयता में अंतर | जीएसटीआर 1 कर देयता | जीएसटीआर 3बी कर देयता | जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच कर देयता में अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 6, भोपाल | 23AAACT4119L1ZG | टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 12,16,49,544 | 12,15,72,176 | 77,368 |
| 15 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 6, भोपाल | 23AELPA9944A1ZT | शिरीष रमेश अग्रवाल | 2017-18 | 54,88,023 | 43,31,305 | 11,56,718 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 6, भोपाल | 23AAWPK7553Q1ZQ | अशोक कुमार | 2017-18 | 1,79,24,038 | 1,38,76,258 | 40,47,780 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - बीना | 23ASNPR5125Q1Z3 | लिलेन्द्र राय | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 28,23,994 | 21,51,360 | 6,72,634 |
| 18 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 4, इंदौर | 23AADCM9997N1ZK | एमसीएस ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 14,38,86,656 | 14,38,82,704 | 3,952 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 13, इंदौर | 23AAEFP2364C1ZQ | पारीक कीटनाशक | 2017-18 | 4,66,48,360 | 4,66,01,492 | 46,868 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 3, इंदौर | 23AABCM6602Q1ZC | मंगलम सीमेंट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 32,10,02,304 | 31,85,85,856 | 24,16,448 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 1 कर देयता | जीएसटीआर 9 कर देयता | जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच कर देयता में अंतर | जीएसटीआर 1 कर देयता | जीएसटीआर 3बी कर देयता | जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच कर देयता में अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 12, इंदौर | 23AADCC4637P1ZF | कम्प्यूट्रोनिक्स सिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 2,85,28,660 | 2,70,76,990 | 14,51,670 |
| 22 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 12, इंदौर | 23AAVCS1165L1ZW | एसआर डिजिटल टीवी और ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 2,93,92,328 | 2,86,23,689 | 7,68,639 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त- देवास | 23AABCI2856A2Z4 | इंडोटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 3,56,27,356 | 3,30,44,686 | 25,82,670 |
| योग | | | | | **1,70,65,31,153** | **1,67,55,97,045** | **3,09,34,108** | **55,89,77,425** | **54,77,60,320** | **1,12,17,105** |
| जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9/3बी के बीच कर देयता में कुल अंतर | | | | | | | | | | **4,21,51,213** |

# परिशिष्ट 2.21

*(कंडिका 2.6.3.4 में संदर्भित)*

## जीएसटीआर 9 में कर भुगतान के संदर्भ में जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 9 की कर देयता में सबसे अधिक की तुलना करने पर न चुकायी गयी कर देयता

**(राशि ₹ में)**

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 कर देयता | जीएसटीआर 1 कर देयता | जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच अधिक कर देयता | जीएसटीआर 9 के अनुसार कर भुगतान | कर का कम भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - भोपाल - 4 | 23AAAAM0307R1ZP | मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यपार और विकास सहकारी संघ | 2017-18 | 1,94,05,03,438 | 1,92,36,95,100 | 1,94,05,03,438 | 1,89,17,67,168 | 4,87,36,270 |
| 2 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 1 ग्वालियर | 23AAHCM7589G1Z3 | एमडीपी इंफ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 3,92,46,804 | 4,10,28,564 | 4,10,28,564 | 1,06,95,658 | 3,03,32,906 |
| 3 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 11, इंदौर | 23AAACA4651L1ZU | अशोक लीलैंड लिमिटेड | 2017-18 | 2,06,98,28,652 | 2,09,47,61,220 | 2,09,47,61,220 | 2,06,98,26,096 | 2,49,35,124 |
| 4 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 8, इंदौर | 23AABCP1892R1ZX | पटेल मोटर्स इंदौर प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 1,33,45,90,597 | 1,35,51,01,700 | 1,35,51,01,700 | 1,33,45,90,703 | 2,05,11,103 |
| 5 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - दमोह | 23AAOFM5739Q1ZH | मेसर्स माँ चंडी निर्माण कंपनी | 2017-18 | 47,33,636 | 2,17,52,288 | 2,17,52,288 | 47,33,636 | 1,70,18,652 |
| 6 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - रीवा | 23ABSFS0709F1Z8 | रविन्द्र कुमार द्विवेदी | 2017-18 | 0 | 64,19,918 | 64,19,918 | 0 | 64,19,918 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 कर देयता | जीएसटीआर 1 कर देयता | जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच अधिक कर देयता | जीएसटीआर 9 के अनुसार कर भुगतान | कर का कम भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 5, भोपाल | 23AAFCC262 5P1ZL | सीस्केप ग्लोबल टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 2,24,62,406 | 2,24,62,406 | 2,24,62,406 | 1,71,18,084 | 53,44,322 |
| 8 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 2, कटनी | 23ABAFS089 6F1ZA | श्री एस एन खंपारिया, ठेकेदार | 2017-18 | 1,03,23,806 | 1,03,23,806 | 1,03,23,806 | 50,65,032 | 52,58,774 |
| 9 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - विदिशा | 23ACWPS632 0D2ZH | मेसर्स भूपेंद्र शर्मा, ठेकेदार | 2017-18 | 1,44,45,316 | 1,51,94,245 | 1,51,94,245 | 1,04,26,276 | 47,67,969 |
| 10 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 15, इंदौर | 23AKQPS006 0GIZ8 | अमित ट्रेडर्स | 2017-18 | 2,49,50,950 | 2,49,50,952 | 2,49,50,952 | 2,06,62,535 | 42,88,416 |
| 11 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 5, भोपाल | 23AAHCA95 81C1ZR | मेसर्स अनन्या इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 1,82,28,372 | 2,00,92,250 | 2,00,92,250 | 1,60,28,919 | 40,63,331 |
| 12 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 6, भोपाल | 23AALCA413 0B1ZE | अमलतास इंडिया लिमिटेड | 2017-18 | 1,78,46,924 | 1,70,81,470 | 1,78,46,924 | 1,40,32,612 | 38,14,312 |
| 13 | डी सी, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त -11, इंदौर | 23ASGPS818 9N1ZT | सुरेश कुमार शर्मा | 2017-18 | 3,69,81,734 | 3,69,81,736 | 3,69,81,736 | 3,34,65,916 | 35,15,820 |
| 14 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - मंडला | 23APUPT277 2F1ZG | अनूप लाल टेकम | 2017-18 | 37,79,702 | 37,79,702 | 37,79,702 | 3,50,290 | 34,29,412 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 कर देयता | जीएसटीआर 1 कर देयता | जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच अधिक कर देयता | जीएसटीआर 9 के अनुसार कर भुगतान | कर का कम भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 1, कटनी | 23ATJPS3213 P1ZD | भगवती शिवहरे | 2017-18 | 41,16,436 | 41,16,436 | 41,16,436 | 8,46,131 | 32,70,305 |
| 16 | स. आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - नीमच | 23ACKPL023 1G1Z5 | जवाला प्रसाद लाठी | 2017-18 | 48,10,442 | 56,12,776 | 56,12,776 | 30,50,136 | 25,62,640 |
| 17 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 15, इंदौर | 23AAACT730 3GIZR | तीरथदास शौकतराय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 1,11,26,559 | 1,30,45,396 | 1,30,45,396 | 1,11,26,560 | 19,18,836 |
| 18 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - मंडीदीप | 23AAACP407 2C1ZZ | प्रॉक्टर एंड गैंबल होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 1,69,53,46,773 | 1,69,35,34,980 | 1,69,53,46,773 | 1,69,35,34,969 | 18,11,804 |
| 19 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 1, ग्वालियर | 23AAKFB807 8M1ZY | भारती बिल्डकॉन | 2017-18 | 63,37,792 | 78,34,801 | 78,34,801 | 61,74,808 | 16,59,993 |
| 20 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 4, जबलपुर | 23CQZPM206 3G1ZK | फरात मंसूरी | 2017-18 | 1,41,42,628 | 1,57,75,357 | 1,57,75,357 | 1,41,42,628 | 16,32,729 |
| 21 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 1, इंदौर | 23AAECS846 6P1ZN | श्री पेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड | 2017-18 | 47,49,921 | 63,20,179 | 63,20,179 | 47,59,080 | 15,61,099 |
| 22 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 1, छिंदवाड़ा | 23BQCPS973 8L1Z7 | शेख साबिर | 2017-18 | 76,93,330 | 82,31,501 | 82,31,501 | 67,36,352 | 14,95,149 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 कर देयता | जीएसटीआर 1 कर देयता | जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच अधिक कर देयता | जीएसटीआर 9 के अनुसार कर भुगतान | कर का कम भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - बैढ़न | 23AACFR2535HIZJ | राम कृष्ण दया राम & कंपनी | 2017-18 | 41,14,385 | 55,77,999 | 55,77,999 | 41,14,385 | 14,63,614 |
| 24 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 6, भोपाल | 23AAGCB6748K1ZF | सुनील बंसल | 2017-18 | 40,68,400 | 52,74,588 | 52,74,588 | 40,67,500 | 12,07,088 |
| 25 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 10, इंदौर | 23AAECT7614G1ZH | ट्रैवलसेफ ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 48,63,630 | 48,85,061 | 48,85,061 | 38,31,665 | 10,53,396 |
| 26 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 1, कटनी | 23AGMPR9714N1ZO | नीलम रस्तोगी | 2017-18 | 58,80,579 | 58,22,838 | 58,80,579 | 48,96,344 | 9,84,235 |
| 27 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त -3, इंदौर | 23ARDPG5921C1ZF | विनीत गुप्ता | 2017-18 | 40,95,083 | 49,28,688 | 49,28,688 | 40,28,688 | 9,00,000 |
| 28 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - नर्मदापुरम | 23AOQPC9085H1ZN | कृष्ण कुमार चौकसे | 2017-18 | 8,55,159 | 0 | 8,55,159 | 0 | 8,55,159 |
| 29 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - देवास | 23AFTPV1703R1ZQ | हर्ष विजयवर्गीय | 2017-18 | 32,88,604 | 32,71,907 | 32,88,604 | 27,22,196 | 5,66,408 |
| 30 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त -3, उज्जैन | 23AEMPB0681A1Z7 | मनीष कुमार बंथिया | 2017-18 | 50,61,426 | 56,27,027 | 56,27,027 | 50,61,416 | 5,65,611 |

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 कर देयता | जीएसटीआर 1 कर देयता | जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच अधिक कर देयता | जीएसटीआर 9 के अनुसार कर भुगतान | कर का कम भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - मंडीदीप | 23AABCU3243P1Z7 | यूनिकॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 1,85,90,905 | 1,88,32,956 | 1,88,32,956 | 1,85,90,905 | 2,42,051 |
| 32 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - बीना | 23AAACJ6297K5Z5 | जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड | 2017-18 | 59,26,216 | 61,30,092 | 61,30,092 | 58,96,376 | 2,33,716 |
| 33 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 4, भोपाल | 23AAAAM1625N1ZQ | एमपी राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित | 2017-18 | 14,70,290 | 13,15,870 | 14,70,290 | 13,15,871 | 1,54,420 |
| 34 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 6, भोपाल | 23AAFPH2563J1ZW | हुनैद हुसैन सैफी | 2017-18 | 2,06,97,223 | 2,06,94,542 | 2,06,97,223 | 2,05,45,081 | 1,52,142 |
| 35 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - मंडीदीप | 23AAACH6184K1ZH | रविकांत त्रिपाठी | 2017-18 | 1,16,86,60,162 | 1,16,87,63,900 | 1,16,87,63,900 | 1,16,86,32,526 | 1,31,374 |
| 36 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त -4, जबलपुर | 23AGIPA7007R1ZB | रितु धवज अग्रवाल | 2017-18 | 99,88,644 | 99,88,625 | 99,88,644 | 99,42,207 | 46,418 |
| 37 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 1, भोपाल | 23AAACT2438A1Z1 | टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड | 2017-18 | 28,00,99,898 | 28,00,99,898 | 28,00,99,898 | 28,00,62,340 | 37,558 |
| **योग** | | | | | **8,82,39,06,822** | **8,88,93,10,774** | **8,90,97,83,076** | **8,70,28,41,089** | **20,69,42,074** |

## परिशिष्ट 2.22

*(कंडिका 2.6.3.4 में संदर्भित)*

### जीएसटीआर 9सी में घोषित असमेकित कर

(राशि ₹ में)

| स. क्र. | वृत्त का नाम | जीएसटीआईएन | करदाता का नाम | वर्ष | जीएसटीआर 9 सी में घोषित जीएसटीआर 9 में भुगतान किया गया कर | जीएसटीआर 9 के अनुसार भुगतान किया गया कर | कर की असमेकित राशि (जीएसटीआर 9सी का 9आर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) भोपाल - वृत्त - 4 | 23AAAAM0307R1ZP | मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यपार और विकास सहकारी संघ | 2017-18 | 1,90,93,45,031 | 1,89,17,67,168 | 1,75,77,863 |
| 2 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 1, उज्जैन | 23AAFCK2993L1Z6 | मेसर्स कृष्णा बिल्ड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 1,51,13,747 | 21,33,226 | 1,29,80,521 |
| 3 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त - 2, कटनी | 23ABAFS0896F1ZA | श्री एस एन खंपारिया, ठेकेदार | 2017-18 | 1,03,23,806 | 50,65,032 | 52,58,774 |
| 4 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - विदिशा | 23ACWPS6320D2ZH | मेसर्स भूपेंद्र कुमार शर्मा | 2017-18 | 1,44,45,314 | 1,04,26,276 | 40,19,038 |
| 5 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त - 5, भोपाल | 23AAHCA9581C1ZR | मेसर्स अनन्या इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 2,03,35,663 | 1,81,36,208 | 21,99,455 |
| 6 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) इंदौर - वृत्त - 10 | 23AAECT7614G1ZH | ट्रेवल सेफ ट्रेवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 2017-18 | 48,63,629 | 38,31,665 | 10,31,964 |
| 7 | स.आ., राज्य कर (जीएसटी) जबलपुर - वृत्त - 4 | 23AGIPA7007R1ZB | रितुराज अग्रवाल | 2017-18 | 1,08,12,330 | 99,83,390 | 8,28,940 |
| 8 | उप.आयु., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त – 3, इंदौर | 23ARDPG5921C1ZF | विनीता गुप्ता | 2017-18 | 40,95,082 | 40,28,688 | 66,394 |
| **योग** | | | | | **1,98,93,34,602** | **1,94,53,71,653** | **4,39,62,949** |

## परिशिष्ट 4.1

*(कंडिका 4.5.1 में संदर्भित)*

### खनन योजनाओं/ पर्यावरणीय स्वीकृतियों से अधिक उत्खनन

**(₹ लाख में)**

| स. क्र. | जिला | पट्टा धारक स. क्र. | पट्टा धारक का नाम | खनिजों के प्रकार | खनन योजना/ ईसी के अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मी में) | वर्ष | उत्पादन की मात्रा (घन मीटर में) | अधिक उत्खनित मात्रा (घन मीटर में) | बाजार दर/ रॉयल्टी दर (₹ प्रति घन मीटर/ प्रति एम टी) | बाज़ार मूल्य/ रॉयल्टी मूल्य | शास्ति की राशि (बाजार मूल्य का 10 गुणा/ रॉयल्टी मूल्य का 20 गुणा) | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | छिंदवाड़ा | 1 | सुरेश चाचड़ | गिट्टी | 3,500 घन मी | 2018-19 | 50,740 घन मी | 47,240 घन मी | 100 | 47.24 | 944.80 | रॉयल्टी मूल्य |
| | | | | | 3,500 घन मी | 2019-20 (4/ 19 से 12/ 19) | 9,134 घन मी | 5,634 घन मी | 210 | 11.83 | 118.30 | बाजार मूल्य |
| | | | | | | 2019-20 (1/ 20 से 3/ 20) | 409 | 409 | 120 | 0.49 | 9.80 | रॉयल्टी मूल्य |
| | | 2 | शाहिद खान | गिट्टी | 10,218 घन मी | 2018-19 | 20,216 घन मी | 9,998 घन मी | 100 | 10.00 | 200.00 | रॉयल्टी मूल्य |
| | | | | | | 2019-20 (1/ 20 से 3/ 20) | 8,910 घन मी | 6,772 घन मी | 120 | 8.13 | 162.60 | रॉयल्टी मूल्य |
| 2 | सिंगरौली | 3 | जितेंद्र सिंह | गिट्टी | 50,138 घन मी | 2019-20 | 93,458 घन मी | 43,320 घन मी | 250 | 108.30 | 1,083.00 | बाजार मूल्य |

| स. क्र. | जिला | पट्टा धारक स. क्र. | पट्टा धारक का नाम | खनिजों के प्रकार | खनन योजना/ ईसी के अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मी में) | वर्ष | उत्पादन की मात्रा (घन मीटर में) | अधिक उत्खनित मात्रा (घन मीटर में) | बाजार दर/ रॉयल्टी दर (₹ प्रति घन मीटर/ प्रति एम टी) | बाज़ार मूल्य/ रॉयल्टी मूल्य | शास्ति की राशि (बाजार मूल्य का 10 गुणा/ रॉयल्टी मूल्य का 20 गुणा) | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 50,149 घन मी | 2020-21 | 53,802 घन मी | 3,653 घन मी | 250 | 9.13 | 91.30 | बाजार मूल्य |
| | | 4 | सुनीता सिंह | गिट्टी | 11,542 घन मी | 2019-20 | 26,628 घन मी | 15,086 घन मी | 250 | 37.72 | 377.20 | बाजार मूल्य |
| | | 5 | ज्ञानी देवी | गिट्टी | 18,060 घन मी | 2019-20 | 25,855 घन मी | 7,795 घन मी | 250 | 19.49 | 194.90 | बाजार मूल्य |
| | | | | | 18,060 घन मी | 2020-21 | 18,760 घन मी | 700 घन मी | 250 | 1.75 | 17.50 | बाजार मूल्य |
| | | 6 | मेसर्स यूनिक माइन्स | गिट्टी | 15,171 घन मी | 2020-21 | 20,051 घन मी | 4,880 घन मी | 250 | 12.20 | 122.00 | बाजार मूल्य |
| | | 7 | शंकर प्रसाद वैश | गिट्टी | 15,925 घन मी | 2019-20 | 19,130 घन मी | 3,205 घन मी | 250 | 8.01 | 80.10 | बाजार मूल्य |
| | | | | | 15,925 घन मी | 2020-21 | 17,335 घन मी | 1,410 घन मी | 250 | 3.53 | 35.30 | बाजार मूल्य |
| 3 | शिवपुरी | 8 | जयसिद्ध बाबा | गिट्टी | 9,500 घन मी | 2020-21 | 10,960 घन मी | 1,460 घन मी | 480 | 7.08 | 70.80 | बाजार मूल्य |
| | | | | | 9,025 घन मी | 2021-22 | 16,880 घन मी | 7,855 घन मी | 500 | 39.28 | 392.80 | बाजार मूल्य |
| 4 | सीहोर | 9 | वीर सिंह | गिट्टी | 30,000 घन मी | 2018-19 | 40,051 घन मी | 10,051 घन मी | 600 | 60.31 | 603.10 | बाजार मूल्य |

| स. क्र. | जिला | पट्टा धारक स. क्र. | पट्टा धारक का नाम | खनिजों के प्रकार | खनन योजना/ ईसी के अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मी में) | वर्ष | उत्पादन की मात्रा (घन मीटर में) | अधिक उत्खनित मात्रा (घन मीटर में) | बाजार दर/ रॉयल्टी दर (₹ प्रति घन मीटर/ प्रति एम टी) | बाज़ार मूल्य/ रॉयल्टी मूल्य | शास्ति की राशि (बाजार मूल्य का 10 गुणा/ रॉयल्टी मूल्य का 20 गुणा) | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 30,000 घन मी | 2019-20 | 1,09,058 घन मी | 79,058 घन मी | 600 | 474.35 | 4,743.50 | बाजार मूल्य |
| | | 10 | केशव मेहर | गिट्टी | 23,520 घन मी | 2018-19 | 28,764 घन मी | 5,244 घन मी | 600 | 31.46 | 314.60 | बाजार मूल्य |
| | | 11 | एनकेसीसीडीएस | गिट्टी | 40,590 घन मी | 2018-19 | 1,66,711 घन मी | 1,26,121 घन मी | 600 | 756.73 | 7,567.30 | बाजार मूल्य |
| | | 12 | स्नेहलता | गिट्टी | 13,500 घन मी | 2019-20 | 20,800 घन मी | 7,300 घन मी | 600 | 43.80 | 438.00 | बाजार मूल्य |
| | | | | | 13,500 घन मी | 2020-21 | 14,890 घन मी | 1,390 घन मी | 800 | 11.12 | 111.20 | बाजार मूल्य |
| | | 13 | जगदीश बसंतानी | गिट्टी | 0 | 2019-20 | 14,310 घन मी | 14,310 घन मी | 600 | 85.86 | 858.60 | बाजार मूल्य |
| | | 14 | अरविंद सिंह राजपूत | गिट्टी | 5,400 घन मी | 2019-20 | 15,055 घन मी | 9,655 घन मी | 600 | 57.93 | 579.30 | बाजार मूल्य |
| | | 15 | बाबा स्टोन एंड अर्थ मूवर्स | गिट्टी | 11,760 घन मी | 2019-20 | 18,600 घन मी | 6,840 घन मी | 600 | 41.04 | 410.40 | बाजार मूल्य |
| | | 16 | अक्षय रघुवंशी | गिट्टी | 11,400 घन मी | 2019-20 | 14,800 घन मी | 3,400 घन मी | 600 | 20.40 | 204.00 | बाजार मूल्य |
| 5 | भोपाल | 17 | विशाल यादव | गिट्टी | 19,950 घन मी | 2019-20 (4/ 19 से 12/ 19) | 56,928 घन मी | 36,978 घन मी | 230 | 85.05 | 850.50 | बाजार मूल्य |

| स. क्र. | जिला | पट्टा धारक स. क्र. | पट्टा धारक का नाम | खनिजों के प्रकार | खनन योजना/ ईसी के अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मी में) | वर्ष | उत्पादन की मात्रा (घन मीटर में) | अधिक उत्खनित मात्रा (घन मीटर में) | बाजार दर/ रॉयल्टी दर (₹ प्रति घन मीटर/ प्रति एम टी) | बाज़ार मूल्य/ रॉयल्टी मूल्य | शास्ति की राशि (बाजार मूल्य का 10 गुणा/ रॉयल्टी मूल्य का 20 गुणा) | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019-20 (1/ 20 से 3/ 20) | 5,081 घन मी | 5,081 घन मी | 120 | 6.10 | 122.00 | रॉयल्टी मूल्य |
| | | 18 | निखिल कुमार सिंह | गिट्टी | 73,912 घन मी | 2018-19 | 1,13,595 घन मी | 39,683 घन मी | 210 | 83.33 | 833.30 | बाजार मूल्य |
| | | | | | 72,755 घन मी | 2019-2020 (1/ 20 से 3/ 20) | 88,863 घन मी | 16,108 घन मी | 120 | 19.33 | 386.60 | रॉयल्टी मूल्य |
| | | 19 | निखिल कुमार सिंह | गिट्टी | 19,950 घन मी | 2020-21 | 25,657 घन मी | 5,707 घन मी | 250 | 14.27 | 142.70 | बाजार मूल्य |
| | | 20 | राजेश चौकसे | मुर्रम | 15,000 घन मी | 2018-19 | 1,38,435 घन मी | 1,23,435 घन मी | 50 | 61.67 | 1,233.40 | रॉयल्टी मूल्य |
| | | 21 | योगेश त्रिपाठी | गिट्टी | 10,000 घन मी | 2018-19 | 24,524 घन मी | 14,524 घन मी | 210 | 30.50 | 305.00 | बाजार मूल्य |
| 6 | सागर | 22 | वंदना मोदी | डोलोमाइट | 7,000 एम टी | 2021-22 | 1,41,775 एम टी | 1,34,775 एम टी | 900 | 1,212.98 | 12,129.80 | बाजार मूल्य |
| | | 23 | अंतिम कुमार जैन | गिट्टी | 34,681 घन मी | 2019-20 | 46,730 घन मी | 12,049 घन मी | 280 | 33.74 | 337.40 | बाजार मूल्य |
| | | 24 | बृजभान सिंह डांगी | गिट्टी | 11,515 घन मी | 2021-22 | 32,270 घन मी | 20,755 घन मी | 520 | 107.93 | 1,079.30 | बाजार मूल्य |

| स. क्र. | जिला | पट्टा धारक स. क्र. | पट्टा धारक का नाम | खनिजों के प्रकार | खनन योजना/ ईसी के अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मी में) | वर्ष | उत्पादन की मात्रा (घन मीटर में) | अधिक उत्खनित मात्रा (घन मीटर में) | बाजार दर/ रॉयल्टी दर (₹ प्रति घन मीटर/ प्रति एम टी) | बाज़ार मूल्य/ रॉयल्टी मूल्य | शास्ति की राशि (बाजार मूल्य का 10 गुणा/ रॉयल्टी मूल्य का 20 गुणा) | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | सीधी | 25 | नीरज सिंह | गिट्टी | 22,932 घन मी | 2019-20 | 45,394 घन मी | 22,462 घन मी | 450 | 101.08 | 1,010.80 | बाजार मूल्य |
| | | 26 | अर्पित मिनरल्स | गिट्टी | 19,380 घन मी | 2019-20 | 42,956 घन मी | 23,576 घन मी | 450 | 106.09 | 1,060.90 | बाजार मूल्य |
| | | 27 | चंद्र मोहन पांडे | गिट्टी | 8,265 घन मी | 2018-19 | 14,444 घन मी | 6,179 घन मी | 400 | 24.72 | 247.20 | बाजार मूल्य |
| | | 28 | चंद्र मोहन पांडे | गिट्टी | 5,130 घन मी | 2018-19 | 20,744 घन मी | 15,614 घन मी | 400 | 62.46 | 124.60 | बाजार मूल्य |
| | | | | | 5,130 घन मी | 2019-20 | 7,261 घन मी | 2,131 घन मी | 450 | 9.59 | 95.90 | बाजार मूल्य |
| | | 29 | मनोज सिंह चौहान | गिट्टी | 10,830 घन मी | 2018-19 | 19,784 घन मी | 8,954 घन मी | 400 | 35.82 | 358.20 | बाजार मूल्य |
| | | 30 | रामा सिंह | गिट्टी | 5,130 घन मी | 2018-19 | 11,284 घन मी | 6,154 घन मी | 400 | 24.62 | 246.20 | बाजार मूल्य |
| 8 | खरगोन | 31 | धीरज यादव | गिट्टी | 14,513 घन मी | 2019-20 | 45,906 घन मी | 31,393 घन मी | 400 | 125.57 | 1,255.70 | बाजार मूल्य |
| | | | | | 14,513 घन मी | 2021-22 | 23,677 घन मी | 9,164 घन मी | 400 | 36.66 | 366.60 | बाजार मूल्य |
| 9 | जबलपुर | 32 | राहुल मोहन चौबे | गिट्टी | 20,536 घन मी | 2019-20 | 29,670 घन मी | 9,134 घन मी | 600 | 54.80 | 548.00 | बाजार मूल्य |

| स. क्र. | जिला | पट्टा धारक स. क्र. | पट्टा धारक का नाम | खनिजों के प्रकार | खनन योजना/ ईसी के अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मी में) | वर्ष | उत्पादन की मात्रा (घन मीटर में) | अधिक उत्खनित मात्रा (घन मीटर में) | बाजार दर/ रॉयल्टी दर (₹ प्रति घन मीटर/ प्रति एम टी) | बाज़ार मूल्य/ रॉयल्टी मूल्य | शास्ति की राशि (बाजार मूल्य का 10 गुणा/ रॉयल्टी मूल्य का 20 गुणा) | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 33 | दुर्गेश यादव | गिट्टी | 14,723 घन मी | 2020-21 | 19,868 घन मी | 5,145 घन मी | 600 | 30.87 | 308.70 | बाजार मूल्य |
| | | 34 | मुकेश शर्मा | गिट्टी | 12,000 घन मी | 2019-20 | 41,611 घन मी | 29,611 घन मी | 600 | 177.67 | 1,776.70 | बाजार मूल्य |
| | | | | | 12,000 घन मी | 2020-21 | 25,720 घन मी | 13,720 घन मी | 600 | 82.32 | 823.20 | बाजार मूल्य |
| | | 35 | भोले शंकर स्टोन | गिट्टी | 20,000 घन मी | 2020-21 | 20,865 घन मी | 865 घन मी | 600 | 5.19 | 51.90 | बाजार मूल्य |
| | | | | | 20,000 घन मी | 2021-22 | 26,950 घन मी | 6,950 घन मी | 600 | 41.70 | 417.00 | बाजार मूल्य |
| | | 36 | मुरलीधर भटीजा | गिट्टी | 9,026 घन मी | 2019-20 | 13,506 घन मी | 4,480 घन मी | 600 | 26.88 | 268.80 | बाजार मूल्य |
| | | 37 | कुसुमबाई | गिट्टी | 18,000 घन मी | 2020-21 | 30,490 घन मी | 12,490 घन मी | 600 | 74.94 | 749.40 | बाजार मूल्य |
| | | | | | 18,000 घन मी | 2021-22 | 31,670 घन मी | 13,670 घन मी | 600 | 82.02 | 820.20 | बाजार मूल्य |
| | | 38 | सुनीता सिंह | गिट्टी | 26,988 घन मी | 2018-19 | 39,925 घन मी | 12,937 घन मी | 600 | 77.62 | 776.20 | बाजार मूल्य |
| | | | | | 25,001 घन मी | 2020-21 | 35,084 घन मी | 10,083 घन मी | 600 | 60.50 | 605.00 | बाजार मूल्य |

| स. क्र. | जिला | पट्टा धारक स. क्र. | पट्टा धारक का नाम | खनिजों के प्रकार | खनन योजना/ ईसी के अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मी में) | वर्ष | उत्पादन की मात्रा (घन मीटर में) | अधिक उत्खनित मात्रा (घन मीटर में) | बाजार दर/ रॉयल्टी दर (₹ प्रति घन मीटर/ प्रति एम टी) | बाज़ार मूल्य/ रॉयल्टी मूल्य | शास्ति की राशि (बाजार मूल्य का 10 गुणा/ रॉयल्टी मूल्य का 20 गुणा) | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 26,463 घन मी | 2021-22 | 29,773 घन मी | 3,310 घन मी | 600 | 19.86 | 198.60 | बाजार मूल्य |
| | | 39 | विजय कुमार जैन | गिट्टी | 8,550 घन मी | 2019-20 | 14,445 घन मी | 5,895 घन मी | 600 | 35.37 | 353.70 | बाजार मूल्य |
| | | | | | 8,550 घन मी | 2020-21 | 12,466 घन मी | 3,916 घन मी | 600 | 23.50 | 235.00 | बाजार मूल्य |
| | | 40 | मेसर्स राजस मार्बल | मार्बल | 3,806 घन मी | 2021-22 | 13,625 घन मी | 9,819 घन मी | 4,000 | 392.76 | 3,927.60 | बाजार मूल्य |
| 10 | ग्वालियर | 41 | मेसर्स एलीट स्टोन क्रशर | गिट्टी | 21,880 घन मी | 2018-19 | 1,03,300 घन मी | 81,420 घन मी | 450 | 366.39 | 3,663.90 | बाजार मूल्य |
| 11 | बैतूल | 42 | राजेंद्र किलेदार | गिट्टी | 5,842 घन मी | 2020-21 | 10,062 घन मी | 4,220 घन मी | 600 | 25.32 | 253.20 | बाजार मूल्य |
| | | 43 | प्रेमलता अग्रवाल | गिट्टी | 20,482 घन मी | 2020-21 | 28,906 घन मी | 8,424 घन मी | 600 | 50.54 | 505.40 | बाजार मूल्य |
| | | 44 | बालाजी एसोसिएट्स | गिट्टी | 63,700 घन मी | 2020-21 | 66,521 घन मी | 2,821 घन मी | 600 | 16.93 | 169.30 | बाजार मूल्य |
| | | | | | 93,296 घन मी | 2021-22 | 95,355 घन मी | 2,059 घन मी | 600 | 12.35 | 123.50 | बाजार मूल्य |
| | | 45 | दिजियाना इंडस्ट्रीज | रेत | 2,10,000 घन मी | 2019-20 | 2,90,289 घन मी | 80,289 घन मी | 500 | 401.45 | 4,014.50 | बाजार मूल्य |
| योग | | | | | | | | (गिट्टी) | | 6,147.67 | 63,006.30 | |

| स. क्र. | जिला | पट्टा धारक स. क्र. | पट्टा धारक का नाम | खनिजों के प्रकार | खनन योजना/ ईसी के अनुसार अनुमोदित मात्रा (घन मी में) | वर्ष | उत्पादन की मात्रा (घन मीटर में) | अधिक उत्खनित मात्रा (घन मीटर में) | बाजार दर/ रॉयल्टी दर (₹ प्रति घन मीटर/ प्रति एम टी) | बाज़ार मूल्य/ रॉयल्टी मूल्य | शास्ति की राशि (बाजार मूल्य का 10 गुणा/ रॉयल्टी मूल्य का 20 गुणा) | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 7,16,642 घन मी (मुर्रम)<br>1,23,348 घन मी (मार्बल)<br>13,625 घन मी (रेत)<br>2,90,289 घन मी (डोलोमाइट)<br>1,34,775 एम टी | | | | |

## परिशिष्ट 4.2

*(कंडिका 4.5.2 में संदर्भित)*

### अनुमोदित खनन योजनाओं के बिना खनिजों का उत्खनन

**(₹ लाख में)**

| स. क्र. | जिला | पट्टा धारक स.क्र. | पट्टा धारक का नाम | खनिजों के प्रकार | स्वीकृति/ पट्टे की अवधि | खनन योजना की अवधि | वह अवधि जो खनन योजना में सम्मिलित नहीं थी | खनन योजना के बिना निष्पादित मात्रा (घन मीटर में) | बाजार दर / रॉयल्टी दर (₹ प्रति घन मीटर / प्रति एम टी) | बाजार मूल्य / रॉयल्टी मूल्य | शास्ति की राशि (बाजार मूल्य का 10 गुणा / रॉयल्टी मूल्य का 20 गुणा) | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | छिंदवाड़ा | 1 | आर. के. मेटल्स | गिट्टी | 1665/16.12.2016 08.05.2017 से 07.05.2027 | 24.04.2015 से 23.04.2020 | 2020-21 | 19,670 | 120 | 23.60 | 472.00 | रॉयल्टी मूल्य |
| | | | | | | | 2021-22 | 23,064 | 250 | 57.66 | 576.60 | बाजार मूल्य |
| | | 2 | विशाल कालिया | गिट्टी | 1113/09.08.2016 01.06.2017 से 31.05.2027 | 2016-17 से 2020-21 | 2021-22 | 36,605 | 250 | 91.52 | 915.20 | बाजार मूल्य |
| | | 3 | गौरव राय | गिट्टी | 2461/24.07.2014 24.07.2014 से 23.07.2024 | प्रथम 2014-15 से 2018-19 एवं द्वितीय 2020-21 से 2023-24 | 2019-20 (4/ 19 से 12/ 19) | 2,309 | 210 | 4.85 | 48.50 | बाजार मूल्य |
| | | | | | | | 2019-20 (1/ 20 से 3/ 20) | 1,225 | 120 | 1.47 | 29.40 | रॉयल्टी मूल्य |
| 2 | सीहोर | 4 | वीर सिंह | गिट्टी | 1993-96/ 04.02.2016 | 23.02.2016 से 22.02.2021 | 2021-22 | 30,827 | 550 | 169.55 | 1,695.50 | बाजार मूल्य |

| स. क्र. | जिला | पट्टा धारक स.क्र. | पट्टा धारक का नाम | खनिजों के प्रकार | स्वीकृति/ पट्टे की अवधि | खनन योजना की अवधि | वह अवधि जो खनन योजना में सम्मिलित नहीं थी | खनन योजना के बिना निष्पादित मात्रा (घन मीटर में) | बाजार दर / रॉयल्टी दर (₹ प्रति घन मीटर / प्रति एम टी) | बाजार मूल्य / रॉयल्टी मूल्य | शास्ति की राशि (बाजार मूल्य का 10 गुणा / रॉयल्टी मूल्य का 20 गुणा) | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 23.02.2016 से 22.02.2026 | | | | | | | |
| | | 5 | एनकेसी – सीडीएस | गिट्टी | 469/ 06.02.2018 06.02.2018 से 05.02.2023 | 2018-19 से 2019-20 | 2020-21 | 19,803 | 800 | 158.42 | 1,584.20 | बाजार मूल्य |
| | | 6 | देवेंद्र सिंह | गिट्टी | 1411/ 08.06.2015 19.06.2015 से 18.06.2025 | 2014-15 से 2018-19 | 2019-20 | 200 | 600 | 1.20 | 12.00 | बाजार मूल्य |
| | | | | | | | 2020-21 | 5,218 | 800 | 42.22 | 422.20 | बाजार मूल्य |
| | | | | | | | 2021-22 | 13,752 | 550 | 75.64 | 756.40 | बाजार मूल्य |
| | | 7 | अरविंद सिंह राजपूत | गिट्टी | 1600/25.06.2015 10.12.2005 से 09.12.2025 | 2015-16 से 2019-20 | 2021-22 | 1,931 | 800 | 15.45 | 154.50 | बाजार मूल्य |
| 3 | सागर | 8 | बृजभान सिंह डांगी | गिट्टी | 699/ 28.10.2014 25.05.15 से 24.05.25 | 2014-15 से 2018-19 एवं 2021-22 से 2024-25 | 2019-20 | 5082 | 280 | 14.23 | 142.30 | बाजार मूल्य |
| | | | | | | | 2020-21 | 10670 | 500 | 53.35 | 533.50 | बाजार मूल्य |
| | | 9 | कमलेश पटेल | गिट्टी | 30145/ 20.11.2015 10.10.17 से 09.10.27 | 2015-16 से 2019-20 एवं 2022-23 से 2026-27 | 2020-21 | 3935 | 500 | 19.68 | 196.80 | बाजार मूल्य |
| | | | | | | | 2021-22 | 3520 | 520 | 18.30 | 183.00 | बाजार मूल्य |

| स. क्र. | जिला | पट्टा धारक स.क्र. | पट्टा धारक का नाम | खनिजों के प्रकार | स्वीकृति/ पट्टे की अवधि | खनन योजना की अवधि | वह अवधि जो खनन योजना में सम्मिलित नहीं थी | खनन योजना के बिना निष्पादित मात्रा (घन मीटर में) | बाजार दर / रॉयल्टी दर (₹ प्रति घन मीटर / प्रति एम टी) | बाजार मूल्य / रॉयल्टी मूल्य | शास्ति की राशि (बाजार मूल्य का 10 गुणा / रॉयल्टी मूल्य का 20 गुणा) | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | अभिषेक सिंह | फ्लैगस्टोन | 744/ 17.06.2016 03.09.16 से 02.09.26 | 2016-17 से 2020-21 | 2021-22 | 1,520 | 2500 | 38.00 | 380.00 | बाजार मूल्य |
| **योग** | | | | | | | | **(गिट्टी) 1,77,811 (फ्लैगस्टोन) 1,520** | | **785.14** | **8,102.10** | |

## परिशिष्ट 5.1

*(कंडिका 5.6.1 में संदर्भित)*

**अपात्र उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी जारी करना**

**(₹ लाख में)**

| स. क्र. | इकाई का नाम | उद्योग का नाम | विभाग द्वारा अनुमोदित पूँजीगत निवेश | | | स्वीकृत सब्सिडी | भुगतान की गई सब्सिडी राशि | दिशा-निर्देशों के अनुरूप निवेश नहीं | | | लेखापरीक्षा के अनुसार अतिरिक्त सब्सिडी | इसका कारण/उद्योग की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पी एंड एम | भवन | योग | | | पी एंड एम | भवन | योग | | |
| 1 | डीटीआईसी उज्जैन | मेसर्स एस. एस. स्टोन क्रशर | 732.73 | 0 | 732.73 | 293.09 | 106.73 | 732.73 | 0 | 732.73 | 106.73 | उद्योग की प्रकृति "स्टोन क्रशर" है जो अपात्र उद्योगों की सूची (योजना 2017 दिशा-निर्देश) में बिन्दु 08 के अनुसार अपात्र है। |
| 2 | डीटीआईसी मंडला | मेसर्स श्याम इंडस्ट्रीज | 202.51 | 0.00 | 202.51 | 81.00 | 48.60 | 202.51 | 0.00 | 202.51 | 48.60 | अपात्र उद्योगों की सूची (योजना 2017 दिशा-निर्देश) के अनुसार पूंजीगत सब्सिडी के लिए अपात्र। |
| योग | | | | | | | | | | | **155.33** | |

## परिशिष्ट 5.2

*(कंडिका 5.6.2 में संदर्भित)*

### एमएसएमई योजनाओं के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी जारी करना

**(₹ लाख में)**

| स.क्र. | इकाई का नाम | उद्योग का नाम | विभाग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत निवेश | | | स्वीकृत सब्सिडी | भुगतान की गई सब्सिडी राशि | दिशा-निर्देशों के अनुरूप निवेश नहीं | | | लेखापरीक्षा के अनुसार अतिरिक्त सब्सिडी | इसका कारण/ उद्योग की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पी एंड एम | भवन | योग | | | पी एंड एम | भवन | योग | | |
| 1 | डीटीआईसी खरगोन | मेसर्स जय गजानन फूड्स | 50.99 | 51.43 | 102.42 | 25.61 | 25.61 | 7.35 | 0.00 | 7.35 | 25.61 | उत्पादन की दिनांक के बाद पी एंड एम की खरीद जिसके कारण पी एंड एम की कुल लागत ₹ 50 लाख से कम हो गई, बाद में उद्योग पूंजीगत सब्सिडी के लिए अयोग्य हो गया। (2010 की 19.04 तथा 2010 की पूंजीगत सब्सिडी के लिए अयोग्य सूची का स. क्र. 1) उत्पादन की तिथि: 15 अक्टूबर 2015। |
| 2 | डीटीआईसी मंडला | मेसर्स आश इंडस्ट्रीज (दूसरा विस्तार) | 230.96 | 13.12 | 244.08 | 97.63 | 48.82 | 230.96 | 13.12 | 244.08 | 48.82 | विस्तार के दौरान उद्योग पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं था क्योंकि पिछला उत्पादन हासिल नहीं हुआ था। (योजना 2019 दिशा-निर्देश बिन्दु 4.11) |
| 3 | डीटीआईसी मंडला | मेसर्स दीपक स्टील फैब्रिकेशन | 10.02 | 2.37 | 12.39 | 4.95 | 3.72 | 10.02 | 2.37 | 12.39 | 3.72 | उद्योग पूंजीगत सब्सिडी योजना-2019 के लिए नहीं था। |
| 4 | डीटीआईसी मंडला | मेसर्स के आर डी इंडस्ट्रीज | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 23.60 | 18.84 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 18.84 | उद्योग विस्तार के लिए पूंजीगत सब्सिडी का हकदार नहीं था क्योंकि पिछला उत्पादन हासिल नहीं हुआ था। |

| स.क्र. | इकाई का नाम | उद्योग का नाम | विभाग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत निवेश | | | स्वीकृत सब्सिडी | भुगतान की गई सब्सिडी राशि | दिशा-निर्देशों के अनुरूप निवेश नहीं | | | लेखापरीक्षा के अनुसार अतिरिक्त सब्सिडी | इसका कारण/ उद्योग की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पी एंड एम | भवन | योग | | | पी एंड एम | भवन | योग | | |
| 5 | डीटीआईसी भोपाल | मेसर्स एफएएस फूड बेकर्स | 36.00 | 73.59 | 109.59 | 15.00 | 15.00 | 36.00 | 73.59 | 109.59 | 15.00 | योजना के दिशा-निर्देश बिन्दु 5.4 के अनुसार शर्तें पूरी नहीं होने के कारण अपात्र। भवन स्वामी के नाम पर घरेलू विद्युत कनेक्शन (योजना 2014 का कंडिका 5.4) |
| योग | | | | | | | | | | | 111.99 | |

## परिशिष्ट 5.3

*(कंडिका 5.6.3 में संदर्भित)*

### बंद उद्योगों को जारी पूंजीगत सब्सिडी की वसूली न होना

**(₹ लाख में)**

| स. क्र. | इकाई का नाम | उद्योग का नाम | विभाग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत निवेश | | | स्वीकृत सब्सिडी | भुगतान की गई सब्सिडी राशि | दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेश नहीं | लेखापरीक्षा के अनुसार अतिरिक्त सब्सिडी | इसका कारण | इकाई बंद होने के बाद से अवधि (माह में) | दंडात्मक ब्याज @ 12% लगाया जाएगा | दंडात्मक ब्याज सहित शुद्ध वसूली योग्य राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पी एंड एम | भवन | योग | | | | | | | | |
| 1 | डीटीआईसी खरगोन | मेसर्स लक्ष्य इंडस्ट्रीज | 64.73 | 101.00 | 165.73 | 28.96 | 28.96 | 165.73 | 28.96 | इकाई 29 जनवरी 2019 से बंद है, निरीक्षण दिनांक जिस दिन इकाई को लेखापरीक्षा दिनांक अर्थात मई 2022 तक, पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी के वितरण के बाद कुल 40 महीने बंद पाया गया। (योजना दिशा-निर्देश 2010 बिंदु 9(9))। | 40 | 11.58 | 40.54 |
| 2 | डीटीआईसी छिंदवाड़ा | मेसर्स सहारा टेक्सटाइल्स, बोरगाँव | 88.53 | 0.00 | 88.53 | 35.41 | 11.42 | 88.53 | 11.42 | कंडिका क्रमांक 4.13 के अनुसार, यदि इकाई 06 माह से अधिक समय से बंद है तो भुगतान की गई सब्सिडी 10 माह के लिए 12% की दर से दंडात्मक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी (योजना 2017 दिशा-निर्देश बिंदु 4.13)। | 10 | 1.14 | 12.56 |
| 3 | डीटीआईसी शाजापुर | मेसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज | 48.83 | 0.00 | 48.83 | 7.32 | 7.32 | 48.83 | 7.32 | कंडिका क्रमांक 16.7 के अनुसार, यदि इकाई 06 माह से अधिक समय से बंद है तो भुगतान की गई सब्सिडी | 80 | 5.85 | 13.17 |

| स. क्र. | इकाई का नाम | उद्योग का नाम | विभाग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत निवेश | | | स्वीकृत सब्सिडी | भुगतान की गई सब्सिडी राशि | दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेश नहीं | लेखापरीक्षा के अनुसार अतिरिक्त सब्सिडी | इसका कारण | इकाई बंद होने के बाद से अवधि (माह में) | दंडात्मक ब्याज @ 12% लगाया जाएगा | दंडात्मक ब्याज सहित शुद्ध वसूली योग्य राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पी एंड एम | भवन | योग | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12% की दर से दंडात्मक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी (योजना 2014 दिशा-निर्देश बिंदु 16.7) 11 जून 2015 (स्वीकृति दिनांक) से (10 अप्रैल 2022) लेखापरीक्षा दिनांक कुल अवधि 80 माह। | | | |
| योग | | | | | | | | | 47.70 | | | | |

## परिशिष्ट 5.4

*(कंडिका 5.7 में संदर्भित)*

### जीएसटी मानदंडों के उल्लंघन के कारण सब्सिडी के अधिक भुगतान का विवरण

**(₹ लाख में)**

| स. क्र. | इकाई का नाम | उद्योग का नाम | विभाग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत निवेश | | | स्वीकृत सब्सिडी | भुगतान की गई सब्सिडी राशि | दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेश नहीं | | | लेखापरीक्षा के अनुसार अतिरिक्त सब्सिडी | इसका कारण/उद्योग की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पी एंड एम | भवन | योग | | | पी एंड एम | भवन | योग | | |
| 1 | डीटीआईसी मंडीदीप | मेसर्स मेहराना इंडस्ट्रीज | 279.13 | 71.42 | 350.55 | 140.22 | 70.10 | 27.94 | 0 | 11.12 | 4.45 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020 योजना 2019। |
| 2 | डीटीआईसी ग्वालियर | मेसर्स मानस पॉलिमर्स | 147.84 | 5.41 | 153.25 | 61.30 | 34.67 | 26.61 | 0 | 26.61 | 11.18 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |
| 3 | डीटीआईसी देवास | मेसर्स राजा फूड्स | 103.86 | 9.46 | 113.32 | 45.33 | 11.33 | 16.43 | 0 | 16.43 | 6.57 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |
| 4 | डीटीआईसी इंदौर | मेसर्स खंडेलवाल गुड फूड कॉर्पोरेशन | 159.90 | 0.00 | 159.90 | 63.96 | 15.99 | 19.01 | 0 | 19.01 | 7.60 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |
| 5 | डीटीआईसी इंदौर | मेसर्स डिवाइन कैम्फोर | 91.21 | 0.00 | 91.21 | 36.49 | 9.12 | 13.54 | 0 | 13.54 | 5.42 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |
| 6 | डीटीआईसी छिंदवाड़ा | मेसर्स श्रीनाथ नेट्स | 405.40 | 24.54 | 429.94 | 171.97 | 25.75 | 61.83 | 0.00 | 61.83 | 24.73 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |

| स. क्र. | इकाई का नाम | उद्योग का नाम | विभाग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत निवेश | | | स्वीकृत सब्सिडी | भुगतान की गई सब्सिडी राशि | दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेश नहीं | | | लेखापरीक्षा के अनुसार अतिरिक्त सब्सिडी | इसका कारण/उद्योग की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पी एंड एम | भवन | योग | | | पी एंड एम | भवन | योग | | |
| 7 | डीटीआईसी छिंदवाड़ा | मेसर्स मीनाक्षी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज | 140.51 | 49.99 | 190.50 | 76.20 | 11.41 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 8.56 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |
| 8 | डीटीआईसी छिंदवाड़ा | मेसर्स के.जे.वी. अलॉय कंडक्टर्स | 243.68 | 198.26 | 441.95 | 176.78 | 49.39 | 43.85 | 0.00 | 43.85 | 17.54 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |
| 9 | डीटीआईसी उज्जैन | मेसर्स एलीट डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड | 602.85 | 159.90 | 762.75 | 305.10 | 0.00 | 56.54 | 0.00 | 56.54 | 22.61 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |
| 10 | डीटीआईसी उज्जैन | मेसर्स प्रोंटन प्लास्ट पैक प्राइवेट लिमिटेड | 333.90 | 30.00 | 363.90 | 145.56 | 36.39 | 51.31 | 0.00 | 51.31 | 20.52 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |
| 11 | डीटीआईसी उज्जैन | मेसर्स जांगिड़ एग्रो इंडस्ट्रीज | 137.11 | 23.78 | 160.89 | 64.35 | 16.09 | 22.28 | 0.00 | 22.28 | 8.91 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |
| 12 | डीटीआईसी उज्जैन | मेसर्स विजय लक्ष्मी पॉलीमर्स | 82.70 | 31.22 | 113.92 | 45.57 | 11.39 | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 5.41 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |
| 13 | डीटीआईसी उज्जैन | मेसर्स श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज | 64.21 | 0.00 | 64.21 | 26.96 | 3.42 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 4.12 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |
| 14 | डीटीआईसी उज्जैन | मेसर्स प्रशांत पेपर इंडस्ट्रीज | 40.89 | 34.53 | 75.42 | 30.17 | 7.54 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | 2.52 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |

| स. क्र. | इकाई का नाम | उद्योग का नाम | विभाग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत निवेश | | | स्वीकृत सब्सिडी | भुगतान की गई सब्सिडी राशि | दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेश नहीं | | | लेखापरीक्षा के अनुसार अतिरिक्त सब्सिडी | इसका कारण/उद्योग की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पी एंड एम | भवन | योग | | | पी एंड एम | भवन | योग | | |
| **15** | डीटीआईसी उज्जैन | मेसर्स मास्टर लीफ | 31.02 | 22.00 | 52.02 | 20.80 | 3.00 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | 1.95 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |
| **16** | डीटीआईसी बुरहानपुर | मेसर्स फोटॉन ट्रांसफार्मर्स | 26.72 | 26.72 | 53.44 | 21.38 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 1.52 | जीएसटी पर सब्सिडी भुगतान, भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम दिनांक 26 जून 2020। |
| | | | | | **योग** | | | | | | **153.61** | |

## परिशिष्ट 6.1

*(कंडिका 6.6.4 में संदर्भित)*

**स्टंप की उपस्थिति के कारण राजस्व की हानि**

| क्रम संख्या | मंडल | कूपों की संख्या | मार्क्ड पेड़ों की संख्या | स्टंप की संख्या | स्टंप का प्रतिशत | इमारती लकड़ी की संख्या (घन मी.) | दर | जलाऊ लकड़ी की संख्या (घन मी.) | दर | इमारती लकड़ी की हानि (8x9) | जलाऊ लकड़ी की हानि (10x11) | कुल हानि (₹ लाख में) (12+13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | डिंडौरी (जी) | 3 | 1790 | 375 | 20.95 | 0 | 0 | 10.671 | 1,960 | 0 | 20,915 | 0.21 |
| 2 | होशंगाबाद (जी) | 7 | 912 | 785 | 86.07 | 39.514 | 2308 | 15.898 | 2,480 | 91,198 | 39,427 | 1.31 |
| 3 | हरदा (जी) | 27 | 14,022 | 1,427 | 10.18 | 97.31 | 13,925 | 0 | 0 | 13,55,042 | 0 | 13.55 |
| 4 | मंडला पश्चिम (जी) | 12 | 2310 | 950 | 41.13 | 296.098 | 18,500 | 0 | 0 | 54,77,813 | 0 | 54.78 |
| 5 | रायसेन (जी) | 18 | 23,207 | 6,675 | 28.76 | 383.265 | 2,896 | 0 | 0 | 11,09,935 | 0 | 11.10 |
| 6 | सीहोर (जी) | 2 | 201 | 182 | 90.55 | 17.659 | 27,640 | 8.039 | 1,854 | 4,88,095 | 14,904 | 5.03 |
| 7 | शहडोल उत्तर (जी) | 32 | 32,619 | 4,190 | 12.85 | 208.8045 | 9,542 | 139.203 | 1,455 | 19,92,413 | 2,02,540 | 21.94 |
| 8 | शहडोल दक्षिण(जी) | 4 | 3,048 | 346 | 11.35 | 9.363 | 2,422 | 6.242 | 1,455 | 22,677 | 9,082 | 0.32 |
| 9 | उमरिया (जी) | 3 | 999 | 999 | 100 | 45.6255 | 205 | 30.417 | 1,455 | 9,353 | 44,257 | 0.54 |
| **कुल** | | **108** | **79,108** | **15,929** | | | | | | | | **108.78** |

# परिशिष्ट 6.2 (i)

*(कंडिका 6.6.6.1 में संदर्भित )*

## अनुमान से कम उपज दर्शाने वाला विवरण

| क्र सं | मंडल | कूपों की संख्या | मार्क्ड पेड़ों की संख्या | अनुमानित उपज | | | काटे गए पेड़ों की संख्या | वास्तविक उपज | | | अंतर | | | कमी प्रतिशत | 10 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से अधिक की कमी | टिम्बर की दर | हानि | ईंधन लकड़ी की दर | हानि | कुल हानि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | टिम्बर | ईंधन | कुल | | टिम्बर | ईंधन | कुल | टिम्बर | ईंधन | कुल | | | | | | | |
| 1 | हरदा (पी) | 5 | 1,175 | 748 | 117 | 865 | 1,175 | 560 | 114 | 674 | 188 | 3 | 191 | 22.08 | 12.08 | 13,925 | 26,17,900 | 3,190 | 9,570 | 26,27,470 |
| 2 | खंडवा(पी) | 34 | 59,797 | 3,821 | 1,590 | 5,411 | 59,797 | 1,896 | 820 | 2,716 | 1,925 | 770 | 2,695 | 49.80 | 39.81 | 18,925 | 3,64,30,625 | 2,760 | 21,25,200 | 3,85,55,825 |
| 3 | देवास(जी) | 3 | 12,908 | 325 | 577 | 902 | 12,908 | 290 | 244 | 534 | 35 | 333 | 368 | 40.79 | 30.80 | 20,532 | 7,18,620 | 1,509 | 5,02,497 | 12,21,117 |
| 4 | शहडोल दक्षिण(जी) | 11 | 13,284 | 3,675 | 2,210 | 5,885 | 13,284 | 2,836 | 1,754 | 4,590 | 839 | 456 | 1,295 | 22.00 | 12.01 | 2,422 | 20,32,058 | 1,820 | 8,29,920 | 28,61,978 |
| 5 | रायसेन(प) | 8 | 10,061 | 1,754 | 782 | 2,536 | 10,061 | 1,231 | 434 | 1665 | 523 | 348 | 871 | 34.34 | 24.35 | 10,525 | 55,04,575 | 2,256 | 7,85,088 | 62,89,663 |
| 6 | रीवा (जी) | 2 | 10,348 | 0 | 230 | 230 | 10,348 | 0 | 127 | 127 | 0 | 103 | 103 | 44.78 | 34.78 | 0 | 0 | 2,400 | 2,47,200 | 2,47,200 |
| | **कुल** | **63** | **1,07,573** | **10,323** | **5,506** | **15,829** | **1,07,573** | **6,813** | **3,493** | **10,306** | **3,510** | **2,013** | **5,523** | | | | **4,73,03,778** | | **44,99,475** | **5,18,03,253** |

## परिशिष्ट 6.2 (ii)

*(कंडिका 6.6.6.2 में संदर्भित)*

### टिम्बर को ईंधन की लकड़ी में अनियमित रूप से परिवर्तित करने के कारण होने वाली हानि का विवरण

| क्र सं | मंडल | कूपों की संख्या | मार्क्ड पेड़ों की संख्या | अनुमानित उपज | | काटे गए पेड़ों की संख्या | वास्तविक उपज | | कम उपज घन मीटर में | | | | | 10 प्रतिशत से अधिक टिम्बर की अत्यधिक कमी | टिम्बर की न्यूनतम दर | हानि | 10 प्रतिशत से अधिक ईंधन लकड़ी की अत्यधिक कमी | ईंधन लकड़ी की न्यूनतम दर | हानि | कुल हानि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | टिम्बर | ईंधन | | टिम्बर | ईंधन | टिम्बर | प्रतिशत | ईंधन | प्रतिशत | कुल हानि | | | | | | | |
| 1 | बैतूल (पी) | 10 | 1,106 | 395 | 112 | 1,106 | 242 | 311 | 153 | 39 | -199 | -177 | -46 | 113 | 30,075 | 46,01,475 | -210 | 3,250 | -6,46,750 | 39,54,725 |
| 2 | सतना (जी) | 43 | 1,603 | 83 | 107 | 1,603 | 54 | 119 | 29 | 35 | -12 | -11 | 17 | 21 | 17,856 | 5,17,824 | -23 | 2,203 | -26,436 | 4,91,388 |
| 3 | सीधी (जी) | 1 | 833 | 15 | 39 | 833 | 6 | 47 | 9 | 60 | -8 | -21 | 1 | 8 | 4,020 | 36,180 | -4.1 | 2,400 | -19,200 | 16,980 |
| **कुल** | | **54** | **3,542** | **493** | **258** | **3,542** | **302** | **477** | **191** | | **-219** | | **-28** | | | **51,55,479** | | | **-6,92,386** | **44,63,093** |

## परिशिष्ट 6.3

*(कंडिका 6.6.7 में संदर्भित)*

## बांस के कम उत्पादन से राजस्व की हानि का विवरण

*(राशि ₹ में)*

| क्र सं | इकाई का नाम | वर्ष | कूपों की संख्या | अनुमानित उत्पादन एनटी में | | कुल | वास्तविक उत्पादन एनटी में | | कुल | वाणिज्यिक बांस की हानि | | | औद्योगिक बांस की हानि | | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वाणि० | औद्यो. | | वाणि. | औद्यो. | | मात्रा एनटी में | दर | राशि | मात्रा एनटी में | दर | राशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= (11*12) | 14 | 15 | 16= (14*15) | 17= (13+16) |
| 1 | बैतूल (पी) | 2018-19 से 2020-21 | 14 | 1321.397 | 428.225 | 1749.622 | 483.837 | 55.039 | 538.876 | 837.560 | 2809 | 23,52,706 | 373.186 | 13527 | 50,48,087 | 74,00,793 |
| 2 | हरदा (पी) | 2019-20 से 2020-21 | 14 | 2888.86 | 4711.76 | 7600.62 | 449.89 | 1812.84 | 2262.73 | 2438.97 | 10909 | 266,06,746 | 2898.92 | 3000 | 86,96,760 | 353,03,506 |
| 3 | खंडवा(पी) | 2019-20 | 06 | 166.000 | 324.000 | 490.000 | 134.000 | 64.000 | 198.000 | 32.000 | 6109 | 1,95,488 | 260.000 | 4300 | 11,18,000 | 13,13,488 |
| 4 | सिवनी (पी) | 2018-19 & 2020-21 | 19 | 2927.528 | 705.989 | 3633.517 | 823.761 | 476.964 | 1300.725 | 2103.767 | 6045 | 127,17,272 | 229.025 | 6575 | 15,05,839 | 142,23,111 |
| 5 | नर्मदापुरम (जी) | 2018-19 से 2020-21 | 2 | 990.981 | 660.31 | 1651.291 | 617.399 | 354.256 | 971.655 | 373.582 | 9600 | 35,86,387 | 306.054 | 3651 | 11,17,403 | 47,03,790 |
| 6 | शहडोल उत्तर (जी) | 2019-20 से 2020-21 | 5 | 28.09 | 41.88 | 69.97 | 20.233 | 17.511 | 37.744 | 7.863 | 5236 | 41,174 | 24.368 | 4300 | 1,04,782 | 1,45,956 |
| कुल | | | 60 | 8322.856 | 6872.164 | 15195.02 | 2529.12 | 2780.61 | 5309.73 | 5793.742 | | | 4091.553 | | | 6,30,90,644 |

1.वाणिज्यिक बांस (वाणि.) और औद्योगिक बांस (औद्यो.)

2. नोशनल टोन (एनटी) = 2400 मीटर

## परिशिष्ट 7.1

*(कंडिका 7.5.1.3 में संदर्भित)*

## अनियमित निष्पादन और संशोधित टीएस के बिना अनधिकृत भुगतान दिखाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | इकाई का नाम | कार्य का नाम | अनुबंध संख्या | टीएस * | अनुबंध राशि | किये गये कार्य का मूल्य * | अनधिकृत व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-5 |
| 1 | खंडवा | मोहनिया भाम में उच्च विद्यालय का निर्माण | 51/2017-18 | 96.77 | 77.18 | 97.83 | 1.06 |
| 2 | सागर | सागर में उत्कृष्ट विद्यालय में 100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण | 13/2018-19 | 654.29 | 598.81 | 712.23 | 57.94 |
| 3 | | केसली में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 58/2017-18 | 578.80 | 514.32 | 713.64 | 134.84 |
| 4 | सिंगरौली | बर्डी में उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण | 11/2018-19 | 140.98 | 143.30 | 160.61 | 19.63 |
| 5 | | सिंगरौली में उत्कृष्ट विद्यालय में 100 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण | 14/2019-20 | 330.37 | 297.37 | 361.86 | 31.49 |
| 6 | | सिंगरौली में उत्कृष्ट विद्यालय में 100 सीटर बालिका छात्रावास का निर्माण | 11/2019-20 | 331.20 | 298.11 | 354.56 | 23.36 |
| 7 | | वैधान में मॉडल विद्यालय में 50 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण | 32/2020-21 | 322.86 | 286.96 | 355.11 | 32.25 |
| 8 | | सराय में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 13/2017-18 | 628.26 | 601.93 | 665.08 | 36.82 |
| 9 | टीकमगढ़ | टेहरका में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण | 07/2018-19 | 86.96 | 67.83 | 108.16 | 21.20 |
| 10 | उज्जैन | सुवासा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण | 03/2018-19 | 89.33 | 79.95 | 99.13 | 9.80 |
| कुल | | | | | | | 368.39 |

* निविदा प्रतिशत और जीएसटी को छोड़कर किए गए कार्य का मूल्य

## परिशिष्ट 7.2

*(कंडिका 7.5.2 में संदर्भित)*

**संशोधित टीएस के प्रकरणों में अनियमित व्यय और अनधिकृत भुगतान को दर्शाने वाला विवरण**

**(₹ लाख में)**

| क्र सं | इकाई का नाम | कार्य का नाम | अनुबंध संख्या | टीएस * | अनुबंध राशि | किए गए कार्य का मूल्य * | संशोधित टीएस * | अनधिकृत व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7-8 |
| 1 | छतरपुर | चंदला में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 12/2017-18 | 613.24 | 508.93 | 747.56 | 620.45 | 127.11 |
| 2 | | नौगांव में अभियांत्रिकी महाविद्यालय का निर्माण | 14/2015-16 | 1,874.26 | 1,684.70 | 2,047.59 | 1,874.09 | 173.50 |
| 3 | देवास | देवास में उत्कृष्ट विद्यालय में 100 सीटर बालक-बालिका छात्रावास का निर्माण | 36/2018-19 | 654.29 | 562.30 | 688.02 | 591.74 | 96.28 |
| 4 | | भोरासा में बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण | 30/2018-19 | 150.86 | 138.96 | 162.90 | 150.05 | 12.85 |
| 5 | | देवास में विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण | 15/2017-18 | 616.47 | 529.75 | 681.27 | 590.39 | 90.88 |
| 6 | सीहोर | सीहोर में आवासीय परिसर में 100 सीटर बालिका छात्रावास का निर्माण | 01/2019-20 | 328.12 | 274.93 | 377.86 | 316.61 | 61.25 |
| 7 | | लाडकुई में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 20/2017-18 | 578.75 | 524.68 | 734.00 | 620.15 | 113.85 |

| क्र सं | इकाई का नाम | कार्य का नाम | अनुबंध संख्या | टीएस * | अनुबंध राशि | किए गए कार्य का मूल्य * | संशोधित टीएस * | अनधिकृत व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | शाजापुर | शाजापुर में उत्कृष्ट विद्यालय में 100 सीटर बालक-बालिका छात्रावास का निर्माण | 25/2018-19 | 654.29 | 580.88 | 718.68 | 638.05 | 80.63 |
| 9 | | झोंकर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण | 05/2018-19 | 150.85 | 141.64 | 161.26 | 151.40 | 9.86 |
| 10 | | शुजालपुर में उच्च विद्यालय में प्रथम तल का निर्माण | 06/2019-20 | 61.46 | 46.77 | 65.56 | 49.89 | 15.67 |
| 11 | | शुजालपुर में जेएनएस पीजी कॉलेज का निर्माण | 39/2018-19 | 1,067.43 | 960.58 | 1,173.35 | 1,055.90 | 117.45 |
| 12 | | शाजापुर में लॉ कॉलेज का निर्माण | 38/2018-19 | 545.22 | 496.69 | 591.02 | 538.70 | 52.32 |
| 13 | | कालापीपल में स्नातक महाविद्यालय में 4 लैब रूम का निर्माण | 16/2018-19 | 38.34 | 32.35 | 35.56 | 30.37 | 5.19 |
| 14 | | शुजालपुर में आईटीआई में बाउंड्री वॉल का निर्माण | 45/2018-19 | 48.02 | 41.04 | 46.59 | 39.84 | 6.75 |
| 15 | सिंगरौली | चितरंगी में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 05/2017-18 | 635.03 | 566.02 | 703.80 | 622.36 | 81.44 |
| 16 | टीकमगढ़ | बल्देवगढ़ में बालिका छात्रावास का निर्माण | 10/2014-15 | 125.71 | 111.88 | 149.61 | 133.23 | 16.38 |
| 17 | | फूटर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण | 11/2018-19 | 152.18 | 133.08 | 164.01 | 141.74 | 22.27 |

| क्र सं | इकाई का नाम | कार्य का नाम | अनुबंध संख्या | टीएस * | अनुबंध राशि | किए गए कार्य का मूल्य * | संशोधित टीएस * | अनधिकृत व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | निवाड़ी में स्नातक महाविद्यालय में नवीनीकरण और अतिरिक्त निर्माण कार्य | 35/2017-18 | 132.15 | 99.34 | 144.12 | 123.08 | 21.04 |
| कुल | | | | | | | | 1,104.72 |

*** निविदा प्रतिशत और जीएसटी को छोड़कर किए गए कार्य का मूल्य**

## परिशिष्ट 7.3

***(कंडिका 7.8.2 में संदर्भित)***

**उच्च संशोधित दरों पर भुगतान के कारण अतिरिक्त भुगतान दर्शाने वाला विवरण**

**(राशि ₹ में)**

| क्र.सं. | इकाई का नाम | कार्य का नाम | अनुबंध सं. | एनआईटी की तिथि | बोली प्रस्तुत करने की तिथि | संशोधन संख्या/ दिनांक | मद संख्या | मात्रा | इकाई | भुगतान दर | देय दर | निविदा प्रतिशत | अतिरिक्त भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कटनी | गैरतलाई में उच्च विद्यालय का निर्माण | 17/2018-19 | 10-08-18 | 24-08-18 | 44/13-08-18 | 5.16.6 | 80,235.220 | किलोग्राम | 60.00 | 48.60 | -8.86% + 12% | 9,33,678 |
| 2 | खंडवा | नहल्दा में नए मॉडल स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 23/2018-19 | 30-07-18 | 14-08-18 | 44/13-08-18 | 5.16.6 | 4,14,512.680 | किलोग्राम | 60.00 | 48.60 | -17.96% +12% | 43,41,965 |
| 3 | सीहोर | सीहोर में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 38/2018-19 | 30-07-18 | 14-08-18 | 44/13-08-18 | 5.16.6 | 5,25,459.970 | किलोग्राम | 60.00 | 48.60 | -10.51% + 12% | 60,03,949 |
| कुल | | | | | | | | | | | | | **1,12,79,592** |

## परिशिष्ट 7.4

*(कंडिका 7.9.1.1 में संदर्भित )*

### फाइबरग्लास क्लॉथ वॉटरप्रूफिंग की अनियमित स्वीकृति और निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण

**(राशि ₹ में और इकाई वर्ग मीटर में)**

| क्र सं | इकाई का नाम | कार्य का नाम | अनुबंध सं. | मात्रा | दर | निविदा प्रतिशत | अतिरिक्त भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | छतरपुर | चंदला में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 12/2017-18 | 1,802.660 | 338.00 | -17.01% | 5,05,657 |
| 2 | | बक्सवाहा में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 27/2017-18 | 2,175.220 | 338.00 | -14.95% | 6,25,308 |
| 3 | ग्वालियर | ग्वालियर में दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण | 21/2018-19 | 2,188.290 | 304.20 | -11.26% + 12% | 6,61,609 |
| 4 | | मोहना में 100 सीटेड बालिका छात्रावास का निर्माण | 05/2019-20 | 576.210 | 304.20 | -19.55% + 12% | 1,57,937 |
| 5 | | करियावटी में 100 सीटेड बालिका छात्रावास का निर्माण | 04/2019-20 | 631.260 | 304.20 | -20.70% + 12% | 1,70,553 |
| 6 | | चिनोर (भितरवार) में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लैब और अतिरिक्त कक्ष का निर्माण | 09/2020-21 | 315.440 | 304.20 | -22.59% + 12% | 83,194 |
| 7 | | चिनोर में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 25/2018-19 | 2,113.430 | 304.20 | -7.07% + 12% | 6,69,146 |
| 8 | | ग्वालियर में स्नातक महाविद्यालय में 12 कक्षाओं का निर्माण | 18/2018-19 | 1,613.095 | 304.20 | -14.18% + 12% | 4,71,656 |
| 9 | खंडवा | खंडवा में उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण | 02/2019-20 | 963.440 | 304.20 | -18.00% +12% | 2,69,163 |
| 10 | | नाहल्दा में नए मॉडल स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 23/2018-19 | 3,521.540 | 304.20 | -17.96% +12% | 9,84,318 |
| 11 | | पंधाना में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 40/2017-18 | 2,220.570 | 338.00 | -20.30% | 5,98,190 |
| 12 | मंदसौर | नीमच में उत्कृष्ट विद्यालय में 100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण | 41/2018-19 | 2,030.548 | 304.20 | -6.27% + 12% | 6,48,439 |
| 13 | | मंदसौर में उत्कृष्ट विद्यालय में 100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण | 37/2018-19 | 1,992.615 | 304.20 | -9.90% + 12% | 6,11,682 |
| 14 | | सीतामऊ में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 06/2017-18 | 2,141.452 | 338.00 | -11.97% | 6,37,171 |
| 15 | | सुवासरा में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 11/2017-18 | 2,093.972 | 338.00 | -16.55% | 5,90,628 |

| क्र सं | इकाई का नाम | कार्य का नाम | अनुबंध सं. | मात्रा | दर | निविदा प्रतिशत | अतिरिक्त भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | शामगढ़ में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 10/2017-18 | 2,105.690 | 338.00 | -17.55% | 5,86,816 |
| 17 | रायसेन | रायसेन में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में 6 कक्षाओं का निर्माण | 28/2018-19 | 1,643.070 | 270.00 | -8.06% + 12% | 4,56,817 |
| 18 | सागर | गढ़ाकोटा में स्नातक महाविद्यालय के विस्तार का निर्माण | 31/2018-19 | 1,137.930 | 304.20 | -7.01% + 12% | 3,60,520 |
| 19 | सीहोर | सीहोर में उत्कृष्ट विद्यालय में 100 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण | 16/2018-19 | 1,037.610 | 304.20 | -12.99% + 12% | 3,07,596 |
| 20 | | सीहोर में आवासीय परिसर में 100 सीटर बालिका छात्रावास का निर्माण | 01/2019-20 | 1,551.180 | 304.20 | -16.21% + 12% | 4,42,824 |
| 21 | | सीहोर में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 38/2018-19 | 3,910.560 | 304.20 | -10.51% + 12% | 11,92,314 |
| 22 | | लाडकुई में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 20/2017-18 | 1,996.010 | 338.00 | -15.51% | 5,70,013 |
| 23 | | जावर में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 19/2017-18 | 2,397.230 | 338.00 | -14.77% | 6,90,588 |
| 24 | | सीहोर में डॉ. अंबेडकर महिला आईटीआई कॉलेज में निर्माण कार्य | 24/2018-19 | 3,104.510 | 304.20 | -12.86% +12% | 9,21,696 |
| 25 | शाजापुर | शाजापुर में उत्कृष्ट विद्यालय में 100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण | 25/2018-19 | 2,936.540 | 304.20 | -11.22% + 12% | 8,88,236 |
| 26 | | शाजापुर में लॉ कॉलेज का निर्माण | 38/2018-19 | 2,800.300 | 304.20 | -8.90% + 12% | 8,69,161 |
| कुल | | | | | | | 1,49,71,232 |

## परिशिष्ट 7.5

*(कंडिका 7.9.1.2 में संदर्भित)*

**वस्तुओं और मात्राओं के अनावश्यक निष्पादन के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण।**

**(राशि ₹ में)**

| क्र सं | इकाई का नाम | कार्य का नाम | अनुबंध सं. | मद संख्या. | मात्रा | इकाई | दर | निविदा प्रतिशत | राशि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | देवास | खातेगांव में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 54/2018-19 | 6.4-R | 125.538 | घन मीटर | 4491.00 | -8.80% + 12% | 5,75,879 | सड़क के सीसी पेवमेंट को डिजाइन किए गए क्रस्ट में 200 मिमी मोटाई के बजाय 250 मिमी की मोटाई में बिछाया गया था। |
| 2 | सागर | सागर में उत्कृष्ट विद्यालय में 100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण | 13/2018-19 | 2.6 | 745.610 | घन मीटर | 116.1 | -8.48% + 12% | 88,732 | स्थान और आवश्यकताओं का उल्लेख किए बिना अनावश्यक वस्तुओं को निष्पादित किया गया था। |
| | | | | 2.28.1 | 745.610 | घन मीटर | 270 | | 2,06,352 | |
| | | | | 2.27 | 596.660 | घन मीटर | 604.8 | | 3,69890 | |
| | | | | 4.1.2.2 | 27.500 | घन मीटर | 3427.2 | | 96,S606 | |
| 3 | | खुरई में मॉडल स्कूल में 100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण | 01/2020-21 | 2.20-R | 0.19 | वर्ग मीटर | 39368 | -13.32% + 12% | 7,262 | बालक एवं बालिका के छात्रावास के दाएं और बाएं हिस्से में सड़क के अनावश्यक काम निष्पादित किया गया और बालक एवं बालिका के छात्रावास के बीच क्रशर स्टोन डस्ट से प्लिंथ भरने का काम भी बिना किसी आवश्यकता के किया गया। |
| | | | | 3.1-R | 342.22 | घन मीटर | 49.5 | | 16,446 | |
| | | | | 3.10-R | 554.09 | घन मीटर | 144 | | 77,460 | |
| | | | | 4.12-R | 191.88 | घन मीटर | 956.7 | | 1,78,214 | |
| | | | | 2.27 | 487.2 | घन मीटर | 604.8 | | 2,86,059 | |
| 4 | | मकरोनिया में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 22/2018-19 | 4.2.1.4 | 99.372 | घन मीटर | 3720.6 | -11.24% +12% | 3,67,547 | बालक एवं बालिका के शौचालय की छत के धंसे हुए हिस्से को अनावश्यक रूप से पीसीसी से भर दिया गया, जिसे भवन के उन्नयन/विस्तार पर हटाया जाना था और यह किसी काम का नहीं था। |
| | | | | 4.2.1.3 | 28.392 | घन मीटर | 4242.6 | | 1,11,847 | |

| क्र सं | इकाई का नाम | कार्य का नाम | अनुबंध सं. | मद संख्या. | मात्रा | इकाई | दर | निविदा प्रतिशत | राशि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | गढ़ाकोटा में स्नातक महाविद्यालय के विस्तार का निर्माण | 31/2018-19 | 3.13 | 141.07 | घन मीटर | 3621.6 | -7.01% + 12% | 5,32,095 | शौचालय में फर्श के नीचे चूना, सुर्खी और संगमरमर के चूर्ण पर मोर्टार के महंगे काम का भुगतान बिना किसी आवश्यकता के किया गया। |
| 6 | | मालथोन में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 38/2017-18 | 4.12-R | 813.350 | घन मीटर | 1063 | -12.16% | 7,59,457 | अन्य खुले क्षेत्रों में तटबंध निर्माण और डीएलसी तथा पीक्यूसी के साथ सीआरएम के क्रियान्वयन द्वारा, बिना आवश्यकता के अतिरिक्त मात्रा में सड़क कार्य निष्पादित किया गया, जो डिजाइन से अतिरिक्त लंबाई और चौड़ाई में था। |
| | | | | 3.1-R | 2507.450 | घन मीटर | 160 | | 3,52,407 | |
| | | | | 6.1-R | 98.540 | घन मीटर | 2443 | | 2,11,460 | |
| | | | | 6.4-R | 313.150 | घन मीटर | 5379 | | 14,79,607 | |
| 7 | | केसली में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 58/2017-18 | 3.10-R | 2981.64 | घन मीटर | 160 | -11.14% | 4,23,917 | माप में अनावश्यक मद को स्थान और आवश्यकताओं का उल्लेख किए बिना अंतिम माप के रूप में दर्ज किया गया। |
| | | | | 3.3-R | 984.18 | घन मीटर | 50 | | 43,727 | |
| | | | | 2.27 | 198.166 | घन मीटर | 672 | | 1,18,333 | |
| 8 | शाजापुर | शाजापुर के उत्कृष्ट विद्यालय में 100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण | 25/2018-19 | 2.28.1 | 66.265 | घन मीटर | 270 | -11.22% + 12% | 17,790 | मद संख्या 11.74 को खुले प्रांगण में तथा बालिका छात्रावास एवं बालक छात्रावास के भवन के आसपास निष्पादित दिखाया गया था तथा कुछ अनावश्यक मद को पेवर ब्लॉकों के नीचे भी निष्पादित किया गया था, लेकिन मद संख्या 11.74 स्टोन डस्ट तथा सीसी एम-15 के साथ पूर्ण वस्तु थी। |
| | | | | 2.27 | 29.214 | घन मीटर | 604.8 | | 17,569 | |
| | | | | 4.2.1.3 | 81.204 | घन मीटर | 4242.6 | | 3,42,565 | |
| | | | | 2.28.1 | 66.265 | घन मीटर | 270 | | 17,790 | |
| | | | | 2.27 | 29.214 | घन मीटर | 604.8 | | 17,569 | |
| | | | | 4.1.2.1 | 98.593 | घन मीटर | 3962.7 | | 3,88,482 | |
| | | | | 4.1.1.3 | 114.584 | घन मीटर | 4023.9 | | 4,58,463 | |
| | | | | 4.12-R | 108.98 | घन मीटर | 957 | | 1,03,703 | |
| **कुल** | | | | | | | | | **76,67,228** | |

## परिशिष्ट 7.6

*(कंडिका 7.10.2 में संदर्भित)*

**उन कार्यों की सूची दर्शाने वाला विवरण जिसमें अवमानक स्टील का उपयोग किया गया था**

| क्र सं | इकाई का नाम | कार्य का नाम | अनुबंध सं. |
|---|---|---|---|
| 1 | छतरपुर | चंदला में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 12/2017-18 |
| 2 | | बक्सवाहा में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 27/2017-18 |
| 3 | ग्वालियर | बरेठा में उच्च विद्यालय का निर्माण | 04/2018-19 |
| 4 | | चिन्नोर में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 25/2018-19 |
| 5 | | ग्वालियर में स्नातक महाविद्यालय में 12 कक्षाओं का निर्माण | 18/2018-19 |
| 6 | खंडवा | मोहनिया भाम में उच्च विद्यालय का निर्माण | 51/2017-18 |
| 7 | | पंधाना में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 40/2017-18 |
| 8 | रायसेन | खरबई में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण | 10/2018-19 |
| 9 | सीहोर | सीहोर में आवासीय परिसर में 100 सीटर बालिका छात्रावास का निर्माण | 01/2019-20 |
| 10 | | सीहोर में चंद्रशेखर आजाद पीजी कॉलेज का निर्माण | 38/2018-19 |
| 11 | | जावर में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 19/2017-18 |
| 12 | टीकमगढ़ | लारोन में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण | 10/2018-19 |
| 13 | | टेहरका में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण | 07/2018-19 |
| 14 | | टीकमगढ़ में लॉ कॉलेज का निर्माण | 40/2017-18 |
| 15 | उज्जैन | कनासिया में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण | 25/2018-19 |
| 16 | | माकदोन में स्नातक महाविद्यालय का निर्माण | 21/2018-19 |

# संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली

| संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली | |
|---|---|
| नि.प्रा. | निर्धारण प्राधिकारी |
| ए.ए. | प्रशासनिक स्वीकृति |
| ए.सी.एस. | अपर मुख्य सचिव |
| अति.आयु.आब. | अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी |
| सहा.आयु.आब. | सहायक आयुक्त, आबकारी |
| ए.जी. | महालेखाकार |
| स.ख.अ. | सहायक खनिज अधिकारी |
| ए.पी.सी.सी.एफ. | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक |
| ए.पी.डी. | अतिरिक्त परियोजना संचालक |
| एआरएन | पावती रसीद संख्या |
| ब.ग. | बैंक गारंटी |
| बी.ओ.क्यू. | बिल ऑफ क्वांटिटी |
| सी.ए. | प्रतिपूरक वनीकरण |
| कैम्पा | प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण |
| सीबीआईसी | केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड |
| सी.बी.एस. | कोर बैंकिंग समाधान |
| सी.सी.एफ. | मुख्य वन संरक्षक |
| सी.एफ. | वन संरक्षक |
| सीजीएसटी | केंद्रीय जीएसटी |
| सी.पी.डब्ल्यू.डी. | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग |
| सी.आर.एम. | क्रशर रन मैकडैम |
| सीटीडी | वाणिज्यिक कर विभाग |
| सी.टी.आर. | कोषालाय की समेकित पावती |
| डी.डी.ओ. | आहरण एवं संवितरण अधिकारी |
| उप.आयु.आब. | उपायुक्त, आबकारी |
| डी.एफ.ओ. | वन मंडलाधिकारी |
| डीजीएआरएम | महानिदेशक, विश्लेषिकी एवं जोखिम प्रबंधन |
| डी.एल.पी. | डिफ़ेक्ट लायबिलिटी की अवधि |
| डीएमएफ | जिला खनिज प्रतिष्ठानों |
| डीएमओ | जिला खनिज अधिकारी |
| डी.पी.ई. | संभागीय परियोजना यंत्री |
| डी.पी.आर. | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट |
| डीआरसी | मांग और वसूली प्रपत्र |
| डीटीआईसी | जिला व्यापार और उद्योग केंद्र |
| ईसी | पर्यावरणीय अनुमति |
| ईडीपी | एक्स-डिस्टिलरी मूल्य |

| | |
|---|---|
| ई-इन-सी | प्रमुख अभियंता |
| एफ.सी.ए. | वन संरक्षण अधिनियम |
| एफ.डी.सी. | वन विकास उपकर |
| एफ.पी. | वनोपज |
| जी.सी.सी. | ठेके की सामान्य शर्तें |
| जी.डी. | सामान्य मंडल |
| जी.ओ.एम.पी. | मध्य प्रदेश शासन |
| जी.एस.टी. | वस्तु एवं सेवा कर |
| जीएसटीआईएन | वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या |
| जीएसटीएन | वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क |
| जीएसटीआर | वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न |
| एच.ओ.डी. | विभागीय प्रमुख |
| एच.ओ.एफ.एफ. | वन बल प्रमुख |
| एचएसएन | नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली |
| आं.ले.शा. | आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा |
| आईसीईजीएटीई | भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे |
| आई.एफ.ए. | भारतीय वन अधिनियम |
| आईजीएसटी | एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर |
| आईएसडी | इनपुट सेवा वितरक |
| आईटीसी | इनपुट टैक्स क्रेडिट |
| जे.पी.डी. | संयुक्त परियोजना संचालक |
| एल.ओ.ए. | अनुमति-पत्र |
| ख.नि. | खनिज निरीक्षक |
| म.प्र. | मध्य प्रदेश |
| एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
| एम.पी.एफ.सी. | मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता |
| एम.पी.एफ.एफ.आर. | मध्य प्रदेश वन वित्तीय नियम |
| एम.पी.एफ.एम. | मध्य प्रदेश वन नियमावली |
| एमपीपीसीबी | मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड |
| एम.पी.एस.एफ.डी.सी. | मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम |
| एम.पी.टी.सी. | मध्य प्रदेश कोषालय संहिता |
| एम.पी.पी.डब्ल्यू.डी. | मध्य प्रदेश निर्माण विभाग |
| एम.आर.डी. | खनिज संसाधन विभाग |
| एमएसएमई | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम |
| एम.टी. | मीट्रिक टन |
| एन.बी.सी. | नेशनल बिल्डिंग कोड |
| एन.आई.टी. | निविदा आमंत्रण सूचना |

| | |
|---|---|
| ओआईडीएआर | ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल |
| पी.ए.सी. | लोक लेखा समिति |
| पीएस | प्रमुख सचिव |
| पी एंड एम | संयंत्र और मशीनरी |
| पी.सी.सी. | सादा सीमेंट कंक्रीट |
| पी.सी.सी.एफ. | प्रधान मुख्य वन संरक्षक |
| पी.डी. | परियोजना संचालक |
| पी.डी. | उत्पादन मंडल |
| पी.ई.डी. | लोक शिक्षा विभाग |
| पीएचई | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी |
| पी.ओ.आर. | प्रिलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट |
| पी.एस. | प्रमुख सचिव |
| आर.ए. | रेंज असिस्टेंट |
| आर.सी.सी. | प्रबलित सीमेंट कंक्रीट |
| आरसीएम | रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म |
| आर.एम.सी. | रेडी मिक्स कंक्रीट |
| आर.ओ. | रेंज अधिकारी |
| आर.आर.सी. | राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र |
| आर.टी.जी.एस. | रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट |
| एस सी एन | कारण बताओ नोटिस |
| एस.डी.ओ. | उप प्रभागीय वन अधिकारी |
| एस.एफ.एफ. | सामाजिक और कृषि वानिकी |
| एसजीएसटी | राज्य वस्तु एवं सेवा कर |
| एसओपी | मानक संचालन प्रक्रियाओं |
| एस.ओ.आर. | दर-अनुसूची |
| एसआरएन | सेवा अनुरोध संख्या |
| एसएससीए | विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा |
| एस.क्यू.सी. | पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण |
| टीसीएस | स्रोत पर एकत्र कर |
| टीडीएस | स्रोत पर कर कटौती |
| टी.पी. | पारगमन अनुज्ञापत्र |
| टी.एस. | तकनीकी मंजूरी |
| यू.ए. | उपयोगकर्ता एजेंसी |
| यूटीजीएसटी | संघ शासित प्रदेश माल और सेवा कर |
| डब्ल्यू.पी. | कार्य योजना |
| डब्ल्यू.पी.टी. | वॉटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट |

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh/hi